



# वित्त लेखे (खण्ड - I)

## 2014-15



हिमाचल प्रदेश सरकार

# वित्त लेखे

## खण्ड-I

2014-15

हिमाचल प्रदेश सरकार

# ਖਣਡ-I

## विषय सूची

(दोनों भागों की विषय सूची एक दूसरे में सम्मिलित)

विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-I</b>	
■ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iii-v)
■ वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका	(vii-xii)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	4-8
3 प्राप्तियों की विवरणी(समेकित निधि)	9-11
4 व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	12-16
5 प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी	17-20
6 ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	21-24
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	25-26
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	27
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	28
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	29-31
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	32
12 राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	33-36
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	37-38
■ लेखाओं पर टिप्पणी	39-54
<b>खण्ड-II</b>	
<b>खण्ड-II का भाग-I</b>	
14 लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	55-72
15 लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	73-116
16 लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	117-152
17 ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	153-164
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	165-171
19 निवेशों की विस्तृत विवरणी	172-186
20 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	187-189
21 आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	190-196
22 चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	197-198
<b>खण्ड-II का भाग-II</b>	
(I) वेतन पर तुलनात्मक व्यय	199-205
(II) सहायता पर तुलनात्मक व्यय	206-217
(III) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	218-249
(IV) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	250-251
(V) योजना स्कीम व्यय	252-258
(क) केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय योजना स्कीमें)	
(ख) राज्य योजना स्कीमें	

**खण्ड-II****खण्ड-II का भाग-II**

(VI) राज्य की कार्यावयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	259-263
(VII) विवरणी संख्या 16 व 21 में दर्शाये गये अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	264
(VIII) सिंचाई स्कीमों का वित्तीय परिणाम	265
(IX) अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	266-267
(X) वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	268-273
(XI) मुख्य नीतिगत निर्णयों की विवक्षा या भावी नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	274
(XII) भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	275

## **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र**

इस संकलन में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक् संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाऊचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणियां (8, 9, 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियां (विवरणी संख्या 14 एवं 15), परिशिष्टों (IV,VIII,IX एवं XI) को हिमाचल प्रदेश सरकार के निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है तथा परिशिष्ट VI को महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल से बनाया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूं। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एंव हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गी, पृथक् रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबन्ध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

**लेखा परीक्षा सामान्यतः** भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक यथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2014-15 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

  
(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**दिनांक:**

**स्थान:**

**क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन**

**1.** हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पत्तियों को दर्शाते हैं।

**2.** सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

**भाग-I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी लोक ऋण, ऋण और अग्रिम (बजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संवैधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित) इन्हें आगे, प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं सहायतानुदान व अंशदान। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - आय व व्यय पर कर, वित्तीय सेवाएँ इत्यादि। पूँजीगत प्राप्तियाँ भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सहायतानुदान व अंशदान में बांटा गया है। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे - राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूँजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ, लोकऋण, ऋण एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय समाधान तथा आकस्मिकता निधि को हस्तान्तरण में विभाजित है।

**भाग-II: आकस्मिकता निधि:** यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ति किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2014-15 की आकस्मिकता निधि ₹ 5.00 करोड़ है।

**भाग-III लोक लेखा:** प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छ: खण्ड जैसे: 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के बोट का विषय नहीं है।


**3.** सरकारी लेखे छ: स्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं उद्देश्य शीर्ष (दो अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

**4.** लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2015 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

**5.** वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष स्तर तक लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में आंकड़े निवल रूप में, अर्थात् वसूली को व्यय में से कटौती करते हुए दिखाए जाते हैं। यह विधि, विधान मण्डल को प्रस्तुत माँगों एवं विनियोग लेखों में प्रस्तुत निधि से अलग है जहाँ व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है।

**6.** लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है:



## ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

**खण्ड-I** में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, लेखाओं पर टिप्पणी तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं। खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।
2. **प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागों: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों तथा दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 व 18 की समरूप है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17, व 18 की समरूप है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
6. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य देनदारियों में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत्त सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूँजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी:** यह विवरणी साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों

को प्रदत्त सभी सहायतानुदान को दर्शाती है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये। जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरुआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
13. समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं को सही सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

वित्त लेखों के खण्ड-II के दो भाग हैं:- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।

#### खण्ड-II का भाग-I

14. लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है।
15. लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
16. लघु शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
17. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बजार ऋण, बॉड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तिय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतें निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात् प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षों में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती हैं।
18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी इसी खण्ड के भाग-I में सार विवरणी 7 की समरूपी है।
19. निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वस्तुस्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच विसंगतियां यदि कोई हों, के मुख्य शीर्ष तथा लघुशीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।

20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतिभुतियों का विस्तृत विवरण: यह विवरणी सरकारी प्रतिभुतियों के वस्तुस्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।
22. चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

#### **खण्ड-II का भाग-II**

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय मुख्य स्कीम एवं राज्य योजनागत स्कीम के योजनावार व्यय इत्यादि पर बारह परिशिष्ट सम्मिलित हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II की विषय सुची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

#### **ग. शीघ्र गणक:**

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबंधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाप	सारांश तालिकाएं (खण्ड-I)	विस्तृत तालिकाएं (खण्ड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2, 10	---	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2, 12, 13	...	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	
प्रत्याभूतिया	9	20	
योजनाएं/स्कीमें			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (योजना स्कीम व्यय)

**घ. आवधिक एवं बुक समायोजन :** लेखों में दर्ज कुछ लेन-देन, उनके दर्ज करने के समय वास्तविक रोकड़ प्रवाह से संबंध नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों जैसे: कोषगार, मण्डल

इत्यादि के स्तर पर घटित होते हैं। उदाहरणतः वेतन से सभी प्रकार की कटौतियाँ (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) सेवा मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग से संबंधित) को नामे करते हुए राजस्व प्राप्तियां/ऋणों/लोक लेखा प्राप्ति को पुस्तकीय समायोजन द्वारा दर्ज की जाती हैं। इसी प्रकार शून्य बिल, जहाँ समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य धन हस्तान्तरण, लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ हस्तान्तरण का लेन-देन के हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के लेखों में निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणी के अनुबंध (खण्ड-I) एवं संबंधित विवरणियों के नीचे टिप्पणियों में वर्णित है, करते हैं। आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

- (1) समेकित निधि को नामे करते हुए निधियों का निर्माण/ लोक लेखा में निधियों को अंशदान का समायोजन जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केन्द्रीय सङ्केत निधि, निक्षेप निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में जमा शीर्ष को जमा करना।
- (3) समान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहाँ पर ब्याज का समायेजन मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, 8011-बीमा और पैशन निधियां को क्रमशः जमा करते हुए किया जाता है।
- (4) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों की माफी को मुख्य शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएँ" को जमा एवं मुख्य शीर्ष "6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम" को क्रांत्रा प्रविष्टि करके किया जाता है) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण दोनों शीर्षों को प्रभावित करते हैं।

**उ. पूर्णांकित करना :** जहाँ कही भी ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है वह पूर्णांकित की वजह से है।

### 1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूँजियाँ <sup>1</sup>	संदर्भ (क्र.सं.)	31 मार्च 2015 तक		31 मार्च 2014 तक	
		लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
रोकड़					
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21	...	...	
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16	
(iii) स्थाई अग्रदाय		21	0.03	0.03	
(iv) नगद शेष निवेश		21	...	...	
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	2(vi)	21	(-)7,39.51	(-)8,87.49	
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश <sup>2</sup>		...	...	...	
पूँजीगत व्यय					
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश	16 {	8,19	27,31.65	30,24.83	
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		...	2,15,12.73	1,93,96.65	
आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)		...	...	...	
ऋण तथा अग्रिम		7,18	23,46.81	19,13.18	
विभागीय अधिकारियों को अग्रिम		...	...	...	
उचन्त तथा विविध शेष <sup>3</sup>		...	...	...	
प्रेषण शेष		...	...	...	
प्राप्तियों से ऊपर व्यय का सन्वयी आधिक्य <sup>4</sup>		12	1,28,57.75	1,09,14.15	
जोड़			<b>3,87,09.62</b>	<b>3,43,61.51</b>	

<sup>1</sup>परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1(ii) भी देखें।

<sup>2</sup>कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूँजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

<sup>3</sup>इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हालांकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैकटर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup>प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से बिल्कुल अलग है अर्थात् राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं हैं।

**1: वित्तीय स्थिति की विवरणी**

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
<b>उधार (लोक ऋण)</b>				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	2,46,57.64	2,20,99.33
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम				
आयोजनेतर ऋण		6,17	5.53	6.72
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	10,65.22	10,05.27
अन्य ऋण		6,17	0.13	0.13
<b>आकस्मिकता निधि (कॉरपस)</b>		21	5.00	5.00
<b>लोक लेखा पर दायित्व</b>				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	99,21.47	87,36.30
(ii) आरक्षित निधियां		21	2,28.48	2,26.79
(iii) जमा		21	23,12.81	18,08.98
(iv) प्रेषण शेष		21	2,15.88	2,03.97
(v) उचन्त तथा विविध शेष *		21	2,97.46	2,69.02
व्यय से ऊपर प्राप्ति का सन्चयी आधिक्य ।			...	...
<b>जोड़</b>			<b>3,87,09.62</b>	<b>3,43,61.51</b>

\* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखें

## 2. प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		संवितरण			
	2014-2015	2013-2014		2014-2015	2013-2014
भाग-I समेकित निधि					
शाखा क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	<b>1,78,43.45*</b>	<b>1,57,11.07</b>	राजस्व संवितरण	<b>1,97,87.05</b>	<b>1,73,52.49</b>
कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित)	<b>59,40.16</b>	<b>51,20.90</b>	वेतन <sup>1</sup>	81,95.49	73,23.04
कर-भिन्न राजस्व	<b>20,81.45</b>	<b>17,84.53</b>	सहायता अनुदान <sup>2</sup>	21,47.05	14,28.80
			सहायता <sup>1</sup>	8,01.34	4,67.15
अन्य	19,80.52	16,65.92	सामान्य सेवाएं	<b>61,22.67</b>	<b>56,97.86</b>
ब्याज प्राप्तियां	1,00.93	1,18.61	पेंशन	29,14.49	28,55.08
			ब्याज अदायगियां और ऋण सेवायें	28,49.14	24,80.86
संघीय शुल्क/कर के अंश	<b>26,44.17</b>	<b>24,91.53</b>	अन्य	3,59.04	3,61.92
			सामाजिक सेवाएं	<b>16,67.44</b>	<b>17,14.82</b>
			आर्थिक सेवाएं	<b>8,43.93</b>	<b>7,11.73</b>
केन्द्र सरकार से अनुदान	71,77.67	<b>63,14.11</b>	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	9.13	9.09
राजस्व घाटा(-)	<b>(-)19,43.60*</b>	<b>(-)16,41.42</b>	राजस्व आधिक्य	...	...
शाखा ख- पूँजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियां	<b>6,50.00</b>	...	पूँजीगत व्यय	<b>24,72.89</b>	<b>18,55.86</b>
			सामान्य सेवाएं	82.82	81.02
			सामाजिक सेवाएं	5,21.96	4,77.45
			आर्थिक सेवाएं	18,68.11	12,97.39
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली	<b>40.56</b>	<b>16.75</b>	ऋणों और अग्रिमों के भुगतान	<b>4,74.19</b>	<b>5,31.05</b>
सामाजिक सेवाएं	0.29	0.44	सामाजिक सेवाएं	2.00	2.85
आर्थिक सेवाएं	30.88	5.98	आर्थिक सेवाएं	4,64.93	5,19.88
अन्य सेवाएं	9.39	10.33	अन्य सेवाएं	7.26	8.32
लोक ऋण प्राप्तियां	<b>1,08,76.88</b>	<b>40,50.70</b>	लोक ऋण संवितरण	<b>82,59.81</b>	<b>17,04.27</b>
आंतरिक ऋण <sup>3</sup> (बाजार ऋण इत्यादि)	1,07,51.57	39,91.45	लोक ऋण (बाजार ऋण) इत्यादि	81,93.26	16,39.07
केन्द्र सरकार से ऋण	1,25.31	59.25	केन्द्र सरकार से ऋण	66.55	65.20

टिप्पणी:

[1] सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकड़े, जोड़ कर मेकित राशि दर्शाते हैं। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन पूँजीगत परिव्यय शामिल नहीं है किसी समय वेतन पूँजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते। आंकड़े केवल उद्देश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते हैं। (आर.ओ.पी. रहित)

[2] सांवधिक निगम, कम्पनियां, स्वायतः संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है। यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समनुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

[3] इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹11,01.98 करोड़ शामिल है।

\* इनमें ₹1.29 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 60(खण्डा) पर पाद टिप्पणी देखें।

## 2. प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		संवितरण			
	2014-2015	2013-2014		2014-2015	2013-2014
<b>शाखा ख- पूंजीगत</b>					
निवल अन्तर्राजीय समाधान	...	...	निवल अन्तर्राजीय समाधान	...	...
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां	<b>2,94,10.89 *</b>	<b>1,97,78.52</b>	जोड़ समेकित निधि संवितरण	<b>3,09,93.94</b>	<b>2,14,43.67</b>
समेकित निधि में घाटा	<b>(-)15,83.05 *</b>	<b>(-)16,65.15</b>	समेकित निधि में आधिक्य	...	...
<b>भाग-II। आकस्मिकता निधि</b>					
आकस्मिकता निधि	...	...	आकस्मिकता निधि	...	...
<b>भाग-III। लोक लेखा<sup>4</sup></b>					
लघु बचते	<b>31,52.87</b>	<b>27,72.28</b>	लघु बचते	<b>19,67.70</b>	<b>18,85.61</b>
आरक्षित ऋण परिशोध कोष	<b>1,60.73</b>	<b>1,52.59</b>	आरक्षित ऋण परिशोध कोष	<b>1,59.04</b>	<b>1,51.50</b>
जमा	<b>21,37.12</b>	<b>18,52.37</b>	जमा	<b>16,33.27</b>	<b>16,44.94</b>
अग्रिम	<b>84.55</b>	<b>1,20.61</b>	अग्रिम	<b>84.55</b>	<b>1,20.61</b>
उचन्त तथा विविध	<b>56,49.15</b>	<b>1,34,26.94</b>	उचन्त तथा विविध	<b>56,20.71</b>	<b>1,31,59.94</b>
प्रेषण	<b>45,52.46</b>	<b>49,03.49</b>	प्रेषण	<b>45,40.55</b>	<b>49,26.31</b>
जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा	<b>1,57,36.88</b>	<b>2,32,28.28</b>	जोड़ संवितरण लोक लेखा	<b>1,40,05.82</b>	<b>2,18,88.91</b>
लोक लेखा में घाटा	...	...	लोक लेखा में आधिक्य	<b>17,31.06</b>	<b>13,39.37</b>
आदि रोकड़ शेष	<b>(-)8,87.49</b>	<b>(-)5,61.71</b>	अन्त रोकड़ शेष	<b>(-)7,39.51</b>	<b>(-)8,87.49</b>
रोकड़ शेष में वृद्धि	...	<b>(-)3,25.78</b>	रोकड़ शेष में कमी	<b>(-)1,47.98</b>	...

<sup>[4]</sup> विस्तृत विवरण के लिए विवरणी संख्या 21 ,(खण्ड-IV) देखें।

\* विवरण के लिए \* पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4(खण्ड-IV) पर देखें।

**विवरणी संख्या 2 का अनुबंध**  
**रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश**

	1 अप्रैल 2014 को	31 मार्च 2015 को
	1	2
		(₹करोड़ में)
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषागारों में रोकड़	...	...
(2) पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	...	...
(3) रिजर्व बैंक के पास जमा राशियाँ *	(-)8,87.49	(-)7,39.51
जोड़	<b>(-)8,87.49</b>	<b>(-)7,39.51</b>
(4) नगद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश-		
जोड़ (क)	...	...
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अप्रिम	0.03	0.03
जोड़(ख)	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
जोड़ (क) और (ख)	<b>(-)8,87.30</b>	<b>(-)7,39.32</b>

\*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह मई 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेने देनों से सम्बद्ध अन्तर्रकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है।

(क) लेखे में दर्शाए ₹7,39.51 करोड़ (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित अंकड़ों ₹7,46.24 करोड़ (नामे) में ₹6.73 करोड़ (नामे) का अन्तर है, ₹2.24 करोड़ (नामे) के अन्तर का समाधान हो चुका है तथा ₹4.49 करोड़ (नामे) का बकाया अन्तर समाधानाधीन है।

## विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

### रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

(क) नगदी तथा नगदी तुल्यमान:- नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया हैं।

(ख) दैनिक नगदी शेष:- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबंध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष\* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित अन्तर्सरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कार्ड हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिम:- राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 11-11-2013 से ₹2,85.00 करोड़ थी। सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा की सीमा में संशोधन किया जाता है।

\* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च का, परन्तु मई 2015 को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2015 का दैनिक शेष नहीं है।

**विवरणी संख्या 2 का अनुबंध**  
**रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश**

वर्ष 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i) कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	240
(ii) साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	77
(iii) विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	...
(iv) उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v) जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	48

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार के खजाना बिलों को 54 अवसरों पर ₹51,62.05 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 75 अवसरों पर ₹51,62.05 करोड़ रिडिस्काउंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

	1 अप्रैल 2014 को आदि शेष	वर्ष 2014-15 के दौरान खरीद	वर्ष 2014-15 के दौरान बिक्री	31मार्च 2015 को शेष	वर्ष 2014-15 के दौरान व्याज वसूली
1	2	3	4	5	6 (रुकरोड़ में)
भारत सरकार के खजाना बिल	...	51,62.05	51,62.05	..	9.90
जोड़	...	<b>51,62.05</b>	<b>51,62.05</b>	..	<b>9.90</b>

### 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2013-14
क	कर राजस्व		
क 1	निजी कर राजस्व	<b>59,40.16</b>	<b>51,20.91</b>
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	36,60.57	31,41.09
	राज्य आबकारी	10,44.14	9,51.96
	अन्य कर	6,97.84	5,17.62
	वाहनों पर कर	2,20.10	2,07.81
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	1,90.58	1,87.50
	माल एवं यात्री कर	1,10.05	1,04.95
	भू-राजस्व	16.88	9.98
क 2	कर निवल आगमों का अशं	<b>26,44.17</b>	<b>24,91.52</b>
	निगम कर	9,23.41	8,37.99
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	6,59.41	5,51.79
	सीमा शुल्क	4,27.66	4,06.54
	सेवा कर	3,89.69	4,05.77
	संधीय उत्पाद शुल्क	2,41.48	2,87.13
	सम्पत्ति कर	2.50	2.30
	आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.02	...
	जोड़- क कर राजस्व	<b>85,84.33</b>	<b>76,12.43</b>
ख	कर-भिन्न राजस्व		
	विद्युत	11,21.51	6,96.29
	लाभांश एवं लाभ	1,71.00	1,03.43
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,61.52	1,11.08
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	1,61.19	1,56.78
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	1,15.78	3,57.83
	व्याज प्राप्तियाँ	1,00.93	1,18.61
	पुलिस	39.83	34.65
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	38.69	37.38
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	35.57	25.95
	लोक निर्माण कार्य	34.13	34.74
	सड़के एवं पुल	12.03	10.51
	शहरी विकास	9.05	9.35
	सहकारिता	8.67	15.30
	फसल कृषि-कर्म	8.30	8.86
	श्रम और रोजगार	7.82	6.77
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	...	0.20
	लेखन सामग्री और मुद्रण	7.79	7.07
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5.78	4.84
	लोक सेवा आयोग	5.63	6.22
	पैशन और अन्य सेवा निवृति लाभों से सम्बन्धित अंशदान और वसूलियाँ	4.61	4.84
	उद्योग	4.08	5.28
	आवास	3.79	3.72
	विविध सामान्य सेवाएं	3.42 *	5.65
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	3.35	5.04

\*पृष्ठ संख्या 60 पर देखें।

### 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2013-14	2012-13
ख	कर-भिन्न राजस्व		
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.98	2.82
	मत्स्य पालन	2.97	2.56
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.50	2.54
	सूचना और प्रचार	1.73	0.98
	लघु सिंचाई	1.37	0.70
	सड़क परिवहन	1.32	1.06
	पशुपालन	0.78	0.85
	ग्रामीण और लघु उद्योग	0.67	0.49
	पर्यटन	0.60	0.58
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.60	0.35
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.49	0.34
	भूमि सुधार	0.27	0.20
	जैल	0.20	0.15
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.13	0.05
	मुख्य सिंचाई	0.10	0.21
	परिवार कल्याण	0.07	0.03
	मध्यम सिंचाई	0.06	0.16
	आपूर्ति और निपटान	0.06	0.01
	खाद्य, भण्डारण एवं भाष्डागार	0.05	0.05
	सिविल पूर्ति	0.02	0.01
	पौधारोपण	0.01	...
	जोड़ - ख कर-भिन्न राजस्व	<b>20,81.45</b>	<b>17,84.53</b>

### II - भारत सरकार से सहायता अनुदान

ग	सहायता अनुदान एवं अशंदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-1	आयोजनेतर अनुदान	<b>11,99.03</b>	<b>20,24.83</b>
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान	9,61.82	17,43.23
	आपदा राहत निधि के अशंदान हेतु अनुदान	147.06	1,40.24
	आपदा राहत आकस्मिकता निधि से अनुदान	65.30	95.84
	केन्द्रीय सड़क निधि के लिए अनुदान	...	24.80
	अन्य अनुदान	24.85	20.72
ग-2	राज्य/संघ क्षेत्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	<b>43,32.60</b>	<b>37,64.88</b>
	खण्ड अनुदान (वाहरी सहायता प्राप्त परियोजना) ।	43,20.68	37,60.14
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान	...	4.74
	अन्य अनुदान	11.92	....
ग-3	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	<b>31.30</b>	<b>16.97</b>
ग-4	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	<b>16,14.74</b>	<b>5,07.43</b>
	जोड़ - ग सहायता अनुदान एवं अशंदान	<b>71,77.67</b>	<b>63,14.11</b>
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	<b>1,78,43.45 **</b>	<b>1,57,11.07</b>

इनमें ₹11,26.12 करोड़ वर्ष 2014-15 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है।

\*\* पृष्ठ संख्या 4 (खण्ड-1) में पाद टिप्पणी देखें।

### 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूँजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2013-14
घ	पूँजीगत प्राप्तियां		
	विनिवेश प्राप्तियाँ	6,50.00	...
	अन्य	...	...
	जोड़ घ पूँजीगत प्राप्तियां	<b>6,50.00</b>	...
ड.	लोक ऋण प्राप्तियां		
	आन्तरिक ऋण प्राप्तियां	<b>1,07,51.57</b>	<b>39,91.45</b>
	बाजार ऋण	23,45.00	23,67.00
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम <sup>1</sup>	68,60.30 #	6,28.57
	बांड		
	वित्तीय संरक्षणों से ऋण	4,44.29	3,78.99
	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	11,01.98	6,16.89
	अन्य ऋण	...	...
	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	<b>1,25.31</b>	<b>59.25</b>
	आयोजनेतर ऋण		0.21
	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	1,25.31	59.04
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	...	...
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	...	...
	अन्य ऋण	...	...
	जोड़ ड.-लोक ऋण	<b>1,08,76.88</b>	<b>40,50.70</b>
च	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलीयां)*	<b>40.56</b>	<b>16.75</b>
छ	अन्तर्राज्यीय समाधान	...	...
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)	<b>2,94,10.89 **</b>	<b>1,97,78.52</b>

\*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड-II देखें।

इनमें ₹1,71.09 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट की राशि सम्मिलित है,

\*\* विवरण के लिए \* पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या-4 (खण्ड-I) देखें।

1 डब्ल्यू.एम.ए: अर्थोपाय अग्रीम( #पृष्ठ संख्या-154 खण्ड-II में पाद टिप्पणी देखें।

**4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)**

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
<b>क सामान्य सेवाएं</b>				
<b>क.1 राज्य के अंग</b>	<b>2,32.14</b>	...	...	<b>2,32.14</b>
संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	21.08	...	...	21.08
राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति /राज्यपाल/ संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	5.23	...	...	5.23
मन्त्रिपरिषद	9.52	...	...	9.52
न्याय प्रशासन	1,44.73	...	...	1,44.73
निर्वाचन	51.58	...	...	51.58
<b>क.2 राजकोषीय सेवाएं</b>	<b>2,30.78</b>	...	...	<b>2,30.78</b>
भू-राजस्व	1,81.74	...	...	1,81.74
स्टाम्प और पंजीकरण	1.69	...	...	1.69
राज्य उत्पाद शुल्क	3.91	...	...	3.91
वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	2.98	...	...	2.98
वाहनों पर कर	2.97	...	...	2.97
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	36.45	...	...	36.45
अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.04	...	...	1.04
<b>क.3 ब्याज भुगतान</b>	<b>28,49.14</b>	...	...	<b>28,49.14</b>
ब्याज अदायगियां	28,49.14	...	...	28,49.14
<b>क.4 प्रशासनिक सेवाएं</b>	<b>13,54.05</b>	<b>82.82</b>	...	<b>14,36.87</b>
लोक सेवा आयोग	12.19	...	...	12.19
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	62.21	...	...	62.21
जिला प्रशासन	1,45.35	...	...	1,45.35
कोषागार और लेखा प्रशासन	35.26	...	...	35.26
पुलिस	7,47.44	27.21	...	7,74.65
जेल	24.42	...	...	24.42
आपूर्ति और निपटान	1.26	...	...	1.26
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.66	...	...	22.66
लोक निर्माण कार्य	2,25.47	52.61	...	2,78.08
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	77.79	3.00	...	80.79
<b>क. 5 पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं</b>	<b>29,37.54</b>	...	...	<b>29,37.54</b>
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	29,14.49	...	...	29,14.49
विविध सामान्य सेवाएं	23.05	...	...	23.05
<b>ख जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>76,03.65</b>	<b>82.82</b>	...	<b>76,86.47</b>
<b>ख सामाजिक सेवाएं-</b>				
<b>ख.1 शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति</b>	<b>41,43.87</b>	<b>1,30.96*</b>	<b>2.00</b>	<b>42,76.83</b>
सामान्य शिक्षा	40,73.50	1,30.96*	2.00	42,06.46
तकनीकी शिक्षा	39.83	...	...	39.83
क्रीड़ा और युवा सेवाएं	18.13	...	...	18.13
कला और संस्कृति	12.41	...	...	12.41

\* इसमें ₹ 74.75 करोड़ (सामान्य शिक्षा), ₹ 45.45 करोड़ (तकनीकी शिक्षा), ₹ 7.89 करोड़, (खेलकूद एवं युवा सेवाएं), ₹ 3.17 करोड़ (कला एवं संस्कृति), सम्मिलित हैं।

**4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)**

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ख.	सामाजिक सेवाएं-				
ख.2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	<b>12,37.18</b>	<b>62.27</b>	...	<b>12,99.45</b>
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	9,98.36	62.27	...	10,60.63
	परिवार कल्याण	2,38.82	...	...	2,38.82
ख.3	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	<b>10,61.51</b>	<b>3,09.92</b>	...	<b>13,71.43</b>
	जलापूर्ति, स्वच्छता,	8,17.90	2,89.06	...	11,06.96
	आवास	44.97	19.97	...	64.94
	शहरी विकास	1,98.64	0.89	...	1,99.53
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	<b>29.33</b>	<b>1.25</b>	...	<b>30.58</b>
	सूचना तथा प्रचार	29.33	1.25	...	30.58
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	<b>55.14</b>	<b>9.69</b>	...	<b>64.83</b>
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	55.14	9.69	...	64.83
ख.6	श्रम और श्रम कल्याण	<b>92.51</b>	...	...	<b>92.51</b>
	श्रम और रोजगार	92.51	...	...	92.51
ख.7	सामाजिक कल्याण और पोषण	<b>7,94.65</b>	<b>7.83</b>	...	<b>8,02.48</b>
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,68.61	7.83	...	5,76.44
	पोषण	61.69	...	...	61.69
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	1,64.35	...	...	1,64.35
ख.8	अन्य	<b>37.33</b>	<b>0.05</b>	...	<b>37.38</b>
	अन्य सामाजिक सेवाएं	5.74	0.05	...	5.79
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	31.59	...	...	31.59
	जोड़-सामाजिक सेवाएं	<b>74,51.52</b>	<b>5,21.97</b>	<b>2.00</b>	<b>79,75.49</b>
ग.	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	<b>15,26.96</b>	<b>33.32</b>	<b>44.29</b>	<b>16,04.57</b>
	फसल कृषि-कर्म	3,76.87	(-)2.57	...	3,74.30
	मृदा तथा जल संरक्षण	40.50	20.20	...	60.70
	पशुपालन	2,64.55	10.25	...	2,74.80
	डेरी विकास	15.15	...	...	15.15
	मत्स्य पालन	14.18	1.30	...	15.48
	वानिकी और वन्य प्राणी	4,30.23	3.80	...	4,34.03
	पौधारोपण	0.94	...	...	0.94
	खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	1,95.03	0.17	...	1,95.20
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,57.48	...	...	1,57.48
	सहकारिता	32.03	0.17	44.29	76.49

**4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)**

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग.	आर्थिक सेवाएं समाप्त				
ग.2	ग्रामीण विकास	<b>8,95.66</b>	<b>0.63</b>	...	<b>8,96.29</b>
	ग्रामीण विकासार्थ विशेष कार्यक्रम	16.92	...	...	16.92
	ग्रामीण रोजगार	3,92.45	...	...	3,92.45
	भूमि सुधार	4.93	...	...	4.93
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,81.36	0.63	...	4,81.99
ग.3	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	<b>3,59.95</b>	<b>5,06.08</b>	...	<b>8,66.03</b>
	मुख्य सिंचाई	9.17	...	...	9.17
	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	11.29	30.60	...	41.89
	लघु सिंचाई	3,00.55	1,22.76	...	4,23.31
	बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	38.94	3,27.72	...	3,66.66
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	...	25.00	...	25.00
ग.4	ऊर्जा	<b>4,07.54</b>	<b>3,08.23</b>	<b>4,04.11</b>	<b>11,19.88</b>
	विजली	4,03.78	3,08.23	4,04.11	11,16.12
	ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	3.76	...	...	3.76
ग.5	उद्योग और खनिज	<b>76.99</b>	<b>39.26</b>	<b>16.53</b>	<b>1,32.78</b>
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	64.32	39.26	...	1,03.58
	उद्योग	4.67	...	...	4.67
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	8.00	...	...	8.00
	उद्योग और खनिज पर अन्य परिव्यय	...	...	16.53	16.53
ग.6	परिवहन	<b>13,52.74</b>	<b>8,92.73</b>	...	<b>22,45.47</b>
	नागरिक विमानन	0.46	0.61	...	1.07
	सड़कें और पुल	11,80.44	8,36.37	...	20,16.81
	सड़क परिवहन	1,71.79	53.75	...	2,25.54
	अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन	0.05	...	...	0.05
	भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईन	...	2.00	...	2.00
ग.7	विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	<b>6.69</b>	...	...	<b>6.69</b>
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	6.17	...	...	6.17
	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	0.52	...	...	0.52
ग.8	सामान्य आर्थिक सेवाएं	<b>96.22</b>	<b>87.86</b>	...	<b>1,84.08</b>
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	29.13	...	...	29.13
	पर्यटन	34.27	2.22	...	36.49
	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13.21	...	...	13.21
	नागरिक आपूर्ति	17.44	...	...	17.44
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.17	85.64	...	87.81
	जोड़ - ग आर्थिक सेवाएं	<b>47,22.75</b>	<b>18,68.11</b>	<b>4,64.93</b>	<b>70,55.79</b>
घ.	ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान				
	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	9.13	...	...	9.13
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान	<b>9.13</b>	...	...	<b>9.13</b>

**4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)**

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ड.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-	...	...	7.26	7.26
	जोड़-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	...	...	<b>7.26</b>	<b>7.26</b>
च.	लोक ऋण				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	81,93.26	81,93.26
	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	...	66.55	66.55
	जोड़-लोक ऋण	...	...	<b>82,59.81</b>	<b>82,59.81</b>
	जोड़-समेकित निधि व्यय	<b>1,97,87.05</b>	<b>24,72.89</b>	<b>87,34.00</b>	<b>3,09,93.94</b>

## 4 भैंसे बीजोली और हेड (फार्मिंग फ्रेस)

J.E. भैंसे बीजोली

( ` लकड़ा एवं )

भैंसे बीजोली	2014-15			2013-14			2012-13		
	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक	वैमानिक
वेतन	81,95.49	...	81,95.49	73,23.04	...	73,23.04	70,66.39	...	70,66.39
पैन्शन	29,14.49	...	29,14.49	28,55.08	...	28,55.08	27,46.84	...	27,46.84
ब्याज	28,49.14	...	28,49.14	24,80.86	...	24,80.86	23,69.90	...	23,69.90
मुख्य कार्य	...	20,66.27	20,66.27	...	15,39.04	15,39.04	...	15,97.41	15,97.41
मुरम्मत	17,52.76	...	17,52.76	15,03.75	...	15,03.75	12,59.22	...	12,59.22
उच्चत	11,13.41	...	11,13.41	10,07.04	...	10,07.04	9,62.66	28.68	9,91.34
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	10,42.28	...	10,42.28	4,48.30	...	4,48.30	3,56.51	...	3,56.51
उपदान	8,01.34	...	8,01.34	4,67.15	...	4,67.15	5,66.93	...	5,66.93
सहायता अनुदान	7,01.06*	...	7,01.06	5,58.46*	...	5,58.46	5,83.23	...	5,83.23
अन्य प्रभार	4,92.82	...	4,92.82	5,51.51	...	5,51.51	4,02.49	...	4,02.49
पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान	4,12.84	...	4,12.84	4,31.13	...	4,31.13	2,63.38	...	2,63.38
निवेश	...	359.21	3,59.21	...	2,68.13	2,68.13	...	3,22.75	3,22.75
सामग्री एवं आपूर्ति	3,10.32	45.89	3,56.21	3,08.45	45.47	3,53.92	2,61.88	41.63	3,03.51
उर्जा प्रभार	2,60.01	...	2,60.01	2,33.52	...	2,33.52	2,17.02	...	2,17.02
सामाजिक सुरक्षा पैशान	2,32.35	...	2,32.35	1,97.54	...	1,97.54	1,56.09	...	1,56.09
मजदूरी	2,22.81	...	2,22.81	2,21.58	...	2,21.58	1,88.83	...	1,88.83
कार्यालय व्यय	1,64.67	...	1,64.67	1,15.59	...	1,15.59	1,12.70	...	1,12.70
मानवेय	1,49.93	...	1,49.93	1,39.36	...	1,39.36	1,45.61	...	1,45.61
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,24.34	...	1,24.34	1,20.89	...	1,20.89	1,04.66	...	1,04.66
छात्रवृत्ति, वजीफा एवं रियायत	73.12	...	73.12	99.86	...	99.86	75.96	...	75.96
ब्याज पर उपदान	55.67	...	55.67	...	...	...	...	...	...
मशीनरी व उपस्कर	54.95	...	54.95	42.53	...	42.53	30.94	4.92	35.86
मुवावजा	...	52.66	52.66	...	37.66	37.66	12.24	36.17	38.41
यात्रा व्यय	43.38	...	43.38	42.94	...	42.94	35.66	...	35.66
लघु कार्य	38.73	...	38.73	44.42	...	44.42	44.83	...	44.83
मोटर वाहन	36.24	...	36.24	46.87	...	46.87	37.04	...	37.04
अन्य	22.34	5.50	28.20	28.20	6.00	34.20	26.43	...	26.43
विज्ञापन एवं प्रचार	20.71	...	20.71	20.22	...	20.22	18.43	...	18.43
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएँ	12.06	...	12.06	...	...	...	...	...	...
किराया, कर एवं उपकर	11.20	...	11.20	11.13	...	11.13	10.28	...	10.28
अग्रिम	...	...	...	...	10.00	10.00	...	...	...
सकल राशि	2,21,08.46	25,29.53	2,46,37.99	1,92,99.42	19,06.30	2,12,05.7	1,80,46.15	20,31.56	2,00,77.71
घटाएं-वसूली	23,21.41	56.64	23,78.05	19,46.93	50.44	19,97.37	18,71.90	76.76	19,48.66
<b>वैमानिक</b>	<b>1,97,87.05</b>	<b>24,72.89</b>	<b>2,22,59.94</b>	<b>1,73,52.49</b>	<b>18,55.86</b>	<b>1,92,08.35</b>	<b>1,61,74.25</b>	<b>19,54.80</b>	<b>1,81,29.05</b>

\* इनमें ९.१३ करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (मुख्य शीर्ष-३६०४) को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन सम्मिलित है।

टिप्पणी:- कुल सहायता अनुदान ` 21,56.18 करोड़ , (सहायता अनुदान ` 7,01.06 करोड़ + सहायता अनुदान ` 10,42.28 करोड़ (गैर वेतन) + पूंजीगत निर्माण के लिए अनुदान ` 4,12.84 करोड़ )

**5. प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी**

मुख्य शीर्ष	विवरण	2013-14 के दौरान व्यय	2013-14 तक प्रगामी व्यय	2014-15 के दौरान व्यय	2014-15 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
		1	2	3	4	
<b>क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-</b>						
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	28.48	1,85.95	27.21	2,13.16	(-)4.46
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	...	3.70	...	3.70	...
4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	48.92	6,79.78	52.61	7,32.39	(+)7.54
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.62	12.88	3.00	15.88	(-)17.13
<b>जोड़-क.सामान्य सेवाएं</b>		<b>81.02</b>	<b>8,82.31</b>	<b>82.82</b>	<b>9,65.13</b>	<b>(+)2.22</b>
<b>ख. सामाजिक सेवाए(क, ख, ग, घ, छ, ज)</b>						
(क)	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति					
4202-	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,74.22	17,50.27	1,30.96	18,81.23	(-)24.83
<b>जोड़- ख (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा</b>		<b>1,74.22</b>	<b>17,50.27</b>	<b>1,30.96</b>	<b>18,81.23</b>	<b>(-)24.83</b>
(ख)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
4210-	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	72.91	8,14.60	62.27	8,76.87	(-)14.59
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...
<b>जोड़- ख (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>		<b>72.91</b>	<b>8,47.82</b>	<b>62.27</b>	<b>9,10.09</b>	<b>(-)14.59</b>
(ग)	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास					
4215-	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	1,90.79	40,09.23	2,89.07	42,98.30	(+)51.51
4216-	आवास	18.80	7,31.62	19.96	7,51.58	(+)6.17
4217-	शहरी विकास	0.97	93.58	0.89	94.47	(-)8.25
<b>जोड़- ख (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास</b>		<b>2,10.56</b>	<b>48,34.43</b>	<b>3,09.92</b>	<b>51,44.35</b>	<b>(+)47.19</b>
(घ)	सूचना एवं प्रसारण					
4220-	सूचना एवं प्रचार	0.57	5.60	1.25	6.85	(+)1,19.30
<b>जोड़- ख (घ) सूचना एवं प्रसारण</b>		<b>0.57</b>	<b>5.60</b>	<b>1.25</b>	<b>6.85</b>	<b>(+)1,19.30</b>

**5. प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी**

मुख्य शीर्ष	विवरण	2013-14 के दौरान व्यय	2013-14 तक प्रगामी व्यय	2014-15 के दौरान व्यय	2014-15 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
		1	2	3	4	
(₹ करोड़ में)						
ख.	सामाजिक सेवाएं समाप्त					
(ङ)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.01	1,59.59	9.69	1,69.28	(-)30.84
	जोड़- ख (ङ.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	<b>14.01</b>	<b>1,59.59</b>	<b>9.69</b>	<b>1,69.28</b>	<b>(-)30.84</b>
(छ)	सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.05	62.47	7.82	70.29	(+)54.85
	जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार	<b>5.05</b>	<b>62.47</b>	<b>7.82</b>	<b>70.29</b>	<b>(+)54.85</b>
(ज)	अन्य सामाजिक सेवाएं					
4250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.13	7.02	0.05	7.07	(-)61.54
	जोड़- ख (ज) अन्य सामाजिक सेवाएं	<b>0.13</b>	<b>7.02</b>	<b>0.05</b>	<b>7.07</b>	<b>(-)61.54</b>
	जोड़-ख-सामाजिक सेवाएं	<b>477.45</b>	<b>76,67.20</b>	<b>5,21.96</b>	<b>81,89.16</b>	<b>(+)9.32</b>
ग.	आर्थिक सेवाएं (क, ख, घ, ड, च, छ, ज)					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप					
4401-	फसल कृषि-कर्म	6.17	78.33	-2.58	75.75	(-)1,41.82
4402-	भू तथा जल संरक्षण	20.21	3,00.53	20.20	3,20.73	(-)0.05
4403-	पशुपालन	4.14	75.26	10.25	85.51	(+)1,47.58
4404-	डेयरी विकास	...	5.38	...	5.38	...
4405-	मत्स्य पालन	1.84	29.07	1.30	30.37	(-)29.35
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणी	4.22	1,09.29	3.80	1,13.09	(-)9.95
4408-	खाद्य भण्डारण एवं भाष्डागार	10.17	21.48	0.17	21.65	(-)98.33
4415-	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	...	3.42	...	3.42	...
4416-	कृषि वित्तीय संस्थान	...	9.49	...	9.49	...

**5. प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी**

मुख्य शीर्ष	विवरण	2013-14 के दौरान व्यय	2013-14 तक प्रगामी व्यय	2014-15 के दौरान व्यय	2014-15 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
	1	2	3	4	5	6
(₹ करोड़ में)						
<b>ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः:</b>						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप समाप्त						
4425- सहकारिता	0.20	77.35	0.17	77.52		(-)15.00
4435- अन्य कृषि कार्यक्रम	...	2.21	...	2.21		...
<b>जोड़-ग (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप</b>	<b>46.95</b>	<b>7,11.81</b>	<b>33.31</b>	<b>7,45.12</b>		<b>(-)29.05</b>
(ख) ग्रामीण विकास						
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	...	15.69	0.63	16.32		(+)100.00
<b>जोड़-ग (ख) ग्रामीण विकास</b>	<b>...</b>	<b>15.69</b>	<b>0.63</b>	<b>16.32</b>		<b>(+)100.00</b>
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण						
4700- मुख्य सिंचाई	...	2,73.19	...	2,73.19		...
4701- मध्यम सिंचाई	38.40	4,44.54	30.60	4,75.14		(-)20.31
4702- लघु सिंचाई	96.55	14,37.57	1,22.76	15,60.33		(+)27.15
4705- कमाण्ड क्षेत्र विकास	20.00	81.52	25.00	1,06.52		(+)25.00
4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजना	39.27	5,08.94	3,27.72	8,36.66		(+)734.53
<b>जोड़-ग (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण</b>	<b>1,94.22</b>	<b>27,45.76</b>	<b>5,06.08</b>	<b>32,51.84</b>		<b>(+)160.57</b>
(ङ.) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-						
4801- विद्युत परियोजनाएं	2,19.75	23,09.27	3,08.23	19,67.50*		(+)40.26
<b>जोड़-ग (ङ.) ऊर्जा</b>	<b>2,19.75</b>	<b>23,09.27</b>	<b>3,08.23</b>	<b>19,67.50*</b>		<b>(+)40.26</b>
(च.) उद्योग तथा खनिज						
4851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग	16.40	1,58.89	39.26	1,98.15		(+)139.39
4853- अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	...	0.12	...	0.12		...
4858- अभियांत्रिकी उद्योग	...	3.87	...	3.87		...
4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	...	2.97	...	2.97		...
4885- उद्योगों तथा खनिज	...	70.34	...	70.34		...
<b>जोड़-ग (च) उद्योग तथा खनिज</b>	<b>16.40</b>	<b>2,36.19</b>	<b>39.26</b>	<b>2,75.45</b>		<b>(+)139.39</b>

\* विनिवेश के कारण ₹6,50.00 करोड़ घटाए गये हैं।

### 5. प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2013-14 के दौरान व्यय	2013-14 तक प्रगामी व्यय	2014-15 के दौरान व्यय	2014-15 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
		1	2	3	4	
ग. आर्थिक सेवाएं समाप्त (छ) परिवहन						
5002-	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइने	...	10.00	2.00	12.00	(+)100.00
5053-	नागरिक विमानन	0.48	81.71	0.61	82.32	(+)27.08
5054-	सड़क तथा पुल	686.49	6,589.00	836.38	74,25.38	(+)21.83
5055-	सड़क परिवहन	53.08	604.57	53.75	6,58.32	(+)1.26
5056-	अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन	...	0.18	...	0.18	...
<b>जोड़-ग (छ) परिवहन</b>		<b>7,40.05</b>	<b>72,85.46</b>	<b>8,92.74</b>	<b>81,78.20</b>	<b>(+)20.63</b>
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं						
5452-	पर्यटन	2.03	81.16	2.22	83.38	(+)9.36
5465-	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	3.29	...	3.29	...
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	77.99	4,83.34	85.64	5,68.98	(+)9.81
<b>जोड़-ग (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		<b>80.02</b>	<b>5,67.79</b>	<b>87.86</b>	<b>6,55.65</b>	<b>(+)9.80</b>
<b>जोड़-ग-आर्थिक सेवाएं</b>		<b>12,97.39</b>	<b>1,38,71.97</b>	<b>18,68.11</b>	<b>1,50,90.07*</b>	<b>(+)43.99</b>
<b>सकल योग</b>		<b>18,55.86</b>	<b>2,24,21.48</b>	<b>24,72.89</b>	<b>2,42,44.37*</b>	<b>(+)33.25</b>

#### व्यास्थात्मक टिप्पणियां

सरकार ने वर्ष में 2014-15 सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹98.49 करोड़ सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹2,60.30 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों में ₹0.42 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹0.38 करोड़ सहकारी समितियों के द्वारा ₹2.02 करोड़ की शेयर पूँजी का विमोचन किया गया तथा ₹0.01 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष कम किया गया। और ₹0.02 करोड़ चालू वर्ष में समायोजित किया गया

वर्ष 2012-2013, 2013-14 और 2014-15 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूँजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः, ₹27,67.44 करोड़ ₹30,24.83 तथा ₹27,31.65 करोड़ था। उन पर प्राप्त लाभांश क्रमशः वर्ष के दौरान ₹1,00.09 करोड़ ₹1,03.40 तथा ₹171.00 करोड़ था।

\* विनिवेश के कारण ₹6,50.00 करोड़ घटाए गये हैं।

\*\* पृष्ठ संख्या 144 (खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी देखें।

**6. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी<sup>1</sup>**

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष	(₹ करोड़ में)		प्रतिशतता कुल दायित्व					
					निवल वृद्धि (+)/ निवल कमी (-)	राशि प्रतिशत						
<b>क. लोक ऋण</b>												
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>												
बाजार ऋण	1,35,65.33	23,45.00	7,14.36	1,51,95.97	(+)16,30.64	(+)12.02	39.79					
बॉड	14.05	...	7.03	7.03	(-)7.02	(-)49.96	0.02					
वित्तीय संस्थानों से ऋण	22,91.77	4,44.29	4,90.82	22,45.24	(-)46.53	(-)2.03	5.88					
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभुतियां	57,72.09	11,01.98	1,98.43	66,75.64	(+)903.55	(+)15.65	17.48					
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	4,56.09	68,60.30*	67,82.62	5,33.77	(+)77.68	(+)17.03	1.40					
<b>जोड़-6003</b>	<b>2,20,99.33</b>	<b>1,07,51.57</b>	<b>81,93.26</b>	<b>2,46,57.64</b>	<b>(+)25,58.31</b>	<b>(+)11.58</b>	<b>64.56</b>					
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम</b>												
<b>01-आयोजनेतर ऋण</b>												
201-गृह निर्माण अग्रिम	1.09	...	0.30	0.79	(-)0.30	(-)27.52	...					
800-अन्य ऋण	5.63	...	0.89	4.74	(-)0.89	(-)15.81	0.01					
<b>जोड़-01</b>	<b>6.72</b>	<b>...</b>	<b>1.19</b>	<b>5.53</b>	<b>(-)1.19</b>	<b>(-)17.71</b>	<b>0.01</b>					
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम</b>												
<b>02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत रकीमों के लिए ऋण</b>												
101-ब्लाक ऋण	5,31.02	1,25.31	20.08	6,36.25	(+)105.23	(+)19.81	1.67					
105-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुस्य समेकित राज्य	4,74.25	...	45.28	4,28.97	(-)45.28	(-)9.55	1.12					
योजनागत ऋण												
<b>जोड़-02</b>	<b>10,05.27</b>	<b>1,25.31</b>	<b>65.36</b>	<b>10,65.22</b>	<b>(+)59.95</b>	<b>(+)5.96</b>	<b>2.79</b>					

<sup>1</sup>विस्तृत लेखे के लिए पृष्ठ 154 से 155 एवं 191 से 194 (खण्ड-II) देखें।

\* इनमें ₹26,67.50 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफट की राशि सम्मिलित है।

**6. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी**

**(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी**

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष	(₹ करोड़ में)		प्रतिशतता कुल दायित्व
					निवल वृद्धि (+)/ निवल कमी (-)	राशि प्रतिशत	
क. लोक ऋण समाप्त							
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
04-केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण							
800-अन्य ऋण	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-04</b>	...	...	...	...	...	...	...
07-1984-85 से पूर्वकालिक ऋण							
102-राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम	0.13	...	...	0.13	...	...	...
<b>जोड़-07</b>	<b>0.13</b>	...	...	<b>0.13</b>	...	...	...
<b>जोड़-6004</b>	<b>10,12.12</b>	<b>125.31</b>	<b>66.55</b>	<b>10,70.88</b>	<b>(+)58.76</b>	<b>(+)5.80</b>	<b>2.80</b>
<b>जोड़-क लोक ऋण</b>	<b>2,31,11.45</b>	<b>1,08,76.88</b>	<b>82,59.81</b>	<b>2,57,28.52</b>	<b>(+)2617.07</b>	<b>(+)11.32</b>	<b>67.37</b>
ख-अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
लघु बचते भविष्य निधियां आदि	87,36.30	31,52.87	19,67.70	99,21.47	(+)1185.17	(+)13.57	25.98
स्वाज आरक्षित निधियां	9.07	1,58.93	1,59.04	8.96	(-)0.11	(-)1.21	0.02
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	2,17.72	1.80	...	2,19.52	(+)1.80	(+)0.83	0.57
स्वाज जमा राशियां	46.80	162.56	1,77.26	32.10	(-)14.70	(-)31.41	0.08
ब्याज रहित जमा राशियां	17,62.71	19,74.56	14,56.01	22,81.26	(+)518.55	(+)29.42	5.97
<b>जोड़-ख-अन्य दायित्व</b>	<b>1,07,72.60</b>	<b>54,50.72</b>	<b>37,60.01</b>	<b>1,24,63.31</b>	<b>(+)16,90.71</b>	<b>(+)15.69</b>	<b>32.63</b>
<b>जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व</b>	<b>3,38,84.05</b>	<b>1,63,27.60</b>	<b>1,20,19.82</b>	<b>3,81,91.83</b>	<b>(+)43,07.79</b>	<b>(+)12.71</b>	

## 6. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

### (i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्ध:- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए गए हैं-

2. लघु/बचतें निधि से ऋण:- लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में साझा किया जाता है। 1999-2000 में एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का 'लघु बचत संचित' राशि में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि का सृजन किया गया। 2014-15 में क्रमशः ₹11,01.98 करोड़ प्राप्त ऋण राशि तथा ₹198.43 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹66,75.64 करोड़ जो कि कुल लोक ऋण का 31 मार्च, 2015 तक राज्य सरकार की कुल देन दारियों का 27.07 प्रतिशत है।

### 3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋण:- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 10 ऋण ₹ 5,50.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 1,50.00 करोड़, ₹ 4,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 1,00.00 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़ तथा ₹ 95.00 करोड़ क्रमशः 9.63 प्रतिशत, 9.23 प्रतिशत, 8.98 प्रतिशत, 8.96 प्रतिशत, 9.00 प्रतिशत 8.87 प्रतिशत, 8.45 प्रतिशत, 8.26 प्रतिशत, 8.13 प्रतिशत तथा 8.08 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, जुलाई 2024, अगस्त 2024, अक्टूबर-2024, नवम्बर-2024, दिसम्बर 2024, जनवरी 2025 एवं फरवरी 2025 में विमोच्य हैं।

5 दीर्घकालीन ऋण अर्थात् 5.60 प्रतिशत, 5.70 प्रतिशत, 7.36 प्रतिशत, 7.32 प्रतिशत, 7.02 प्रतिशत, की दर से ₹ 2,07.76 करोड़, ₹ 1,74.03 करोड़, ₹ 1,57.50 करोड़, ₹ 85.32 करोड़ तथा ₹ 89.75 करोड़ वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सव्याज ऋण हैं, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुरूप लौटाये जाते हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹48.13 करोड़ की राशि लौटा दी गई थी।

(ग) भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सव्याज ऋण हैं, जो भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुसार लौटाये जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 0.15 करोड़ चुकाए गए।

(घ) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण:- ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितिओं के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹4,00.00 करोड़ की राशि ली गई थी, वर्ष 2014-15 के दौरान ₹2,64.00 करोड़ वापिस किए गए।

(ङ.) प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र :- वर्ष के दौरान ₹7.03 करोड़ वापिस किए तथा ₹7.02 करोड़ शेष रहे।

(च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण:- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹44.29 करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ₹32.29 करोड़ वापिस किए गए।

(छ) अन्य संस्थानों से ऋण:- ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, आरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी, युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया, नगर निगम ऋण, हाउसिंग अर्बन डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदू प्रदेश वन निगम तथा भारतीय जीवन बीमा से ऋण (निगोशिएटेड) आदि दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹1,46.15 करोड़ लौटाए गए।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम:- रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों जैसे 0.55 करोड़ में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹41,92.80 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹41,92.80 करोड़ वापिस किए तथा ₹2,85.00 करोड़ शेष रहे।

(झ) भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगदी शेष ₹0.55 करोड़ की कमी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट दिया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 26,67.50 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट लिया गया तथा ₹ 25,89.82 करोड़ वापिस किए तथा ₹2,48.77 करोड़ शेष रहे।

**6. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी**

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

**4. ऋण का उपयोग:-**

(क) ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याज:- वर्ष 2013-2014 तथा 2014-2015 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवलराशि निम्नलिखित थी:-

	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
	(₹ करोड़ में)		
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	3,56,49.99	3,18,47.74	(+3802.25
(ख) अन्य दायित्व	25,41.84	20,36.30	(+505.54
<b>जोड़ (i)</b>	<b>3,81,91.83</b>	<b>3,38,84.04</b>	<b>(+)4307.79</b>
(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	28,49.14	24,80.86	(+368.28
(ख) अन्य दायित्व पर	...	...	
<b>जोड़ (ii)</b>	<b>28,49.14</b>	<b>24,80.86</b>	<b>(+)368.28</b>
(iii) घटाये			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	65.24	15.31	(+49.93
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	12.01	24.28	(-12.27
<b>जोड़ (iii)</b>	<b>77.25</b>	<b>39.59</b>	<b>(+)37.66</b>
(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल	<b>27,71.89</b>	<b>24,41.27</b>	<b>(+)330.62</b>
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	15.97	15.79	(+0.18
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	15.53	15.54	(+0.01

टिप्पणी:- सरकार ने वर्ष 2014-2015 के दौरान लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से भी ₹1,71.00 करोड़ लाभांश के स्पष्ट में प्राप्त किए।

**7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी**

**भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सारः उधारग्रहीता समूहवार**

(₹ करोड़ में)

ऋण समूह	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2015 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद	0.57	...	...	...	0.57	...	*
शहरी विकास प्राधिकारी	2.00	...	...	...	2.00	...	*
आवास बोर्ड	0.86	...	...	...	0.86	...	*
सांविधिक निगम	12,72.64	2,75.53	...	...	15,48.17	2,75.53	*
सहकारी समितियाँ/ सहकारी बैंक	50.59	44.29	30.80	...	64.08	13.49	*
पंचायती राज संस्थाएं	0.37	...	0.01	...	0.36	(-)0.01	*
सरकारी कर्मचारी	37.89	7.27	9.40	...	35.76	(-)2.13	*
अन्य	5,48.26	1,47.10	0.35	...	6,95.01	1,46.75	*
<b>जोड़-</b>	<b>19,13.18</b>	<b>4,74.19</b>	<b>40.56</b>	...	<b>23,46.81</b>	<b>4,33.63</b>	*

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण निम्नलिखित मामले हैं।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संख्या	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
इस तरह का कोई भी मामला नहीं है					

\*उपलब्ध नहीं है

टिप्पणियाँ: व्योरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें ( पृष्ठ संख्या 166से 169 खण्ड-II देखें)

**7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी**

**भाग-2 ऋण एवं अग्रिम का सारांशः क्षेत्रवार**

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2014 को शेष वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान वापसी अदायगी	वसूली न होने योग्य ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते डालना	31 मार्च 2015 के शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	बकाया व्याज अदायगी	
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	23.83	2.00	0.29	...	25.54	1.71	*
आर्थिक सेवाएं	18,50.45	4,64.92	30.87	...	22,84.50	4,34.05	*
अन्य सेवाएं	38.90	7.27	9.40	...	36.77	(-)2.13	*
<b>जोड़-</b>	<b>19,13.18</b>	<b>4,74.19</b>	<b>40.56</b>	...	<b>23,46.81</b>	<b>4,33.63</b>	

**भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांशः**

ऋणी संस्था	1 अप्रैल 2014 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बंधित है	31 मार्च 2015 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	व्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद	0.01	...	0.01	2001-02	0.01
शहरी विकास प्राधिकारी	2.58	...	2.58	1995-96	2.58
आवास बोर्ड	1.16	...	1.16	2009-10	1.16
सांविधिक निगम	4.14	...	4.14	1992-93	4.14
सहकारी समितियां/ सहकारी बैंक	0.99	...	0.99	1987-88	0.99
अन्य	70.98	...	70.98	1987-88	70.98
<b>जोड़-</b>	<b>79.86</b>	...	<b>79.86</b>		<b>79.86</b>

\* उपलब्ध नहीं है,

**8. सरकार के निवेशों की विवरणी**

**भाग-1: विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार**

	<b>प्रतिष्ठान का नाम</b>	<b>2014-15</b>			<b>2013-14</b>		
		प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठान का संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
(₹ करोड़ में)							
1	सांविधिक निगम/बोर्ड	6	11,84.17	...	6	10,85.68	...
2	सरकारी कम्पनियां	20	3,77.17	0.35	20	7,96.88	1.54
3	संयुक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i)	केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	10,98.14	1,69.86	1	10,68.14	1,01.28
(ii)	अन्य कम्पनियां	13	0.10	0.02	13	0.10	0.02
4	सहकारी बैंक	9	14.45	0.28	9	14.82	0.03
5	सहकारी समितियां और स्थानीय निकाय	17					
(i)	सहकारी समितियां		57.62	0.49	17	59.21	0.55
	जोड़-	66	27,31.65	1,71.00	66	30,24.83	1,03.42

**9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी  
(प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्रवार व्यौरा: गारंटियों के सम्बन्ध में)**

क. सांविधिक निगमों, स्थानीय निकाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2015 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखायी गयी है :-

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष 2013-14 के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त (रूपये)	वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शूलक		अन्य सामग्री विवरण	
							उन्मोचित	उन्मोचित न की गई	प्राप्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (1)*	45,49.96	25,31.19	--	76.59	--	--	24,54.60	--	--	--
सहकारी बैंक(1)*	2,35.00	1,99.54	45.02	32.45	--	--	2,12.11	--	--	--
राज्य वित्तीय निगम (1)*	95.25	45.12	--	12.86	--	--	32.26	--	--	--
स्थानीय निकायों (1)*	12.00	5.15	--	0.03	--	--	5.12	--	--	--
अन्य संस्थान (10) *	44,23.52	15,51.86	72.90	47.52	--	--	15,77.24	--	0.01**	--
जोड़	<b>93,15.73</b>	<b>43,32.86</b>	<b>1,17.92</b>	<b>1,69.45</b>	--	--	<b>42,81.33</b>	--	<b>0.01</b>	--

\* कोष्ठकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं।

\*\* वर्ष के दौरान ₹ 72,000 की गारंटी फीस प्राप्त हुई।

**10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी**

(i) रोकड़ों में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2014-15			2013-14			2014-15			2013-14		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
(₹ करोड़ में)												
<b>1. पंचायती राज संस्थाएँ-</b>												
(i) जिला परिषद	96.47	...	96.47	83.51	...	83.51	87.67	...	87.67	76.44	...	76.44
(ii) पंचायत समीतियां	82.96	...	82.96	69.64	...	69.64	53.87	...	53.87	45.86	...	45.86
(iii) ग्राम पंचायतें	79.13	5,22.33	6,01.46	68.18	1,05.80	1,73.98	38.62	12.30	50.92	34.22	22.39	56.61
जोड़-	<b>2,58.56</b>	<b>5,22.33</b>	<b>7,80.89</b>	<b>2,21.33</b>	<b>1,05.80</b>	<b>3,27.13</b>	<b>1,80.16</b>	<b>12.30</b>	<b>1,92.46</b>	<b>1,56.52</b>	<b>22.39</b>	<b>1,78.91</b>
<b>2. स्थानीय शहरी निकाय</b>												
(i) नगर निगम	22.73	70.78	93.51	20.91	14.43	35.34	4.86	70.78	75.64	4.77	14.33	19.10
(ii) नगर निगम/ नगर परिषद	61.98	0.68	62.66	56.43	1,23.38	1,79.81	14.32	0.13	14.45	13.50	1,22.08	1,35.58
(iii) अन्य	25.34	20.73	46.07	28.73	37.67	66.40	3.35	20.73	24.08	4.63	36.98	41.61
जोड़-	<b>1,10.05</b>	<b>92.19</b>	<b>2,02.24</b>	<b>1,06.07</b>	<b>1,75.48</b>	<b>2,81.55</b>	<b>22.53</b>	<b>91.64</b>	<b>1,14.17</b>	<b>22.90</b>	<b>1,73.39</b>	<b>1,96.29</b>
<b>3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
(i) सरकारी कम्पनियां	4.47	0.54	5.01	0.29	0.50	0.79	--	--	--	--	--	--
(ii) सांविधिक निगम	2.36	46.44	48.80	3.07	60.30	63.37	--	--	--	--	--	--
जोड़-	<b>6.83</b>	<b>46.98</b>	<b>53.81</b>	<b>3.36</b>	<b>60.80</b>	<b>64.16</b>	--	--	--	--	--	--
<b>4. स्वायत निकाय</b>												
(i) विश्वविद्यालय	0.15	2,54.75	2,54.90	0.50	2,23.94	2,24.44	--	--	--	...	...	...
(ii) विकास प्राधिकरण	1.40	54.52	55.92	1.40	50.97	52.37	--	10.28	10.28	...	10.35	10.35
(iii) सहकारी संस्थान	5.94	27.31	33.25	18.92	7.52	26.44	--	0.81	0.81	0.50	0.29	0.79
(iv) अन्य	9.77	1,48.33	1,58.10	4.81	48.93	53.74	--	12.22	12.22	...	1.35	1.35
जोड़-	<b>17.26</b>	<b>4,84.91</b>	<b>5,02.17</b>	<b>25.63</b>	<b>3,31.36</b>	<b>3,56.99</b>	--	<b>23.31</b>	<b>23.31</b>	<b>0.50</b>	<b>11.99</b>	<b>12.49</b>

**10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी**

(i) रोकड़ों में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2014-15			2013-14			2014-15			2013-14		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
(₹ करोड़ में)												
<b>5. शिक्षा</b>												
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	...	2,52.66	2,52.66	...	1,28.38	1,28.38	--	9.83	9.83	...	...	...
(ii) माध्यमिक शिक्षा	23.72	51.52	75.24	18.21	66.44	84.65	--	--	--	...	...	...
(iii) उच्च शिक्षा	1.31	12.68	13.99	1.29	7.92	9.21	--	--	--	...	...	...
जोड़-	<b>25.03</b>	<b>3,16.86</b>	<b>3,41.89</b>	<b>19.50</b>	<b>2,02.74</b>	<b>2,22.24</b>	--	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>	...	...	...
<b>6. अन्य</b>												
(i) वन	...	10.99	10.99	...	13.92	13.92	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
(ii) सामाजिक कल्याण	18.51	47.73	66.24	24.55	30.52	55.07	...	8.27	8.27	...	0.31	0.31
(iii) विविध	5.31	1,92.64	1,97.95	5.36	1,11.47	1,16.83	...	64.74	64.74	...	43.09	43.09
जोड़-	<b>23.82</b>	<b>2,51.36</b>	<b>2,75.18</b>	<b>29.91</b>	<b>1,55.91</b>	<b>1,85.82</b>	...	<b>73.07</b>	<b>73.07</b>	...	<b>43.46</b>	<b>43.46</b>
<b>7. गैर सरकारी संगठन</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	--	--	--
कुल जोड़-	<b>4,41.55</b>	<b>17,14.63</b>	<b>21,56.18*</b>	<b>4,05.80</b>	<b>1,032.10</b>	<b>1,437.89</b>	<b>2,02.69</b>	<b>2,10.15</b>	<b>4,12.84.</b>	<b>1,79.92</b>	<b>2,51.23</b>	<b>4,31.15</b>

\* इनमें ₹ 9.13 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का (मुख्य शीर्ष 3604) सम्मिलित है।

**10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी**

(ii) वर्स्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	वर्स्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य						पूँजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वर्स्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य				
	1			2			3				
	2014-15			2013-14			2014-15			2013-14	
1. पंचायती राज संस्थाएँ-											
(i) जिला परिषद	...			...			...			...	
(ii) पंचायत समीतियां	...			...			...			...	
(iii) ग्राम पंचायतें	...			...			...			...	
2. स्थानीय शहरी निकाय											
(i) नगर निगम	...			...			...			...	
(ii) नगर निगम/ नगर परिषद	...			...			...			...	
(iii) अन्य	...			...			...			...	
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम											
(i) सरकारी कम्पनीयां	...			...			...			...	
(ii) सांविधिक निगम	...			...			...			...	
4. स्वायत निकाय											
(i) विश्वविद्यालय	...			...			...			...	
(ii) विकास प्राधिकारण	...			...			...			...	
(iii) सहकारी समीतियां	...			...			...			...	
(iv) अन्य	...			...			...			...	
5. गैर सरकारी संगठन	...			...			...			...	
जोड़-	...			...			...			...	

टिप्पणी:- वर्ष के दौरान कोई भी सहायता अनुदान (वर्स्तु में) नहीं दिया गया था।

### 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2014-15		2013-14		जोड़	(₹ करोड़ में)
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	28,94.20	1,68,92.85	1,97,87.05	25,23.68	1,48,28.81	1,73,52.49
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	23.12	24,49.77	24,72.89	4.88	18,50.98	18,55.86
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	82,59.81	4,74.19	87,34.00	17,04.27	5,31.05	22,35.32
<b>जोड़</b>	<b>1,11,77.13</b>	<b>1,98,16.81</b>	<b>3,09,93.94</b>	<b>42,32.83</b>	<b>1,72,10.84</b>	<b>2,14,43.67</b>
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं।						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	81,93.26	...	81,93.26	16,39.07	...	16,39.07
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	66.55	...	66.55	65.20	...	65.20
च. ऋण और अग्रिम *						
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	...	2.00	2.00	...	2.85	2.85
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	4,64.93	4,64.93	...	5,19.88	5,19.88
सरकारी कमचारियों के लिए ऋण	...	7.26	7.26	...	8.32	8.32
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	...	...	...	...	...	...
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	...	...	...	...	...	...
आकस्मिक निधि का अन्तरण	...	...	...	...	...	...
आकस्मिक निधि का अन्तरण	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>82,59.81</b>	<b>4,74.19</b>	<b>87,34.00</b>	<b>17,04.27</b>	<b>5,31.05</b>	<b>22,35.32</b>

(i) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से सकल व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित है।

वर्ष	सकल/कुल व्यय के प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2013-14	19.74	80.26
2014-15	36.06	63.94

\* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जारकारी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

**12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी**

स्त्रोत एवं प्रयुक्त निधि का विस्तृत विवरण

<b>शीर्ष</b>	<b>1 अप्रैल 2014 को</b>	<b>वर्ष 2014-15 के दौरान</b>	<b>31 मार्च 2015 को</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			(` करोड़ में)	
<b>पूँजीगत तथा अन्य व्यय-</b>				
<b>सकल पूँजीगत व्यय</b>				
<b>सामान्य सेवाएं</b>				
पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	1,85.94	27.21	2,13.15	
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	3.70	...	3.70	
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	6,79.78	52.61	7,32.39	
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12.88	3.00	15.88	
<b>जोड़-समान्य सेवाएं</b>	<b>8,82.30</b>	<b>82.82</b>	<b>9,65.12</b>	
<b>सामाजिक सेवाएं</b>				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	17,50.51	1,30.96	18,81.47	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,47.84	62.27	9,10.11	
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	48,35.09	3,09.96	51,45.05	
सूचना एवं प्रसार	5.60	1.25	6.85	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,59.58	9.69	1,69.27	
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	62.48	7.83	70.31	
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.02	0.05	7.07	
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>76,68.12</b>	<b>5,22.01</b>	<b>81,90.13</b>	
<b>आर्थिक सेवाएं</b>				
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	16,17.44	89.91	17,07.35	
ग्रामीण विकास	15.69	0.63	16.32	
सिंचाइ एवं बाढ़ नियन्त्रण	33,13.46	5,06.08	38,19.54	
ऊर्जा	29,55.11	3,08.23	32,63.34	
उद्योग तथा खनिज	2,36.35	39.26	2,75.61	
परिवहन	73,56.25	8,92.74	82,48.99	
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5,67.79	87.86	6,55.65	
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1,60,62.09</b>	<b>19,24.71</b>	<b>1,79,86.80</b>	
<b>जोड़-सकल पूँजीगत परिव्यय</b>	<b>2,46,12.51</b>	<b>25,29.54</b>	<b>2,71,42.05</b>	

**12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी**

**स्रोत एवं प्रयुक्त निधि का विस्तृत विवरण**

<b>शीर्ष</b>	<b>1 अप्रैल 2014 को</b>	<b>वर्ष 2014-15 के दौरान</b>	<b>31 मार्च 2015 को</b>			
(₹ करोड़ में)						
<b>पूँजीगत तथा अन्य व्यय-क्रमशः</b>						
पूँजीगत परिव्यय की वसूलियां						
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.24	...	0.24			
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	0.66	0.05	0.71			
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>0.90</b>	<b>0.05</b>	<b>0.95</b>			
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	9,05.64	56.60	9,62.24			
सिंचाई एवं बाड़ नियन्त्रण	5,67.69	...	5,67.69			
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15			
परिवहन	70.80	...	70.80			
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>15,44.28</b>	<b>56.60</b>	<b>16,00.88</b>			
<b>जोड़-पूँजीगत परिव्यय की वसूलियां</b>	<b>15,45.18</b>	<b>56.65</b>	<b>16,01.83</b>			
<b>कुल जोड़-पूँजीगत परिव्यय</b>	<b>2,30,67.33</b>	<b>24,72.89</b>	<b>2,55,40.23</b>			
	<b>(-)6,45.85</b>	<b>6,50.00</b>	<b>(-)12,95.85</b>			
ऋण तथा अग्रिम-						
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-						
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	6.93	1.93	8.86			
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	12.88	(-)0.21	12.67			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.90	...	2.90			
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.11	(-)0.01	1.10			
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	99.55	(+)13.55	1,13.10			
ग्रामीण विकास	0.50	(-)0.01	0.49			
<b>उर्जा</b>	<b>17,18.38</b>	<b>(+)4,04.11</b>	<b>21,22.49</b>			

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

स्रोत एवं प्रयुक्त निधि का विस्तृत विवरण

शीर्ष स्रोत 1	1 अप्रैल 2014 को 2	वर्ष 2014-15 के दौरान 3	31 मार्च 2015 को 4
			(` करोड़ में)
<b>पूँजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त</b>			
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
उद्योग तथा खनिज	31.92	(+)16.39	48.31
समान्य आर्थिक सेवायें	0.10	...	0.10
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	37.89	(-)2.12	35.77
विविध ऋण	1.02	...	1.02
<b>जोड़-ऋण तथा अग्रिम</b>	<b>19,13.18</b>	<b>4,33.63</b>	<b>23,46.81</b>
<b>जोड़-पूँजीगत तथा अन्य व्यय</b>	<b>2,49,80.51</b>	<b>29,06.52</b>	<b>2,78,87.03</b>
<b>घटाएं</b>			
विविध पूँजीगत वसूली से अंशदान	6,45.85	<b>6,50.00</b>	<b>12,95.85</b>
निवल जोड़-पूँजीगत तथा अन्य व्यय	<b>2,43,34.66</b>	<b>22,56.52</b>	<b>2,65,91.19</b>
<b>निधियों के मुख्य स्रोत</b>			
राजस्व (+) आधिक्य (-) घटा		(-)19,43.60	
जमा-विनिवेश के कारण समायोजित राशि	(-)6,45.85	(-)6,50.00	(-)12,95.85
ऋण-			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	2,20,99.33	25,58.31	2,46,57.64
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10,12.12	58.75	10,70.87
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	87,36.30	11,85.17	99,21.47
<b>जोड़-ऋण</b>	<b>3,18,47.75</b>	<b>38,02.23</b>	<b>3,56,49.98</b>
<b>अन्य प्राप्तियां-</b>			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियां	2,26.79	1.69	2,28.48
जमा तथा अग्रिम	18,08.97	5,03.84	23,12.81

**12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी**  
**स्रोत एवं प्रयुक्त निधि का विस्तृत विवरण**

<b>शीर्ष</b>	<b>1 अप्रैल 2014</b>	<b>वर्ष 2014-15</b>	<b>31 मार्च 2015</b>
	<b>को</b>	<b>के दौरान</b>	<b>को</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
(` करोड़ में)			
<b>अन्य प्राप्तियां</b>			
उचन्त तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	2,68.83	28.44	2,97.27
प्रेषण	2,03.97	11.91	2,15.88
<b>जोड़-अन्य प्राप्तियां</b>	<b>25,13.56</b>	<b>5,45.88</b>	<b>30,59.44</b>
<b>जोड़-ऋण तथा अन्य प्राप्तियां</b>	<b>3,43,61.31</b>	<b>43,48.11</b>	<b>3,87,09.42</b>
घटाएं- रोकड़ शेष	(-)8,87.49	(+)1,47.98	(-)7,39.51
घटाएं- निवेश	...	...	...
जमा- सरकारी लेखे को संवृत राशि	...	...	...
<b>निधियों का निवल प्रावधान</b>	<b>3,52,48.80</b>	<b>22,56.53</b>	<b>3,94,48.93</b> (क)

पूँजीगत एवं अन्य परिव्यय तथा निधियों के निवल प्रावधान के प्रगामी आंकड़ों में ` 1,28,57.75 लाख के अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से है:-

**1 राजस्व घाटा**

(i) 31 मार्च 2015 तक राजस्व घाटा	(-)1,08,92.79
(ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)	(-)19,43.60 *

**2 राशियों का निम्न समाधान**

(i) अंतर्राज्यीय समाधान	(-)1.43
(ii) कूल राशि का " 7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन "	(-)5.00
(iii) विविध सरकारी लेखे	(-)7.43
(iv) प्रफॉर्मा द्वारा कुल राशि का समायोजन	(-)7.50
<b>कुल जोड़-</b>	<b>(-)21.36</b>
	<b>1,28,57.75</b>

(क) अथ शेष ` 3,94,48.93 लाख से ` 19,43.60 लाख कम है (राजस्व घाटा)।

\* पृष्ठ संख्या \* 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

**13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार**

(क) 31 मार्च 2015 को शेष राशियों का सांराश निम्न प्रकार से है:-

नामे शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
	क से ड. तथा	सरकारी लेखा	
	ठ का भाग		
3,71,02.12	(मुख्य शीर्ष 8680) केवल		
	ड.	लोक ऋण	2,57,28.51
23,46.82	च-	ऋण एवं अग्रिम	
	आकस्मिकता निधि		
	छ-	आकस्मिक निधि	5.00
	लोक लेखा		
	झ-	लघु बचतें भविष्य निधियां आदि	99,21.47
	आरक्षित निधियां-		
	(i)	ब्याज वाली आरक्षित निधियां-	8.95
	(ii)	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	2,19.53
	निवेश		
	ट-	जमा और अग्रिम-	
	(i)	ब्याज वाली जमा राशियां	32.09
	(ii)	ब्याज रहित जमा राशियां	22,81.26
0.54	(iii)	अग्रिम	
	ठ-	उचन्त और विविध	
	(i)	निवेश	...
	(ii)	अन्य मदे (निवल)	2,97.27
	ड-	समेकित निधि	
	प्रेषण-		
	(i)	एक ही लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	2,15.58
	(ii)	अन्तर्राजी समायोजन लेखे	0.31
(-7,39.51 (क)	ढ-	रोकड़ शेष (अंत शेष)	
<b>3,87,09.97</b>			<b>3,87,09.97</b>

(क) रिजर्व बैंक में जमा से सम्बन्धित जो कि सरकार के रोकड़ शेष का एक घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। विवरण के लिए विवरणी 2 (पृष्ठ-6) के अनुबन्ध के अन्तर्गत पाद-टिप्पणी (क) देंखे।

### 13. सर्वेक्षित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

**ख. सरकारी लेखा:-** सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूँजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेणित नहीं किया जाता है, उन्हें “सरकारी लेखा” नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है। इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिस्थितियां जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से है:-

नामे	विवरण	जमा (₹ करोड़ में)
3,33,35.63	क- 1 अप्रैल 2014 को सरकारी लेखे में नामे शेष ख- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) ग- प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	1,78,43.45* 6,50.00
1,97,87.05	घ- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
24,72.89	ड- व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) च- उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा) छ- 31 मार्च 2015 को सरकारी लेखों में नामे शेष	3,71,02.12
<b>5,55,95.57</b>	<b>जोड़</b>	<b>5,55,95.57</b>

**टिप्पणी:-**

(i) कई मामलों में (तालिका संख्या-16) स्नातियां, संवितरण तथा आकस्मिकता निधि व लोक लेखा की तालिका में तथा इसी प्रयोजनार्थ लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में रखे गए पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेख में दर्शाये गए अन्त अभिलेख में दर्शाये गए अन्त-शेषों के बीच ऐसे अन्तर हैं, जिनका समाधान किया नहीं गया है। इन विसंगतियों का समाधान करने के उपाय किये जा रहे हैं।

(ii) शेष राशियों की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को उनके सत्यापन एवं स्वीकृति हेतु प्रतिवर्ष भेजी जाती है। असंख्य मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

\* पृष्ठ संख्या 4 पर # पाद टिप्पणी (खण्ड-I) देखें।

## लेखाओं पर टिप्पणियाँ

### 1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

#### (i) लेखाकरण अवधि तथा अस्तित्व

ये लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को 17 जिला कोषागारों, 74 लोक निर्माण मण्डलों, 88 वन मण्डलों, 52 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वित्तीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

#### (ii) लेखाकरण के आधार

कुछ आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन (अनुबन्ध-क) के अपवाद सहित, लेखे चालू वर्ष के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हैं। सरकारी निवेश आदि प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत अर्थात् अर्जन/खरीद वर्ष के मूल्य पर दर्शाया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को अवमूल्यित या ऋण परिशोधित नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्तिकाल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान संवितरित किए गए सेवा निवृति लाभांशों सम्बन्धी देयताओं को लेखाओं में दर्शाया गया है, परन्तु सरकार की भविष्य में पैंशन देयताओं अर्थात् कर्मचारियों की पिछली एवं वर्तमान सेवाओं से सम्बन्धित सेवा-निवृति लाभांशों की भुगतान-सम्बन्धी देयताओं, को लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

#### (iii) लेखाओं को रखने की मुद्रा

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये में रखे जाते हैं।

#### (iv) लेखाओं का स्वरूप

संविधान के अनुच्छेद -150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखाओं को उसी स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'स्वरूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखाओं को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षों के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

#### (v) राजस्व एवं पूँजीगत के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय एक आवर्ती स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों में से ही किया जाना है। पूँजीगत व्यय से अभिप्राय ऐसे व्यय से है जिसे वस्तुपूरक एवं स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों की बढ़ौतरी अथवा स्थायी देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया जाना है। और भी, भारतीय सरकार लेखाकरण मानक-2 (आई जी ए एस-2) के अनुसार सहायता अनुदानों पर हुए व्यय को अन्तिम उपयोगिता को ध्यान में न रखते हुए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

### 2. लेखाओं की गुणवत्ता

#### (i) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन बुकिंग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय का संचालन केवल तभी अपेक्षित है जब लेखाओं में उचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं है। लघु शीर्ष 800 को नियमित संचालित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। वर्ष के दौरान ₹2680.31 करोड़ जोकि समग्र राजस्व प्राप्ति का 15.02 प्रतिशत है को राजस्व के 48 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अधीन दर्शाया गया। उसी प्रकार ₹877.94 करोड़ जोकि समग्र व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 3.94 प्रतिशत है को व्यय के 41 राजस्व एंव पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के अधीन दर्शाया गया। ऐसे मामलों, जहां प्राप्तियों तथा व्यय के पर्याप्त भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को लघु शीर्षों 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अधीन वर्गीकृत किया गया था के उदाहरणों को क्रमशः अनुबन्ध-ख, ग, तथा घ में सूचीबद्ध किया गया है। कुछ मामलों में अधिक अदायगी की वसूली को भी सरकार के मौजूदा लेखा नियमों के अनुसार संबंधित सेवा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय के रूप में कमी के बजाय लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के तहत प्राप्तियाँ के रूप में लिया गया है।

### (ii) अग्रिम अदायगियां

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी. डी. ओ.) को अग्रिम रूप से धन आहरित करने तथा तत्पश्चात समायोजन बिलों को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ऐसे समायोजन वाउचरों को चिन्हित करने की कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है, जिसके कारण महालेखाकार (ले० व ह०) यह प्रमाणित करने में समर्थ नहीं होता कि क्या सभी अग्रिमों को समायोजित कर लिया गया है तथा कोई दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी का मामला तो नहीं है। विगत कई वर्षों से महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा राज्य सरकार से बास-बार अनुरोध किया जाता रहा है कि वे केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों में प्रचलित सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी. सी.) बिलों (अन्तिम व्यय के समर्थित वाउचर) के उत्तरवर्ती प्रेषण से सम्बन्धित प्रणाली को अपनाए। राज्य सरकार द्वारा अभी यह प्रणाली अपनाई जानी है।

### (iii) लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

विशेष प्रयोजनों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 (संशोधित) के नियम-164 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसे सत्यापित किए जाने के उपरान्त संस्वीकृति में उल्लिखित तिथियों के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता-अनुदान को सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। राज्य के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यतः शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभागों से अपेक्षित हैं।

मार्च 2015 तक लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2012-13 तक	3,865	1,146.51
2013-14	11,674	1,240.88
2014-15 *	22,734	2,156.18
<b>कुल</b>	<b>38,273</b>	<b>4,543.57</b>

\*जहां संस्वीकृति आदेशों में अन्यथा वर्णित है, उसके अलावा अन्य में वर्ष 2014-15 के दौरान संवितरित अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 2015-16 में ही देय बनते हैं।

केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया है जिससे अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया जा सके। इस प्रकार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण लेखाओं में दर्शाये गये व्यय को अन्तिम नहीं समझा जा सकता न ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्यय स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही किया गया है।

**(iv) व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का अन्तरण**

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 खण्ड-I नियम संख्या 12.7 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन समेकित निधि (इन्हें अन्तिम व्यय के रूप में बुक करके) में से राशियों के अन्तरण द्वारा किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय को संबंधित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को समेकित निधि में वापिस अन्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को अगले वर्ष पुनः खोला जाता है। पिछले कई वर्षों से महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा अनुरोध करने पर भी इन नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है। व्यक्तिगत जमा खातों में शेषों का विवरण निम्न है:-

1-4-2014 को व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	1.4.14 को शेष (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष के दौरान बन्द किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	31-03-2015 को रा०ज० खातों की संख्या	31-3-2015 को शेष (₹ करोड़ में)
109	2,25.10	15*	11	113**	361

\*राज्य सरकार ने मार्च 2015 में 10 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें ₹22.98 करोड़ हैं संचालित किए हैं जो बहुत समय (पांच वर्षों से अधिक समय) से असंचालित थे।

\*\*13 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें ₹0.20 करोड़ हैं 2010-11 से असंचालित हैं।

**(v) प्राप्ति तथा व्यय का मिलान**

सरकार की प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ प्रमुख नियन्त्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.)/ नियन्त्रण अधिकारी (सी ओ) द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। दोनों (प्राप्तियों एवं व्यय) के सम्बन्ध में प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों(सी सी ओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सी ओ) द्वारा यह मिलान पूर्ण कर लिया गया है।

**(vi) रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)**

महालेखाकार द्वारा निकाले गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बतलाए गए रोकड़-शेष के बीच ₹6.73 करोड़ (सकल डेबिट) का अन्तर मुख्यतः एजेंसी बैंकों द्वारा आंकड़ों का मिलान न किए जाने के कारण हुआ है। इसका मिलान किया जा रहा है।

**3. अन्य मर्दे**

**(i) पेंशन लाभ देनदारियाँ**

वर्ष के दौरान 14 मई 2003 या उससे पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों पर ₹2,914.49 करोड़ व्यय किया गया (जिसमें ₹10.96 करोड़ विधायकों की पेंशन, ₹194.38 करोड़ अवकाश नगदीकरण लाभ तथा ₹92.21करोड़ परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान सम्मिलित हैं ) जोकि राज्य के कुल राजस्व व्यय ₹19,787.05 करोड़ का 14.73 प्रतिशत है। 15 मई 2003 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के हकदार हैं जोकि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है तथा इतनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों प्रकार के योगदानों को आरम्भ में लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में जमा किया जाना है। तत्पश्चात संपूर्ण

राशि को उसी वर्ष में पदनामित निधि प्रबंधक के द्वारा नैशनल स्क्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन. एस. डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाना है। (मुख्य शीर्ष 8342- ब्याज सहित जमा की श्रेणी में आता है जिसका अर्थ यह है कि उन शेषों पर जोकि एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किए बिना लोक लेखा में रखे गये हैं पर सरकार ब्याज देने के लिए बाध्य होगी)। इस प्रक्रिया से यह निश्चित होता है कि क्या अंशदायी पैंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान की सम्पूर्ण कटौती के बराबर अंशदान नियोक्ता के द्वारा भी किया गया है और उसे लोक लेखा में हस्तांतरित किया गया है तथा क्या सम्पूर्ण राशि (कर्मचारियों और नियोक्ता का अंशदान) को एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया गया है। इस के द्वारा यह जांचना सम्भव हो पाता है कि क्या सरकार ने वर्ष के अन्त में लोक लेखा में रखी शेषों पर ब्याज को एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया। जहाँ कर्मचारियों के अंशदान को एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को अन्तिम हस्तांतरण के लिए लोक लेखा में सही तरीके से हस्तांतरित किया जाता है, वहाँ सरकार द्वारा नियोक्ता के अंश को लोक लेखा के द्वारा न भेजकर सीधे ही एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ₹162.56 करोड़ की कटौती की जिसे लोक लेखा में जमा किया गया। हालांकि, पिछले वर्षों की भाँति, राज्य सरकार ने लोक लेखा में नियोक्ता का अंशदान जमा नहीं किया, और इसकी जगह सीधे ही ₹92.21 करोड़ एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दिये। ₹70.35 करोड़ का कम अंशदान वर्तमान देनदारियों (नियोक्ता के हिस्से का कम अंशदान) को दर्शाता है, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता के अंशदान को लोक-लेखा के माध्यम से नहीं भेजा गया, इसलिए एन. एस. डी. एल. को अन्तरित होने से रह गए नियोक्ता भाग को दर्शाने वाली अतीत की देनदारियों को सुनिश्चित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्षों तक इस प्रकार का कम अंशदान, यदि कोई है, पर ब्याज देय होगा जिसको नियोक्ता के अंशदान को एन. एस. डी. एल. में हस्तांतरित करने के समय शामिल करना होगा, लेकिन वर्षों तक नियोक्ता के कम अंशदान की मात्रा की जानकारी के अभाव में, इस का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

1 अप्रैल 2014 को कर्मचारियों का ₹46.78 करोड़ का अंशदान एन. एस. डी. एल. को हस्तांतरित किया जाना शेष है जोकि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध था। (योजना के आरम्भ से ऐसे प्रतिधारित शेष पर ब्याज-जोकि राज्य सरकार की देनदारी है, का आंकलन नहीं किया गया है यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि वर्षों से कर्मचारियों के अंशदान का सही आंकलन किया गया है कि नहीं)। राज्य सरकार द्वारा कुल ₹209.33 करोड़ (प्रारंभिक शेष ₹46.78 करोड़ वर्ष के दौरान कर्मचारियों से काटे गए ₹162.55 करोड़) के बदले ₹177.26 करोड़ हस्तांतरित किये जबकि ₹32.07 करोड़ 31 मार्च 2015 को लोक लेखा में शेष है। योजना के अन्तर्गत असंग्रहित, बेमेल और अहस्तांतरित राशियाँ, उपर्जित ब्याज सहित बकाया देनदारियों को दर्शाती है तथा अनावश्यक रूप से राज्य सरकार से तरलता की स्थिति को बढ़ाता है।

### (ii) गारंटियाँ

वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी-9 में दी गई सूचना राज्य सरकार/निगमों/बोर्डों/सरकारी कम्पनियों, सहकारी समिति/बैंक के 14 साविधिक निगमों/बोर्डों/सरकारी कम्पनियों तथा एक सहकारी समिति/बैंक से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वर्ष 2014-15 के अन्त तक बकाया देनदारियों के विरुद्ध ₹4,281.33 करोड़ की गारंटियाँ दी गई।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित) के अनुसार कुल बकाया गारंटियाँ चालू वर्ष से पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 40 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। इस प्रकार बकाया गारंटियाँ वर्ष 2013-14 के राजस्व प्राप्तियों का 27.25 प्रतिशत है जो कि हिमाचल प्रदेश राजाकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर है।

### (iii) ऋण एवं अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिमों को छोड़ कर जिनका विस्तृत लेखा महालेखाकार (ले० व ह०) रखते हैं को विवरणी 7 व 18 में दिखाई गई अन्य सभी ऋणों एवं अग्रिमों की सूचना राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त की गई है

जो इनके लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी है। इन विवरणियों में ब्याज भुगतान के बकाया का ब्यौरा नहीं दिया गया है क्योंकि इस सूचना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा ₹2191.70 करोड़ के ऋण विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किए गए। जिनमें से ₹33.33 करोड़ के ऋणों की सेवा शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम की वापसी के स्वरूप में ₹9.40 करोड़ तथा ₹31.16 करोड़ अन्य बकाया ऋणों (31 मार्च 2015 तक शेष ₹2,346.82 करोड़) की वापसी के रूप में प्राप्त हुए।

#### (iv) निवेश

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थानों के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। लेखाओं के अनुसार 66 इकाईयों में सरकार का निवेश 31 मार्च 2015 तक ₹2,731.65 करोड़ था। यद्यपि इन आंकड़ों को निवेशित संस्थाओं के आंकड़ों से मिलान नहीं किया गया है, जो अभी किया जाना है।

#### (v) माफ किये गये केन्द्रीय ऋणों की अतिरिक्त अदायगी का समायोजन

दिनांक 29-02-2012 के सभी आदेशों की श्रृंखला में 13वें वित्त आयोग वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को माफ कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को मूल राशि और ब्याज की अधिक अदायगी को इस आदेश के प्रभावी रूप से लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से वित्त मंत्रालय को भविष्य में होने वाले भुगतान के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी थी। ₹15.58 करोड़ के अधिक भुगतान में से वित्त मंत्रालय द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2013-14 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹10.57 करोड़ को समायोजित कर दिया गया था। 2014-15 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा किसी भी अधिक अदायगी का समायोजन नहीं किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा समायोजन हेतु लम्बित पड़े शेषों (₹5.01 करोड़) में से मूलधन की राशि (जिसका आंकलन नहीं किया गया है) राज्य सरकार के ऋण खातों में प्रतिकुल शेष तथा लोक ऋण में अधिक विवरण को तब तक दर्शाएगा जब तक कि इन्हें समायोजित या अपलिखित नहीं कर दिया जाता। अपलिखित ऋणों का मंत्रालय-वार विवरण इस प्रकार है:-

मंत्रालय/विभाग	बट्टे खाते में डालना	अधिक भुगतान
कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य विभाग	वर्ष 2011-12 में ₹0.01 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹0.02 करोड़ (मूल राशि) और ₹0.01 (ब्याज)
जहाजरानी एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	वर्ष 2011-12 में ₹0.02 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹0.13 करोड़ (मूल राशि) और ₹0.02 (ब्याज)
शहरी विकास मंत्रालय	वर्ष 2012-13 में ₹0.02 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹0.07 करोड़ (मूल राशि) और ₹0.06 (ब्याज)
उर्जा मंत्रालय	वर्ष 2012-13 में ₹0.23 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹1.31 करोड़ (मूल राशि) और ₹0.19 (ब्याज)
कृषि मंत्रालय	वर्ष 2011-12 में ₹30.50 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹6.19 करोड़ (मूल राशि) और ₹7.58 (ब्याज)

#### (vi) आरक्षित निधियां

विभिन्न आरक्षित/जमा निधि में राज्य सरकार के अंशदान एवं उनकी उपयोगिता पर महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा किए गए बुक-समायोजनों का विवरण अनुबन्ध-क में इंगित किया गया है। आरक्षित निधियां तथा चिन्हित निधि में निवेशों का विस्तृत विवरण विवरणी संख्या 21 व 22 में दिया गया है। विशेष प्रयोजन हेतु आठ निधियां हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2015 तक कुल जमा राशि ₹2,28.48 करोड़ है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियां (अर्थात् समेकित निष्केप निधि तथा गारंटीमोर्चन निधि) नहीं बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का विवरण निम्न प्रकार है:

#### (क) समेकित निष्केप निधियां

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निष्केप निधि बनानी अपेक्षित है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा संचालित करना था राज्य सरकार

को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत के बराबर इस निधि में अंशदान देना आपेक्षित है। बकाया देनदारियों से अभिप्राय आन्तरिक ऋण तथा लोक ऋण देनदारियों (विवरणी संख्या-6) से है। प्रत्युत्सर्जन मुक्त बाजार से उठाए गए प्रतिशत राज्य सरकार की बकाया देनदारियां जो की आन्तरिक ऋण तथा लोक ऋण देनदारियों में परिभाषित किया गया है (विवरणी संख्या-6)। राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया फलस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान समेकित निधि में ₹169.42 करोड़ (31 मार्च 2014 को बकाया देय देनदारियां ₹33,884.05 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान नहीं दिया गया।

#### (ख) गारंटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना था। इस निधि को स्थापित नहीं किया गया। हलांकि राज्य सरकार से विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, पर 14 गारंटी इकाईयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2014 तक इन 14 इकाईयों की बकाया गारंटी ₹4,332.86 करोड़ बनती है। इस आधार पर वर्ष 2014-15 में इस निधि को देय राशि ₹21.66 करोड़ बनती है।

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 में न्यूनतम गारंटी फीस निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी वर्ष 2014-15 में ₹0.01 करोड़ कि गारंटी फीस प्राप्त की गई।

#### (ग) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' (एस डी आर एफ) स्थापित की है। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार को इस निधि में 90:10 के अनुपात से योगदान/अंशदान करने की आवश्यकता है। यदि राज्य के पास एस डी आर एफ के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा ₹147.06 करोड़ (₹4.00 करोड़ संसाधन जुटाने हेतु एवं ₹143.06 करोड़ केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में 90 प्रतिशत अंशदान) प्राप्त किये गये। राज्य सरकार द्वारा अपने देय अंशदान ₹15.89 करोड़ की जगह ₹11.87 करोड़ प्रदान किये गये। ₹167.98 करोड़ (₹9.05 करोड़ आरंभिक शेष तथा ₹158.93 करोड़ वर्ष 2014-15 में स्थानान्तरण) कौरपस से राज्य सरकार ने ₹159.04 करोड़ को वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर किए व्यय के रूप में समायोजित किया, जिससे 31 मार्च 2015 को अथ शेष ₹8.94 करोड़ रहा, यद्यपि इस निधि को निवेशित नहीं किया गया। लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8121 जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ) से सम्बंधित है 'आरक्षित निधि ब्याज सहित' श्रेणी के अन्तर्गत में आता है तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि पर ब्याज देना अपेक्षित है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा ₹0.72 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 8.0 प्रतिशत के दर से अनुमानित) ब्याज देय है, जिसे अदा नहीं किया गया।

इसी दौरान 2014-15 में राज्य सरकार को ₹65.30 करोड़ की अतिरिक्त सहायता एन.डी.आर.एफ के अन्तर्गत प्राप्त हुई तथा मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत ₹1.42 करोड़ व्यय किया गया। जबकि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि का समायोजन/उपयोग नहीं किया गया।

#### (vii) निष्क्रिय आरक्षित निधि

दो निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ वर्ष 1971 से निष्क्रिय हैं जो इस प्रकार है: (i) मुख्य शीर्ष 8115-मूल्यहास/नवीनकरण आरक्षित निधियों के अन्तर्गत (ब्याज आरक्षित निधि) सरकारी वाणिज्यिक विभागों तथा उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधि और (ii) 8226-मूल्यहास/नवीनकरण/आरक्षित निधियाँ सरकारी वाणिज्यिक विभागों तथा उपक्रमों की मूल्यहास की आरक्षित निधि (ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ)। इन निधियों में 31 मार्च 2015 के अन्त तक कुल जमा शेष ₹1.54 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा इन निधियों को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

**(viii) ब्याज समायोजन**

सरकार द्वारा वर्ग 'झ-लघु बचत खातों व भविष्य निधि खातों इत्यादि', 'जः-आरक्षित निधि (आरक्षित निधि ब्याज सहित)' और 'ट-जमा खातें (जमा खातें ब्याज सहित)' तथा विशिष्ट उप मुख्य शीर्षों के शेषों पर ब्याज अदा करने का दायित्व बनता है। चालू वर्ष में मुख्य शीर्ष '2049-ब्याज अदायगी' से लघु बचत खातों व भविष्य निधि खातों के लिए ₹820.09 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में भारित की गई है। उप शीर्ष '05-आरक्षित निधियों पर ब्याज' तथा '60-अन्य दायित्वों' के अन्तर्गत कोई भी राशि भारित नहीं की गई है। राज्य सरकार को ब्याज सहित जमा (सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम) के शेष ₹46.78 करोड़ पर ब्याज देना है जिसे निवेश नहीं किया गया है। यह ब्याज 4.07 करोड़ बनता है जिसका अनुमान सामान्य भविष्य निधि पर वर्ष 2014-15 के लिए देय ब्याज 8.7 प्रतिशत लगाया गया है। गत वर्षों के आरक्षित व जमा खातों में जमा पड़ी राशि पर ब्याज का अनुमान नहीं लगाया गया है।

**(ix) उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति**

वित्त लेखे की विवरणी 21 उचंत और प्रेषण के अन्तर्गत शुद्ध शेष दर्शाती है। इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पड़े बकाया डेबिट एवं क्रेडिट शेषों को समग्र रूप से लेकर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत तथा प्रेषण शीर्षों की स्थिति निम्नलिखित है:-

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658- उचंत लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	32.12	23.87	35.69	17.76	45.63	23.37
शुद्ध	8.25	डेबिट	17.93	डेबिट	22.26	डेबिट
102-उचंत लेखा (सिविल)	138.36	125.42	145.05	142.13	139.08	131.80
शुद्ध	12.94	डेबिट	2.92	डेबिट	7.28	डेबिट
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	92.33	92.31	36.39	8.68	36.40	36.40
शुद्ध	0.02	डेबिट	27.71	डेबिट	-शूच्य-	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	227.46	255.56	242.53	274.83	263.90	285.67
शुद्ध	28.10	क्रेडिट	32.30	क्रेडिट	21.77	क्रेडिट
129-सामग्री खरीद समायोजन उचंत लेखा	80.40	331.81	60.80	343.12	68.51	370.99
शुद्ध	2,51.41	क्रेडिट	282.32	क्रेडिट	302.48	क्रेडिट

**8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन**

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	39,26.69	41,27.22	42,85.65	44,64.49	4,322.98	4,507.75
शुद्ध	2,00.53	क्रेडिट	1,78.84	क्रेडिट	184.77	क्रेडिट
103- वन प्रेषण	2,98.80	3,27.15	6,40.67	6,67.88	217.57	250.76
शुद्ध	28.35	क्रेडिट	27.21	क्रेडिट	33.19	क्रेडिट
105- भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण	2.39	-	2.39	-	2.39	-
शुद्ध	2.39	डेबिट	2.39	डेबिट	2.39	डेबिट

**(x) आकस्मिकता निधि**

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत ₹5.00 करोड़ का कॉर्पस है। वर्ष 2014-15 में आकस्मिकता निधि से कोई भी व्यय नहीं किया गया।

**(xi) व्यय का तीव्र प्रवाह**

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 43(3) के अनुसार विशेष रूप में वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन. 1-सी(14)-1/83 दिनांक 06-09-1995 व शुद्ध पत्र संख्या दिनांक 06-02-1997 के अनुसार व्यय को चरण बद्ध तरीके से नियन्त्रित करने के लिए प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभागों की गैर-योजना तथा योजना में नियन्त्रित तरीके से व्यय करने की अनुमती दें जैसे कि चौथी तिमाही में 25 प्रतिशत। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय की तुलना, अन्तिम तिमाही, मार्च महीने में और मार्च 2015 के अन्तिम तीन दिनों में किये गए व्यय से निम्न है:-

(₹ करोड़ में)

जनवरी से मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 में किया गया व्यय	मार्च 2015 के अन्तिम तीन दिनों में किया गया व्यय	कुल व्यय	इस दौरान किया गया कुल व्यय का प्रतिशत		
				जनवरी से मार्च 2015	मार्च 2015	मार्च 2015 के अन्तिम तीन दिनों में
7,829.35	4,568.13	1,708.85	22,259.94 (राजस्व 19,787.05 तथा पूंजीगत 2,472.89)	35.17	20.52	7.68

**(xii) मुख्य शीर्ष 8670- चैक तथा बिल का परिचालन**

मुख्य शीर्ष 8670 के अन्तर्गत उन चैकों का शेष दर्शाया जाता है, जिन्हें कोषागारों द्वारा जारी किया गया है परन्तु भुगतान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सभी कोषागारों में (दिल्ली कोषागार के अतिरिक्त) इलेक्ट्रोनिक भुगतान के लिए वास्तविक समय सकल व्यवस्था (आर.टी.जी.एस) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 31 मार्च 2015 के अन्त तक दिल्ली कोषागार द्वारा जारी ₹0.37 करोड़ के चैकों का भुगतान लम्बित है, जिसका मिलान किया जा रहा है।

**(xiii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायताओं (ए सी ए-ब्लाक अनुदानों के अतिरिक्त) का पुनर्गठन**

योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय (2012-17) योजना में 66 “अम्बेला योजना” के अन्तर्गत 137 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा 5 अतिरिक्त सहायता स्कीमों (ब्लाक अनुदानों के रहित) का प्रारूप बनाया गया है। 1 अप्रैल, 2014 से आगे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्रीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों की बजाए सीधे राज्य सरकार को जारी की गई। इन जारी राशियों को अब ‘राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के अन्तरणों के अनुसार बजट सम्बन्धी विवरणी के साथ, जैसा कि विगत वर्षों में राज्य के बजट दस्तावेजों में दर्शाया गया है न की अम्बेला योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के पुर्णगठित रूप में इसे जारी रखा है।

वर्ष 2014-15 में हिमाचल प्रदेश सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम तथा राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में सी.जी.ए. के लोक वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली (पी एफ एम एस) में दर्शाये गये ₹6,399.68 करोड़ में से केवल ₹5978.64 करोड़ के समाशोधन मीमो आर.बी.आई, सी.ए.एस., नागपुर से समर्थित संस्थाकृत आदेश तथा संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त हुए थे तथा उन्हें मुख्य शीर्ष-1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के अधिन उपमुख्य शीर्ष-02 राज्य/संघीय राज्य

योजना स्कीमों को अनुदान, 03-केन्द्रीय योजना स्कीम हेतु अनुदान तथा 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु अनुदान में राज्य सरकार के लेखाओं में उचित रूप से बुक कर दिया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा योजना व्यय को वर्तमान वर्गीकरण रूप में ही दर्शाया जाता रहा। ₹5978.64 करोड़ की प्राप्तियों के विरुद्ध सी.एस.एस./सी.पी. के अन्तर्गत योजना व्यय ₹5,634.29 करोड़ तथा (₹3,203.83 कारोड़ राजस्व रूप में तथा ₹2,430.46 करोड़ पूँजीगत रूप में) था। जिसमें राज्य योजना स्कीम पर राज्य सरकार द्वारा किया गया अपना व्यय तथा सी.एस.एस. की ओर से केन्द्रीय सहायता अनुरूपयोजी भाग सम्मिलित है। विस्तृत जानकारी विवरणी स0 15 व 16 में दी गयी है। राज्य सरकार के योजना व्यय की तरफ भारत सरकार की सहायता अनुदान राशि के कम उपयोग के कारण सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

**(xiv) राज्य की कार्यावयन एजेंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियां)**

अभी तक भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधि सीधी आन्तरिक की जाती थी। महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस) पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2015 तक हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा ₹278.55 करोड़ जारी किये। विवरण परिशिष्ट-VI में उपलब्ध है। भारत सरकार के निर्णयानुसार सभी सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी न करके सीधे राज्य सरकार को जारी करने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अन्तरण में वर्ष 2013-14 की अपेक्षा 83.33 प्रतिशत की कमी आई।

**(xv) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रावधान (एफ आर बी एम) अधिनियम**

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रावधान अधिनियम, 2005 (एफ आर बी एम) को लागू किया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों में वर्णित राजकोषीय लक्ष्य की उपलब्धियां निम्नलिखित थी:-

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	1,943.60	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	2.03
2	राजकोषीय घाटा	4,200.12	3 प्रतिशत व कम	4.39
3	ऋण तथा अन्य दायित्व	38,191.83	40.1	39.95

\* सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹95,587 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग से 01 अगस्त 2015 को लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बैंक साइट पर उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष के अन्त में दीर्घकालिक ऋण पर प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 27.25 प्रतिशत थी (जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुमानित था) जो कि पिछले वित्त वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्रकटीकरणों को विधायिका को प्रस्तुत किया गया।

**(xvi) देय देनदारियाँ**

राज्य सरकार ने भविष्य में देय देनदारियों के विषय में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः इसलिए इसे लेखे में समावेश नहीं किया जा रहा है।

## (xvii) राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पिछले अनुच्छेदों में दिये गये विवरण का राज्य सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मर्दे	राजस्व घाटे घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3 (i)	वर्ष 2014-15 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कम अंशदान	0	70.35	0	70.35
3 (vi) क	समेकित निक्षेप निधि का न खोलना/अंशदान न देना	0	169.42	0	169.42
3 (vi) ख	गारंटी मोर्चन निधि में अंशदान न देना	0	21.66	0	21.66
3 (vi) ग	राज्य आपदा रिस्पोंस निधि में कम अंशदान, निधि में जमा राशि पर ब्याज न देना और एन.डी.आर.एफ के राशि का समायोजन न होना	0	68.62	0	68.62
3 (xiii)	सब्याज जमा राशि पर ब्याज न देना	0	4.07	0	4.07
	जोड़		<b>334.12</b> (कमी)		<b>334.12</b> (कमी)

### अनुबन्ध-क

#### आवधिक/बुक तथा अन्य समायोजन

**(I). आवधिक समायोजन:**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि पर व्याज की अदायगी	2049 डेबिट	8009 क्रेडिट	801.88	यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान पर व्याज को दर्शाता है
2.	कर्मचारी बीमा योजना पर व्याज की अदायगी	2049 डेबिट	8011 क्रेडिट	18.21	यह राज्य सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना पर जमा राशि पर व्याज को दर्शाता है
3.	राज्य आपदा रिस्पोंस निधि को स्थानान्तरण	8121 डेबिट	2245 (-)डेबिट	159.04	यह राज्य आपदा रिस्पोंस निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है
4.	राज्य आपदा रिस्पोंस निधि को स्थानान्तरण	2245 डेबिट	8121 क्रेडिट	158.93	यह राज्य आपदा रिस्पोंस निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है

**(II). बुक समायोजन:**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि का अंशदान/वसूलियां	2014	8009	32.03	...
2.	-तदैव-	2029	8009	45.10	...
3.	-तदैव-	2052	8009	18.37	...
4.	-तदैव-	2053	8009	32.15	...
5.	-तदैव-	2055	8009	180.29	...
6.	-तदैव-	2059	8009	52.40	...
7.	-तदैव-	2070	8009	16.01	...
8.	-तदैव-	2202	8009	1005.16	...
9.	-तदैव-	2210	8009	218.93	...
10.	-तदैव-	2211	8009	32.73	...

## (II). बुक समायोजन:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
11.	-तदैव-	2215	8009	110.16	...
12.	-तदैव-	2230	8009	11.94	...
13.	-तदैव-	2401	8009	41.06	...
14.	-तदैव-	2403	8009	48.62	...
15.	-तदैव-	2406	8009	65.84	...
16.	-तदैव-	2515	8009	27.46	...
17.	-तदैव-	2702	8009	56.15	...
18.	-तदैव-	3054	8009	182.35	...
19.	-तदैव-	अन्य		149.59	
		जोड़		2,326.34	

## (III). अन्य समायोजन:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राजस्व प्राप्तियां को अन्तरण	8443 (-)क्रेडिट	0075 क्रेडिट	1.29	राजस्व को अन्तरित व्यपगत जमा

## अनुबन्ध-ख

**वर्ष 2014-15 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अधीन राजस्व प्राप्तियों का विवरण**

(₹ करोड़)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष-800-अन्य के अन्तर्गत प्राप्तियां	लघु शीर्ष-800-अन्य सहित कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता	प्राप्तियों का स्वरूप
1	0029	भू-राजस्व	13.82	16.88	81.87 अधिक अदायगी की वसूली, नामाहरण शुल्क, नकल शुल्क और पटवारी के अभिलेखों का निरीक्षण शुल्क
2	0045	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर	257.96	365.02	70.67 सङ्कों द्वारा वस्तुओं का ढुलान
3	0049	ब्याज प्राप्तियां	61.66	100.93	ऋणों पर ब्याज
4	0057	पूर्ति तथा निपटान	0.06	0.06	टेंडर की बिक्री, पंजीकरण शुल्क और द्याती धन की जब्ती
5	0058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4.11	7.79	रद्दी कागजों की बिक्री/मुद्रण प्रभार
6	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.64	35.57	विविध प्राप्तियां / भारत सरकार से प्रतिपूर्ति
7	0210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	3.00	3.35	अधिक अदायगी की वसूली तथा एलोपैथी के अप्रयुक्त भण्डार की बिक्री
8	0217	शहरी विकास	9.05	9.05	शहरी स्थानीय निकायों, कस्बों तथा शहरी योजना संगठनों से प्राप्तियां
9	0230	श्रम तथा रोजगार	4.70	7.82	फीस की प्राप्तियां
10	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.82	5.78	कल्याणकारी योजनाओं से प्राप्तियां
11	0250	अन्य समाजिक सेवाएं	0.13	0.13	व्यय न की गई राशि से प्राप्तियाँ
12	0406	वानिकी तथा वन्य जीव	71.31	115.78	अन्य विभागों तथा संस्थाओं को वृक्षों की बिक्री से प्राप्तियाँ
13	0425	सहकारिता	8.26	8.67	कम्पनियों तथा समितियों से अंशभाग प्राप्त करना

(₹ करोड़)

क्रम सं०.	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष-800-अन्य के अन्तर्गत प्राप्तियां	लघु शीर्ष-800-अन्य सहित कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता	प्राप्तियों का स्वरूप
14	0506	भूमि सुधार	0.27	0.27	100.00	अधिक अदायगी की वसूलियां
15	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.82	2.50	72.80	पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्तियां
16	0575	अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.49	0.49	100.00	मशीनरी किराए पर लेने/नीलामी से प्राप्तियां तथा अधिक अदागयी की वसूली
17	0801	विद्युत	1,121.51	1,121.51	100.00	निशुल्क पावर रॉयलटी/अपफ्रेंट प्रीमियम से प्राप्तियां/विविध प्राप्तियां
18	0852	उद्योग	4.08	4.08	100.00	औद्योगिक क्षेत्र, लाईसैन्स फीस तथा अन्य प्राप्तियां
19	1054	सड़क तथा पुल	10.58	12.03	87.95	अधिक अदायगियों की वसूली
20	1055	सड़क परिवहन	1.32	1.32	100.00	उच्च सुरक्षा पलेट पंजीकरण शुल्क तथा विविध प्राप्तियां
21	1452	पर्यटन	0.56	0.60	93.33	होटलों का पंजीकरण शुल्क एवं ट्रैवल ऐजन्ट सहायकों/ मार्गदर्शकों से प्राप्तियां
	जोड़		1,605.15	1,819.63	88.22	

## अनुबन्ध-ग

**वर्ष 2014-15 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अधीन राजस्व व्यय का विवरण**

(₹ करोड़)

क्रम सं०.	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष- 800-अन्य के अन्तर्गत व्यय	लघु शीर्ष- 800-अन्य सहित कुल व्यय	प्रतिशतता	व्यय /खर्चे का प्रकार
1	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	22.70	23.05	98.48	हैलिकॉप्टर सेवाएँ, शौर्य पुरस्कार तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन अदायगी पर व्यय।
2	2211	परिवार कल्याण	131.26	238.82	54.96	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई) और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान
3	2407	पौधारोपण	0.88	0.93	94.62	चाय विकास पर व्यय
	<b>जोड़</b>		<b>154.84</b>	<b>262.80</b>	<b>58.92</b>	

## अनुबन्ध-घ

**वर्ष 2014-15 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अधीन पूँजीगत व्यय का विवरण  
(₹ करोड़)**

क्रम सं०.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष-800-अन्य के अन्तर्गत व्यय	लघु शीर्ष-800-अन्य सहित कुल व्यय	प्रतिशतता	व्यय /खर्च का प्रकार	
1	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.00	3.00	100.00	आनेश्मन विभाग और गृह रक्षा वाहिनी के भवनों का निर्माण
2	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	6.25	7.83	79.82	सेनिक विश्राम गृह तथा वनों पर व्यय।
3	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	22.91	30.60	74.87	नार्दौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय।
4	4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	241.06	327.72	73.56	स्वान नदी/शीर खड़क का चैनेलाइजेशन कार्य तथा बाढ़ नियन्त्रण प्रबन्धन कार्यक्रम
5	4851	ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	24.39	39.26	62.12	ग्राम तथा लघु औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
6	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	2.20	2.22	99.10	निर्माण कार्य पर व्यय।
7	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	85.64	85.64	100.00	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम
	जोड़	<b>385.45</b>	<b>496.27</b>	<b>77.67</b>		

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2015  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)



# वित्त लेखे (खण्ड - II)

2014-15



हिमाचल प्रदेश सरकार

# ਵਿਤ ਲੇਖ

ਖਣਡ-II

2014-15

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ

# **ਖਣਡ-II**

# **खण्ड-II परिशिष्ट**

## विषय सूची

(दोनों भागों की विषय सूची एक दूसरे में सम्मिलित)

विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-I</b>	
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iii-v)
■ वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका	(vii-xii)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	4-8
3 प्राप्तियों की विवरणी(समेकित निधि)	9-11
4 व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	12-16
5 प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी	17-20
6 ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	21-24
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	25-26
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	27
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	28
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	29-31
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	32
12 राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	33-36
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	37-38
■ लेखाओं पर टिप्पणी	39-54
<b>खण्ड-II</b>	
<b>खण्ड-II का भाग-I</b>	
14 लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	55-72
15 लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	73-116
16 लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	117-152
17 ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	153-164
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	165-171
19 निवेशों की विस्तृत विवरणी	172-186
20 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	187-189
21 आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी	190-196
22 चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	197-198
<b>खण्ड-II का भाग-II</b>	
(I) वेतन पर तुलनात्मक व्यय	199-205
(II) सहायता पर तुलनात्मक व्यय	206-217
(III) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	218-249
(IV) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	250-251
(V) योजना स्कीम व्यय	252-258
(क) केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय योजना स्कीमें)	
(ख) राज्य योजना स्कीमें	

**खण्ड-II****खण्ड-II का भाग-II**

(VI) राज्य की कार्यावयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	259-263
(VII) विवरणी संख्या 16 व 21 में दर्शाये गये अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	264
(VIII) सिंचाई स्कीमों का वित्तीय परिणाम	265
(IX) अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	266-267
(X) वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	268-273
(XI) मुख्य नीतिगत निर्णयों की विवक्षा या भावी नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	274
(XII) भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	275

**14. लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत		
			2014-15	2013-14	वृद्धि (+) / कमी (-)
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
<b>प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)</b>					
क.	कर राजस्व- (निवल आंकड़े प्रत्यापर्ण के दृष्टिगत हैं)				
(क)	आय तथा व्यय पर कर-				
<b>0020</b>	<b>निगम कर</b>				
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	9,23,41.00	8,37,99.00		(+)10.19
	<b>जोड़- 0020</b>	<b>9,23,41.00</b>	<b>8,37,99.00</b>		<b>(+)10.19</b>
<b>0021</b>	<b>निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर-</b>				
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	6,59,41.00	5,51,79.00		(+)19.50
	<b>जोड़- 0021</b>	<b>6,59,41.00</b>	<b>5,51,79.00</b>		<b>(+)19.50</b>
<b>0028</b>	<b>आय तथा व्यय पर अन्य कर</b>				
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	2.00	...		(+)1,00.00
	<b>जोड़- 0028</b>	<b>2.00</b>	<b>...</b>		<b>(+)1,00.00</b>
	<b>जोड़-(क) आय तथा व्यय पर कर</b>	<b>15,82,84.00</b>	<b>13,89,78.00</b>		<b>(+)13.89</b>
(ख)	<b>सम्पति तथा पूँजीगत लेन-देनों पर कर-</b>				
<b>0029</b>	<b>भू-राजस्व-</b>				
101	भू-राजस्व/कर	1.58	3.80		(-)58.42
103	भूमि पर दरें तथा उपकर	2,16.42	0.04		(+)54,09,50.00
105	सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियां	81.63	6,93.47		(-)88.23
107	बेकार भूमि की बिक्री से प्राप्तियां तथा भू-कर का उन्मोचन	6.46	17.20		(-)62.44
800	अन्य प्राप्तियां	13,81.50	2,84.01		(+)3,86.43
900	घटाएं-वापसी	...	-0.15		(-)1,00.00
	<b>जोड़ - 0029</b>	<b>16,87.59</b>	<b>9,98.37</b>		<b>(+)69.03</b>
<b>0030</b>	<b>स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क-</b>				
<b>01</b>	<b>स्टाम्प-अदालती-</b>				
101	स्टाम्पों के रूप में अदालती शुल्क की वसूली	7,68.61	8,88.77		(-)13.52
800	अन्य प्राप्तियां	1,27.91	65.52		(+)95.22
	<b>जोड़ - 01</b>	<b>8,96.52</b>	<b>9,54.29</b>		<b>(-)6.05</b>
<b>02</b>	<b>स्टाम्प-गैर- अदालती</b>				
102	स्टाम्पों की बिक्री	1,29,50.66	1,28,75.19		(+)0.59
103	दस्तावेजों के विमुद्रण पर शुल्क	4.52	2.97		(+)52.19
800	अन्य प्राप्तियां	54.13	49.56		(+)9.22
	<b>जोड़ - 02</b>	<b>1,30,09.31</b>	<b>1,29,27.72</b>		<b>(+)0.63</b>

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष	वार्षिक			
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
क.	कर राजस्व-क्रमशः		(₹ लाख में)	
(ख)	सम्पति तथा पूँजीगत लेन-देनों पर कर-समाप्त			
<b>0030</b>	<b>स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क-</b>			
<b>03</b>	<b>पंजीकरण शुल्क-</b>			
104	प्रलेखों के पंजीकरण हेतु शुल्क	45,46.27	46,87.60	(-)3.01
800	अन्य प्राप्तियां	6,05.80	1,80.31	(+)2,35.98
	<b>जोड़- 03</b>	<b>51,52.07</b>	<b>48,67.91</b>	<b>(+)5.84</b>
	<b>जोड़- 0030</b>	<b>1,90,57.90</b>	<b>1,87,49.92</b>	<b>(+)1.64</b>
<b>0032</b>	<b>सम्पत्ति कर</b>			
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	2,50.00	2,30.00	(+)8.70
	<b>जोड़- 0032</b>	<b>2,50.00</b>	<b>2,30.00</b>	<b>(+)8.70</b>
	<b>जोड़-(ख) सम्पति तथा पूँजीगत लेन-देनों पर कर</b>	<b>2,09,95.49</b>	<b>1,99,78.29</b>	<b>(+)5.09</b>
(ग)	पदार्थों और सेवाओं पर कर-			
<b>0037</b>	<b>सीमा शुल्क</b>			
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	4,27,66.00	4,06,54.00	(+)5.20
	<b>जोड़- 0037</b>	<b>4,27,66.00</b>	<b>4,06,54.00</b>	<b>(+)5.20</b>
<b>0038</b>	<b>संघीय आबकारी शुल्क</b>			
<b>02</b>	<b>राज्य को समनुदेशित शुल्क</b>			
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	2,41,48.00	2,87,13.00	(-)15.90
	<b>जोड़- 02</b>	<b>2,41,48.00</b>	<b>2,87,13.00</b>	<b>(-)15.90</b>
	<b>जोड़- 0038</b>	<b>2,41,48.00</b>	<b>2,87,13.00</b>	<b>(-)15.90</b>
<b>0039</b>	<b>राज्य आबकारी</b>			
101	देशी स्पिरिट	3,60,36.35	3,17,70.85	(+)13.43
102	देशी किण्ठित शराब	31,44.74	30,19.05	(+)4.16
105	विदेशी शराब और स्पिरिट	5,46,86.87	5,16,94.88	(+)5.79
106	वाणिज्यिक तथा विकृत स्पिरिट तथा औषधिकृत शराब	19,76.56	15,83.18	(+)24.85
108	अफीम, भांग तथा अन्य औषधियां	7,47.82	4,06.59	(+)83.92
150	जुर्माने एवं जब्तियां	70.73	62.50	(+)13.17
800	अन्य प्राप्तियां	77,51.32	66,58.78	(+)16.41
	<b>जोड़- 0039</b>	<b>10,44,14.39</b>	<b>9,51,95.83</b>	<b>(+)9.68</b>
<b>0040</b>	<b>बिक्री, व्यापार आदि पर कर-</b>			
101	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	4,22,13.74	3,94,68.45	(+)6.96
102	राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	23,21,63.82	17,30,07.59	(+)34.19
103	मोटर स्पिरिट और स्नेहकों बिक्री पर कर	7,62.17	16,47.28	(-)53.73

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्तविक		
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
	क.	कर राजस्व-समाप्त		(₹ लाख में)
(ग)	पदार्थों और सेवाओं पर कर-समाप्त			
<b>0040</b>	विक्री, व्यापार आदि पर कर-समाप्त			
105	अपरिष्कृत तेल की बिक्री पर कर	...	1,30.80	(-)1,00.00
800	अन्य प्राप्तियां	9,09,17.52 *	9,98,55.53	(-)8.95
	<b>जोड़- 0040</b>	<b>36,60,57.25</b>	<b>31,41,09.65</b>	<b>(+)16.54</b>
<b>0041</b>	वाहनों पर कर-			
101	भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	43,61.11	40,09.57	(+8.77
102	राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	1,74,43.95	1,66,08.05	(+5.03
800	अन्य प्राप्तियां	2,05.34	1,63.10	(+25.90
	<b>जोड़- 0041</b>	<b>2,20,10.40</b>	<b>2,07,80.72</b>	<b>(+)5.92</b>
<b>0042</b>	माल तथा यात्रियों पर कर-			
103	कर संग्रहण-यात्री कर	24,48.42	24,10.64	(+1.57
104	कर संग्रहण-माल कर	82,70.23	78,82.60	(+4.92
800	अन्य प्राप्तियां	2,86.25	2,01.46	(+42.09
	<b>जोड़- 0042</b>	<b>1.10.04.90</b>	<b>1.04.94.70</b>	<b>(+)4.86</b>
<b>0043</b>	विद्युत पर कर और शुल्क-			
101	विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर	3,32,00.65	1,90,79.21	(+74.01
102	भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क	50.15	36.33	(+38.04
103	सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिए शुल्क	1.10	0.07	(+14,71.43
800	अन्य प्राप्तियां	30.15	20.46	(+47.36
	<b>जोड़- 0043</b>	<b>3,32,82.05</b>	<b>1,91,36.07</b>	<b>(+)73.92</b>
<b>0044</b>	सेवा कर			
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	3,89,69.00	4,05,77.00	(-3.96
	<b>जोड़- 0044</b>	<b>3,89,69.00</b>	<b>4,05,77.00</b>	<b>(-3.96</b>
<b>0045</b>	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-			
101	मनोरंजन कर	48.97	64.60	(-)24.20
105	विलास कर	57,39.38	48,87.29	(+17.43
112	अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरों से प्राप्तियां	49,17.41	39,69.10	(+23.89
800	अन्य प्राप्तियां	2,57,95.77	2,37,04.67	(+8.82
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का अंश	...	0.59	(-1,00.00
	<b>जोड़- 0045</b>	<b>3,65,01.53</b>	<b>3,26,26.25</b>	<b>(+)11.88</b>
	<b>जोड़-(ग) पदार्थों और सेवाओं पर कर</b>	<b>67,91,53.52</b>	<b>60,22,87.22</b>	<b>(+)12.76</b>
	<b>जोड़-क. कर राजस्व</b>	<b>85,84,33.01</b>	<b>76,12,43.51</b>	<b>(+)12.77</b>

\* इनमें ₹65,369.05 लाख मूल्य वार्धित संग्रह कर सम्मिलित है।

**14. लघु शोषों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्षक		वार्षिक		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		2014-15	2013-14	
ख.	कर-भिन्न राजस्व	(₹ लाख में)		
(ख)	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ-			
<b>0049</b>	<b>ब्याज प्राप्तियां</b>			
<b>04</b>	<b>राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां</b>			
107	कृषकों से ब्याज	0.48	0.47	(+)2.13
110	रोकड़ बकायों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	9,90.08	24,28.49	(-)59.23
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों से ब्याज	21,09.70	29,50.00	(+)2.13
191	सार्वजनिक क्षेत्र से ब्याज	0.24	1.81	(-)86.74
195	सहकारी समितियों से ब्याज	6,16.32	2,22.69	(+)1,76.76
800	अन्य प्राप्तियां	63,76.38	62,57.11	(+)1.91
	<b>जोड़- 04</b>	<b>1,00,93.20</b>	<b>1,18,60.57</b>	<b>(-)14.90</b>
	<b>जोड़- 0049</b>	<b>1,00,93.20</b>	<b>1,18,60.57</b>	<b>(-)14.90</b>
<b>0050</b>	<b>लाभांश तथा लाभ-</b>			
101	लोक उपक्रमों से लाभांश	35.19	1,54.18	(-)77.18
200	अन्य निवेशों से लाभांश	1,70,64.71	1,01,89.25	(+)67.48
	<b>जोड़- 0050</b>	<b>1,70,99.90</b>	<b>1,03,43.43</b>	<b>(+)65.32</b>
	<b>जोड़-(ख)ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ</b>	<b>2,71,93.10</b>	<b>2,22,04.00</b>	<b>(+)22.47</b>
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-			
(इ)	सामान्य सेवाएं-			
<b>0051</b>	<b>लोक सेवा आयोग-</b>			
104	संघ लोक सेवा आयोग/सेवा चयन आयोग परीक्षा शुल्क	2,32.54	3,62.30	(-)35.82
105	राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क	3,23.44	2,55.52	(+)26.58
800	अन्य प्राप्तियां	6.57	3.79	(+)73.35
	<b>जोड़- 0051</b>	<b>5,62.55</b>	<b>6,21.61</b>	<b>(-)9.50</b>
<b>0055</b>	<b>पुलिस-</b>			
101	अन्य सरकारों को भेजी गई पुलिस	29,55.41	25,82.08	(+)14.46
102	अन्य पाटियों को भेजी गई पुलिस	7,58.01	6,06.22	(+)25.04
103	फीस, अर्थदण्ड और समपहरण	11.42	22.30	(-)48.79
104	शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	42.16	17.80	(+)1,36.85
800	अन्य प्राप्तियां	2,15.81	2,36.79	(-)8.86
	<b>जोड़- 0055</b>	<b>39,82.81</b>	<b>34,65.19</b>	<b>(+)14.94</b>
<b>0056</b>	<b>कारागार-</b>			
102	कारागार उत्पादनों की बिक्री	13.93	9.29	(+)49.95
800	अन्य प्राप्तियां	5.81	5.76	(+)0.87
	<b>जोड़- 0056</b>	<b>19.74</b>	<b>15.05</b>	<b>(+)31.16</b>

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्षिक	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
			(₹ लाख में)		
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(इ)	सामान्य सेवायें-क्रमशः				
<b>0057</b>	आपूर्ति एवं निपटान-				
800	अन्य प्राप्तियां	6.47	1.03	(+5,28.16	
	<b>जोड़- 0057</b>	<b>6.47</b>	<b>1.03</b>	<b>(+5,28.16</b>	
<b>0058</b>	लेखन सामग्री एवं मुद्रण-				
101	लेखन सामग्री प्राप्तियां	3,53.03	3,45.58	(+)2.16	
102	राजपत्रों आदि की बिक्री	14.82	3.93	(+2,77.10	
800	अन्य प्राप्तियां	4,10.95	3,57.67	(+)14.90	
	<b>जोड़- 0058</b>	<b>7,78.80</b>	<b>7,07.18</b>	<b>(+)10.13</b>	
<b>0059</b>	लोक निर्माण कार्य-क्रमशः				
<b>01</b>	कार्यालय भवन-				
011	किराया	2.82	3.23	(-)12.69	
103	प्रतिशतता प्रभारों की वसूली	21,18.49	20,64.22	(+)2.63	
800	अन्य प्राप्तियां	6.96	13.75	(-)49.38	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>21,28.27</b>	<b>20,81.20</b>	<b>(+)2.26</b>	
<b>60</b>	अन्य भवन				
800	अन्य प्राप्तियां	0.25	19.30	(-)98.70	
	<b>जोड़- 60</b>	<b>0.25</b>	<b>19.30</b>	<b>(-)98.70</b>	
<b>80</b>	सामान्य-				
011	किराया	1,39.88	1,48.81	(-)6.00	
800	अन्य प्राप्तियां	11,44.98	12,25.23	(-)6.55	
	<b>जोड़- 80</b>	<b>12,84.86</b>	<b>13,74.04</b>	<b>(-)6.49</b>	
	<b>जोड़- 0059</b>	<b>34,13.38</b>	<b>34,74.54</b>	<b>(-)1.76</b>	
<b>0070</b>	अन्य प्रशासनिक सेवायें				
<b>01</b>	न्याय प्रशासन-				
102	जुर्माने तथा समपहरण	5,98.80	5,08.03	(+)17.87	
501	सेवायें तथा सेवा शुल्क	8.63	0.19	(+44,42.11	
800	अन्य प्राप्तियां	1,17.40	50.21	(+)1,33.82	
900	घटाएं-तापसी	...	-0.78	(-)1,00.00	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>7,24.83</b>	<b>5,57.65</b>	<b>(+)29.98</b>	
<b>02</b>	निर्वाचन-				
101	निर्वाचन फार्मॉ तथा प्रलेखों की बिक्री से प्राप्तियां	0.74	9.55	(-)92.25	
104	शुल्क, जुर्माने तथा समपहरण	6.84	1.41	(+)3,85.11	

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष	वार्षिक			
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः		(₹ लाख में)	
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(इ)	सामान्य सेवायें-समाप्त			
<b>0070</b>	अन्य प्रशासनिक सेवायें			
<b>02</b>	<b>निर्वाचन-</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	16,05.87	10,07.90	(+)59.33
	<b>जोड़- 02</b>	<b>16,13.45</b>	<b>10,18.86</b>	<b>(+)58.36</b>
<b>60</b>	<b>अन्य सेवायें-क्रमशः</b>			
101	केन्द्रीय अधिनियमों तथा विनियमों के प्रशासन हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्तियां	8.12	6.31	(+)28.68
103	विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	0.40	0.19	(+)1,10.53
104	वन्य प्राणी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	0.01	...	(+)1,00.00
105	होम गार्ड/गृह रक्षक	1.13	8.24	(-)86.29
106	नागरिक सुरक्षा	3.00	1.00	(+)2,00.00
108	विवाह शुल्क	1.97	2.95	(-)33.22
109	अग्नि सुरक्षा तथा नियन्त्रण	20.12	18.56	(+)8.41
110	सरकारी लेखा परीक्षा शुल्क	2,19.51	2,74.19	(-)19.94
115	अतिथि गृहों तथा सरकारी होस्टलों आदि से प्राप्तियां	1.80	0.19	(+)8,47.37
116	पारपत्र शुल्क	...	7.17	(-)1,00.00
117	वीजा शुल्क	21.79	33.97	(-)35.86
800	अन्य प्राप्तियां	9,41.19	6,65.72	(+)41.38
	<b>जोड़- 60</b>	<b>12,19.04</b>	<b>10,18.49</b>	<b>(+)19.69</b>
	<b>जोड़- 0070</b>	<b>35,57.32</b>	<b>25,95.00</b>	<b>(+)37.08</b>
<b>0071</b>	<b>ऐश्वन एवं अन्य सेवा निवृति लाभों के सम्बन्ध में अशंदान तथा वसूलियां-</b>			
<b>01</b>	<b>सिविल-</b>			
101	अभिदान तथा अंशदान	4,61.04	4,83.69	(-)4.68
	<b>जोड़- 01</b>	<b>4,61.04</b>	<b>4,83.69</b>	<b>(-)4.68</b>
	<b>जोड़- 0071</b>	<b>4,61.04</b>	<b>4,83.69</b>	<b>(-)4.68</b>
<b>0075</b>	<b>विविध सामान्य सेवायें-</b>			
101	अदावाकृत जमा राशि	2,57.95 *	2,38.51	(+)8.15
105	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	0.28	0.68	(-)58.82
800	अन्य प्राप्तियां	83.25	3,25.52	(-)74.43
	<b>जोड़- 0075</b>	<b>3,41.48</b>	<b>5,64.71</b>	<b>(-)39.53</b>
	<b>जोड़-(इ) सामान्य सेवायें</b>	<b>1,31,23.59</b>	<b>1,19,28.00</b>	<b>(+)10.02</b>

\* इनमें मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा लैप्स डिपोजिट का ₹1,28.85 लाख सम्मिलित है।

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष	वार्षिक			
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः		(₹ लाख में)	
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(II)	सामाजिक सेवायें-			
<b>0202</b>	<b>शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति-क्रमशः</b>			
<b>01</b>	<b>सामान्य शिक्षा-क्रमशः</b>			
101	प्राथमिक शिक्षा	1,13,73.92	1,42,71.53	(-)20.30
102	माध्यमिक शिक्षा	34,13.06	6,94.07	(+)3,91.75
103	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	4,10.57	3,40.00	(+)20.76
104	प्रौढ़ शिक्षा	2.50	...	(+)1,00.00
105	भाषा विकास	6.94	4.36	(+)59.17
600	सामान्य	6,15.38	2,15.88	(+)1,85.06
900	घटाएं-तापसी	-0.20	-2.72	(-)92.65
<b>जोड़- 01</b>		<b>1,58,22.17</b>	<b>1,55,23.12</b>	<b>(+)1.93</b>
<b>02</b>	<b>तकनीकी शिक्षा-</b>			
101	टयुशन तथा अन्य शुल्क	90.62	72.65	(+)24.74
800	अन्य प्राप्तियां	1,32.69	56.57	(+)1,34.56
<b>जोड़- 02</b>		<b>2,23.31</b>	<b>1,29.22</b>	<b>(+)72.81</b>
<b>03</b>	<b>क्रीड़ा तथा युवा सेवायें-</b>			
101	शारीरिक शिक्षा-क्रीड़ा तथा युवा कल्याण	3.60	4.11	(-)12.41
<b>जोड़- 03</b>		<b>3.60</b>	<b>4.11</b>	<b>(-)12.41</b>
<b>04</b>	<b>कला एवं संस्कृति-</b>			
101	अभिलेखागार एवं संग्रहालय	13.55	1.23	(+)10,01.63
102	सार्वजनिक पुस्तकालय	0.76	0.75	(+)1.33
800	अन्य प्राप्तियां	55.84	19.77	(+)1,82.45
<b>जोड़- 04</b>		<b>70.15</b>	<b>21.75</b>	<b>(+)2,22.53</b>
<b>जोड़- 0202</b>		<b>1,61,19.23</b>	<b>1,56,78.20</b>	<b>(+)2.81</b>
<b>0210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य</b>			
<b>01</b>	<b>शहरी रक्तस्थल सेवायें-</b>			
020	अस्पताल तथा औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियां	0.08	...	(+)1,00.00
101	कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम से प्राप्तियां	0.53	0.25	(+)1,12.00
107	औषधि निर्माण से प्राप्तियां	0.12	1,70.09	(-)99.93
800	अन्य प्राप्तियां	1,04.88	1,16.36	(-)9.87
<b>जोड़- 01</b>		<b>1,05.61</b>	<b>2,86.70</b>	<b>(-)1.28</b>

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्षिक	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
			(₹ लाख में)		
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(II)	सामाजिक सेवायें-				
<b>0210</b>	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य				
<b>02</b>	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				
101	रोगियों तथा अन्यों से प्राप्तियां/अंशदान	0.09	0.69	(-)86.96	
800	अन्य प्राप्तियां	1,69.73	1,71.33	(-)0.93	
	<b>जोड़- 02</b>	<b>1,69.82</b>	<b>1,72.02</b>	<b>(-)1.28</b>	
<b>0210</b>	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य-समाप्त				
<b>03</b>	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
101	आयुर्वेद	0.67	1.58	(-)57.59	
105	ऐलोपैथी	13.34	4.49	(+)1,97.10	
	<b>जोड़- 03</b>	<b>14.01</b>	<b>6.07</b>	<b>(+)1,30.81</b>	
<b>04</b>	जन-स्वास्थ्य				
104	फीस और अर्थ दण्ड आदि	1.13	5.56	(-)79.68	
105	जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्तियां	19.46	2.97	(+)5,55.22	
800	अन्य प्राप्तियां	24.02	29.92	(-)19.72	
	<b>जोड़- 04</b>	<b>44.61</b>	<b>38.45</b>	<b>(+)16.02</b>	
<b>80</b>	सामान्य-				
800	अन्य प्राप्तियां	1.39	0.39	(+)2,56.41	
	<b>जोड़- 80</b>	<b>1.39</b>	<b>0.39</b>	<b>(+)2,56.41</b>	
	<b>जोड़- 0210</b>	<b>3,35.44</b>	<b>5,03.63</b>	<b>(-)33.40</b>	
<b>0211</b>	परिवार कल्याण-				
800	अन्य प्राप्तियां	6.62	3.37	(+)96.44	
	<b>जोड़- 0211</b>	<b>6.62</b>	<b>3.37</b>	<b>(+)96.44</b>	
<b>0215</b>	जलापूर्ति एवं स्वच्छता-				
<b>01</b>	जलापूर्ति				
102	ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों से प्राप्तियां	15,20.13	12,63.27	(+)20.33	
103	शहरी जलापूर्ति स्कीमों से प्राप्तियां	15,63.06	15,37.63	(+)1.65	
800	अन्य प्राप्तियां	6,21.10	6,04.56	(+)2.74	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>37,04.29</b>	<b>34,05.46</b>	<b>(+)8.78</b>	

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्तविक	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः		(₹ लाख में)		
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(II)	सामाजिक सेवायें-क्रमशः				
<b>0215</b>	<b>जलापूर्ति एवं स्वच्छता-</b>				
<b>02</b>	<b>मल निकास एवं स्वच्छता</b>				
103	मल जल योजनाओं से प्राप्तियां	1,64.44	3,32.69	(-)50.57	
800	अन्य प्राप्तियां	0.30	0.10	(+2,00.00	
	<b>जोड़- 02</b>	<b>1,64.74</b>	<b>3,32.79</b>	<b>(-)50.50</b>	
	<b>जोड़- 0215</b>	<b>38,69.03</b>	<b>37,38.25</b>	<b>(+)3.50</b>	
<b>0216</b>	<b>आवास-</b>				
<b>01</b>	<b>सरकारी आवासीय भवन-</b>				
106	सामान्य पूल आवास	3,77.03	3,67.51	(+2.59	
700	अन्य अवास	2.15	3.54	(-)39.27	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>3,79.18</b>	<b>3,71.05</b>	<b>(+)2.19</b>	
<b>02</b>	<b>शहरी आवासीय</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	...	0.01	(-)1,00.00	
	<b>जोड़- 02</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>(-)1,00.00</b>	
<b>80</b>	<b>सामान्य-</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	0.24	0.75	(-)68.00	
	<b>जोड़- 80</b>	<b>0.24</b>	<b>0.75</b>	<b>(-)68.00</b>	
	<b>जोड़- 0216</b>	<b>3,79.42</b>	<b>3,71.81</b>	<b>(+)2.05</b>	
<b>0217</b>	<b>शहरी विकास-</b>				
<b>60</b>	<b>अन्य शहरी विकास रकीमें-</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	9,04.81	9,34.87	(-)3.22	
	<b>जोड़- 60</b>	<b>9,04.81</b>	<b>9,34.87</b>	<b>(-)3.22</b>	
	<b>जोड़- 0217</b>	<b>9,04.81</b>	<b>9,34.87</b>	<b>(-)3.22</b>	
<b>0220</b>	<b>सूचना एवं प्रचार-</b>				
<b>60</b>	<b>अन्य-</b>				
113	अन्य प्रकाशनों से प्राप्तियां	1,24.43	49.37	(+1,52.04	
800	अन्य प्राप्तियां	48.48	48.62	(-)0.29	
	<b>जोड़- 60</b>	<b>1,72.91</b>	<b>97.99</b>	<b>(+)76.46</b>	
	<b>जोड़- 0220</b>	<b>1,72.91</b>	<b>97.99</b>	<b>(+)76.46</b>	

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष	वार्ताविक	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		(₹ लाख में)		
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(II)	सामाजिक सेवायें-समाप्त			
<b>0230</b>	<b>श्रम तथा रोजगार-</b>			
101	श्रम विधि के अन्तर्गत प्राप्तियां	0.09	0.06	(+)50.00
104	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क	3,05.91	3,22.31	(-)5.09
106	संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन नियमावली) के अन्तर्गत शुल्क	5.83	5.66	(+)3.00
800	अन्य प्राप्तियां	4,69.82	3,48.77	(+)34.71
	<b>जोड़- 0230</b>	<b>7,81.65</b>	<b>6,76.80</b>	<b>(+)15.49</b>
<b>0235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-</b>			
01	पुनर्वास-			
101	दण्डकारण विकास योजना	0.56	1.79	(-)68.72
800	अन्य प्राप्तियां	2,41.12	94.97	(+)1,53.89
	<b>जोड़- 01</b>	<b>2,41.68</b>	<b>96.76</b>	<b>(+)1,49.77</b>
<b>60</b>	<b>अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम</b>			
105	राज्य कर्मचारी बीमा योजना	1,95.78	1,95.97	(-)0.10
800	अन्य प्राप्तियां	1,40.42	1,91.19	(-)26.55
	<b>जोड़- 60</b>	<b>3,36.20</b>	<b>3,87.16</b>	<b>(-)13.16</b>
	<b>जोड़- 0235</b>	<b>5,77.88</b>	<b>4,83.92</b>	<b>(+)19.42</b>
<b>0250</b>	<b>अन्य सामाजिक सेवायें-</b>			
101	पोषण	...	0.39	(-)1,00.00
800	अन्य प्राप्तियां	12.83	4.62	(+)1,77.71
	<b>जोड़- 0250</b>	<b>12.83</b>	<b>5.01</b>	<b>(+)1,56.09</b>
	<b>जोड़-(II) सामाजिक सेवायें</b>	<b>2,31,59.82</b>	<b>2,24,93.85</b>	<b>(+)2.96</b>
(III)	आर्थिक सेवायें-			
<b>0401</b>	<b>कृषि कर्म</b>			
103	बीज	61.92	58.65	(+)5.58
104	कृषि फार्मों से प्राप्तियां	51.25	66.41	(-)22.83
107	पौध संरक्षण सेवाओं से प्राप्तियां	0.36	0.02	(+)17,00.00
108	वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियां	3.89	2.67	(+)45.69
119	बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियां	3,74.70	4,20.58	(-)10.91
800	अन्य प्राप्तियां	3,37.58	3,37.35	(+)0.07
	<b>जोड़- 0401</b>	<b>8,29.70</b>	<b>8,85.68</b>	<b>(-)6.32</b>

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्षिक		
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(III)	आर्थिक सेवायें-क्रमशः			
<b>0403</b>	<b>पशु-पालन-</b>			
102	पशु तथा भैंस विकास से प्राप्तियां	7.38	11.20	(-)34.11
103	कुकुट विकास से प्राप्तियां	1.36	0.38	(+)2,57.89
104	भेड़ पालन और ऊ के विकास से प्राप्तियां	13.75	12.34	(+)11.43
106	चारा एवं चारागाह के विकास से प्राप्तियां	0.01	0.02	(-)50.00
108	अन्य पशुधन विकास से प्राप्तियां	3.09	8.47	(-)63.52
501	सेवायें तथा सेवा शुल्क	24.02	26.47	(-)9.26
800	अन्य प्राप्तियां	28.08	25.77	(+)8.96
	<b>जोड़- 0403</b>	<b>77.69</b>	<b>84.65</b>	<b>(-)8.22</b>
<b>0405</b>	<b>मत्स्य पालन-</b>			
011	किराया	3.27	3.74	(-)12.57
102	लाइसेंस शुल्क, जुर्माने आदि	20.41	20.80	(-)1.88
103	मत्स्य और मत्स्य बीज की बिक्री आदि	2,23.05	1,97.69	(+)12.83
800	अन्य प्राप्तियां	50.31	33.50	(+)50.18
	<b>जोड़- 0405</b>	<b>2,97.04</b>	<b>2,55.73</b>	<b>(+)16.15</b>
<b>0406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन</b>			
<b>01</b>	<b>वानिकी-</b>			
101	इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों की बिक्री	44,47.21	51,97.73	(-)14.44
800	अन्य प्राप्तियां	71,25.54	3,05,84.19	(-)76.70
	<b>जोड़- 01</b>	<b>1,15,72.75</b>	<b>3,57,81.92</b>	<b>(-)67.66</b>
<b>02</b>	<b>पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	5.35	1.53	(+)2,49.67
	<b>जोड़- 02</b>	<b>5.35</b>	<b>1.53</b>	<b>(+)2,49.67</b>
	<b>जोड़- 0406</b>	<b>1,15,78.10</b>	<b>3,57,83.45</b>	<b>(-)67.64</b>
<b>0407</b>	<b>पौधरोपण-</b>			
<b>01</b>	<b>चाय</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	0.85	0.35	(+)1,42.86
	<b>जोड़- 01</b>	<b>0.85</b>	<b>0.35</b>	<b>(+)1,42.86</b>
	<b>जोड़- 0407</b>	<b>0.85</b>	<b>0.35</b>	<b>(+)1,42.86</b>

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्तविक	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
			2014-15	2013-14	
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(III)	आर्थिक सेवायें-क्रमशः				
<b>0408</b>	<b>खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार-</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	4.60	5.06	(-)9.09	
<b>जोड़- 0408</b>		<b>4.60</b>	<b>5.06</b>	<b>(-)9.09</b>	
<b>0425</b>	<b>सहकारिता-</b>				
101	लेखापरीक्षा शुल्क	41.01	38.66	(+)6.08	
800	अन्य प्राप्तियां	8,26.24	14,91.11	(-)44.59	
<b>जोड़- 0425</b>		<b>8,67.25</b>	<b>15,29.77</b>	<b>(-)43.31</b>	
<b>0435</b>	<b>अन्य कृषि कार्यक्रम</b>				
104	भू एवं जल संरक्षण	60.13	35.17	(+)70.97	
<b>जोड़- 0435</b>		<b>60.13</b>	<b>35.17</b>	<b>(+)70.97</b>	
<b>0506</b>	<b>भूमि सुधार-</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	27.00	19.65	(+)37.40	
<b>जोड़- 0506</b>		<b>27.00</b>	<b>19.65</b>	<b>(+)37.40</b>	
<b>0515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>				
101	पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	46.40	52.39	(-)11.43	
102	सामुदायिक विकास परियोजनाओं से प्राप्तियां	22.09	13.53	(+)63.27	
800	अन्य प्राप्तियां	1,81.56	1,87.64	(-)3.24	
<b>जोड़- 0515</b>		<b>2,50.05</b>	<b>2,53.56</b>	<b>(-)1.38</b>	
<b>0575</b>	<b>अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम-</b>				
<b>60</b>	<b>अन्य</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	48.78	33.82	(+)44.23	
<b>जोड़- 60</b>		<b>48.78</b>	<b>33.82</b>	<b>(+)44.23</b>	
<b>जोड़- 0575</b>		<b>48.78</b>	<b>33.82</b>	<b>(+)44.23</b>	
<b>0700</b>	<b>मुख्य सिंचाई</b>				
<b>01</b>	<b>शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	10.14	20.51	(-)50.56	
<b>जोड़- 01</b>		<b>10.14</b>	<b>20.51</b>	<b>(-)50.56</b>	
<b>17</b>	<b>शाह नहर परियोजना</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	...	0.36	(-)1,00.00	
<b>जोड़- 17</b>		<b>...</b>	<b>0.36</b>	<b>(-)1,00.00</b>	
<b>जोड़- 0700</b>		<b>10.14</b>	<b>20.87</b>	<b>(-)51.41</b>	

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्तविक	2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः		(₹ लाख में)		
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः				
(III)	आर्थिक सेवायें-क्रमशः				
<b>0701</b>	<b>मध्यम सिंचाई</b>				
<b>11</b>	<b>गिरीबाटा परियोजना</b>				
101	सिंचाई प्रयोजन के लिए पानी की बिक्री	2.49	0.52	(+)3,78.85	
	<b>जोड़- 11</b>	<b>2.49</b>	<b>0.52</b>	<b>(+)3,78.85</b>	
<b>15</b>	<b>चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना</b>				
101	सिंचाई प्रयोजन के लिए पानी की बिक्री	0.77	4.50	(-)82.89	
	<b>जोड़- 15</b>	<b>0.77</b>	<b>4.50</b>	<b>(-)82.89</b>	
<b>16</b>	<b>प्रवाह सिंचाई योजना सिधाता</b>				
101	सिंचाई प्रयोजन के लिए पानी की बिक्री	3.18	11.19	(-)71.59	
	<b>जोड़- 16</b>	<b>3.18</b>	<b>11.19</b>	<b>(-)71.59</b>	
<b>80</b>	<b>सामान्य-</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	...	0.06	(-)1,00.00	
	<b>जोड़- 80</b>	<b>...</b>	<b>0.06</b>	<b>(-)1,00.00</b>	
	<b>जोड़- 0701</b>	<b>6.44</b>	<b>16.27</b>	<b>(-)60.42</b>	
<b>0702</b>	<b>लघु सिंचाई -</b>				
<b>01</b>	<b>सतह जल-</b>				
102	उठाऊ सिंचाई स्कीमों से प्राप्तियां	1,11.98	49.14	(+)1,27.88	
103	अपवर्तन स्कीमों से प्राप्तियां	10.15	14.47	(-)29.85	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>1,22.13</b>	<b>63.61</b>	<b>(+)92.00</b>	
<b>02</b>	<b>भू-जल-</b>				
101	नलकूपों से प्राप्तियां	15.27	6.40	(+)1,38.59	
	<b>जोड़- 02</b>	<b>15.27</b>	<b>6.40</b>	<b>(+)1,38.59</b>	
	<b>जोड़- 0702</b>	<b>1,37.40</b>	<b>70.01</b>	<b>(+)96.26</b>	
<b>0801</b>	<b>विद्युत</b>				
<b>01</b>	<b>जल विद्युत उत्पादन</b>				
800	अन्य प्राप्तियां	11,21,51.33	6,96,28.93	(+)61.07	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>11,21,51.33</b>	<b>6,96,28.93</b>	<b>(+)61.07</b>	
	<b>जोड़- 0801</b>	<b>11,21,51.33</b>	<b>6,96,28.93</b>	<b>(+)61.07</b>	
<b>0802</b>	<b>पैट्रोलियम-</b>				
104	पैट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	...	0.01	(-)1,00.00	
	<b>जोड़-(0802)</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>(-)1,00.00</b>	

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष	वार्षिक			
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ख.	कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः		(₹ लाख में)	
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-क्रमशः			
(III)	आर्थिक सेवायें-क्रमशः			
<b>0851</b>	<b>ग्राम तथा लघु उद्योग-</b>			
101	औद्योगिक संपदा	43.31	24.95	(+)73.59
102	लघु उद्योग	5.76	6.24	(-)7.69
107	रेशम उद्योग	2.42	1.12	(+)1,16.07
800	अन्य प्राप्तियां	15.78	16.76	(-)5.85
	<b>जोड़- 0851</b>	<b>67.27</b>	<b>49.07</b>	<b>(+)37.09</b>
<b>0852</b>	<b>उद्योग</b>			
<b>07</b>	<b>दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	4,08.42	5,28.48	(-)22.72
	<b>जोड़- 07</b>	<b>4,08.42</b>	<b>5,28.48</b>	<b>(-)22.72</b>
	<b>जोड़- 0852</b>	<b>4,08.42</b>	<b>5,28.48</b>	<b>(-)22.72</b>
<b>0853</b>	<b>अलोह खनन व धातुकर्म उद्योग-</b>			
102	खनिज रियायत शुल्क, किराया तथा स्वत्व शुल्क	1,25,94.63	99,20.48	(+)26.96
800	अन्य प्राप्तियां	35,56.98	11,87.98	(+)1,99.41
	<b>जोड़- 0853</b>	<b>1,61,51.61</b>	<b>1,11,08.46</b>	<b>(+)45.40</b>
<b>1054</b>	<b>सड़क तथा पुल-</b>			
102	पथकर	1,45.21	10.29	(+)13,11.18
800	अन्य प्राप्तियां	10,57.75	10,40.70	(+)1.64
	<b>जोड़- 1054</b>	<b>12,02.96</b>	<b>10,50.99</b>	<b>(+)14.46</b>
<b>1055</b>	<b>सड़क परिवहन-</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	1,31.83	1,05.85	(+)24.54
	<b>जोड़- 1055</b>	<b>1,31.83</b>	<b>1,05.85</b>	<b>(+)24.54</b>
<b>1425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	...	20.03	(-)1,00.00
	<b>जोड़- 1425</b>	<b>...</b>	<b>20.03</b>	<b>(-)1,00.00</b>
<b>1452</b>	<b>पर्यटन</b>			
105	किराया तथा खानपान प्राप्तियां	3.53	19.34	(-)81.75
800	अन्य प्राप्तियां	56.42	38.51	(+)46.51
	<b>जोड़- 1452</b>	<b>59.95</b>	<b>57.85</b>	<b>(+)3.63</b>
<b>1456</b>	<b>सिविल आपूर्ति -</b>			
800	अन्य प्राप्तियां	1.76	0.96	(+)83.33
	<b>जोड़- 1456</b>	<b>1.76</b>	<b>0.96</b>	<b>(+)83.33</b>

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्षिक		
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ख.	कर-भिन्न राजस्व-समाप्त		(₹ लाख में)	
(ग)	अन्य कर-भिन्न राजस्व-समाप्त			
(III)	आर्थिक सेवायें-समाप्त			
<b>1475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-</b>			
106	बाटों एवं मापों का मुद्रांकन शुल्क	2,87.07	2,71.16	(+)5.87
800	अन्य प्राप्तियां	11.32	11.05	(-)2.44
	<b>जोड़- 1475</b>	<b>2.98.39</b>	<b>2.82.21</b>	<b>(+)5.73</b>
	<b>जोड़-(III) आर्थिक सेवायें</b>	<b>14,46,68.69</b>	<b>12,18,26.88</b>	<b>(+)18.75</b>
	<b>जोड़-(ग) अन्य कर भिन्न राजस्व</b>	<b>18,09,52.10</b>	<b>15,62,48.73</b>	<b>(+)15.81</b>
	<b>जोड़-ख. कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>20,81,45.20</b>	<b>17,84,52.73</b>	<b>(+)16.64</b>
ग.	सहायता अनुदान तथा अंशदान			
<b>1601</b>	<b>केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान</b>			
<b>01</b>	<b>आयोजनेतर अनुदान-</b>			
040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	...	3,48.00	(-)1,00.00
055	पुलिस	24,66.23	17,24.02	(+)43.05
104	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान	9,61,81.96	17,43,22.56	(-)50.52
106	केन्द्रीय सङ्कर निधि से अनुदान	...	24,80.00	(-)1,00.00
109	राज्य आपदा प्रबन्धन निधि के अंशदान हेतु अनुदान	1,47,06.00	1,40,24.00	(+)4.86
110	आपदा राहत आक्रियिकता निधि से अनुदान	65,29.91	95,84.00	(-)31.87
205	कला एवं संस्कृति	19.00	...	(+)1,00.00
	<b>जोड़- 01</b>	<b>11,99,03.10</b>	<b>20,24,82.58</b>	<b>(-)41.94</b>
<b>02</b>	<b>राज्य/संघ क्षेत्रों योजना रकीमों के लिए अनुदान-</b>			
101	ल्लाक अनुदान			
(i)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	1,42,20.32	15,15.10	(+)1,27.07
(ii)	बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	11,26,12.21 *	5,31,33.66	(+)1,23.37
(iii)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-अन्नपूर्णा	24,92.27	35,22.86	(-)52.67
(iv)	सामान्य केन्द्रीय सहायता	13,82,74.82	14,58,96.73	(-)5.22
(v)	सीमान्त क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	7,82.09	21,00.00	(+)3,42.00
(vi)	विशेष योजना सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता	13,50,00.00 **	14,50,00.00	(-)12.76
(vii)	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना	4,29.00	2,56.00	(+)67.58
(viii)	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	90,93.00	1,38,53.99	(-)34.37
(ix)	राष्ट्रीय क्रषि विकास योजना (आर के वी वाइ)	86,11.00	77,40.00	(-)44.37
(x)	जन जातीय उप योजना (टी एस पी)	18,97.65	29,96.00	(-)36.66

\* ₹ 17,99.11 लाख बाह्य सहायता प्राप्त(बी2बी ) योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि सम्मिलित है।

\*\* ₹ 8,50.00 लाख एस सी ए बगलीहार की राशि सम्मिलित है।

**14. लघु शीर्षों-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्तविक		
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ग.	सहायता अनुदान तथा अंशदान			
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान			
02	राज्य/संघ क्षेत्रों योजना स्कीमों के लिए अनुदान-			
101	ब्लाक अनुदान			
(xi)	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (शाह नहर परियोजन)	62,42.00	...	(+)1,00.00
(xii)	सड़क एवं पुल	24,13.50	...	(+)1,00.00
	<b>जोड़-101</b>	<b>43,20,67.86</b>	<b>37,60,14.34</b>	<b>(+)13.50</b>
104	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान	...	4,74.00	(-)1,00.00
800	अन्य प्राप्तियां	11,92.00	...	(+)1,00.00
	<b>जोड़- 02</b>	<b>43,32,59.86</b>	<b>37,64,88.34</b>	<b>(+)13.67</b>
03	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान-			
101	अनुसूचित जाति संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	22,19.22	12,73.00	(+)58.67
102	जन जातीय उप योजना के अतर्त्तगत विशेष केन्द्रीय अनुदान	9,11.01	4,23.97	(+)1,14.88
	<b>जोड़- 03</b>	<b>31,30.23</b>	<b>16,96.97</b>	<b>(+)72.71</b>
04	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान-			
029	भू राजस्व	31,43.34	...	(+)1,00.00
053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	10,45.31	...	(+)1,00.00
059	लोक निर्माण कार्य-	...	8,06.00	(-)1,00.00
202	सामान्य शिक्षा	2,99,47.74	2,23,87.85	(+)33.69
203	तकनीकी शिक्षा-	4,14.25	3,69.63	(+)12.07
204	क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	3,79.25	47.15	(+)7,04.35
210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	20,98.90	...	(+)1,00.00
211	परिवार कल्याण	1,82,89.39	16,08.32	(+)10,37.17
215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता-	1,20,88.90	...	(+)1,00.00
216	आवास-	14,33.54	35.28	(+)2,87.73
217	शहरी विकास	6,48.35	1,87.91	(+)2,30.56
225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	86,07.32	5,07.12	(+)15,97.29
230	श्रम तथा रोजगार	2,42.36	...	(+)1,00.00
235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,89,53.22	1,81,18.72	(+)11.91
251	सचिवालय-सामाजिक सेवायें-	...	24,53.63	(-)1,00.00
401	कृषि कर्म	86,10.41	7,35.97	(+)16,54.88
403	पशुपालन	18,96.96	9,42.36	(+)1,01.30
405	मत्स्य पालन	25.34	27.07	(-)6.39
406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	8,83.07	8,40.26	(+)79.95

**14. लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी**

शीर्ष		वार्तविक		
		2014-15	2013-14	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
ग.	सहायता अनुदान तथा अंशदान-समाप्त		(₹ लाख में)	
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-समाप्त			
04	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान-समाप्त			
452	पर्यटन-	...	5.00	(-)1,00.00
454	जनगणना सर्वेक्षण और सांस्थिकी	45.55	8.52	(+)4,34.62
456	नागरिक आपूर्ति	23.30	80.19	(-)70.94
501	ग्राम विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	9,77.04	...	(+)1,00.00
505	ग्रामीण विकास	3,55,42.86	...	(+)1,00.00
515	सामुदायिक विकास	1,52,90.70	15,51.00	(+)10,74.23
702	लघु सिंचाई -	1,54.76	...	(+)1,00.00
810	उर्जा अपरम्परागत स्रोत	31.63	15.00	(+)1,10.87
851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	7,00.23	16.15	(+)42,35.79
जोड़- 04		<b>16,14,73.72</b>	<b>5,07,43.13</b>	<b>(+)2,33.67</b>
जोड़- 1601		<b>71,77,66.91</b>	<b>63,14,11.02</b>	<b>(+)13.68</b>
जोड़-ग- सहायता अनुदान तथा अंशदान		<b>71,77,66.91</b>	<b>63,14,11.02</b>	<b>(+)13.68</b>
सकल जोड़-प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)		<b>1,78,43,45.12</b>	<b>1,57,11,07.26</b>	<b>(+)13.57</b>
प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)				
4000	विविध पूँजीगत प्राप्तियां			
03	सरकारी इकाइयां विनिवेश			
190	सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों का विनिवेश	6,50,00.00	...	(+)1,00.00
जोड़-03		<b>6,50,00.00</b>	...	<b>(+)1,00.00</b>
जोड़-4000		<b>6,50,00.00</b>	...	<b>(+)1,00.00</b>
जोड़-प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)		<b>6,50,00.00</b>	...	<b>(+)1,00.00</b>
सकल जोड़-प्राप्ति शीर्ष		<b>1,84,93,45.12</b>	<b>1,57,11,07.26</b>	<b>(+)17.69</b>

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लेन-देनों का तुलनात्मक सार नीचे दिया गया है:-

- 1 वर्ष 2014-2015 के दौरान कराधान में परिवर्तन।  
कोई नया कर नहीं लगाया गया।
- 2 वर्ष 2014-2015 में राजस्व प्राप्तियां (₹ 1,78,43,45.12 लाख) वर्ष 2013-2014 की राजस्व प्राप्तियां (₹ 1,57,14,07.26 लाख) से ₹ 21,29,37.86 लाख अधिक थी।

मुख्य लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वृद्धि	मुख्य कारण
	2014-15	2013-14		
1	2	3	4	5
				(₹ लाख में)
1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	71,77.67	63,14.11	8,36.56	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये।
0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर-	36,60.57	31,41.09	5,19.48	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये।
0801 विद्युत	11,21.59	6,96.29	4,25.22	हिप्रो विद्युत बोर्ड से गत वर्ष की निःशुल्क बिजली की बकाया राशि ₹ 3,40,00.00 करोड़ वर्ष 2014-15 में दौरान प्राप्त होने के कारण बढ़ोतरी हुई।
0043 विद्युत पर कर और शुल्क	3,32.82	1,91.36	1,41.46	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये।
0021 निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर-	10,44.14	9,51.96	92.18	केन्द्र द्वारा राज्य को ज्यादा हिस्सेदारी उपलब्ध करवाना।
0039 राज्य आबकारी	6,59.41	5,51.79	1,07.62	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये।

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लेन-देनों का तुलनात्मक सार नीचे दिया गया है:-

मुख्य लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		कमी	मुख्य कारण
	2014-15	2013-14		
1	2	3	4	5
				(₹ लाख में)
0406 वानिकी तथा वन्य जीव	1,15.78	3,57.83	2,42.05	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये।

निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत कमी के कारण निम्नलिखित हैं-

0406 वानिकी तथा वन्य जीव 1,15.78 3,57.83 2,42.05 सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये।

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेत्र	2014-15 के वार्षिक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत			
(₹ लाख में)						
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)						
क.	सामान्य सेवायें-					
(क)	राज्य के अंग-					
<b>2011</b>	<b>संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल</b>					
<b>02</b>	<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल</b>					
101	विधानसभा	43.87	...	...	9,96.60	9,44.45
		9,52.73	...	...	11,11.04	10,76.86
103	विधान सभा सचिवालय	11,11.04	...	...	21,07.64	20,21.31
		43.87	...	...	21,07.64	20,21.31
	<b>जोड़ 02</b>	<b>20,63.77</b>	...	...	<b>21,07.64</b>	<b>(+4.27)</b>
		43.87	...	...	21,07.64	20,21.31
	<b>जोड़-(2011)</b>	<b>20,63.77</b>	...	...	<b>21,07.64</b>	<b>(+4.27)</b>
<b>2012</b>	<b>राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति /राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-</b>					
<b>03</b>	<b>राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-</b>					
090	सचिवालय	2,49.80	...	...	2,49.80	2,35.15
101	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक की परिलक्षियां और भत्ते	10.86	...	...	10.86	13.20
102	विवेकाधीन अनुदान	45.00	...	...	45.00	30.00
103	परिवारिक स्थापना	1,65.22	...	...	1,65.22	1,42.75
104	आतिथ्य भत्ता	12.27	...	...	12.27	6.93
105	विकित्सा सुविधाएं	0.51	...	...	0.51	0.50
107	संविदा भत्ते से व्यय	5.00	...	...	5.00	7.08
108	दौरा खर्च	7.23	...	...	7.23	9.50

### 15. लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेत्र	2014-15 के वार्तविक आंकड़े			2013-14 के वार्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश	जोड़		
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाएँ-क्रमशः:						
(क) राज्य के अंग-क्रमशः:						
<b>2012</b> राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति /राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक- समाप्त						
<b>03</b> राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक- समाप्त						
110 राजकीय वाहन तथा मोटर कार	15.68	...	...	15.68	13.32	(+17.72
800 अन्य व्यय	11.39	...	...	11.39	11.38	(+0.09
	<b>4,77.96</b>	...	...			
जोड़- 03	<b>45.00</b>	...	...	<b>5,22.96</b>	<b>4,69.81</b>	(+11.31
	<b>4,77.96</b>	...	...			
जोड़-(2012)	<b>45.00</b>	...	...	<b>5,22.96</b>	<b>4,69.81</b>	(+11.31
<b>2013</b> मन्त्रिपरिषद						
101 मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों का वेतन	7,78.58	...	...	7,78.58	10,80.40	(-27.94
105 मन्त्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	1,73.34	...	...	1,73.34	...	(+100.00
जोड़-(2013)	<b>9,51.92</b>	...	...	<b>9,51.92</b>	<b>10,80.40</b>	(-11.89
<b>2014</b> न्याय प्रशासन-						
102 उच्च न्यायलय	29,27.32	...	...			
	13.34	...	...	29,40.66	28,94.87	(+1.58
105 सिविल तथा सैशन न्यायालय	82,91.73	...	...	82,91.73	73,28.27	(+13.15
108 दण्ड न्यायालय	70.12	...	...	70.12	70.20	(-0.11
114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता	24,13.45	...	...	24,13.45	21,37.95	(+12.89
116 राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण	59.74	...	...	59.74	...	(+100.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,07.91	...	...	2,07.91	1,91.53	(+8.55
800 अन्य व्यय	4,89.24	...	...	4,89.24	4,55.89	(+7.32
	<b>29,27.32</b>	...	...			
जोड़-(2014)	<b>1,15,45.53</b>	...	...	<b>1,44,72.85</b>	<b>1,30,78.71</b>	(+10.66

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष (क)	आयोजनेत्र	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
<b>क. सामान्य सेवाये-क्रमशः</b>							<b>(₹ लाख में)</b>
(क) राज्य के अंग-क्रमशः-समाप्त							
<b>2015 निर्वाचन-</b>							
101 निवाचन अयोग	1,10.87	...	...	1,10.87	96.80	(+)14.54	
102 निवाचन आधेकारी	10,24.35	...	...	10,24.35	9,92.49	(+)3.21	
103 निर्वाचन नामावली तैयार व मुद्रण करना	4,06.43	...	...	4,06.43	4,64.60	(-)12.52	
104 लोक सभा और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रभार	25.89	...	...	25.89	....	(+)100.00	
105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	32,67.96	...	...	32,67.96	5,45.40	(+)4,99.19	
106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	0.82	...	...	0.82	4,22.51	(-)99.81	
108 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	50.17	...	...	50.17	13.37	(+)2,75.24	
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के अयोजन हेतु प्रभार	44.48	...	...	44.48	57.27	(-)22.33	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,27.47	...	...	2,27.47	1,94.71	(+)16.83	
<b>जोड़-(2015)</b>	<b>51,58.44</b>	...	...	<b>51,58.44</b>	<b>27,87.15</b>	<b>(+)85.08</b>	
<b>जोड़-क. (राज्य के अंग)</b>	<b>34,49.15</b>	...	...	<b>2,32,13.81</b>	<b>1,94,37.38</b>	<b>(+)19.43</b>	
<b>(ख) राजकोषीय सेवाये-</b>							
<b>(II) सम्पति व पूँजीगत लेन- देनों पर करों का संग्रहण</b>							
<b>2029 भू-राजस्व-</b>							
102 सर्वेक्षण तथा बन्दोवस्त कार्य	36,47.90	1.99	...	36,49.89	36,16.04	(+)0.94	
103 भू-अभिलेख	1,07,89.27	5,42.00	22,71.39	1,36,02.66	1,06,80.53	(+)27.36	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	2,04.77	1,26.00	3,30.77	1,83.00	(+)80.75	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	4,72.13	74.00	45.00	5,91.13	5,29.89	(+)11.56	
<b>जोड़-(2029)</b>	<b>1,49,09.30</b>	<b>8,22.76</b>	<b>24,42.39</b>	<b>1,81,74.45</b>	<b>1,50,09.46</b>	<b>(+)21.09</b>	
<b>2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण-</b>							
<b>01 स्टाम्प-न्यायिक</b>							
796 जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना	0.15	...	...	0.15	0.18	(-)16.67	
<b>जोड़- 01</b>	<b>0.15</b>	...	...	<b>0.15</b>	<b>0.18</b>	<b>(-)16.67</b>	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाएँ-क्रमशः						
(ख) राजकोषीय सेवाएँ-क्रमशः						
(II) सम्पति व पूँजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण-समाप्त						
<b>2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण-</b>						
<b>02 स्टाम्प-गैर-न्यायिक</b>						
101 स्टाम्प लागत	1,66.00	...	...	1,66.00	1,39.35	(+)19.12
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	0.67	...	...	0.67	0.84	(-)20.24
<b>जोड़- 02</b>	<b>1,66.67</b>	...	...	<b>1,66.67</b>	<b>1,40.19</b>	<b>(+)18.89</b>
<b>03 पंजीकरण-</b>						
001 निदेशन व प्रशासन	1.95	...	...	1.95	1.84	(+)5.98
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	0.26	...	...	0.26	0.08	(+)2,25.00
<b>जोड़- 03</b>	<b>2.21</b>	...	...	<b>2.21</b>	<b>1.92</b>	<b>(+)15.10</b>
<b>जोड़-(2030)</b>	<b>1,69.03</b>	...	...	<b>1,69.03</b>	<b>1,42.29</b>	<b>(+)18.79</b>
<b>जोड़-(II) सम्पति व पूँजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण</b>	<b>1,50,78.33</b>	<b>8,22.76</b>	<b>24,42.39</b>	<b>1,83,43.48</b>	<b>1,51,51.75</b>	<b>(+)21.07</b>
<b>(III) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण</b>						
<b>2039 राज्य उत्पाद शुल्क</b>						
001 निदेशन व प्रशासन	3,90.48	...	...	3,90.48	2,96.13	(+)31.86
102 अफीम आदि का क्रय	0.14	...	...	0.14	0.03	(+)3,66.67
<b>जोड़-(2039)</b>	<b>3,90.62</b>	...	...	<b>3,90.62</b>	<b>2,96.16</b>	<b>(+)31.89</b>
<b>2040 विक्री व्यापार आदि पर कर-</b>						
101 संग्रहण प्रभार	2,97.75 *	...	...	2,97.75	11,02.69	(-)73.00
<b>जोड़-(2040)</b>	<b>2,97.75</b>	...	...	<b>2,97.75</b>	<b>11,02.69</b>	<b>(-)73.00</b>

\* इस में केन्द्रीय प्रयोजित आयोजनेतर स्कीम के ₹ 1,16.00 का व्यय सम्मिलित है

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेत्र	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़		
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)						
क.	सामान्य सेवाएँ-क्रमशः					
(ख)	राजकोषीय सेवाएँ-समाप्त					
(III)	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण--समाप्त					
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर-</b>					
001	निदेशन व प्रशासन	2,97.24	...	...	2,97.24	3,82.63
	<b>जोड़-(2041)</b>	<b>2,97.24</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>2,97.24</b>	<b>3,82.63</b>
<b>2045</b>	<b>वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क</b>					
103	संग्रहण प्रभार विद्युत शुल्क	1,82.14	...	...	1,82.14	1,78.34
104	संग्रहण प्रभार-माल एवं यात्रियों पर कर	33,98.01	...	...	33,98.01	29,31.94
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	64.60	...	...	64.60	48.58
	<b>जोड़-(2045)</b>	<b>36,44.75</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>36,44.75</b>	<b>31,58.86</b>
	<b>जोड़-(III) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण</b>	<b>46,30.36</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>46,30.36</b>	<b>49,40.34</b>
<b>(IV)</b>	<b>अन्य राजकोषीय सेवाएँ-</b>					
<b>2047</b>	<b>अन्य राजकोषीय सेवाएँ-</b>					
103	अल्प बचतों का अभिवृद्धि	94.93	...	...	94.93	83.61
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	9.37	...	...	9.37	8.63
	<b>जोड़-(2047)</b>	<b>1,04.30</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1,04.30</b>	<b>92.24</b>
	<b>जोड़-(IV) अन्य राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>1,04.30</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1,04.30</b>	<b>92.24</b>
	<b>जोड़-(ख) राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>1,98,12.99</b>	<b>8,22.76</b>	<b>24,42.39</b>	<b>2,30,78.14</b>	<b>2,01,84.33</b>
(ग)	व्याज भुगतान तथा ऋण सेवा-					
<b>2049</b>	<b>व्याज भुगतान-</b>					
01	आन्तरिक कर्जों पर व्याज-					
101	बाजार कर्जों पर व्याज	11,83,45.95	...	...	11,83,45.95	9,74,03.04
103	खजाना बिलों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई संबद्ध प्रतिभूतियों पर व्याज	7,61.61	...	...	7,61.61	9,55.21
						(-20.27)

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत	
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत				
(₹ लाख में)							
क. सामान्य सेवाएँ-क्रमशः:							
(ग) व्याज भुगतान तथा ऋण सेवा समाप्त-							
<b>2049</b> व्याज भुगतान समाप्त-							
<b>01</b> आन्तरिक ऋण पर व्याज-							
122 दिनांक 1 अप्रैल 1999 से अत्य बचतों के निवल संग्रहण के अंतर्गत जारी विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर व्याज	5,61,14.93 *	...	...	5,61,14.93	5,14,10.59	(+)9.15	
200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर व्याज	1,93,08.55	...	...	1,93,08.55	2,23,05.65	(-)13.44	
305 ऋण प्रबन्ध	4,51.80	...	...	4,51.80	1,58.23	(+)1,85.53	
<b>जोड़- 01</b>	<b>19,49,82.84</b>	...	...	<b>19,49,82.84</b>	<b>17,22,32.72</b>	<b>(+)13.21</b>	
<b>03</b> लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि पर व्याज-							
104 राज्य भविष्य निधियों पर व्याज	8,01,87.77	...	...	8,01,87.77	6,61,70.86	(+)21.18	
108 बीमा तथा पैशान निधि पर व्याज	18,21.28	...	...	18,21.28	17,09.39	(+)6.55	
<b>जोड़- 03</b>	<b>8,20,09.05</b>	...	...	<b>8,20,09.05</b>	<b>6,78,80.25</b>	<b>(+)20.81</b>	
<b>04</b> केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर व्याज-							
101 राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के कर्जों पर व्याज	43,54.69	...	...	43,54.69	39,97.68	(+)8.93	
104 आयोजनेतर स्कीमों के लिए कर्जों पर व्याज	71.94	...	...	71.94	78.84	(-)8.75	
109 12वें वितायोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजनागत पर व्याज	34,95.61	...	...	34,95.61	38,96.57	(-)10.29	
<b>जोड़- 04</b>	<b>79,22.24</b>	...	...	<b>79,22.24</b>	<b>79,73.09</b>	<b>(-)0.64</b>	
<b>जोड़-(2049)</b>	<b>28,49,14.13</b>	...	...	<b>28,49,14.13</b>	<b>24,80,86.06</b>	<b>(+)14.84</b>	
<b>(ग) जोड़-व्याज भुगतान तथा ऋण सेवा-</b>	<b>28,49,14.13</b>	...	...	<b>28,49,14.13</b>	<b>24,80,86.06</b>	<b>(+)14.84</b>	
<b>(घ) प्रशासनिक सेवाएँ-</b>							
<b>2051</b> लोक सेवा आयोग-							
102 राज्य लोक सेवा आयोग	7,57.46	...	...	7,57.46	6,60.81	(+)14.63	
103 कर्मचारी चयन आयोग (हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड)	4,61.81	...	...	4,61.81	3,62.20	(+)27.50	
<b>जोड़-(2051)</b>	<b>7,57.46</b>	...	...	<b>12,19.27</b>	<b>10,23.01</b>	<b>(+)19.18</b>	

\* यह राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अत्य बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर व्याज पर व्यय दर्शाता है।

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
क. सामान्य सेवाएँ-क्रमशः							
(घ) प्रशासनिक सेवाएँ क्रमशः-							
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-</b>							
090 सचिवालय	60,23.51	...	...	60,23.51	59,43.90	(+1).34	
091 संलग्न कार्यालय	1,97.20	...	...	1,97.20	2,41.17	(-18.23)	
<b>जोड़-(2052)</b>	<b>62,20.71</b>	...	...	<b>62,20.71</b>	<b>61,85.07</b>	<b>(+0.58)</b>	
<b>2053 जिला प्रशासन-</b>							
093 जिला स्थापनाएँ	0.50	...	...				
	96,51.32	...	...	96,51.82	89,92.63	(+7.33)	
094 अन्य स्थापनाएँ	12,31.65	...	...	12,31.65	9,77.00	(+26.06)	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	10,56.94	25,47.67	...	36,04.61	35,83.84	(+0.58)	
800 अन्य व्यय	46.41	...	...	46.41	39.84	(+16.49)	
	<b>0.50</b>						
<b>जोड़-(2053)</b>	<b>1,19,86.32</b>	<b>25,47.67</b>	...	<b>1,45,34.49</b>	<b>1,35,93.31</b>	<b>(+6.92)</b>	
<b>2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन-</b>							
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय	6,40.57	...	...	6,40.57	6,20.22	(+3.28)	
097 खजाना स्थापना	20,35.93	...	...	20,35.93	18,94.57	(+7.46)	
098 स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	6,16.19	...	...	6,16.19	5,71.22	(+7.87)	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,33.52	...	...	2,33.52	2,21.87	(+5.25)	
<b>जोड़-(2054)</b>	<b>35,26.21</b>	...	...	<b>35,26.21</b>	<b>33,07.88</b>	<b>(+6.60)</b>	
<b>2055 पुलिस-</b>							
001 निदेशन तथा प्रशासन	12,62.13	...	...	12,62.13	11,66.11	(+8.23)	
003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण	10,42.22	...	...	10,42.22	9,38.79	(+11.02)	
101 अपराधिक जांच तथा सतर्कता	29,39.00	...	...	29,39.00	27,13.46	(+8.31)	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत
		राज्य योजनागत	योजना			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)						
क.	सामान्य सवाय-क्रमशः					
(घ)	प्रशासनक सवाय-क्रमशः					
<b>2055</b>	<b>पुलिस-समाप्त-</b>					
108	राज्य मुख्यालय पुलिस	2,67,02.77	...	...	2,67,02.77	2,37,76.00
109	जिला पुलिस	9.89				...
		3,54,49.06	...	...	3,54,58.95	3,21,16.85
111	रेलवे पुलिस	4,36.05	...	...	4,36.05	4,22.92
114	बेतार तथा कम्प्यूटर	17,11.61	...	...	17,11.61	14,49.71
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	4,79.10 *	...	...	4,79.10	3,91.20
116	न्यायिक विज्ञान	4,78.94	...	...	4,78.94	4,18.15
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	42,33.22 **	...	...	42,33.22	39,00.68
		9.89				
	<b>जोड़-(2055)</b>	<b>7,47,34.10</b>	...	...	<b>7,47,43.99</b>	<b>6,72,93.87</b>
<b>2056</b>	<b>जेल-</b>					
001	निवेशन व प्रशासन	1,06.02	...	...	1,06.02	94.19
101	जेल	22,55.15	...	...	22,55.15	19,03.76
102	जेल विनिर्माण	80.61	...	...	80.61	61.87
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	0.09	...	...	0.09	5.60
	<b>जोड़-(2056)</b>	<b>24,41.87</b>	...	...	<b>24,41.87</b>	<b>20,65.42</b>
<b>2057</b>	<b>आपूर्ति तथा निपटान-</b>					
101	क्रय	1,26.42	...	...	1,26.42	1,25.57
	<b>जोड़-(2057)</b>	<b>1,26.42</b>	...	...	<b>1,26.42</b>	<b>1,25.57</b>
						(+)0.68

इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹ 2,78.85 लाख का व्यय शामिल है।

\* इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹ 38.43 लाख का व्यय शामिल है।

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष क्र.	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत			
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
<b>क.</b> सामान्य सेवायें-क्रमशः:							
(घ) प्रशासनिक सेवायें-क्रमशः:							
<b>2058</b> लेखन सामग्री तथा मुद्रण-							
001 निदेशन व प्रशासन		93.51	...	...	93.51	96.22	(-)2.82
101 लेखन सामग्री भण्डार का क्रय तथा पूर्ति		5,08.45	...	...	5,08.45	5,09.55	(-)0.22
102 फार्मों का मुद्रण, भण्डारण तथा वितरण		10.47	...	...	10.47	10.84	(-)3.41
103 सरकारी मुद्रणालय		15,76.90	...	...	15,76.90	14,60.44	(+)7.97
104 अन्य स्त्रोतों से मुद्रण की लागत		18.11	...	...	18.11	15.74	(+)15.06
105 सरकारी प्रकाशन		58.07	...	...	58.07	54.25	(+)7.04
<b>जोड़-(2058)</b>		<b>22,65.51</b>	...	...	<b>22,65.51</b>	<b>21,47.04</b>	<b>(+)5.52</b>
<b>2059</b> लोक निर्माण कार्य-							
<b>01</b> कार्यालय भवन-							
053 रख रखाव तथा मरम्मत		9,19.46	7,30.72	...	16,50.18	11,95.56	(+)38.03
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		7,22.33	...	...	7,22.33	7,38.67	(-)2.21
<b>जोड़- 01</b>		<b>16,41.79</b>	<b>7,30.72</b>	...	<b>23,72.51</b>	<b>19,34.23</b>	<b>(+)22.66</b>
<b>80</b> सामान्य-							
001 निदेशन व प्रशासन		18,55.43	...	...	18,55.43	17,31.24	(+)7.17
051 निर्माण		...	96.67	...	96.67	85.06	(+)13.65
052 मशीनरी तथा उपकरण		6.13	...	...	6.13	7.49	(-)18.16
053 रख रखाव तथा मरम्मत		1,80,14.52	...	...	1,80,14.52	1,60,42.69	(+)12.29
104 पट्टा प्रभार		13.67	...	...	13.67	3.01	(+)3,54.15
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		...	51.14	...	51.14	25.01	(+)1,04.48
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		4,21.06	22.88	...	4,43.94	4,62.17	(-)3.94
799 उच्चता		-3,06.79	...	...	-3,06.79	61,48.46	(-)1,04.99
<b>जोड़- 80</b>		<b>2,00,04.02</b>	<b>1,70.69</b>	...	<b>2,01,74.71</b>	<b>2,45,05.13</b>	<b>(-)17.67</b>
<b>जोड़-(2059)</b>		<b>2,16,45.81</b>	<b>9,01.41</b>	...	<b>2,25,47.22</b>	<b>2,64,39.36</b>	<b>(-)14.72</b>

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत
		राज्य योजनागत	योजना			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)						
<b>क. सामान्य सेवाएँ-क्रमशः</b>						
(घ) प्रशासनक सेवाएँ-क्रमशः-समाप्त						
<b>2070</b> अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-समाप्त						
003 प्रशिक्षण	4,87.34	17.65		5,04.99	5,08.71	(-)0.73
104 सतर्कता	18,81.53	...	...	18,81.53	17,57.40	(+)7.06
105 विशेष जांच आयोग	2,70.61	...	...			
	38.79	...	...	3,09.40	3,03.47	(+)1.95
106 नागरिक सुरक्षा	38.37 *	...	...	38.37	39.55	(-)2.98
107 होमगार्ड	22,37.62 **	...	...	22,37.62	20,06.44	(+)11.52
108 अन्नि सुरक्षा तथा नियन्त्रण	16,81.01	30.83	...	17,11.84	15,55.00	(+)10.09
115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि	3,70.21	...	...	3,70.21	4,42.08	(-)16.26
118 नागरिकता अधिनियम का प्रशासन	1,69.38	...	...	1,69.38	1,57.14	(+)7.79
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	1,25.00	...	1,25.00	...	...
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,85.64 ***	45.00	...	4,30.64	3,61.26	(+)19.21
800 अन्य व्यय	0.05	...	...	0.05	0.25	(-)80.00
<b>जोड़-(2070)</b>	<b>2,70.61</b>	<b>...</b>	<b>...</b>			
	<b>72,89.94</b>	<b>2,18.48</b>	<b>...</b>	<b>77,79.03</b>	<b>71,31.30</b>	<b>(+)9.08</b>
<b>जोड़-(घ) प्रशासनिक सेवाएँ</b>	<b>10,38.46</b>					
	<b>13,06,98.70</b>	<b>36,67.56</b>	<b>...</b>	<b>13,54,04.72</b>	<b>12,93,11.83</b>	<b>(+)4.71</b>
<b>ड. पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएँ-</b>						
<b>2071</b> पैन्शन तथा अन्य सेवा निवृति हितलाभ-						
<b>01 सिविल-</b>						
101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृति भत्ते	18,36,70.54 (क)	...	...	18,36,70.54	16,49,09.40	(+)11.38

\* इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹ 9.85 लाख का व्यय शामिल है।

\*\* इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹ 3,77.89 लाख का व्यय शामिल है।

\*\*\* इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹40.78 लाख का व्यय शामिल है।

(क) कुल पैशनर 95,882

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश	जोड़			
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश	वृद्धि (+) / कमी (-)	वर्ष के दौरान प्रतिशत			
क. सामान्य सेवाये-समाप्त		(₹ लाख में)					
ड. पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाये-समाप्त							
<b>2071</b> पैन्शन तथा अन्य सेवा निवृति हितलाभ-समाप्त							
<b>01</b> सिविल-							
102 पैशन का सांशाशिकृत मूल्य	1,40,05.05	...	...	1,40,05.05	2,41,17.09	(-)41.93	
104 उपदान	2,21,78.15	...	...	2,21,78.15	3,28,48.93	(-)32.48	
105 पारिवारिक पैशन	4,18,41.51 (क)	...	...	4,18,41.51	3,97,54.54	(+5.25	
111 विधायकों को पैशन	10,95.83 (ख)	...	...	10,95.83	9,93.82	(+10.26	
115 अवकाश नकदीकरण लाभ	1,94,37.70	...	...	1,94,37.70	2,28,84.09	(-)15.06	
117 परिभाषित अंशदायी पैशन योजना के लिए सरकार का अंशदान	92,20.63	...	...	92,20.63	...	(+100.00	
<b>जोड़- 01</b>	<b>29,14,49.41</b>	...	...	<b>29,14,49.41</b>	<b>28,55,07.87</b>	<b>(+)2.08</b>	
<b>जोड़-(2071)</b>	<b>29,14,49.41</b>	...	...	<b>29,14,49.41</b>	<b>28,55,07.87</b>	<b>(+)2.08</b>	
<b>2075</b> विविध सामान्य सेवाये							
101 पुनः गृहीत, जारीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पैशन	5.82	...	...	5.82		(+100.00	
104 विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पैशन तथा पुरस्कार	28.99	...	...	28.99	49.90	(-)41.90	
800 अन्य व्यय	22,70.45	...	...	22,70.45	21,04.84	(+7.87	
<b>जोड़-(2075)</b>	<b>23,05.26</b>	...	...	<b>23,05.26</b>	<b>21,54.74</b>	<b>(+)6.99</b>	
<b>जोड़-(ड.)</b> पैशन तथा विविध सामान्य सेवाये	<b>29,37,54.67</b>	...	...	<b>29,37,54.67</b>	<b>28,76,62.61</b>	<b>(+)2.12</b>	
<b>जोड़-क-सामान्य सेवाये-</b>	<b>28,94,01.74</b>						
<b>जोड़-क-सामान्य सेवाये-</b>	<b>46,40,31.02</b>	<b>44,90.32</b>	<b>24,42.39</b>	<b>76,03,65.47</b>	<b>70,46,82.21</b>	<b>(+)7.90</b>	
<b>ख सामाजिक सेवाये-</b>							
(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति-							
<b>2202</b> सामान्य शिक्षा-							
<b>01</b> प्रारम्भिक शिक्षा-							
001 निवेशन व प्रशासन	15,53.55	...	...	15,53.55	11,36.81	(+36.66	
101 राजकीय प्राथमिक स्कूल	18,45,99.75	22,57.95	95.31	18,69,53.01	16,55,72.60	(+12.91	
102 गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को सहायता	...	...	...	...	64.77	(-)1,00.00	
(क) कुल पारिवारिक पैशनर 34102							
(ख) कुल पैशनर 247 (पैशनर 161 + पारिवारिक पैशनर 86 )							

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़		
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
ख सामाजिक सेवाये-क्रमशः-		(₹ लाख में)				
(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति-क्रमशः-						
<b>2202 सामान्य शिक्षा-</b>						
<b>01 प्रारम्भिक शिक्षा-</b>						
104 निरीक्षण	40,55.02	...	...	40,55.02	34,91.03	(+)16.16
107 अध्यापक प्रशिक्षण	...	5,84.40	7,74.89	13,59.29	13,30.20	(+)2.19
111 सर्व शिक्षा अभियान	...	60,83.71	82,43.30	1,43,27.01	57,78.90	(+)1,47.92
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	52,20.42	58,06.79	1,10,27.21	87,58.72	(+)25.90
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	51,89.45	19,37.82	10,73.55	82,00.82	70,62.75	(+)16.11
800 अन्य व्यय	...	36,30.57	46,26.87	82,57.44	97,39.96	(-)15.22
<b>जोड़- 01</b>	<b>19,53,97.77</b>	<b>1,97,14.87</b>	<b>2,06,20.71</b>	<b>23,57,33.35</b>	<b>20,29,35.74</b>	<b>(+)16.16</b>
<b>02 माध्यमिक शिक्षा-</b>						
001 निवेशन और प्रशासन	11,30.39	...	...	11,30.39	10,19.46	(+)10.88
101 निरीक्षण	8,80.62	...	...	8,80.62	7,57.65	(+)16.23
109 राजकीय माध्यमिक स्कूल	11,34,36.49	39,82.57	37,21.39	12,11,40.45	10,31,38.81	(+)17.45
110 गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता	...	...	...	...	1,00.00	(-)1,00.00
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	24,61.78	17,05.60	41,67.38	57,78.84	(-)27.89
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	57,81.36	19,43.00	4,60.10	81,84.46	74,91.54	(+)9.25
800 अन्य व्यय	22,54.70	...	...	22,54.70	24,56.89	(-)8.23
<b>जोड़- 02</b>	<b>12,34,83.56</b>	<b>83,87.35</b>	<b>58,87.09</b>	<b>13,77,58.00</b>	<b>12,07,43.19</b>	<b>(+)14.09</b>
<b>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-</b>						
102 विश्वविद्यालयों को सहायता	15.00	52,41.00	...	52,56.00	49,44.00	(+)6.31
103 राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान	1,72,29.82	3,45.80	13,14.79	1,88,90.41	1,62,16.11	(+)16.49
104 गैर-सरकारी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता	...	11,37.00	...	11,37.00	4,53.00	(+)1,50.99
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	24,94.75	17,54.47	42,49.22	35,70.01	(+)19.03
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,98.34	8,25.80	4,10.07	16,34.21	21,52.14	(-)24.07

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ख सामाजिक सेवाएं-क्रमशः-							
(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति-क्रमशः-							
<b>2202 सामान्य शिक्षा-समाप्त</b>							
<b>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-</b>							
800 अन्य व्यय		1,19.12	...	...	1,19.12	1,28.84	(-)7.54
<b>जोड़- 03</b>		<b>1,77,62.28</b>	<b>1,00,44.35</b>	<b>34,79.33</b>	<b>3,12,85.96</b>	<b>2,74,64.10</b>	<b>(+)13.92</b>
<b>04 प्रौढ़ शिक्षा-</b>							
103 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम		...	...	1,08.11	1,08.11	52.77	(+)1,04.87
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		...	...	16.69	16.69	9.00	(+)85.44
<b>जोड़- 04</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1,24.80</b>	<b>1,24.80</b>	<b>61.77</b>	<b>(+)1,02.04</b>
<b>05 भाषा विकास-</b>							
001 निदेशन व प्रशासन		2,76.82	10.00	...	2,86.82	2,71.12	(+)5.79
102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन		42.86	...	...	42.86	39.55	(+)8.37
103 संस्कृत शिक्षा		3,68.46	22.90	...	3,91.36	4,35.50	(-)10.14
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		10.19	0.68	...	10.87	7.76	(+)40.08
800 अन्य व्यय		11.57	...	...	11.57	11.57	...
<b>जोड़- 05</b>		<b>7,09.90</b>	<b>33.58</b>	<b>...</b>	<b>7,43.48</b>	<b>7,65.50</b>	<b>(-)2.88</b>
<b>80 सामान्य-</b>							
004 अनुसंधान		...	...	8.91	8.91	12.04	(-)26.00
107 छात्रवृत्तियाँ		2,00.00	3,20.00	4,25.00	9,45.00	21,40.94	(-)55.86
800 अन्य व्यय		7,43.09	...	7.69	7,50.78	6,82.59	(+)9.99
<b>जोड़- 80</b>		<b>9,43.09</b>	<b>3,20.00</b>	<b>4,41.60</b>	<b>17,04.69</b>	<b>28,35.57</b>	<b>(-)39.88</b>
<b>जोड़-(2202)</b>		<b>33,82,96.60</b>	<b>3,85,00.15</b>	<b>3,05,53.53</b>	<b>40,73,50.28</b>	<b>35,48,05.87</b>	<b>(+)14.81</b>

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)		
		योजना	जोड़					
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश						
(₹ लाख में)								
ख सामाजिक सेवाएं-क्रमशः								
(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति-क्रमशः								
<b>2203 तकनीकी शिक्षा-</b>								
001 निदेशन एवं प्रशासन	1,63.56	...	...	1,63.56	1,54.96	(+)5.55		
105 बहुतकनीकी	23,39.25	5,21.99	...	28,61.24	28,63.99	(-)0.10		
112 इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान	5,03.18	2,96.23	1,04.62	9,04.03	8,32.83	(+)8.55		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	23.46	20.25	43.71	2,15.57	(-)79.72		
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	10.13	10.13	83.55	(-)87.88		
<b>जोड़-(2203)</b>	<b>30,05.99</b>	<b>8,41.68</b>	<b>1,35.00</b>	<b>39,82.67</b>	<b>41,50.90</b>	<b>(-)4.05</b>		
<b>2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं-</b>								
001 निदेशन एवं प्रशासन	8,33.71	...	...	8,33.71	8,94.37	(-)6.78		
101 शारीरिक शिक्षा	65.67	...	...	65.67	58.01	(+)13.20		
104 क्रीड़ा एवं खेलकूद	3,04.27	...	4.08	3,08.35	3,42.29	(-)9.92		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	74.37	37.14	1,11.51	1,23.00	(-)9.34		
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	91.19	18.80	1,09.99	1,08.76	(+)1.13		
800 अन्य व्यय	...	60.45	3,23.31	3,83.76	48.19	(+)6,96.35		
<b>जोड़-(2204)</b>	<b>12,03.65</b>	<b>2,26.01</b>	<b>3,83.33</b>	<b>18,12.99</b>	<b>15,74.62</b>	<b>(+)15.14</b>		
<b>2205 कला एवं संस्कृति-</b>								
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन	1,97.37	2,29.47	...	4,26.84	3,64.27	(+)17.18		
103 पुरातत्व विज्ञान	1,80.14 *	5.85	...	1,85.99	1,76.24	(+)5.53		
104 अभिलेखागार	54.04	...	...	54.04	48.20	(+)12.12		
105 सार्वजनिक पुस्तकालय	2,97.59	...	...	2,97.59	3,01.64	(-)1.34		
107 संग्रहालय	1,54.24	...	5.00	1,59.24	1,58.46	(+)0.49		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	30.00	...	30.00	5.00	(+)5,00.00		

\* इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹ 14.79 लाख का व्यय शामिल है।

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश	जोड़			
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश	जोड़	वास्तविक आंकड़े			
(₹ लाख में)							
ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः							
(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति-समाप्त							
<b>2205 कला एवं संस्कृति-</b>							
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	42.90	44.25	...	87.15	84.09	(+3.64	
जोड़ (2205)	<b>9,26.28</b>	<b>3,09.57</b>	<b>5.00</b>	<b>12,40.85</b>	<b>11,37.90</b>	<b>(+9.05</b>	
जोड़- (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	<b>34,34.32.52</b>	<b>3,98,77.41</b>	<b>3,10,76.86</b>	<b>41,43,86.79</b>	<b>36,16,69.29</b>	<b>(+)14.58</b>	
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-क्रमशः							
<b>2210 चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य-</b>							
<b>01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-</b>							
001 निदेशन एवं प्रशासन	27,50.61	1.99	...	27,52.60	24,76.62	(+11.14	
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना	2,65.50	...	...	2,65.50	2,65.50	...	
109 विद्यालय स्वास्थ्य योजना	26.90	...	...	26.90	30.92	(-)13.00	
110 चिकित्सालय तथा औषधालय	1,28,56.36	40,57.90	...	1,69,14.26	1,50,25.08	(+12.57	
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	23,30.87	...	...	23,30.87	20,40.55	(+)14.23	
जोड़ 01	<b>1,82,30.24</b>	<b>40,59.89</b>	<b>...</b>	<b>2,22,90.13</b>	<b>1,98,38.67</b>	<b>(+)12.36</b>	
<b>02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें- चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ-</b>							
001 निदेशन एवं प्रशासन	53,26.05	...	...	53,26.05	49,54.40	(+7.50	
101 आयुर्वेद	10,33.70	...	...	10,33.70	8,17.10	(+26.51	
जोड़ 02	<b>63,59.75</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>63,59.75</b>	<b>57,71.50</b>	<b>(+)10.19</b>	
<b>03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-</b>							
101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र	8,44.14	...	...	8,44.14	6,96.11	(+21.27	
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,73.44	...	...	2,73.44	2,23.77	(+22.20	
104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	91.72	...	...	91.72	1,10.07	(-)16.67	
110 चिकित्सालय तथा औषधालय	2,27,42.15	43,42.76	...	2,70,84.91	2,43,60.59	(+)11.18	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	22,43.39	34,22.49	56,65.88	20,89.03	(+)1,71.22	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	केंद्रीय योजनागत	योजना			
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः							
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-क्रमशः							
<b>2210 चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य-क्रमशः</b>							
<b>03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-</b>							
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	10,58.50	11,62.96	...	22,21.46	21,22.20	(+)4.68	
800 अन्य व्यय	2.44	...	...	2.44	2.08	(+)17.31	
<b>जोड़- 03</b>	<b>2,50,12.39</b>	<b>77,49.11</b>	<b>34,22.49</b>	<b>3,61,83.99</b>	<b>2,96,03.85</b>	<b>(+)22.23</b>	
<b>04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-</b>							
101 आयुर्वेद	77,36.65	...	...	77,36.65	73,26.68	(+)5.60	
103 यूनानी	27.86	...	...	27.86	28.65	(-)2.76	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	7,23.45	...	7,23.45	8,65.02	(-)16.37	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	4,33.16	3,40.36	...	7,73.52	7,61.88	(+)1.53	
<b>जोड़- 04</b>	<b>81,97.67</b>	<b>10,63.81</b>	<b>...</b>	<b>92,61.48</b>	<b>89,82.23</b>	<b>(+)3.11</b>	
<b>05 चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</b>							
101 आयुर्वेद	10,86.29	...	...	10,86.29	9,61.47	(+)12.98	
105 एलोपैथी	1,94,65.49	14,86.69	...	2,09,52.18	1,92,01.87	(+)9.12	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	7,38.03	...	7,38.03	3,49.45	(+)1,11.20	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	1,91.17	...	1,91.17	...	(+)100.00	
<b>जोड़- 05</b>	<b>2,05,51.78</b>	<b>24,15.89</b>	<b>...</b>	<b>2,29,67.67</b>	<b>2,05,12.79</b>	<b>(+)11.97</b>	
<b>06 जन स्वास्थ्य-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन	1,57.76	...	...	1,57.76	72.11	(+)1,18.78	
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण	11,37.01	3,12.73	6,12.75	20,62.49	13,84.54	(+)48.97	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	जोड़			
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
<b>ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः:</b>						
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-समाप्त						
<b>2210 चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य-क्रमशः</b>						
<b>06 जन स्वास्थ्य-</b>						
107 जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	1,67.29	...	...	1,67.29	1,52.72	(+)9.54
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,16.67	1,69.23	...	3,85.90	3,44.83	(+)11.91
<b>जोड़- 06</b>	<b>16,78.73</b>	<b>4,81.96</b>	<b>6,12.75</b>	<b>27,73.44</b>	<b>19,54.20</b>	<b>(+)41.92</b>
<b>जोड़-(2210)</b>	<b>8,00,30.56</b>	<b>1,57,70.66</b>	<b>40,35.24</b>	<b>9,98,36.46</b>	<b>8,66,63.24</b>	<b>(+)15.20</b>
<b>2211 परिवार कल्याण-</b>						
001 निवेशन एवं प्रशासन	7,29.92	1.82	...	7,31.74	7,11.53	(+)2.84
003 प्रशिक्षण	2,32.18	...	...	2,32.18	2,37.80	(-)2.36
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें	69,21.89	...	...	69,21.89	61,70.77	(+)12.17
102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें	10,43.45	...	...	10,43.45	10,85.48	(-)3.87
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	4,53.00	...	4,53.00	3,70.00	(+)22.43
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	42.10	5,90.48	7,40.64	13,73.22	5,44.27	(+)1,52.30
800 अन्य व्यय	0.26	34,91.08	96,34.95	1,31,26.29	43,46.44	(+)2,02.00
<b>जोड़-(2211)</b>	<b>89,69.80</b>	<b>45,36.38</b>	<b>1,03,75.59</b>	<b>2,38,81.77</b>	<b>1,34,66.29</b>	<b>(+)77.34</b>
<b>जोड़- (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>	<b>8,90,00.36</b>	<b>2,03,07.04</b>	<b>1,44,10.83</b>	<b>12,37,18.23</b>	<b>10,01,29.53</b>	<b>(+)23.56</b>
<b>ग. जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास-</b>						
<b>2215 जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>						
<b>01 जलापूर्ति</b>						
001 निवेशन और प्रशासन	1,13,12.70	...	...	1,13,12.70	1,05,33.89	(+)7.39
005 सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल	3,89.69	...	...	3,89.69	3,25.46	(+)19.74
101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम	1,86,03.48	...	...	1,86,03.48	1,72,88.66	(+)7.61
102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	4,26,70.07	10,53.95	20,64.71	4,57,88.73	3,77,44.67	(+)21.31

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	जोड़			
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः		(₹ लाख में)				
ग. जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास-समाप्त						
<b>2215 जलापूर्ति तथा स्वच्छता-समाप्त</b>						
<b>01 जलापूर्ति</b>						
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	5,11.34	4,72.30	9,83.64	...	(+)100.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	18,66.34	3,38.67	31.41	22,36.42	12,87.72	(+)73.67
799 उच्चता	...	19,32.76	...	19,32.76	71,35.65	(-)72.91
<b>जोड़- 01</b>	<b>7,48,42.28</b>	<b>38,36.72</b>	<b>25,68.42</b>	<b>8,12,47.42</b>	<b>7,43,16.05</b>	<b>(+)9.33</b>
<b>02 मल व्यवस्था तथा स्वच्छता</b>						
105 स्वच्छता सेवाएं	33.00	3,74.00	...	4,07.00	5,33.50	(-)23.71
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	1,26.00	...	1,26.00	...	...
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	9.15	...	...	9.15	5,21.19	(-)98.24
<b>जोड़- 02</b>	<b>42.15</b>	<b>5,00.00</b>	<b>...</b>	<b>5,42.15</b>	<b>10,54.69</b>	<b>(-)48.60</b>
<b>जोड़-(2215)</b>	<b>7,48,84.43</b>	<b>43,36.72</b>	<b>25,68.42</b>	<b>8,17,89.57</b>	<b>7,53,70.74</b>	<b>(+)8.52</b>
<b>2216 आवास-</b>						
<b>03 ग्रामीण आवास -</b>						
102 भूमि हीनों को आवास स्थल की व्यवस्था	...	7,60.12	13,23.85	20,83.97	13,16.13	(+)58.34
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	5,65.19	21.94	5,87.13	10,82.66	(-)45.77
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	1,88.15	87.75	2,75.90	2,41.22	(+)14.38
<b>जोड़- 03</b>	<b>...</b>	<b>15,13.46</b>	<b>14,33.54</b>	<b>29,47.00</b>	<b>26,40.01</b>	<b>(+)11.63</b>
<b>05 सामान्य पूल आवास</b>						
053 रख-रखाव तथा मरम्मत	6,13.67	7,31.31	...	13,44.98	14,09.82	(-)4.60
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	30.49	9.78	...	40.27	38.76	(+)3.90
800 अन्य व्यय	1,07.75	...	...	1,07.75	1,03.02	(+)4.59
<b>जोड़ - 05</b>	<b>7,51.91</b>	<b>7,41.09</b>	<b>...</b>	<b>14,93.00</b>	<b>15,51.60</b>	<b>(-)3.78</b>
<b>06 पुलिस आवास</b>						
053 रख-रखाव तथा मरम्मत	20.93	...	...	20.93	48.10	(-)56.49
<b>जोड़ -06</b>	<b>20.93</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>20.93</b>	<b>48.10</b>	<b>(-)56.49</b>

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़		
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
ख सामाजिक सेवाये-क्रमशः		(₹ लाख में)				
ग. जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास-समाप्त						
<b>2216 आवास-समाप्त</b>						
<b>07 अन्य आवास</b>						
053 रख-रखाव तथा मरम्मत	36.41	...	...	36.41	1,36.41	(-)73.31
जोड़ - 07	<b>36.41</b>	...	...	<b>36.41</b>	<b>1,36.41</b>	<b>(-)73.31</b>
जोड़-(2216)	<b>8,09.25</b>	<b>22,54.55</b>	<b>14,33.54</b>	<b>44,97.34</b>	<b>43,76.12</b>	<b>(+)2.77</b>
<b>2217 शहरी विकास-</b>						
<b>03 लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का एकीकृत विकास</b>						
192 नगर निगम/नगर परिषदों को सहायता	...	13.03	...	13.03	1,10,47.94	(-)99.88
193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को सहायता	...	...	...	...	2,87.67	(-)1,00.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	25.00	...	25.00	80.00	(-)68.75
जोड़- 03	<b>...</b>	<b>38.03</b>	...	<b>38.03</b>	<b>1,14,15.61</b>	<b>(-)99.67</b>
<b>04 गंदी बस्तियों का विकास</b>						
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	20,15.00	20,15.00	21,00.00	(-)4.05
जोड़- 04	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>20,15.00</b>	<b>20,15.00</b>	<b>21,00.00</b>	<b>(-)4.05</b>
<b>80 सामान्य-</b>						
001 निदेशन एवं प्रशासन	11,27.22	...	...	11,27.22	11,04.10	(+)2.09
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों, आदि को सहायता	22,73.04	8.27	71,27.78	94,09.09	46,23.36	(+)1,03.51
192 नगरपालिकाओं /नगर परिषदों को सहायता	61,98.22	15.23	...	62,13.45	69,32.74	(-)10.38
193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को सहायता	10,21.35	40.00	...	10,61.35	16,52.88	(-)35.79
जोड़- 80	<b>1,06,19.83</b>	<b>63.50</b>	<b>71,27.78</b>	<b>1,78,11.11</b>	<b>1,43,13.08</b>	<b>(+)24.44</b>
जोड़-(2217)	<b>1,06,19.83</b>	<b>1,01.53</b>	<b>91,42.78</b>	<b>1,98,64.14</b>	<b>2,78,28.69</b>	<b>(-)28.62</b>
जोड़- (ग) जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	<b>8,63,13.51</b>	<b>66,92.80</b>	<b>1,31,44.74</b>	<b>10,61,51.05</b>	<b>10,75,75.55</b>	<b>(-)1.32</b>

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोसरा प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)			
		राज्य योजनागत	योजना	केन्द्रीय योजनागत						
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश								
ख सामाजिक सेवाएं-क्रमशः		(₹ लाख में)								
(घ) सूचना एवं प्रसारण-										
<b>2220 सूचना तथा प्रचार-</b>										
<b>01 फिल्म-</b>										
001 निदेशन एवं प्रशासन	9,26.30	...	...	9,26.30	9,28.13	(-)0.20				
105 फिल्मों का निर्माण	1,51.74	...	...	1,51.74	1,52.03	(-)0.19				
<b>जोड़- 01</b>	<b>10,78.04</b>	...	...	<b>10,78.04</b>	<b>10,80.16</b>	<b>(-)0.20</b>				
<b>60 अन्य-</b>										
101 विज्ञापन और दृश्य प्रचार	12,66.11	...	...	12,66.11	13,60.61	(-)6.95				
102 सूचना केन्द्र	2,03.47	...	...	2,03.47	1,95.46	(+)4.10				
107 गीत तथा ड्रामा सेवाएं	1,27.88	...	...	1,27.88	1,73.12	(-)26.13				
110 प्रकाशन	1,12.77	...	...	1,12.77	1,11.87	(+)0.80				
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	24.77	...	24.77	9.70	(+)1,55.36				
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,01.11	19.19	...	1,20.30	1,03.67	(+)16.04				
<b>जोड़- 60</b>	<b>18,11.34</b>	<b>43.96</b>	...	<b>18,55.30</b>	<b>19,54.43</b>	<b>(-)5.07</b>				
<b>जोड़-(2220)</b>	<b>28,89.38</b>	<b>43.96</b>	...	<b>29,33.34</b>	<b>30,34.59</b>	<b>(-)3.34</b>				
<b>जोड़-(घ) सूचना एवं प्रसारण</b>	<b>28,89.38</b>	<b>43.96</b>	...	<b>29,33.34</b>	<b>30,34.59</b>	<b>(-)3.34</b>				
(ङ.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-										
<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-</b>										
<b>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-</b>										
001 निदेशन एवं प्रशासन	1.00	...	...	1.00	8,68.08	(+)10.92				
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	9,07.49	54.41	...	9,62.90	36,89.31	(-)5.83				
<b>जोड़- 01</b>	<b>1.00</b>	<b>32,29.62</b>	<b>2,99.16</b>	<b>44,37.27</b>	<b>45,57.39</b>	<b>(-)2.64</b>				

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत	एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)							
ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः							
(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-समाप्त							
<b>2225</b> अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-समाप्त							
<b>02</b> अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-							
277 शिक्षा	2.21	...	...	2.21	2.09	(+5.74	
283 आवास	...	1,00.00	...	1,00.00	98.46	(+)1.56	
796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	1,10.02	1,98.73	20.00	3,28.75	3,10.59	(+)5.85	
<b>जोड़- 02</b>	<b>1,12.23</b>	<b>2,98.73</b>	<b>20.00</b>	<b>4,30.96</b>	<b>4,11.14</b>	<b>(+)4.82</b>	
<b>03</b> पिछड़े वर्गों का कल्याण-							
001 निदेशन एवं प्रशासन	86.18	...	...	86.18	70.56	(+22.14	
102 आर्थिक विकास	3.44	1,57.77	...	1,61.21	1,27.19	(+)26.74	
277 शिक्षा	9.41	...	77.54	86.95	99.08	(-)12.24	
283 आवास	...	2,99.75	...	2,99.75	2,97.90	(+)0.62	
<b>जोड़- 03</b>	<b>99.03</b>	<b>4,57.52</b>	<b>77.54</b>	<b>6,34.09</b>	<b>5,94.73</b>	<b>(+)6.62</b>	
<b>80</b> समाच्च							
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को सहायता	...	11.10	...	11.10	2.00	(+)4,55.00	
<b>जोड़- 80</b>	<b>...</b>	<b>11.10</b>	<b>...</b>	<b>11.10</b>	<b>2.00</b>	<b>(+)4,55.00</b>	
<b>जोड़-(2225)</b>	<b>11,18.75</b>	<b>39,96.97</b>	<b>3,96.70</b>	<b>55,13.42</b>	<b>55,65.26</b>	<b>(-)0.93</b>	
<b>जोड़- (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>	<b>11,18.75</b>	<b>39,96.97</b>	<b>3,96.70</b>	<b>55,13.42</b>	<b>55,65.26</b>	<b>(-)0.93</b>	
<b>(च) श्रमिक एवं श्रम कल्याण-</b>							
<b>2230</b> श्रम एवं रोजगार							
<b>01</b> श्रम-							
001 निदेशक एवं प्रशासन	1,04.02	...	...	1,04.02	95.57	(+8.84	
101 औद्योगिक सम्बन्ध	4,17.06	...	...	4,17.06	3,64.79	(+)14.33	
102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	9.76	...	...	9.76	9.72	(+)0.41	
796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	16.47	0.94	...	17.41	16.91	(+)2.96	
<b>जोड़- 01</b>	<b>5,47.31</b>	<b>0.94</b>	<b>...</b>	<b>5,48.25</b>	<b>4,86.99</b>	<b>(+)12.58</b>	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः							
(च) श्रम एवं श्रम कल्याण-समाप्त							
<b>2230 श्रम एवं रोजगार-समाप्त</b>							
<b>02 रोजगार सेवाएं-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन	51.80	...	...	51.80	36.23	(+)42.98	
004 अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	53.98	...	...	53.98	57.10	(-)5.46	
101 रोजगार सेवायें	6,58.02	8.08	...	6,66.10	6,37.29	(+)4.52	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	43.99	7.81	...	51.80	44.90	(+)15.37	
<b>जोड़- 02</b>	<b>8,07.79</b>	<b>15.89</b>	<b>...</b>	<b>8,23.68</b>	<b>7,75.52</b>	<b>(+)6.21</b>	
<b>03 प्रशिक्षण-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन	20.98	...	...	20.98	26.49	(-)20.80	
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	64,56.86	3,71.81	5,60.25	73,88.92	50,45.49	(+)46.45	
102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण	7.60	...	...	7.60	6.59	(+)15.33	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	61.56	1,75.34	2,36.90	32.41	(+)6,30.95	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	94.06	87.46	43.47	2,24.99	1,85.16	(+)21.51	
<b>जोड़- 03</b>	<b>65.79.50</b>	<b>5,20.83</b>	<b>7,79.06</b>	<b>78,79.39</b>	<b>52,96.14</b>	<b>(+)48.78</b>	
<b>जोड़-(2230)</b>	<b>79,34.60</b>	<b>5,37.66</b>	<b>7,79.06</b>	<b>92,51.32</b>	<b>65,58.65</b>	<b>(+)41.06</b>	
<b>जोड़-(च) श्रम एवं श्रम कल्याण</b>	<b>79,34.60</b>	<b>5,37.66</b>	<b>7,79.06</b>	<b>92,51.32</b>	<b>65,58.65</b>	<b>(+)41.06</b>	
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार-							
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-</b>							
<b>01 पुनर्वास-</b>							
202 अन्य पुनर्वास स्कीमें	1,58.16	...	...	1,58.16	1,52.10	(+)3.98	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	5,70.57	...	5,70.57	...	(+)100.00	
<b>जोड़- 01</b>	<b>1,58.16</b>	<b>5,70.57</b>	<b>...</b>	<b>7,28.73</b>	<b>1,52.10</b>	<b>(+)3,79.11</b>	
<b>02 सामाजिक कल्याण-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन	1,13.55	...	...	1,13.55	80.87	(+)40.41	
101 विकलांगों का कल्याण	75.89	2,47.96	29.87	3,53.72	3,59.26	(-)1.54	

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़		
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
ख सामाजिक सेवाये-क्रमशः		(₹ लाख में)				
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार-क्रमशः						
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-समाप्त</b>						
<b>02 सामाजिक कल्याण-समाप्त</b>						
102 बाल कल्याण	18,74.62	17,98.15	1,31,74.95	1,68,47.72	1,71,03.64	(-)1.50
103 महिला कल्याण	1,06.26	12,19.86	6,98.84	20,24.96	24,15.37	(-)16.16
107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	45.00	7,10.41	18.19	7,73.60	6,62.99	(+)16.68
200 अन्य कार्यक्रम	...	1.82	...	1.82	...	(+)100.00
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	13,50.69	34,55.21	48,05.90	5,70.48	(+)7,42.43
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3.75	1,83.19	5,14.77	7,01.71	6,44.75	(+)8.83
<b>जोड़- 02</b>	<b>22,19.07</b>	<b>55,12.08</b>	<b>1,78,91.83</b>	<b>2,56,22.98</b>	<b>2,18,37.36</b>	<b>(+)17.34</b>
<b>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-</b>						
101 निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम	59.50	...	...	59.50	60.50	(-)1.65
102 सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अधीन पैशान	1,43,81.24 (क)	28,63.65	...	1,72,44.89	1,45,28.77	(+)18.69
104 जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम-सरकारी भविष्य निधियां	1,88.08	...	...	1,88.08	1,84.96	(+)1.69
105 सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	2,40.50	...	...	2,40.50	1,69.82	(+)41.62
200 अन्य कार्यक्रम	13,09.69	50.00	...	13,59.69	10,69.41	(+)27.14
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	45,66.34	...	45,66.34	47,77.54	(-)4.42
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	8,57.04	...	8,57.04	7,25.42	(+)18.14
800 अन्य व्यय	59,93.37	...	...	59,93.37	53,85.53	(+)11.29
<b>जोड़- 60</b>	<b>2,21,72.38</b>	<b>83,37.03</b>	<b>...</b>	<b>3,05,09.41</b>	<b>2,69,01.95</b>	<b>(+)13.41</b>
<b>जोड़-(2235)</b>	<b>2,45,49.61</b>	<b>1,44,19.68</b>	<b>1,78,91.83</b>	<b>5,68,61.12</b>	<b>4,88,91.41</b>	<b>(+)16.30</b>
<b>2236 पोषण-</b>						
<b>02 पोषक भोजन और सुधेय का वितरण-</b>						
101 विशेष पोषण कार्यक्रम	...	21,33.94	18,33.42	39,67.36	39,19.63	(+)1.22
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	6,11.00	7,39.20	13,50.20	13,80.07	(-)2.16
(क) कुल पैशान 304921 (राज्य सरकार से प्रप्त सूचना के अनुसार)						

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ख सामाजिक सेवायें-क्रमशः:							
(छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार-							
<b>2236 पोषण-समाप्त</b>							
<b>02 पोषक भोजन और सुपैय का वितरण-</b>							
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	5,00.00	3,50.92	8,50.92	6,93.07	(+22.78	
जोड़- 02	...	<b>32,44.94</b>	<b>29,23.54</b>	<b>61,68.48</b>	<b>59,92.77</b>	<b>(+2.93</b>	
जोड़-(2236)	...	<b>32,44.94</b>	<b>29,23.54</b>	<b>61,68.48</b>	<b>59,92.77</b>	<b>(+2.93</b>	
<b>2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-</b>							
<b>01 सूखा</b>							
101 आनुग्रहिक राहत	...	...	...	...	...	9,14.00	(-1,00.00
जोड़- 01	...	...	...	...	...	<b>9,14.00</b>	<b>(-1,00.00</b>
<b>02 बाढ़ चक्रवात आदि</b>							
101 आनुग्रहिक राहत	24,90.00	...	...	24,90.00	41,00.42	(-39.27	
104 चारा आपूर्ति	...	...	...	...	20.34	(-1,00.00	
106 खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	57,16.45	...	...	57,16.45	1,12,11.70	(-49.01	
107 खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	5,76.00	...	...	5,76.00	7,99.66	(-27.97	
108 खराब सरकारी रहायशी भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	70.00	...	...	70.00	4,85.00	(-85.57	
109 खराब जल-पूर्ति जल-निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना के लिए सहायता	17,00.00	...	...	17,00.00	39,23.00	(-56.67	
111 शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी	25,00.00	...	...	25,00.00	15,26.00	(+63.83	
113 घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	10,00.00	...	...	10,00.00	28,70.00	(-65.16	
114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	1,00.00	...	...	1,00.00	13,39.00	(-92.53	
117 किसानों को पशुधन खरीदने हेतु सहायता	...	...	...	...	1.00	(-1,00.00	
193 स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	17,52.00	...	...	17,52.00	20,80.00	(-15.77	
जोड़- 02	<b>1,59,04.45</b>	...	...	<b>1,59,04.45</b>	<b>2,83,56.12</b>	<b>(-43.91</b>	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष (j)	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना			
		केन्द्रीय योजनागत	एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
ख सामाजिक सेवाएं-समाप्त						
(j)	अन्य-समाप्त					
<b>2245</b>	<b>प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-समाप्त</b>					
<b>05</b>	<b>राज्य आपदा राहत निधि</b>					
101	आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण आपदा राहत निधि	1,58,93.45	...	...	1,58,93.45	1,51,37.70 (+)4.99
901	घटाएं-आपदा राहत निधि से पूरी की गई राशि	-1,59,04.45	...	...	-1,59,04.45	-1,51,36.12 (+)5.08
<b>जोड़- 05</b>	<b>-11.00</b>				<b>-11.00</b>	<b>1.58 (-)7,96.20</b>
<b>80</b>	<b>समान्य</b>					
102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध	5,41.92 *			5,41.92	4,00.00 (+)35.48
<b>जोड़- 80</b>	<b>5,41.92</b>				<b>5,41.92</b>	<b>4,00.00 (+)35.48</b>
<b>जोड़- (2245)</b>	<b>1,64,35.37</b>				<b>1,64,35.37</b>	<b>2,96,71.70 (-)44.61</b>
<b>जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार</b>	<b>4,09,84.98</b>	<b>1,76,64.62</b>	<b>2,08,15.37</b>		<b>7,94,64.97</b>	<b>8,45,55.88 (-)6.02</b>
(j)	अन्य-					
<b>2250</b>	<b>अन्य सामाजिक सेवाएं-</b>					
101	धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान	0.83	...	...	0.83	1.12 (-)25.89
103	पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव	5,71.06	...	...	5,71.06	71.73 (+)6,96.12
800	अन्य व्यय	2.12	...	...	2.12	... (+)100.00
<b>जोड़- (2250)</b>	<b>5,74.01</b>				<b>5,74.01</b>	<b>72.85 (+)6,87.93</b>
<b>2251</b>	<b>सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-</b>					
090	सचिवालय	10,50.84	...	...	10,50.84	9,55.12 (+)10.02
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,51.51	5,75.90	13,80.47	21,07.88	4,95.15 (+)3,25.71
<b>जोड़- (2251)</b>	<b>12,02.35</b>	<b>5,75.90</b>	<b>13,80.47</b>		<b>31,58.72</b>	<b>14,50.27 (+)1,17.80</b>
<b>जोड़- (ज) अन्य</b>	<b>17,76.36</b>	<b>5,75.90</b>	<b>13,80.47</b>		<b>37,32.73</b>	<b>15,23.12 (+)1,45.07</b>
<b>जोड़- (ख) सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1.00</b>					
		<b>57,34,50.46</b>	<b>8,96,96.36</b>	<b>8,20,04.03</b>	<b>74,51,51.85</b>	<b>67,06,11.87 (+)11.12</b>

\* इनमें केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर स्कीमों पर ₹ 1,41.92 लाख का व्यय शामिल है।

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)		
		योजना		जोड़				
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
<b>ग. आधिक सेवाएं-</b>								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप-								
<b>2401</b> फसल कृषि कर्म-								
001 निरेशन एवं प्रशासन	25,76.32	55.40	...	26,31.72	24,32.38	(+)8.20		
103 बोज	9,20.19	3,43.39	...	12,63.58	17,91.70	(-)29.48		
105 खाद एवं उर्वरक	3,94.53	2,50.68	...	6,45.21	6,27.18	(+)2.87		
107 वनस्पति रक्षण	8.07	14.68	...	22.75	23.85	(-)4.61		
108 वाणिज्यिक फसलें	...	69.61	...	69.61	1,09.61	(-)36.49		
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	15,90.77	2,54.90	8,36.42	26,82.09	20,32.38	(+)31.97		
110 फसल बीमा	...	1,12.21	...	1,12.21	1,75.12	(-)35.92		
111 कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांचिकी	83.39	...	1,70.27	2,53.66	3,26.50	(-)22.31		
113 कृषि इंजिनियरिंग	62.04	21.99	77.60	1,61.63	1,00.84	(+)60.28		
119 उद्यान एवं वनस्पति फसलें	67,96.67	34,92.38	37,24.85	1,40,13.90	93,02.36	(+)50.65		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	33,99.03	17,53.53	51,52.56	32,17.40	(+)60.15		
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	8,47.94	4,54.49	8,43.49	21,45.92	20,06.26	(+)6.96		
800 अन्य व्यय	15.39	65,03.93	20,13.23	85,32.55	51,05.48	(+)67.13		
<b>जोड़-(2401)</b>	<b>1,32,95.31</b>	<b>1,49,72.69</b>	<b>94,19.39</b>	<b>3,76,87.39</b>	<b>2,72,51.06</b>	<b>(+)38.30</b>		
<b>2402</b> मृदा तथा जल संरक्षण-								
101 मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण	1,51.36	...	...	1,51.36	1,53.08	(-)1.12		
102 मृदा संरक्षण	24,80.23	2,72.00	...	27,52.23	28,22.76	(-)2.50		
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण	18.23	...	...	18.23	17.54	(+)3.93		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	1,55.30	54.60	2,09.90	1,44.98	(+)44.78		
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,14.53	1,08.62	34.57	4,57.72	4,85.93	(-)5.81		
800 अन्य व्यय	...	4,61.00	...	4,61.00	4,64.00	(-)0.65		
<b>जोड़-(2402)</b>	<b>29,64.35</b>	<b>9,96.92</b>	<b>89.17</b>	<b>40,50.44</b>	<b>40,88.29</b>	<b>(-)0.93</b>		

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़		
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः	(₹ लाख में)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप-क्रमशः						
<b>2403 पशुपालन-</b>						
001 निदेशन एवं प्रशासन	11,29.74	9.69	...	11,39.43	10,48.06	(+)8.72
101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	1,63,51.23	7,97.85	3,83.90	1,75,32.98	1,51,79.41	(+)15.51
102 पशु तथा भैंस विकास	6,37.55	1,30.01	5,00.00	12,67.56	6,32.16	(+)1,00.51
103 कुकुट विकास	2,47.19	8.85	...	2,56.04	2,56.54	(-)0.19
104 भेड़ तथा ऊन विकास	4,00.54	50.96	...	4,51.50	4,37.74	(+)3.14
106 अन्य पशुधन विकास	89.70	4.00	...	93.70	1,92.66	(-)51.37
107 चारा तथा चारागाह विकास	33.39	10.00	...	43.39	4,30.72	(-)89.93
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण	...	10.00	6.50	16.50	13.50	(+)22.22
113 प्रशासनिक छानबीन तथा सांख्यिकी	...	55.86	47.60	1,03.46	90.09	(+)14.84
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	10,29.63	2,73.98	13,03.61	9,92.62	(+)31.33
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	14,44.85	4,62.33	2,00.67	21,07.85	20,31.74	(+)3.75
800 अन्य व्यय	...	18,79.58	2,59.07	21,38.65	11,13.17	(+)92.12
<b>जोड़-(2403)</b>	<b>2,03,34.19</b>	<b>44,48.76</b>	<b>16,71.72</b>	<b>2,64,54.67</b>	<b>2,24,18.41</b>	<b>(+)18.00</b>
<b>2404 डेरी विकास-</b>						
001 निदेशन एवं प्रशासन	23.15	...	...	23.15	22.39	(+)3.39
109 विस्तार एवं प्रशिक्षण	0.01	...	...	0.01	0.02	(-)50.00
191 सहकारिता तथा अन्य निकायों को सहायता	91.61	9,21.00	...	10,12.61	13,50.00	(-)24.99
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	3,52.98	...	3,52.98	50.00	(+)6,05.96
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	1,26.00	...	1,26.00	...	...
<b>जोड़- 2404</b>	<b>1,14.77</b>	<b>13,99.98</b>	<b>...</b>	<b>15,14.75</b>	<b>14,22.41</b>	<b>(+)6.49</b>

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवाएं-क्रमशः							
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप-क्रमशः							
<b>2405 मत्स्य पालन-</b>							
001 निर्देशन एवं प्रशासन	8,96.68	9.31	...	9,05.99	8,70.92	(+4.03	
101 अन्तर्राजीय मत्स्य पालन	33.18	2,70.08	10.71	3,13.97	8,02.40	(-)60.87	
109 विस्तार एवं प्रशिक्षण	2.31	5.90	...	8.21	17.65	(-)53.48	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	70.31	10.69	81.00	80.24	(+)0.95	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	42.71	27.83	5.90	76.44	64.50	(+)18.51	
800 अन्य व्यय	...	17.87	14.65	32.52	22.44	(+)44.92	
<b>जोड़-(2405)</b>	<b>9,74.88</b>	<b>4,01.30</b>	<b>41.95</b>	<b>14,18.13</b>	<b>18,58.15</b>	<b>(-)23.68</b>	
<b>2406 वानिकी एवं वन्य प्राणी</b>							
<b>01 वानिकी -</b>							
001 निर्देशन एवं प्रशासन	2,33,13.97	6,28.30	...	2,39,42.27	2,22,53.85	(+)7.59	
070 संचार एवं भवन	...	1,00.00	...	1,00.00	80.00	(+)25.00	
101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	77.69	67.27	3,06.98	4,51.94	5,10.22	(-)11.42	
102 सामाजिक एवं फार्म वानिकी	6,46.53	1,09,56.55	1,48.27	1,17,51.35	1,19,06.86	(-)1.31	
105 वन उत्पाद	86.88	14.98	...	1,01.86	1,08.39	(-)6.02	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	31,36.18	55.34	31,91.52	36,08.00	(-)11.54	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	11,24.67	2,92.30	...	14,16.97	15,40.22	(-)8.00	
800 अन्य व्यय	...	33.70	...	33.70	27.00	(+)24.81	
<b>जोड़-(01)</b>	<b>2,52,49.74</b>	<b>1,52,29.28</b>	<b>5,10.59</b>	<b>4,09,89.61</b>	<b>4,00,34.54</b>	<b>(+)2.39</b>	
<b>02 पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य प्राणी-</b>							
110 वन्य जीव परिक्षण	8,42.77	1,12.54	2,55.00	12,10.31	11,91.78	(+)1.55	
111 चिड़ियाघर	1,37.60	2,69.99	...	4,07.59	4,44.57	(-)8.32	

## 15. लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)			
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़					
		एवं केन्द्रीय योजनागत प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश							
<b>ग. आर्थिक सेवाएं-क्रमशः</b>									
<b>(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप-क्रमशः</b>									
<b>2406</b>	वानिकी एवं वन्य प्राणी-समाप्त								
<b>02</b>	पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य प्राणी-								
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	73.47	73.47	...			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,02.15	42.98	1,97.19	3,42.32	2,43.80			
	<b>जोड़- 02</b>	<b>10.82.52</b>	<b>4.25.51</b>	<b>5.25.66</b>	<b>20.33.69</b>	<b>18.80.15</b>			
	<b>जोड़-(2406)</b>	<b>2,63,32.26</b>	<b>1,56,54.79</b>	<b>10,36.25</b>	<b>4,30,23.30</b>	<b>4,19,14.69</b>			
						(+)2.64			
<b>2407</b>	बागान-								
<b>01</b>	चाय								
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	4.99	...	4.99	5.00			
800	अन्य व्यय	78.47	10.00	...	88.47	1,06.71			
	<b>जोड़- 01</b>	<b>78.47</b>	<b>14.99</b>	...	<b>93.46</b>	<b>1,11.71</b>			
	<b>जोड़-(2407)</b>	<b>78.47</b>	<b>14.99</b>	...	<b>93.46</b>	<b>1,11.71</b>			
						(-)16.34			
<b>2408</b>	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार								
<b>01</b>	खाद्य-								
001	निदेशन एवं प्रशासन	4,12.73	...	...	4,12.73	3,71.55			
102	खाद्य सहायता	1,89,62.79	...	...	1,89,62.79	2,46,99.73			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	88.32	39.36	...	1,27.68	1,14.83			
	<b>जोड़- 01</b>	<b>1,94,63.84</b>	<b>39.36</b>	...	<b>1,95,03.20</b>	<b>2,51,86.11</b>			
	<b>जोड़-(2408)</b>	<b>1,94,63.84</b>	<b>39.36</b>	...	<b>1,95,03.20</b>	<b>2,51,86.11</b>			
						(-)22.56			
<b>2415</b>	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा								
<b>01</b>	फसल कृषि कर्म-								
004	अनुसंधान	0.01	1,01,55.84	...	1,01,55.85	97,48.83			
277	शिक्षा	...	18,31.00	...	18,31.00	17,65.60			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	27,25.00	...	27,25.00	28,39.19			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	10,33.00	...	10,33.00	10,89.39			
	<b>जोड़- 01</b>	<b>0.01</b>	<b>1,57,44.84</b>	...	<b>1,57,44.85</b>	<b>1,54,43.01</b>			
						(+)1.95			

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाएं-क्रमशः						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप-समाप्त						
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा						
06 वानिकी-						
004 अनुसंधान	...	3.00	...	3.00	3.00	...
जोड़ 06	...	3.00	...	3.00	3.00	...
जोड़-(2415)	0.01	1,57,47.84	...	1,57,47.85	1,54,46.01	(+)1.95
2425 सहकारिता-						
001 निदेशन एवं प्रशासन	16,91.58	...	...	16,91.58	15,73.46	(+)7.51
003 प्रशिक्षण	60.50	...	...	60.50	1,05.70	(-)42.76
101 सहकारिताओं की लेखापरीक्षा	5,05.45	...	...	5,05.45	4,82.57	(+)4.74
109 कृषि उधार स्थिरीकरण निधि	...	...	7,09.98	7,09.98	1,32.95	(+)4,34.02
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	30.00	30.00	30.00	...
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,44.60	61.09	...	2,05.69	2,27.91	(-)9.75
जोड़-(2425)	24,02.13	61.09	7,39.98	32,03.20	25,52.59	(+)25.49
जोड़-(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	8,59,60.21	5,37,37.72	1,29,98.46	15,26,96.39	14,22,49.43	(+)7.34
(ख) ग्रामीण विकास-						
2501 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम-						
03 मरुस्थल विकास कार्यक्रम						
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	10.00	2,01.15	2,11.15	1,68.85	(+)25.05
जोड़- 03	...	10.00	2,01.15	2,11.15	1,68.85	(+)25.05

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			वास्तविक आंकड़े प्रतिशत	वर्ष के दोरान वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़		
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाएं-क्रमशः						
(ख) ग्रामीण विकास-						
<b>2501 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम-</b>						
<b>04 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम -</b>						
105 परियोजना कार्यान्वयन	40.00	...	...	40.00	40.00	...
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	1,50.00	54.00	2,04.00	1,50.00	(+)36.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	52.00	...	52.00	52.00	...
<b>जोड़- 04</b>	<b>40.00</b>	<b>2,02.00</b>	<b>54.00</b>	<b>2,96.00</b>	<b>2,42.00</b>	<b>(+)22.31</b>
<b>06 स्वरोजगार कार्यक्रम</b>						
101 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	...	1,87.96	6,21.89	8,09.85	3,26.70	(+)1,47.89
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	1,64.54	(-)1,00.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	29.07	...	29.07	77.73	(-)62.60
800 अन्य व्यय	1,91.50	...	1,54.00	3,45.50	5,95.33	(-)41.96
<b>जोड़- 06</b>	<b>1,91.50</b>	<b>2,17.03</b>	<b>7,75.89</b>	<b>11,84.42</b>	<b>11,64.30</b>	<b>(+)1.73</b>
<b>जोड़-(2501)</b>	<b>2,31.50</b>	<b>4,29.03</b>	<b>10,31.04</b>	<b>16,91.57</b>	<b>15,75.15</b>	<b>(+)7.39</b>
<b>2505 ग्रामीण रोजगार-</b>						
<b>01 राष्ट्रीय कार्यक्रम -</b>						
702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	...	26,66.28	3,55,42.86	3,82,09.14	37,18.58	(+)9,27.52
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	9,27.51	...	9,27.51	10,80.43	(-)14.15
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	1,08.72	...	1,08.72	1,80.00	(-)39.60
<b>जोड़- 01</b>	<b>...</b>	<b>37,02.51</b>	<b>3,55,42.86</b>	<b>3,92,45.37</b>	<b>49,79.01</b>	<b>(+)6,88.22</b>
<b>60 अन्य कार्यक्रम</b>						
702 जवाहर रोजगार योजना	...	...	...	...	13.19	(-)1,00.00
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	4.33	(-)1,00.00
<b>जोड़- 60</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>17.52</b>	<b>(-)1,00.00</b>
<b>जोड़-(2505)</b>	<b>...</b>	<b>37,02.51</b>	<b>3,55,42.86</b>	<b>3,92,45.37</b>	<b>49,96.53</b>	<b>(+)6,85.45</b>

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)	
	आयोजनेतर	योजना	जोड़	वास्तविक आंकड़े			
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत				
एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश							
				(₹ लाख में)			
ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः							
(ख) ग्रामीण विकास-समाप्त							
<b>2506 भूमि सुधार-</b>							
102 चकबन्दी	4,65.70	1.05	...	4,66.75	4,16.09	(+)12.18	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	25.89	...	...	25.89	30.74	(-)15.78	
<b>जोड़ (2506)</b>	<b>4,91.59</b>	<b>1.05</b>	...	<b>4,92.64</b>	<b>4,46.83</b>	<b>(+)10.25</b>	
<b>2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-</b>							
003 प्रशिक्षण	1,21.95	...	...	1,21.95	2,20.32	(-)44.65	
101 पंचायती राज	16,96.72	11,85.08	10,83.23	39,65.03	40,62.66	(-)2.40	
102 सामुदायिक विकास	68,76.92	17,87.62	39,79.42	1,26,43.96	78,56.72	(+)60.93	
196 जिला परिषद को सहायता	96,47.06	...	...	96,47.06	83,50.54	(+)15.53	
197 पंचायत समिति को सहायता	82,95.64	...	...	82,95.64	69,64.46	(+)19.11	
198 ग्राम पंचायत को सहायता	76,12.86	...	...	76,12.86	65,54.36	(+)16.15	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	13,64.50	26,74.51	40,39.01	13,11.87	(+)2,07.88	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	6,41.71	7,00.93	4,67.83	18,10.47	13,54.43	(+)33.67	
<b>जोड़ (2515)</b>	<b>3,48,92.86</b>	<b>50,38.13</b>	<b>82,04.99</b>	<b>4,81,35.98</b>	<b>3,66,75.36</b>	<b>(+)31.25</b>	
<b>जोड़-(ख) ग्रामीण विकास</b>	<b>3,56,15.95</b>	<b>91,70.72</b>	<b>4,47,78.89</b>	<b>8,95,65.56</b>	<b>4,36,93.87</b>	<b>(+)1,04.98</b>	
<b>2700 मुख्य सिंचाई</b>							
<b>01 शाह नहर परियोजना</b>							
001 निदेशन एवं प्रशासन	6,70.16	...	...	6,70.16	7,17.48	(-)6.60	
101 रख रखाव तथा मुरम्मत	1,69.41	...	...	1,69.41	3,67.02	(-)53.84	
799 उच्चता	...	76.97	...	76.97	1,79.04	(-)57.01	
<b>जोड़-01</b>	<b>8,39.57</b>	<b>76.97</b>	...	<b>9,16.54</b>	<b>12,63.54</b>	<b>(-)27.46</b>	
<b>जोड़- (2700)</b>	<b>8,39.57</b>	<b>76.97</b>	...	<b>9,16.54</b>	<b>12,63.54</b>	<b>(-)27.46</b>	

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोस्रान
		योजना	राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत			प्रतिशत
			एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				वृद्धि (+) / कमी (-)
(₹ लाख में)							
ग. अर्थिक सेवाएं-क्रमशः							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण-							
<b>2701 मध्यम सिंचाई</b>							
<b>11 गिरी बाटा परियोजना</b>							
01 निदेशन एंव प्रशासन	44.78	...	...	44.78	15.59	(+)1,87.24	
101 रखरखाव तथा मरम्मत	62.00	...	...	62.00	59.88	(+)3.54	
799 उचन्त	...	9.46	...	9.46	...	(+)100.00	
<b>जोड़- 11</b>	<b>1,06.78</b>	<b>9.46</b>	...	<b>1,16.24</b>	<b>75.47</b>	<b>(+)54.02</b>	
<b>12 बल्ह घाटी परियोजना</b>							
001 निदेशन एंव प्रशासन	82.82	...	...	82.82	85.56	(-)3.20	
101 रखरखाव तथा मरम्मत	2,00.00	...	...	2,00.00	48.75	(+)3,10.26	
<b>जोड़- 12</b>	<b>2,82.82</b>	...	...	<b>2,82.82</b>	<b>1,34.31</b>	<b>(+)1,10.57</b>	
<b>13 भमोर साहिब परियोजना (अवाजिज्यिक)</b>							
001 निदेशन एंव प्रशासन	8.24	...	...	8.24	5.31	(+)55.18	
101 रखरखाव तथा मरम्मत	1,74.00	...	...	1,74.00	1,30.00	(+)33.85	
<b>जोड़- 13</b>	<b>1,82.24</b>	...	...	<b>1,82.24</b>	<b>1,35.31</b>	<b>(+)34.68</b>	
<b>15 चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना</b>							
001 निदेशन एंव प्रशासन	92.20	...	...	92.20	1,07.95	(-)14.59	
101 अनुरक्षण एंव मुरम्मत	1,38.27	...	...	1,38.27	4,48.91	(-)69.20	
<b>जोड़- 15</b>	<b>2,30.47</b>	...	...	<b>2,30.47</b>	<b>5,56.86</b>	<b>(-)58.61</b>	
<b>16 प्रवाह सिंचाई स्कीम सिधाता</b>							
001 निदेशन एंव प्रशासन	2,15.01	...	...	2,15.01	2,03.11	(+)5.86	
101 अनुरक्षण एंव मुरम्मत	22.72	...	...	22.72	22.79	(-)0.31	
<b>जोड़-16</b>	<b>2,37.73</b>	...	...	<b>2,37.73</b>	<b>2,25.90</b>	<b>(+)5.24</b>	

## 15.लघु शीर्षोंवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	राज्य योजनागत केंद्रीय योजनागत	एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
		(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं-क्रमशः							
(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण-क्रमशः							
<b>2701 मध्यम सिंचाई-समाप्त</b>							
<b>80 समान्य</b>							
800 अन्य व्यय		79.99	...	...	79.99	81.41	(-)1.74
जोड़-80		79.99	...	...	79.99	81.41	(-)1.74
जोड़- (2701)		11,20.03	9.46	...	11,29.49	12,09.26	(-)6.60
<b>2702 लघु सिंचाई</b>							
<b>01 सतही जल</b>							
799 उचन्त		...	(-)4,61.38	...	(-)4,61.38	...	(+)100.00
जोड़-01		...	(-)4,61.38	...	(-)4,61.38	...	(+)100.00
<b>03 अनुरक्षण</b>							
102 उठाऊ सिंचाई स्कीमें		27,72.49	...	...	27,72.49	23,19.11	(+)19.55
जोड़- 03		27,72.49	...	...	27,72.49	23,19.11	(+)19.55
<b>80 सामान्य-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन		2,63,40.55	67.51	...	2,64,08.06	2,41,30.92	(+)9.44
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		1.21	...	...		11,70.47	
		8,85.38	3,38.03	...	12,24.62		(+)4.63

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
		राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत			
<b>ग. आर्थिक सेवाये-क्रमशः:</b>						
(घ) सिंचाइ एवं बाढ़ नियन्त्रण-समाप्त						(₹ लाख में)
<b>2702 लघु सिंचाइ-समाप्त</b>						
<b>80 सामान्य-</b>						
800 अन्य व्यय	26.44	...	84.87	1,11.31	27.55	(+)3,04.03
	<i>1.21</i>	...	...			
<b>जोड़- 80</b>	<b>2,72,52.37</b>	<b>4,05.54</b>	<b>84.87</b>	<b>2,77,43.99</b>	<b>2,53,28.94</b>	<b>(+)9.53</b>
	<i>1.21</i>	...	...			
<b>जोड़-(2702)</b>	<b>3,00,24.86</b>	<b>-55.84</b>	<b>84.87</b>	<b>3,00,55.10</b>	<b>2,76,48.05</b>	<b>(+)8.71</b>
<b>2711 बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास</b>						
<b>01 बाढ़ नियन्त्रण</b>						
001 निदेशन एवं प्रशासन	2,50.48	...	...	2,50.48	36.33	(+)5,89.46
799 उचंत	...	36,17.26	...	36,17.26	1,15.73	(+)30,25.60
800 अन्य व्यय	26.53	...	...	26.53	27.96	(-)5.11
<b>जोड़- 01</b>	<b>2,77.01</b>	<b>36,17.26</b>	<b>...</b>	<b>38,94.27</b>	<b>1,80.02</b>	<b>(+)20,63.24</b>
<b>जोड़-(2711)</b>	<b>2,77.01</b>	<b>36,17.26</b>	<b>...</b>	<b>38,94.27</b>	<b>1,80.02</b>	<b>(+)20,63.24</b>
	<i>1.21</i>	...	...			
<b>जोड़- (घ) सिंचाइ एवं बाढ़ नियन्त्रण</b>	<b>3,22,61.47</b>	<b>36,47.85</b>	<b>84.87</b>	<b>3,59,95.40</b>	<b>3,03,00.87</b>	<b>(+)18.79</b>
<b>(ड.) ऊर्ध्व-</b>						
<b>2801 विद्युत-</b>						
<b>80 सामान्य-</b>						
001 निदेशन एवं प्रशासन	4,70.14	...	...	4,70.14	3,55.53	(+)32.24
101 विद्युत बोर्ड को सहायता	3,85,58.00	...	...	3,85,58.00	...	(+)100.00
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	12,59.00	...	12,59.00	18,54.00	(-)32.09

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः							
(ङ.) ऊर्जा-समाप्त							
2801 विद्युत-समाप्त							
80 सामान्य-							
800 अन्य व्यय	90.62	...	...	90.62	90.00	(+)0.69	
जोड़ 80	<b>3,91,18.76</b>	<b>12,59.00</b>	...	<b>4,03,77.76</b>	<b>22,99.53</b>	<b>(+)16,55.91</b>	
जोड़-(2801)	<b>3,91,18.76</b>	<b>12,59.00</b>	...	<b>4,03,77.76</b>	<b>22,99.53</b>	<b>(+)16,55.91</b>	
2810 ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत-							
01 बायो ऊर्जा-							
103 बायो गैस	3,51.92	...	16.50	3,68.42	3,49.31	(+)5.47	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	2.75	2.75	...	(+)100.00	
जोड़ 01	<b>3,51.92</b>	...	<b>19.25</b>	<b>3,71.17</b>	<b>3,49.31</b>	<b>(+)6.26</b>	
60 अन्य-							
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	5.00	...	5.00	5.00	...	
जोड़ 60	...	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	...	
जोड़-(2810)	<b>3,51.92</b>	<b>5.00</b>	<b>19.25</b>	<b>3,76.17</b>	<b>3,54.31</b>	<b>(+)6.17</b>	
जोड़-(ङ.) ऊर्जा	<b>3,94,70.68</b>	<b>12,64.00</b>	<b>19.25</b>	<b>4,07,53.93</b>	<b>26,53.84</b>	<b>(+)14,35.66</b>	
(च) उद्योग एवं खनिज-							
2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग-							
001 निदेशन एवं प्रशासन	44.62	...	...	44.62	72.38	(-)38.35	
101 औद्योगिक क्षेत्र	1,00.00	10,30.00	...	11,30.00	11,28.45	(+)0.14	
102 लघु उद्योग	6.28						
	12,52.47	12,84.15	1,69.50	27,12.40	18,24.13	(+)48.70	
103 हथकरघा उद्योग	14.18	40.00	...	54.18	2,06.79	(-)73.80	
104 हस्तशिल्प उद्योग	6.09	...	...	6.09	5.44	(+)11.95	

**15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)	
		योजना	जोड़				
		राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः							
(च) उद्योग एवं खनिज-समाप्त							
<b>2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग-समाप्त</b>							
105 खादी एवं ग्रामोद्योग	4,06.49	...	...	4,06.49	3,95.01	(+2.91)	
107 रेशम उत्पादन उद्योग	4,74.74	1,27.86	5,09.08	11,11.68	5,78.83	(+92.06)	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	3,28.05	2,49.53	5,77.58	3,11.13	(+85.64)	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,14.44	91.43	1,83.53	3,89.40	5,09.65	(-23.59)	
	<b>6.28</b>						
<b>जोड़-(2851)</b>	<b>24,13.03</b>	<b>29,01.49</b>	<b>11,11.64</b>	<b>64,32.44</b>	<b>50,31.81</b>	<b>(+)27.84</b>	
<b>2852 उद्योग-</b>							
<b>80 सामान्य-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन	2,93.80	...	...	2,93.80	2,82.15	(+4.13)	
102 औद्योगिक उत्पादकता	64.87	10.00	...	74.87	3,22.58	(-)76.79	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	1.28	...	1.28	1.67	(-)23.35	
800 अन्य व्यय	6.53	90.39	...	96.92	85.06	(+)13.94	
<b>जोड़- 80</b>	<b>3,65.20</b>	<b>1,01.67</b>	<b>...</b>	<b>4,66.87</b>	<b>6,91.46</b>	<b>(-)32.48</b>	
<b>जोड़-(2852)</b>	<b>3,65.20</b>	<b>1,01.67</b>	<b>...</b>	<b>4,66.87</b>	<b>6,91.46</b>	<b>(-)32.48</b>	
<b>2853 अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग-</b>							
<b>02 खानों का विनियमन एवं विकास-</b>							
102 खनिज खोज	7,33.88	19.01	...	7,52.89	6,86.79	(+9.62)	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	43.12	3.72	...	46.84	43.72	(+)7.14	
<b>जोड़- 02</b>	<b>7,77.00</b>	<b>22.73</b>	<b>...</b>	<b>7,99.73</b>	<b>7,30.51</b>	<b>(+)9.48</b>	
<b>जोड़-(2853)</b>	<b>7,77.00</b>	<b>22.73</b>	<b>...</b>	<b>7,99.73</b>	<b>7,30.51</b>	<b>(+)9.48</b>	
	<b>6.28</b>						
<b>जोड़-(च) उद्योग एवं खनिज</b>	<b>35,55.23</b>	<b>30,25.89</b>	<b>11,11.64</b>	<b>76,99.04</b>	<b>64,53.78</b>	<b>(+)19.30</b>	

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	केंद्रीय योजनागत	योजना			
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः							
(छ) परिवहन-							
<b>3053 नागरिक विमानन-</b>							
<b>80 सामान्य-</b>							
001 निवेशन एवं प्रशासन	45.84	...	...	45.84	44.10	(+3.95	
<b>जोड़- 80</b>	<b>45.84</b>	...	...	<b>45.84</b>	<b>44.10</b>	<b>(+3.95</b>	
<b>जोड़-(3053)</b>	<b>45.84</b>	...	...	<b>45.84</b>	<b>44.10</b>	<b>(+3.95</b>	
<b>3054 सड़कें एवं पुल-</b>							
<b>03 राजकीय राजमार्ग-</b>							
103 अनुरक्षण एवं सरम्मत	3,98,50.55	14,97.15	...	4,13,47.70	3,79,99.38	(+8.81	
<b>जोड़- 03</b>	<b>3,98,50.55</b>	<b>14,97.15</b>	...	<b>4,13,47.70</b>	<b>3,79,99.38</b>	<b>(+8.81</b>	
<b>04 जिला एवं अन्य सड़कें-</b>							
105 अनुरक्षण एवं सरम्मत	10.13						
	6,10,73.17	14,57.63	...	6,25,40.93	5,75,39.30	(+8.69	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	2,96.30	...	2,96.30	16,60.29	(-)82.15	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	96,95.79	19.73	...	97,15.52	82,85.82	(+)17.25	
800 अन्य व्यय	...	1,73.78	...	1,73.78	1,63.64	(+)6.20	
	<b>10.13</b>	...	...				
<b>जोड़- 04</b>	<b>7,07,68.96</b>	<b>19,47.44</b>	...	<b>7,27,26.53</b>	<b>6,76,49.05</b>	<b>(+7.51</b>	
<b>80 सामान्य</b>							
001 निवेशन तथा प्रशासन	39,69.73	...	...	39,69.73	39,07.82	(+)1.58	
<b>जोड़- 80</b>	<b>39,69.73</b>	...	...	<b>39,69.73</b>	<b>39,07.82</b>	<b>(+)1.58</b>	
	<b>10.13</b>	...	...				
<b>जोड़-(3054)</b>	<b>11,45,89.24</b>	<b>34,44.59</b>	...	<b>11,80,43.96</b>	<b>10,95,56.25</b>	<b>(+)7.75</b>	

## 15.लघु शीर्षोंवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोस्रान् प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत	जोड़			
		एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवायें-क्रमशः							
(छ) परिवहन-समाप्त							
<b>3055 सड़क परिवहन-</b>							
001 निदेशन एवं प्रशासन	6,78.58	...	...	6,78.58	5,71.78	(+)18.68	
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1,35,00.00	30,00.00	...	1,65,00.00	1,55,00.00	(+)6.45	
<b>जोड़-(3055)</b>	<b>1,41,78.58</b>	<b>30,00.00</b>	...	<b>1,71,78.58</b>	<b>1,60,71.78</b>	<b>(+)6.89</b>	
<b>3056 अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन-</b>							
001 निदेशन एवं प्रशासन	5.42	...	...	5.42	3.85	(+)40.78	
<b>जोड़-(3056)</b>	<b>5.42</b>	<b>...</b>	...	<b>5.42</b>	<b>3.85</b>	<b>(+)40.78</b>	
<b>जोड़- (छ) परिवहन</b>	<b>10.13</b>	<b>...</b>	...				
	<b>12,88,19.08</b>	<b>64,44.59</b>	...	<b>13,52,73.80</b>	<b>12,56,75.98</b>	<b>(+)7.64</b>	
(ञ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण-							
<b>3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-</b>							
<b>60 अन्य-</b>							
001 निदेशन तथा प्रशासन	1,94.99	17.52	...	2,12.51	2,18.61	(-)2.79	
200 अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता	69.57	2,42.75	...	3,12.32	3,69.77	(-)15.54	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	91.60	...	91.60	...		
<b>जोड़- 60</b>	<b>2,64.56</b>	<b>3,51.87</b>	...	<b>6,16.43</b>	<b>5,88.38</b>	<b>(+)4.77</b>	
<b>जोड़-(3425)</b>	<b>2,64.56</b>	<b>3,51.87</b>	...	<b>6,16.43</b>	<b>5,88.38</b>	<b>(+)4.77</b>	
<b>3435 पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-</b>							
<b>03 पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिकी पुनरुद्धार-</b>							
103 अनुसंधान तथा पारिस्थितिकी पुनरुद्धार	3.40	49.00	...	52.40	42.15	(+)24.32	
<b>जोड़- 03</b>	<b>3.40</b>	<b>49.00</b>	...	<b>52.40</b>	<b>42.15</b>	<b>(+)24.32</b>	
<b>जोड़-(3435)</b>	<b>3.40</b>	<b>49.00</b>	...	<b>52.40</b>	<b>42.15</b>	<b>(+)24.32</b>	
<b>जोड़- (ञ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण</b>	<b>2,67.96</b>	<b>4,00.87</b>	...	<b>6,68.83</b>	<b>6,30.53</b>	<b>(+)6.07</b>	

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े			जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना	जोड़			
		केन्द्रीय योजनागत	एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)							
ग. आर्थिक सेवाएं-क्रमशः							
(त्र) सामान्य आर्थिक सेवाएं							
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-</b>							
090 सचिवालय	12,86.85	...	...	12,86.85	11,85.92	(+)8.51	
091 संलग्न कार्यालय	4,50.36	...	...	4,50.36	29.30	(+)14,37.06	
101 योजना आयोग/योजना बोर्ड	2.02	11,23.40	...	11,25.42	10,53.51	(+)6.83	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	50.00	...	50.00	50.00	...	
<b>जोड़-(3451)</b>	<b>17,39.23</b>	<b>11,73.40</b>	...	<b>29,12.63</b>	<b>23,18.73</b>	<b>(+)25.61</b>	
<b>3452 पर्यटन-</b>							
<b>01 पर्यटन- अदसर्वना</b>							
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	5,54.00	...	5,54.00	4,94.00	(+)12.15	
<b>जोड़- 01</b>	<b>...</b>	<b>5,54.00</b>	...	<b>5,54.00</b>	<b>4,94.00</b>	<b>(+)12.15</b>	
<b>80 सामान्य-</b>							
001 निदेशन एवं प्रशासन	4,19.58	17,62.48	...	21,82.06	19,25.73	(+)13.31	
003 प्रशिक्षण	...	12.00	...	12.00	12.00	...	
104 प्रोत्साहन तथा प्रचार	...	6,50.00	...	6,50.00	5,30.00	(+)22.64	
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	11.00	...	11.00	...	(+)100.00	
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	9.85	...	9.85	8.81	(+)11.80	
800 अन्य व्यय	...	8.50	...	8.50	63.71	(-)86.66	
<b>जोड़- 80</b>	<b>4,19.58</b>	<b>24,53.83</b>	...	<b>28,73.41</b>	<b>25,40.25</b>	<b>(+)13.12</b>	
<b>जोड़-(3452)</b>	<b>4,19.58</b>	<b>30,07.83</b>	...	<b>34,27.41</b>	<b>30,34.25</b>	<b>(+)12.96</b>	
<b>3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-</b>							
<b>01 जनगणना</b>							
800 अन्य व्यय	...	...	...	...	...	1.44	(-)1,00.00
<b>जोड़- 01</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	...	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>1.44</b>	<b>(-)1,00.00</b>

## 15.लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वास्तविक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		राज्य योजनागत	योजना			
		केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाएं-समाप्त						
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-समाप्त						
<b>3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-समाप्त</b>						
<b>02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-</b>						
110 राजविवरणिका तथा सांख्यिकीय संस्मरण	58.00	...	...	58.00	45.02	(+)28.83
111 जन्म-मृत्यु सांख्यिकी	6,91.48	...	...	6,91.48	6,56.25	(+)5.37
112 आर्थिक सला तथा सांख्यिकी	4,79.98	...	31.05	5,11.03	2,40.60	(+)1,12.40
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	60.78	...	...	60.78	56.06	(+)8.42
<b>जोड़- 02</b>	<b>12,90.24</b>	...	<b>31.05</b>	<b>13,21.29</b>	<b>9,97.93</b>	<b>(+)32.40</b>
<b>जोड़-(3454)</b>	<b>12,90.24</b>	...	<b>31.05</b>	<b>13,21.29</b>	<b>9,99.37</b>	<b>(+)32.21</b>
<b>3456 नागरिक आपूर्ति</b>						
001 निवेशन एवं प्रशासन	8,91.86	4,01.38	4,50.49	17,43.73	8,19.91	(+)1,12.67
<b>जोड़-(3456)</b>	<b>8,91.86</b>	<b>4,01.38</b>	<b>4,50.49</b>	<b>17,43.73</b>	<b>8,19.91</b>	<b>(+)1,12.67</b>
<b>3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>						
106 भार और माप का विनियम	2,14.55	...	...	2,14.55	2,13.47	(+)0.51
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1.82	1.00	...	2.82	1.41	(+)1,00.00
<b>जोड़-(3475)</b>	<b>2,16.37</b>	<b>1.00</b>	...	<b>2,17.37</b>	<b>2,14.88</b>	<b>(+)1.16</b>
<b>जोड़- (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>	<b>45,57.28</b>	<b>45,83.61</b>	<b>4,81.54</b>	<b>96,22.43</b>	<b>73,87.14</b>	<b>(+)30.26</b>
<b>जोड़-ग.- आर्थिक सेवाएं</b>	<b>17.62</b>	...	...			
	<b>33,05,07.86</b>	<b>8,22,75.25</b>	<b>5,94,74.65</b>	<b>47,22,75.38</b>	<b>35,90,45.44</b>	<b>(+)31.54</b>

## 15. लघु शीर्षों-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

शीर्ष	आयोजनेतर	2014-15 के वार्षिक आंकड़े		जोड़	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष के दोरान प्रतिशत वृद्धि (+) / कमी (-)
		योजना	जोड़			
		राज्य योजनागत केंद्रीय योजनागत एवं केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश	(₹ लाख में)			
<b>घ. सहायता अनुदान एवं अंशदान-</b>						
<b>3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-</b>						
107 स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	9,12.70	...	...	9,12.70	9,09.03	(+)0.40
<b>जोड़-(3604)</b>	<b>9,12.70</b>	...	...	<b>9,12.70</b>	<b>9,09.03</b>	<b>(+)0.40</b>
<b>जोड़-घ-सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>9,12.70</b>	...	...	<b>9,12.70</b>	<b>9,09.03</b>	<b>(+)0.40</b>
	<b>28,94,20.36</b>	...	...			
<b>सकल जोड़-व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)</b>	<b>1,36,89,02.04</b>	<b>17,64,61.93</b>	<b>14,39,21.07</b>	<b>1,97,87,05.40</b>	<b>1,73,52,48.55</b>	<b>(+)14.03</b>
वेतन	80,01,78.12	1,45,83.09	...	81,95,49.16	73,23,04.20	(+)11.91
सहायता	6,56,77.04	79,74.58	...	8,01,34.17	4,67,14.68	(+)71.54
सहायता अनुदान	4,41,54.64	17,14,63.38	...	21,56,18.02 *	14,37,88.76	(+)49.95
टिप्पणी:- वेतन, सहायता तथा सहायता अनुदान कुल व्यय में सम्मिलित है।						
* ₹ 9,12.70 लाख घ सहायता अनुदान एवं अंशदान सम्मिलित है।						

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लेन-देनों का तुलनात्मक सार नीचे दिया गया है:-

वर्ष 2013-14 में (₹1,73,52,48.55 लाख) की अपेक्षा वर्ष 2014-15 में (₹ 1,97,87,05.40 लाख) राजस्व व्यय में ₹ 24,34,56.85 लाख की वृद्धि हुई:-

मुख्य लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वृद्धि	मुख्य कारण		
	2014-15					
	1	2				
(₹ लाख में)						
2202 समान्य शिक्षा	40,73.50	35,48.06	5,25.44	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		
2801 विद्युत-	4,03.78	23.00	3,80.78	सरकार द्वारा एच.पी.एस.ई.बी.एल को ट्रैफ रोल बैंक सब्सीडी वापिस न देना		
2049 ब्याज भुगतान-	28,49.14	24,80.86	3,68.27	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		
2505 ग्रामीण रोजगार-	3,92.45	49.97	3,42.48	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		
2210 चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य-	9,98.36	8,66.63	1,31.73	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-	4,81.36	3,66.75	1,14.61	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		
2401 फसल कृषि कर्म-	3,76.87	2,72.51	1,04.36	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		
2211 परिवार कल्याण-	2,38.82	1,34.66	1,04.16	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लेन-देनों का तुलनात्मक सार नीचे दिया गया है:-

संवितरण में कमी के कारण निम्नलिखित हैं:

मुख्य लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		कमी	मुख्य कारण		
	2014-15					
	1	2				
(₹ लाख में)						
2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-	1,64.35	2,96.72	1,32.37	सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये		

## विवरणी संख्या 15 का अनुबन्ध

क्रम संख्या	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	राज्य सरकार द्वारा वास्तविकता जारी केन्द्रीय भाग	घाटा (-) आधिक्य (+)	राज्य सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान	घाटा (-) आधिक्य (+)	कुल जारी अनुदान	व्यय
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
( ₹ लाख में)									
1	एन.एस.एस. हेतु हि.प्र. विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (75:25)	2,29.25	2,29.25	...	79.10	79.11	(+).01	3,08.35	3,08.36
2	राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना (75:25)	1,32.97	3,09.32	(+)1,76.35	8,98.00	8,98.00	...	12,07.32	12,07.32
3	कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमान्त किसानों को सहायता (50:50)	8,14.47	...	(-)8,14.47	40.42	40.42	...	40.42	40.42
4	इन्द्रिय आवास योजना (75:25)	1,36.79	13,45.79	(+)12,09.00	4,36.31	4,36.31	...	17,82.10	17,82.10
5	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रक्ता) (90:10)	8,07.75	16,96.50	(+)8,88.75	1,75.00	1,74.98	(-)0.02	18,71.50	18,71.48
6	सर्वशिक्षा अभियान (65:35)	55,34.33	1,25.30.24	69,95.91	63,66.49	63,66.49	...	1,88,96.33	1,88,96.33
7	व्यवसायिक शिक्षा (75:25)	13,51.24	24,39.63	(+)10,88.39	7,12.66	7,12.66	...	31,52.29	31,52.29
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 75:25)	1,06,05.30	13,43.18	(-)92,62.12	9,25.79	9,25.79	...	22,68.97	22,68.97
9	प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण (50:50)	31,43.34	17,05.13	(-)14,38.21	7,42.00	7,42.00	...	24,47.13	24,47.13

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैकिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय				2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	
			आयोजनेतर		योजना	जोड़			
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश					
(₹ लाख में)									
क.	सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा								
<b>4055</b>	<b>पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>								
207	राज्य पुलिस	...	...	...	...	...	3,56.00	...	
211	पुलिस आवास	18,87.00	...	14,56.98	5,34.00	19,90.98	1,78,98.87	(+5.51	
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	8,99.00	...	3,80.00	1,26.00	5,06.00	18,01.00	(-)43.72	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	62.00	...	1,89.00	35.00	2,24.00	12,58.92	(+)2,61.29	
	<b>जोड़ 4055</b>	<b>28,48.00</b>	<b>...</b>	<b>20,25.98</b>	<b>6,95.00</b>	<b>27,20.98</b>	<b>2,13,14.79</b>	<b>(-)4.46</b>	
<b>4058</b>	<b>लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय</b>								
103	सरकारी मुद्रणालय	...	...	...	...	...	3,05.14	...	
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	65.00	...	
	<b>जोड़ 4058</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>3,70.14</b>	<b>...</b>	
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>								
<i>01</i>	<i>कार्यालय भवन</i>								
001	निदेशन तथा प्रशासन	...	...	...	...	...	0.48	...	
51	सामान्य पूल आवास का निर्माण	...	...	...	...	...			
(i)	शिमला में लोक निर्माण भवन का निर्माण	72.93	...	...	...	...	11,93.83	...	
(ii)	चक्कर में न्यायालय परिसर का निर्माण	8.80	4.50	...	4.50	37,58.30	(-)48.86		
(iii)	चक्कर में न्यायालय परिसर में कार पार्किंग का निर्माण	...	1,35.75	...	1,35.75	10,08.65	(+)100.00		
(iv)	उच्च न्यायालय के साथ प्रशासनिक भवन का निर्माण	9.26	2.80	...	2.80	10,25.35	(-)69.76		
(v)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	16,27.25	...		
(vi)	प्रति स्कीम ₹ पैंच करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीम	32,91.14	4,40.00	30,16.11	...	34,56.11	3,64,51.33	(+)5.01	
	<b>जोड़ 051</b>	<b>33,82.13</b>	<b>4,40.00</b>	<b>31,59.16</b>	<b>...</b>	<b>35,99.16</b>	<b>4,50,64.71</b>	<b>(+)6.42</b>	

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैक्लिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
क.	सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमम्:						
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यवस्थापत्र						
01	कार्यालय भवन						
789	अनुशूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	92.88	...	1,47.00	...	1,47.00	17,58.21 (+)58.27
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,52.65	...	1,94.30	30.00	2,24.30	68,79.60 (-)11.22
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	5.00 ...
	<b>जोड़ 01</b>	<b>37,27.66</b>	<b>4,40.00</b>	<b>35,00.46</b>	<b>30.00</b>	<b>39,70.46</b>	<b>5,37,08.00 (+)6.51</b>
60	अन्य भवन						
051	निर्माण	10.00	...	19.90	...	19.90	3,72.77 (+)99.00
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	1,37.64 ...
	<b>जोड़ 60</b>	<b>10.00</b>	<b>...</b>	<b>19.90</b>	<b>...</b>	<b>19.90</b>	<b>5,10.41 (+)99.00</b>
80	सामान्य						
051	निर्माण						
(i)	धर्मसाला में प्रशासनिक भवन का निर्माण	1,66.94		4.50	...	4.50	9,90.92 (-)97.30
(ii)	कार्य/परियोजनाये जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	14,61.94 ...
(iii)	प्रति स्कीम ₹ पाँच करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	9,87.46	...	12,65.90	...	12,65.90	1,63,23.94 (+)28.20
	<b>जोड़ 051</b>	<b>11,54.40</b>		<b>12,70.40</b>		<b>12,70.40</b>	<b>1,87,76.80 (+)10.05</b>
052	मशीनरी तथा उपस्कर	...	...	...	...	...	5.21 ...
201	भूमि का अर्जन	...	...	...	...	...	2,38.92 ...
	<b>जोड़ 80</b>	<b>11,54.40</b>		<b>1270.40</b>		<b>12,70.40</b>	<b>1,90,20.93 (+)10.05</b>
	<b>जोड़ 4059</b>	<b>48,92.06</b>	<b>4,40.00</b>	<b>47,90.76</b>	<b>30.00</b>	<b>52,60.76</b>	<b>7,32,39.34 (+)7.54</b>

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटैक्लिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)		
			योजना		जोड़				
			आयोजनेतर	राज्य योजनागत					
	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः						(₹ लाख में)		
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखासमाप्त								
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त								
03	खेल कूद तथा युवा सेवा								
101	युवा छात्रावास	7,85.09	0.01	6,00.99	...	6,00.98	72,15.29		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	1,25.06	...	1,25.06	1,25.06		
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	43.12	...	63.18	...	63.18	16,06.08		
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	5,08.22		
	<b>जोड़ 03</b>	<b>8,28.21</b>	<b>0.01</b>	<b>7,89.23</b>	<b>...</b>	<b>7,89.22</b>	<b>94,54.65</b>		
04	कला तथा संस्कृति								
104	अभिलेखागार	...	...	...	...	...	3,16.89		
105	सार्वजनिक पुस्तकालय	...	...	...	...	...	16.82		
106	संग्रहालय	51.06	...	50.00	...	50.00	3,13.87		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	29.00	...	29.00	29.00		
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	67.17	...	29.02	...	29.02	6,61.80		
800	अन्य व्यय	1,28.41	...	2,09.14	...	2,09.14	31,08.75		
	<b>जोड़ 04</b>	<b>2,46.64</b>	<b>...</b>	<b>3,17.16</b>	<b>...</b>	<b>3,17.16</b>	<b>44,47.13</b>		
	<b>जोड़ 4202</b>	<b>1,74,21.77</b>	<b>0.01</b>	<b>1,28,59.07</b>	<b>2,37.21</b>	<b>1,30,96.27</b>	<b>18,81,23.43</b>		
	जोड़(क) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति का पूँजीगत लेखा	<b>1,74,21.77</b>	<b>0.01</b>	<b>1,28,59.07</b>	<b>2,37.21</b>	<b>1,30,96.27</b>	<b>(-)24.83</b>		
	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः:								
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा								
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय								
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं								
110	अस्पताल तथा औषधालय	19,86.86	...	16,56.99	...	16,56.99	1,58,15.29		
	<b>जोड़ 01</b>	<b>19,86.86</b>	<b>...</b>	<b>16,56.99</b>	<b>...</b>	<b>16,56.99</b>	<b>(-)16.60</b>		

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
	ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमश:						(₹ लाख में)
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा						
<b>4210</b>	<b>विकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>02</b>	<b>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं</b>						
101	स्वास्थ्य उप केन्द्र	...	...	...	...	4,91.84	...
102	सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	...	...	...	...	1.49	...
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,57.22	...	1,86.00	...	35,46.18	(+)18.3
104	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	...	...	...	...	2,91.96	...
110	अस्पताल तथा औषधालय	...	1,26.86	...	...		
		27,91.83	...	19,80.87	...	21,07.73	1,82,48.67
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	9,45.30	...	10,52.16	...	10,52.16	69,73.03
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,21.40	...	1,08.80	...	1,08.80	47,91.42
	<b>जोड़ 02</b>		<b>1,26.86</b>	...	...		
		<b>40,15.75</b>	...	<b>33,27.83</b>	...	<b>34,54.69</b>	<b>3,43,44.59</b>
<b>03</b>	<b>विकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</b>						(-)13.9
101	आयुर्वेद	6,33.04	...	4,45.52	...	4,45.52	71,88.20
105	एलोपैथी	4,21.00	...	3,27.99	...	3,27.99	2,72,96.19
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,39.00	...	1,27.00	...	1,27.00	3,73.50
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	35.80	...	82.98	...	82.98	14,63.44
	<b>जोड़ 03</b>		<b>12,28.84</b>	...	<b>9,83.49</b>	...	<b>9,83.49</b>
<b>04</b>	<b>लोक स्वास्थ्य</b>						
107	लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें	...	...	...	...	50.15	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	60.00	...	1,32.00	...	1,32.00	6,56.95
	<b>जोड़ 04</b>		<b>60.00</b>	...	<b>1,32.00</b>	...	<b>1,32.00</b>
						<b>7,07.10</b>	<b>(+)1,20.00</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैकिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा समाप्तः						
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त						
80	सामान्य						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	5,00.00	...
	जोड़ 80	...	...	...	...	5,00.00	...
	जोड़ 4210		1,26.86	...	...		
		72,91.45	...	61,00.31	...	62,27.17	8,76,88.31
							(-)14.60
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय						
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	...	...	...	...	2,09.90	...
106	सेवा तथा आपूर्ति	...	...	...	...	1,26.35	...
108	विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	...	...	...	...	16,99.48	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	1,49.85	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	11,36.78	...
	जोड़ 4211	...	...	...	...	33,22.36	...
			1,26.86				
	जोड़(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	72,91.45	...	61,00.31	...	62,27.17	9,10,10.67
(ग)	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा						(-)14.60
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय						
01	जलापूर्ति						
101	शहरी जलापूर्ति						
(i)	रोहड़ शहर में मल निकास प्रणाली का प्रबन्ध करना	4.82	...	...	...	8,27.86	(-)100.00
(ii)	कुल्लू शहर जलापूर्ति स्कीम का विकास	...	...	...	...	4,71.20	...
(iii)	मनाली शहर जलापूर्ति स्कीम का विकास	...	...	...	...	3,31.29	...
(iv)	डलहोजी स्रोत स्तर की वृद्धि	...	...	...	...	11,27.86	...

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
(₹ लाख में)							
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखांक्रमशः						
(ग)	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01	जलापूर्ति						
101	शहरी जलापूर्ति						
(v)	धूपार्थी में मल व्यवस्था स्कीम	11.41	...	...	...	8,07.01	(-)100.00
(vi)	कण्डा पतन से धवाली तक जलापूर्ति स्कीम की व्यवस्था	98.27	...	...	...	6,09.56	(-)100.00
(vii)	मैहत्तपुर के लिए मल निकास स्कीम	...	...	...	...	3,17.65	...
(viii)	सन्तोखगढ़ के लिए मल निकास स्कीम	...	...	...	...	4,24.45	...
(ix)	सोलन शहर के लिए मल निकास स्कीम	91.47	...	...	...	10,17.65	(-)100.00
(x)	सरकाधाट के लिए मल निकास स्कीम	81.19	...	...	...	7,89.33	(-)100.00
(xi)	नगरोटा शहर धर्मशाला में जलापूर्ति स्कीम को वृद्धि	...	...	319.24	...	3,45.91	(+)100.00
(xii)	टूटीकण्डी शिमला में ई एन सी कार्यालय भवन का निर्माण	...	...	450.00	...	450.00	13,09.83
(xiii)	नाचन विधान सभा के क्षेत्र के धाबन बन्नी में टयुब बैंल का निर्माण	...	...	0.77	...	0.77	1.99
(xiv)	रीवालसर शहर के लिए उठाऊ जल परियोजन का निर्माण	...	...	0.92	...	0.92	0.92
(xv)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	1,26,23.54	...
(xvi)	प्रति स्कीम ₹ पाँच करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	7,31.77	...	36.85 2,76.11	...	3,12.96	2,07,29.35
	जोड़ 101 अन्य स्कीमें	10,18.93	...	36.85 10,47.04	...	10,83.89	4,17,35.40
102	ग्रामीण जलापूर्ति						
(i)	ज्ञा नगर मल निकास स्कीम की व्यवस्था	...	...	...	...	...	9,11.17
(ii)	दियोटसिद्ध जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि	...	...	...	...	...	6,24.02
(iii)	सुन्दरनगर में मल निकास स्कीम	...	...	...	...	...	12,14.18

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैकिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							

स्व. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः

(ग) जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा क्रमशः

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्ययक्रमशः

01 जलापूर्तिक्रमशः

102 ग्रामीण जलापूर्ति

(iv) सुन्दरनगर में जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि

... ... ... ... ... 11,85.40

...

(v) धर्मशाला मल निकास स्कीम

... ... ... ... ... 20,98.96

...

(vi) देव बदागी में निम्न जलापूर्ति स्कीम की व्यवस्था

... ... ... ... ... 5,91.08

...

(vii) गांव कोडरा से टुटरु तक जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि

... ... ... ... ... 13,80.98

...

(viii) जसवां प्रागपुर क्षेत्र के अन्तर्गत एन.सी/पी.सी. वर्स्टी हेतु प्रावधान

... ... ... ... ... 39,04.76

...

(ix) जिला विलासपुर पी.सी. वर्स्टी हेतु विभिन्न पेयजल योजनाएं, सदर घुमार्हों झण्डूता खण्ड के लिए कोल डैम से निम्न जलापूर्ति योजना की

50.30 ... 76.37 ... 76.37 47,29.71

(+)51.83

(x) एन.सी.पी.सी के लोगों के लिए अर्की गम्बर तक उठाऊ जलापूर्ति योजना की वृद्धि

9,25.70 ... ... ... ... 10,71.62

(-)100.00

(xi) व्यास नदी से उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण

6,36.97 ... ... ... ... 10,75.69

(-)100.00

(xii) कांगड़ा नगर उठाऊ जलापूर्ति योजना स्कीम की वृद्धि

2,93.11 ... ... ... ... 4,03.46

(-)100.00

(xiii) कोल डैम विलासपुर योजना की वृद्धि

... ... ... ... ... 16,00.00

...

(xiv) अमेसी गोयला पावर उठाऊ जल परियोजना नालागढ़

... ... 33.03 ... 33.03 64.18

(+)100.00

(xv) जासल सेवीधार करसोग उठाऊ जल परियोजना

... ... ... 1,14.93 1,14.93 4,39.73

(+)100.00

(xvi) तहसील खुण्डीयां देहरा उठाऊ जल परियोजना

... ... 8,39.69 ... 8,39.69 8,39.69

(+)100.00

(xvii) सलापर कांगो देहरा बरोटी सुन्दरनगर उठाऊ जल परियोजना

... ... 1,19.58 ... 1,19.58 7,88.90

(+)100.00

(xviii) ग्राम पंचायत उत्तीप, बट्टलड़ु चम्बा में सुखा ग्रस्त क्षेत्र में जल वितरण यं

... ... 2,24.33 ... 2,24.33 8,10.43

(+)100.00

(xix) बैरा भरोटा हाटली, सरकाधाट के निवासियों के लिए उठाऊ जल वितरण यं

... ... 4,96.09 ... 4,96.09 29,03.80

(+)100.00

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैकिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							

ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः

(ग) जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा क्रमशः

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्ययक्रमशः

01 जलापूर्तिसमाप्त

102 ग्रामीण जलापूर्तिक्रमशः

(xx) पता समसोह ग्राम पंचायत गाहर सरकाघाट में उठाऊ जल वितरण योजना ... ... 3,65.54 ... 3,65.54 12,91.14 (+)100.00

(xxi) सैंजनाला से घरेग घण्डल (शिमला1) तक उठाऊ जल वितरण योजना का सम्बर्धन 20,43.89 20,43.89 20,43.89 (+)100.00

(xxii) कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा ... ... ... ... 66,17.89 ...

(xxiii) प्रति स्कीम ₹ पाँच करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें 77,84.48 ... 56,26.34 61,26.43 1,17,52.77 25,19,57.36 (+)50.98

**जोड़ 102 96,90.56 ... 98,24.86 62,41.36 1,60,66.22 28,85,48.04 (+)65.79**

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

(i) सैंजनाला से घरेग घण्डल (शिमला1) तक उठाऊ जल वितरण योजना का सम्बर्धन ... ... 78.56 ... 78.56 78.56 (+)100.00

(ii) गिरी नदी से नाहन शहर के लिए उठाऊ जल वितरण योजना उपलब्ध करन ... ... 1,81.06 ... 1,81.06 3,44.27 (+)100.00

(iii) प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ और उससे कम लागत की अन्य स्कीमें 54,29.60 ... 4999.75 29,08.82 79,08.57 3,90,81.89 (+)45.66

**जोड़ 789 54,29.60 ... 52,59.37 29,08.82 81,68.19 3,95,04.72 (+)50.44**

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 6,39.53 ... 8,80.39 2,67.67 11,48.06 1,65,10.53 (+)79.52

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना ... ... ... ... 30.71 ...

901 घटाई पूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा वसूलियां ... ... ... ... 0.04 ...

**जोड़ 01 1,67,78.62 ... 1,70,11.66 94,17.85 2,64,66.36 38,63,29.36 (+)57.74**

36.85

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
		आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			(₹ लाख में)

(₹ लाख में)

- ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखाक्रमशः  
 (ग) जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा क्रमशः

**4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्ययसमाप्त**

02 मल-जल तथा सफाई

101 शहरी स्वच्छता सेवायें

(i) प्रति स्कीम ₹ पाँच करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें

... ... ... ... ... 2.82.73.24 ...

2 82 73 24

106 सलजल सेवाये 18.00.00 12.11.00 12.11.00 86.08.84 (-)32.72

789 अन्तर्राष्ट्रीय जलियों के लिए विशेष मानक योजना 5,00,00 12,29,00 12,29,00 66,17,79 (+) 1,45,80

**24** 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

**24,40.00** ... **24,40.00** **4,34,99.87** **(+)6.09**

36.85

... 1,94,51.66 94,17.85 2,89,06.36 42,98,29.23 (+)51.51

4216 | आवास पर पंजीगत परिव्यय

01 सरकारी रिहायशी भवन

106 सामान्य पूल आवास

(i) शिमला में 1000 आ

(ii) काये योजनाएं जिन पर गत 5 वर्षों में कोई काये नहीं हुआ है

... ... ... ... ... 3,46.06 ...

(iii) प्रति रुपये ₹ 5 करोड़ और उससे कम लागत की अन्य स्कीमें 8,70.23 ... 17,44.57 17,44.57 6,20,95.55 (+)100.47

.67 ... **17,57.70** ... **17,57.70** **6,40,72.89** **(+)8.39**

107 पुलिस अवास ... ... ... ... 22,53.97 ...

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैकिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(ग)	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा क्रमशः						
<b>4216</b>	<b>आवास पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त</b>						
700	अन्य आवास	74.09	...	50.00	...	50.00	24,63.74 (-)32.51
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,84.30	...	1,19.27	...	1,19.27	55,71.42 (-)35.28
901	घटाईए पूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा वसूलियां	...	...	...	...	...	(-) 04.31 ...
	<b>जोड़ 01</b>	<b>18,80.06</b>	...	<b>19,26.97</b>	...	<b>19,26.97</b>	<b>7,43,57.71 (+)2.50</b>
<b>02</b>	<b>शहरी आवास</b>						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	9.05 ...
800	अन्य व्यय	...	...	55.00	...	55.00	3,25.41 (+)100.00
	<b>जोड़ 02</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>55.00</b>	<b>...</b>	<b>55.00</b>	<b>3,34.46 ...</b>
<b>03</b>	<b>ग्रामीण आवास</b>						
102	भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था	...	...	...	...	...	7.99 ...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	47.67 ...
800	अन्य व्यय	...	...	17.00	...	17.00	4,51.50 (+)100.00
	<b>जोड़ 03</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>17.00</b>	<b>...</b>	<b>17.00</b>	<b>5,07.16 ...</b>
<b>80</b>	<b>सामान्य</b>						
101	भवन योजना एवं अनुसंधान	...	...	2.44	...	2.44	40.29 (+)100.00
	<b>जोड़ 80</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>2.44</b>	<b>...</b>	<b>2.44</b>	<b>40.29 (+)100.00</b>
	<b>जोड़ 4216</b>	<b>18,80.06</b>	...	<b>19,96.53</b>	...	<b>19,96.53</b>	<b>7,51,59.04 (+)6.20</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			

(₹ लाख में)

ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः

(ग) जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखासमाप्त

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

01 राज्य की राजधानी का विकास

051	निर्माण	...	...	...	...	...	2,40.64	...
	<b>जोड़ 01</b>	...	...	...	...	...	<b>2,40.64</b>	...
03	लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास							
051	निर्माण	96.89	...	88.91	...	88.91	25,08.02	(-)8.24
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	7.78	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	30.17	...
	<b>जोड़ 03</b>	<b>96.89</b>	...	<b>88.91</b>	...	<b>88.91</b>	<b>25,45.97</b>	<b>(-)8.24</b>
60	अन्य शहरी विकास योजनाएँ							
051	निर्माण	...	...	...	...	...	42,58.08	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	...	24,00.00	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	1.29	...
	<b>जोड़ 60</b>	<b>...</b>	...	<b>...</b>	...	<b>...</b>	<b>66,59.37</b>	...
	<b>जोड़ 4217</b>	<b>96.89</b>	...	<b>88.91</b>	...	<b>88.91</b>	<b>94,45.98</b>	<b>(-)8.24</b>
				<b>36.85</b>				
	जोड़(ग)जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	<b>2,10,55.57</b>	...	<b>2,15,37.10</b>	<b>94,17.85</b>	<b>3,09,91.80</b>	<b>51,44,34.25</b>	<b>(+)47.19</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
स्व.	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(घ)	सूचना एवं प्रसारण का पूँजीगत लेखा						
<b>4220</b>	<b>सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>60</b>	<b>अन्य</b>						
101	भवन	57.38	1,00.00	25.49	...	1,25.49	6,67.14
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	18.28
	<b>जोड़ 60</b>	<b>57.38</b>	<b>1,00.00</b>	<b>25.49</b>	...	<b>1,25.49</b>	<b>6,85.42</b>
	<b>जोड़ 4220</b>	<b>57.38</b>	<b>1,00.00</b>	<b>25.49</b>	...	<b>1,25.49</b>	<b>6,85.42</b>
	<b>जोड़(घ) सूचना एवं प्रसारण</b>	<b>57.38</b>	<b>1,00.00</b>	<b>25.49</b>	...	<b>1,25.49</b>	<b>6,85.42</b>
(ङ.)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण						
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>01</b>	<b>अनुसूचित जातियों का कल्याण</b>						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	22,67.44
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2,00.00	...	1,34.00	3,84.00	5,18.00 (क)	19,28.00
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	63.73
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	25.00
	<b>जोड़ 01</b>	<b>2,00.00</b>	...	<b>1,34.00</b>	<b>3,84.00</b>	<b>5,18.00</b>	<b>42,84.17</b>
<b>02</b>	<b>अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</b>						
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	45.00	...	45.00	...	45.00 (क)	6,86.73
	<b>जोड़ 02</b>	<b>45.00</b>	...	<b>45.00</b>	...	<b>45.00</b>	<b>6,86.73</b>

(क) हिमाचल प्रदेश (एस सी एस टी) विकास निगम में निवेशित व्यय दर्शाता है।

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः						
(ङ.)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याणसमाप्त						
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2,02.00	...	1,33.00	...	1,33.00 (क)	26,37.84 (-)34.16
	<b>जोड़ 03</b>	<b>2,02.00</b>	...	<b>1,33.00</b>	...	<b>1,33.00</b>	<b>26,37.84 (-)34.16</b>
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त						
80	सामान्य						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	88.06	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,16.72	...	...	...	10,97.05	(-)1,00.00
800	अन्य व्यय	8,37.00	...	2,72.67	...	2,72.67	81,33.12 (-)67.42
	<b>जोड़ 80</b>	<b>9,53.72</b>	...	<b>2,72.67</b>	...	<b>2,72.67</b>	<b>93,18.23 (-)71.41</b>
	<b>जोड़ 4225</b>	<b>14,00.72</b>	...	<b>5,84.67</b>	<b>3,84.00</b>	<b>9,68.67</b>	<b>1,69,26.97 (-)30.84</b>
	जोड़(ङ ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14,00.72	...	5,84.67	3,84.00	9,68.67	1,69,26.97 (-)30.84
(च)	सामाजिक कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा						
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त						
01	पुनर्वास						
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	90.64	...
	<b>जोड़ 01</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>90.64</b>	<b>...</b>
02	समाज कल्याण						
051	निर्माण	...	...	...	...	1,23.10	...
102	बाल विकास	...	...	...	...	2,83.00	...

(क) हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम (₹ 80.00 लाख) एवं हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (₹3.00 लाख)

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
	ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा समाप्त					(₹ लाख में)	
(च)	सामाजिक कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा समाप्त						
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त						
02	सामाजिक कल्याण						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	60.00	...	65.00	...	65.00 (क)	6,99.25 (+)8.33
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	47.50	...	47.37	...	47.37	30,45.07 (-)0.27
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	12.50	...	45.50	...	45.50	58.00 (+)2,64.00
800	अन्य व्यय	3,85.38	...	1,98.64	4,26.00	6,24.64	27,14.54 (+)62.08
	<b>जोड़ 02</b>	<b>5,05.38</b>	...	<b>3,56.51</b>	<b>4,26.00</b>	<b>7,82.51</b>	<b>69,22.96 (+)54.84</b>
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम						
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	16.61 ...
	<b>जोड़ 60</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>16.61 ...</b>
	<b>जोड़ 4235</b>	<b>5,05.38</b>	...	<b>3,56.51</b>	<b>4,26.00</b>	<b>7,82.51</b>	<b>70,30.21 (+)54.84</b>
	<b>जोड़ (च) सामाजिक कल्याण तथा पोषण</b>	<b>5,05.38</b>	...	<b>3,56.51</b>	<b>4,26.00</b>	<b>7,82.51</b>	<b>70,30.21 (+)54.84</b>
(छ)	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत लेखा						
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय						
201	श्रम	13.01	...	4.80	...	4.80	3,93.29 (-)63.11
203	रोजगार	...	...	...	...	...	85.93 ...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	47.49 ...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	1,80.19 ...
	<b>जोड़ 4250</b>	<b>13.01</b>	...	<b>4.80</b>	...	<b>4.80</b>	<b>7,06.90 (-)63.11</b>
	<b>जोड़(छ) अन्य</b>	<b>13.01</b>	...	<b>4.80</b>	...	<b>4.80</b>	<b>7,06.90 (-)63.11</b>
				<b>1,26.86</b>	<b>36.85</b>	...	
	<b>सकल जोड़(ख) सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>4,77,45.28</b>	<b>99.99</b>	<b>4,14,67.95</b>	<b>1,04,65.06</b>	<b>5,21,96.71</b>	<b>81,89,17.85 (+)9.32</b>

(क) हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम में नियोजित व्यय दर्शाता है।

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैक्लिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
						(₹ लाख में)	
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखा						
<b>4401</b>	<b>फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
001	निदेशन तथा प्रशासन		...	...	...	60.45	...
103	बीज	32,50.60	33,07.22	...	33,07.22	1,80,52.26	(+)1.74
104	कृषि फार्म	...	...	...	...	1,55.42	...
105	खाद तथा उर्वरक	16.38	16.38	...	16.38	1,72.25	...
107	वनस्पति संरक्षण	3,06.67	1,97.85	...	1,97.85	7,12.35	(-)35.48
109	विस्तार और कृषक प्रशिक्षण	...	...	...	...	8,96.45	...
113	कृषि इंजीनियरी	2,24.77	2,28.29	...	2,28.29	17,03.36	(+)1.57
119	बागवानी तथा वनस्पति फसलें	14,41.67	12,31.52	2,15.50	...	1,15,88.17	(+)0.37
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2,84.61	...	...	...	8,40.78	(-)1,00.00
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	85.00	...	85.00	85.00	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	5.50	...	22.60	...	13,30.47	(+)3,10.91
800	अन्य व्यय	95.83	...	97.78	...	5,01.30	(+)2.03
901	घटाईपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा वसूलियां	50,08.65	56,05.09	54.40	...	2,81,78.46	(+)12.99
	<b>जोड़ 4401</b>	<b>6,17.38</b>	<b>6,23.83</b>	<b>3,66.48</b>	<b>...</b>	<b>2,57.35</b>	<b>75,75.30</b>
						<b>(-)1,41.68</b>	
<b>4402</b>	<b>मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
102	मृदा संरक्षण	15,09.90	...	13,83.99	...	2,66,21.80	(-)8.34
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,99.76	...	4,66.00	...	41,88.14	(+)16.57
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	64.53	...	1,50.00	...	9,33.78	(+)1,32.45
800	अन्य व्यय	46.39	...	19.89	...	3,29.51	(-)57.12
	<b>जोड़ 4402</b>	<b>20,20.58</b>	<b>...</b>	<b>20,19.88</b>	<b>...</b>	<b>20,19.88</b>	<b>3,20,73.23</b>
						<b>(-)0.03</b>	

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	
			आयोजनेतर	योजना	जोड़			
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				
							(₹ लाख में)	
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखाक्रमशः							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखाक्रमशः							
<b>4403</b>	<b>पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>							
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	2,31.36	...	4,02.56	5,00.00	9,02.56	61,22.23	(+)2,90.1
102	पशु तथा भैंस विकास	...	...	...	...	...	21.46	...
104	भेड़ तथा ऊ विकास	...	...	...	...	...	46.69	...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	1.33	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,09.49	...	91.80	...	91.80	7,17.22	(-)16.1
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	73.04	...	19.92	11.00	30.92	16,40.03	(-)57.6
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	1.43	...
	<b>जोड़ 4403</b>	<b>4,13.89</b>	<b>...</b>	<b>5,14.28</b>	<b>5,11.00</b>	<b>10,25.28</b>	<b>85,50.39</b>	<b>(+)1,47.7</b>
<b>4404</b>	<b>डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय</b>							
110	मण्डी नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	...	3,86.25	...
901	घटाएंपूंजीगत लेखे पर प्राप्तियाँ और वसूलियाँ निवल व्यय	...	...	...	...	...	3,22.20	...
111	नाहन नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	...	64.05	...
901	घटाएंपूंजीगत लेखे पर प्राप्तियाँ और वसूलियाँ निवल व्यय	...	...	...	...	...	2,23.89	...
112	शिमला नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	...	1,54.51	...
901	घटाएंपूंजीगत लेखे पर प्राप्तियाँ और वसूलियाँ निवल व्यय	...	...	...	...	...	69.38	...
113	कांगड़ा नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	...	52.03	...
							6,58.19	

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							

ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमश:

(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखांकमश:

**4404** डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां निवल व्यय	...	...	...	...	5,50.89	...
114	चम्बा नगर दुग्ध अ पूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	36.89	...
901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां निवल व्यय	...	...	...	...	25.71	...
115	बिलासपुर नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	5.85	...
901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां निवल व्यय	...	...	...	...	6.25	...
116	नाथपा झाकड़ी दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	69.78	...
901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां निवल व्यय	...	...	...	...	45.01	...
117	कुल्लू नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीमसकल व्यय	...	...	...	...	49.14	...
901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां निवल व्यय	...	...	...	...	45.96	...
190	सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	1,84.86	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	21.86	...
	<b>जोड़ 4404</b>	...	...	...	...	<b>5,38.20</b>	...

**4405** मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय

001	निदेशन और प्रशासन	55.05	...	8.55	...	8.55	2,88.75	(-)84.47
101	अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन	1,28.82	...	98.44	...	98.44	22,85.62	(-)23.58

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
				राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
							(₹ लाख में)
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
<b>4405</b>	<b>मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
105	संसाधन, परिष्करण तथा विपणन	...	...	...	...	61.74	...
109	विस्तार व प्रशिक्षण	...	...	...	...	2,05.05	...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	9.71	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	22.00	...	22.00	22.00	(+)100.00
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	1.00	...	1.00	1,64.40	...
<b>जोड़ 4405</b>	<b>1,83.87</b>	...	<b>1,29.99</b>	...	<b>1,29.99</b>	<b>30,37.27</b>	<b>(-)29.30</b>
<b>4406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>01</b>	<b>वानिकी</b>						
070	संचार तथा भवन	1,55.36	...	1,63.00	...	1,63.00	39,19.77
101	वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	...	...	...	...	20.00	...
102	सामाजिक तथा फार्म वानिकी	...	...	...	...	3,20.31	...
112	राल तथा तारपीन फैक्टरियां	...	...	...	...	1,41.01	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	81.98	...	81.98	81.98	(+)100.00
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,74.01	...	74.64	3.00	77.64	37,24.22
800	अन्य व्यय	60.16	...	29.91	...	29.91	19,20.59
<b>जोड़ 01</b>	<b>3,89.53</b>	...	<b>3,49.53</b>	<b>3.00</b>	<b>3,52.53</b>	<b>1,01,27.88</b>	<b>(-)9.50</b>
<b>02</b>	<b>पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य प्राणी</b>						
110	वन्य जीवन	25.81	...	12.00	...	12.00	7,34.33
111	विडिया घर	7.00	...	5.00	...	5.00	3,85.34
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	10.00	10.00	61.01
<b>जोड़ 02</b>	<b>32.81</b>	...	<b>17.00</b>	<b>10.00</b>	<b>27.00</b>	<b>11,80.68</b>	<b>(-)17.71</b>
<b>जोड़ 4406</b>	<b>4,22.34</b>	...	<b>3,66.53</b>	<b>13.00</b>	<b>3,79.53</b>	<b>1,13,08.56</b>	<b>(-)10.14</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैकिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							

ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः

(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखाक्रमशः

**4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय**

**01 खाद्यान्न**

101	अधिप्राप्ति तथा पूर्ति	...	0.06	...	...	0.06	25,84.92	...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	10,00.00	...	...	...	...	21,57.35	(-)1,00.00
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	17.00	...	16.00	...	16.00	1,27.20	(-)5.88
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	37.35	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	1,45.65	...
<b>जोड़ 01</b>		<b>10,17.00</b>	<b>0.06</b>	<b>16.00</b>	<b>...</b>	<b>16.06</b>	<b>(-)1,17.37</b>	<b>(-)98.42</b>

**02 भण्डारण तथा भाण्डागार**

101	ग्रामीण गोदाम कार्यक्रमसकल व्यय	...	...	...	...	...	9,37.20	...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	6,75.42	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	0.30	...	0.60	...	0.60	6,68.60	(+)1,00.00
<b>जोड़ 02</b>		<b>0.30</b>	<b>...</b>	<b>0.60</b>	<b>...</b>	<b>0.60</b>	<b>22,81.22</b>	<b>(+)1,00.00</b>
<b>जोड़ 4408</b>		<b>10,17.30</b>	<b>0.06</b>	<b>16.60</b>	<b>...</b>	<b>16.66</b>	<b>21,63.85</b>	<b>(-)98.36</b>

**4415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय**

**01 फसल कृषि कर्म**

004	अनुसंधान	...	...	...	...	...	3,42.24	...
<b>जोड़ 01</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>3,42.24</b>	<b>...</b>

**80 सामान्य**

901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां	...	...	...	...	...	0.03	...
<b>जोड़ 80</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0.03</b>	<b>...</b>
<b>जोड़ 4415</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>3,42.21</b>	<b>...</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः						
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखासमाप्त						
<b>4416</b>	<b>कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश</b>						
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	9,09.44	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	39.80	...
	<b>जोड़ 4416</b>	...	...	...	...	<b>9,49.24</b>	...
<b>4425</b>	<b>सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
001	निदेशन तथा प्रशासन	...	...	...	...	2,94.42	...
106	बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों में निवेश	...	0.14	...	...	0.14	3,35.01 (+)1,00.00
107	क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश	...	...	...	...	14,72.92	...
108	अन्य सहकारी समितियों में निवेश	...	...	...	...	55,46.07	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	16.14	...	15.50	...	15.50	1,20.49 (-)3.97
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3.65	...	2.00	...	2.00	6,52.85 (-)45.21
	<b>जोड़ 4425</b>	<b>19.79</b>	<b>0.14</b>	<b>17.50</b>	...	<b>17.36</b>	<b>77,51.74</b> (-)12.28
<b>4435</b>	<b>अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>01</b>	<b>विपणन एवं गुणवत्ता नियन्त्रण</b>						
101	विपणन सुविधाएं	...	...	...	...	2,22.10	...
901	घटाएंपूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां	...	...	...	...	0.77	...
	<b>जोड़ 01</b>	...	...	...	...	<b>2,21.33</b>	...
	<b>जोड़ 4435</b>	...	...	...	...	<b>2,21.33</b>	...
	<b>जोड़ (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखा</b>	<b>46,95.15</b>	<b>6,23.91</b>	<b>34,31.26</b>	<b>5,24.00</b>	<b>33,31.35</b>	<b>7,45,11.32</b> (-)29.05

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः						
(ख)	ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा						
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
101	पंचायती राज	...	...	63.00	...	63.00	15,70.45
102	सामुदायिक विकास	...	...	...	...	...	60.58
103	ग्रामीण विकास	...	...	...	...	...	1.00
	<b>जोड़ 4515</b>	...	...	<b>63.00</b>	...	<b>63.00</b>	<b>16,32.03</b>
	<b>जोड़(ख) ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा</b>	...	...	<b>63.00</b>	...	<b>63.00</b>	<b>(+)1,00.00</b>
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखा						
<b>4700</b>	<b>मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<i>01</i>	<i>शाह नहर परियोजना</i>						
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	...	13,56.16
799	उच्चता	...	...	...	...	...	1,72.86
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	2,57.90.20
	<b>जोड़ 01</b>	...	...	<b>...</b>	...	<b>...</b>	<b>2,73,19.22</b>
	<b>जोड़ 4700</b>	...	...	<b>...</b>	...	<b>...</b>	<b>2,73,19.22</b>
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<i>11</i>	<i>गिरीवाटा परियोजना</i>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	...	8,64.88
	<b>जोड़ 11</b>	...	...	<b>...</b>	...	<b>...</b>	<b>8,64.88</b>
<i>12</i>	<i>बहन घाटी परियोजना</i>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	...	9,51.19
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	...	7,26.89
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	73,10.57
	<b>जोड़ 12</b>	...	...	<b>...</b>	...	<b>...</b>	<b>89,88.65</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखा						
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>13</b>	<b>भाबौर साहिब परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	4,42.15	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	8,40.01	...
	<b>जोड़ 13</b>	...	...	...	...	<b>12,82.16</b>	...
<b>15</b>	<b>चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	3,67.33	...
052	मशीनरी तथा उपस्कर	...	...	...	...	3,23.14	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	1,71.48	...
799	उच्चता	...	...	...	...	83.75	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	59,49.89	...
	<b>जोड़ 15</b>	...	...	...	...	<b>68,95.59</b>	...
<b>16</b>	<b>प्रवाह सिंचाई स्कीम सिधाता</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	7,46.35	...
052	मशीनरी तथा उपस्कर	...	...	...	...	9,09.96	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	4,49.87	...
799	उच्चता	...	...	...	...	86.71	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	59,24.05	...
	<b>जोड़ 16</b>	...	...	...	...	<b>81,16.95</b>	...
<b>18</b>	<b>सर्वेक्षण नदी परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	50.15	...
052	मशीनरी तथा उपस्कर	...	...	...	...	50.01	...
	<b>जोड़ 18</b>	...	...	...	...	<b>1,00.16</b>	...

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दोस्रान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दोस्रान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्ययक्रमशः</b>						
<b>19</b>	<b>उठाऊ सिंचाई कनाल परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	0.30	...
	<b>जोड़ 19</b>	...	...	...	...	<b>0.30</b>	...
<b>20</b>	<b>फेना सिंह नहर परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	5.02	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,40.00	...	3,13.00	...	3,13.00	2195.50 (-)7.94
799	उचन्त	...	...	...	...	...	1.87
800	अन्य व्यय	...	...	12,47.00	...	12,47.00	55,70.60 (+)1,00.00
	<b>जोड़ 20</b>	<b>3,40.00</b>	...	<b>15,60.00</b>	...	<b>15,60.00</b>	<b>77,72.99</b>
<b>21</b>	<b>हल्टी सुनराग बटाण्टा परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	10.25	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	8,65.00	...	4,56.00	...	4,56.00	19,39.00 (-)47.28
800	अन्य व्यय	26,34.99	...	10,44.02	...	10,44.02	49,31.51 (-)60.38
	<b>जोड़ 21</b>	<b>34,99.99</b>	...	<b>15,00.02</b>	...	<b>15,00.02</b>	<b>68,80.76</b>
<b>22</b>	<b>कृपाल चन्द कुहल परियोजना</b>						
001	निदेशन एवं प्रशासन	...	...	...	...	0.50	...
	<b>जोड़ 22</b>	...	...	...	...	<b>0.50</b>	...
<b>25</b>	<b>सुकका हार मध्यम सिंचाई परियोजना</b>						
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	0.10	...	0.10	0.10
	<b>जोड़ 25</b>	...	...	<b>0.10</b>	...	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैक्लिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखाक्रमशः						
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त</b>						
<b>80</b>	<b>सामान्य</b>						
005	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	...	...	...	...	2,06.07	...
190	सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	0.74	...
796	जनजातीय क्षेत्र उप परियोजना	...	...	...	...	2.25	...
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	...	...	...	...	61,48.66	...
799	उच्चता	...	...	...	...	43.80	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	2,09.27 *	...
	<b>जोड़ 80</b>	...	...	...	...	<b>66,10.79</b>	...
	<b>जोड़ 4701</b>	<b>38,39.99</b>	...	<b>30,60.12</b>	...	<b>30,60.12</b>	<b>4,75,13.83</b>
							<b>(-)20.31</b>
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
052	मशीनरी व उपरकर	...	...	...	...	1,74.01	...
101	सतही जल						
(i)	कोखनहट्टी धान कोहा धार कुल्लू2 में सिंचाई योजना	...	...	251.60	...	251.60	2,84.54
(ii)	ज्ञा1 के अपर बीट क्षेत्र में उठाऊसिंचाई योजना	...	...	1433.06	...	1433.06	18,13.13
(iii)	ज्ञा2 में सतपलोह, सूरी, अम्बतीला तथा गग्रेट में वर्षा जल संग्रहण	...	...	49.60	...	49.60	1,75.33
(iv)	बैरी मैहरी धवाली सरकाधाट में उठाऊ सिंचाई योजना	...	...	331.04	...	4065.14	43,96.18
(v)	तम्बोल जगत खाना बिलासपुर में उठाऊ सिंचाई योजना	...	...	10.00	...	10.00	5,75.45
(vi)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	79,60.46
(vii)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	37,03.62	...	13,94.22	...	13,94.22	6,06,06.73
	<b>जोड़ 101</b>	<b>37,03.62</b>	...	<b>72,03.62</b>	...	<b>72,03.62</b>	<b>7,58,11.82</b>
							<b>(+)94.50</b>

\* इसमें ₹ 71.31 लाख मुख्य शीर्ष 470103 मध्यम सिंचाई (वाणिज्यिक) वर्ष 196364 के अन्तर्गत किया गया व्यय शामिल है।

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय				2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	
			आयोजनेतर	योजना	जोड़				
				राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			(₹ लाख में)	
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखाक्रमशः								
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखाक्रमशः								
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>								
<b>102</b>	<b>भूमि जल</b>								
(i)	सोहारी बरोलटा से जय चौक एवं टकोली खड़ तक।	...	...	...	...	...	1,04.47		
(ii)	समरोली सानल से सिरमौर खड़ तक उठाऊ सिंचाई योजना।	...	...	...	...	...	4,32.33		
(iii)	गंगध लोधाआ क्षेत्र में 11 नलकूपों का निर्माण।	76.00	...	90.00	...	90.00	3,13.88	(+)	18.42
(iv)	नालागढ़ क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण।	3,08.42	...	12.26	...	12.26	3,25.19	(-)	96.02
(v)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	8,73.41		
(vi)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	10,99.06	...	438.59	...	438.59	2,28,11.56	(-)	60.09
	<b>जोड़ 102</b>	<b>14,83.48</b>	<b>...</b>	<b>5,40.86</b>	<b>...</b>	<b>5,40.86</b>	<b>2,48,60.84</b>	<b>(-)</b>	<b>63.54</b>
<b>789</b>	<b>अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>								
(i)	ज्ञाती के अपर बीट क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई योजना	...	900.87	...	900.87	900.87		(+)	1,00.00
(ii)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...			
(iii)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	33,37.98	...	3096.00	...	3096.00	25116.58	(-)	7.25
	<b>जोड़ 789</b>	<b>33,37.98</b>	<b>...</b>	<b>39,96.87</b>	<b>...</b>	<b>39,96.87</b>	<b>2,60,17.45</b>	<b>(+)</b>	<b>19.74</b>
<b>796</b>	<b>जनजातीय क्षेत्र उप योजना</b>								
(i)	रांगरिक प्रवाह सिंचाई स्कीम का निर्माण	...	...	...	...	...	3,27.90		
(ii)	बकोटू कुहल के लिए प्रवाह सिंचाई स्कीम का सुधार एवं लाइरिंग	...	...	...	...	...	1,47.80		
(iii)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	10,20.83		
(iv)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	6,47.51	...	405.23	16.76	421.99	1,70,33.76	(-)	34.83
	<b>जोड़ 796</b>	<b>6,47.51</b>	<b>...</b>	<b>4,05.24</b>	<b>16.76</b>	<b>4,22.00</b>	<b>1,85,30.29</b>	<b>(-)</b>	<b>34.83</b>

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**

(इंटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
	ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः					(₹ लाख में)	
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखा						
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त</b>						
799	उचन्त						
800	अन्य व्यय	(-)11.38	...	...	...	(-)56.45	(-)1,00.00
(i)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	2,30.85	...
(ii)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	4,93.72	...	113.00	...	1,04,64.53	(-)77.11
	<b>जोड़ 800</b>	<b>4,93.72</b>	<b>...</b>	<b>1,13.00</b>	<b>...</b>	<b>1,06,95.38</b>	<b>(-)77.11</b>
	<b>जोड़ 4702</b>	<b>96,54.93</b>	<b>...</b>	<b>1,22,59.59</b>	<b>16.76</b>	<b>1,22,76.35</b>	<b>15,60,33.34</b>
		<b>(+)27.15</b>					
<b>4705</b>	<b>कमांड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
301	गिरिबाटा परियोजना		...	...	...	3,24.15	...
302	बर्ह धाटी परियोजना		...	...	...	2,46.14	...
303	भाबौर साहिब परियोजना चरण।		...	...	...	78.20	...
304	भाबौर साहिब परियोजना चरण॥		...	...	...	3,74.17	...
305	लघु सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत कमांड क्षेत्र विकास		...	...	...	4,89.08	...
313	लघु सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत कमांड क्षेत्र विकास	15,06.36	...	18,74.37	...	77,71.15	(+24.43
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4,94.00	...	6,25.64	...	13,69.70	(+26.65
	<b>जोड़ 4705</b>	<b>20,00.36</b>	<b>...</b>	<b>25,00.01</b>	<b>...</b>	<b>25,00.01</b>	<b>1,06,52.59</b>
		<b>(+)24.98</b>					
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
<b>01</b>	<b>बाढ़ नियन्त्रण</b>						
052	मशीनरी तथा उपस्कर		...	...	...	2.13	
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	11,18.33	...	29,15.84	56,52.49	85,68.33	1,82,65.35
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	69.33	...	97.01	...	97.01	39,16.81
799	उचन्त		...	...	...	...	29.08
800	अन्य व्यय	27,39.29	...	81,97.76	1,59,08.45	2,41,06.21	6,13,59.27
	<b>जोड़ 01</b>	<b>39,26.95</b>	<b>...</b>	<b>1,12,10.61</b>	<b>2,15,60.94</b>	<b>3,27,71.55</b>	<b>8,35,72.64</b>
		<b>(+)7,34.53</b>					

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैक्लिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखांकमशः						(₹ लाख में)
(घ)	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखांकमशः						
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्ययसमाप्त						
03	जल निकास						
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	1.81	...
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	91.28	...
	<b>जोड़ 03</b>	...	...	...	...	<b>93.09</b>	...
	<b>जोड़ 4711</b>	<b>39,26.95</b>	...	<b>1,12,10.61</b>	<b>2,15,60.94</b>	<b>3,27,71.55</b>	<b>8,36,65.73</b> <span style="float: right;">(+7,34.53)</span>
	जोड़(घ)सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण का पूँजीगत लेखा	<b>1,94,22.23</b>	...	<b>2,90,30.33</b>	<b>2,15,77.70</b>	<b>5,06,08.03</b>	<b>32,51,84.71</b> <span style="float: right;">(+1,60.57)</span>
(ङ)	जल का पूँजीगत लेखांकमशः						
4801	विजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय						
01	जल विद्युत उत्पादन						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	1,37,13.00	...	1,88,76.00	...	1,88,76.00 (क)	13,82,20.87 * <span style="float: right;">(+37.65)</span>
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	47,07.00	...	64,44.00	...	64,44.00 (ख)	4,35,48.00 <span style="float: right;">(+36.90)</span>
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	35,55.00	...	42,53.00	...	42,53.00 (ग)	1,24,80.50 <span style="float: right;">(+19.63)</span>
	<b>जोड़ 01</b>	<b>2,19,75.00</b>	...	<b>2,95,73.00</b>	...	<b>2,95,73.00</b>	<b>19,42,49.37</b> <span style="float: right;">(+34.58)</span>
80	सामाज्य						
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	12,50.00	...	12,50.00 (घ)	25,00.00 <span style="float: right;">(+100.00)</span>
	<b>जोड़ 80</b>	...	...	<b>12,50.00</b>	...	<b>12,50.00</b>	<b>25,00.00</b> <span style="float: right;">(+100.00)</span>
	<b>जोड़ 4801</b>	<b>2,19,75.00</b>	...	<b>3,08,23.00</b>	...	<b>3,08,23.00</b>	<b>19,67,49.37 *</b> <span style="float: right;">(+40.26)</span>
	जोड़ (ङ) जल का पूँजीगत लेखा	<b>2,19,75.00</b>	...	<b>3,08,23.00</b>	...	<b>3,08,23.00</b>	<b>19,67,49.37 *</b> <span style="float: right;">(+40.26)</span>
(क)	हिमाचल प्रदेश पॉवर निगम (₹10,792.00 लाख) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (₹32,91.00 लाख) हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन निगम लिमिटेड (₹17,93.00 लाख) एवं हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (₹30,00.00 लाख) में किया गया निवेश।						
(ख)	हिमाचल प्रदेश पॉवर निगम (₹53,40.00 लाख) एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन निगम लिमिटेड (₹11,04.00 लाख) में किया गया निवेश।						
(ग)	हिमाचल प्रदेश पॉवर निगम (₹32,00.00 लाख) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (₹4,50.00 लाख) एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन निगम लिमिटेड (₹6,03.00 लाख) में किया गया निवेश।						
(घ)	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में किया गया निवेश।						

\* वर्ष के दौरान ₹ 6,50,00.00 लाख (विनिवेश) कम किया गया।

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
	ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-क्रमशः						(₹ लाख में)
(च) उद्योग तथा खनिज का पूँजीगत लेखा-समाप्त							
4859 दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-							
02 इलैक्ट्रॉनिक्स-							
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	2,97.27	...
जोड़- 02	...	...	...	...	...	2,97.27	...
जोड़- 4859	...	...	...	...	...	2,97.27	...
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय							
01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश-							
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	...	68,71.78	...
200 अन्य निवेश	...	...	...	...	...	10.06	...
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	1,39.00	...
जोड़- 01	...	...	...	...	...	70,20.84	...
60 अन्य							
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	1.47	...
800 अन्य व्यय	...	...	...	...	...	12.04	...
जोड़- 60	...	...	...	...	...	13.51	...
जोड़- 4885	...	...	...	...	...	70,34.35	...
जोड़- (च) उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा	16,39.94	...	27,48.79	11,77.00	39,25.79	2,75,45.31	(+)1,39,39
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-							
5002 भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूँजीगत परिव्यय							
01 नई लाईनें							
120 नई लाईनें (निर्माण)	...	...	2,00.00	...	2,00.00	12,00.00	(+)100.00
जोड़- 01	...	...	2,00.00	...	2,00.00	12,00.00	(+)100.00
जोड़- 5002	...	...	2,00.00	...	2,00.00	12,00.00	...

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-क्रमशः						
(छ)	परिवहन का पूँजीगत लेखा-क्रमशः						
5053	नागरिक विमानन पर पूँजीगत लेखा-						
02	विमानपत्तन-						
102	हवाई अड्डे	...	...	...	...	39,71.91	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	11.34	...
	<b>जोड़- 02</b>	...	...	...	...	<b>39,83.25</b>	...
80	सामान्य-						
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	47.60	...	60.99	...	60.99	13,82.87 (+)28.13
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	28,64.99
	<b>जोड़- 80</b>	<b>47.60</b>	...	<b>60.99</b>	...	<b>60.99</b>	<b>42,47.86 (+)28.13</b>
	<b>जोड़- 5053</b>	<b>47.60</b>	...	<b>60.99</b>	...	<b>60.99</b>	<b>82,31.11 (+)28.13</b>
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-						
02	महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़के						
052	मशीनरी और उपकरण	...	...	...	...	...	88.73
337	सड़क निर्माण कार्य						
(i)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	14,22.10
(ii)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	...	...	...	...	...	1,44,32.93
	<b>जोड़- 337</b>	...	...	...	...	...	<b>1,58,55.03</b>
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	...	...	...	...	22,09.50
	<b>जोड़- 02</b>	...	...	...	...	...	<b>1,81,53.26</b>

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	
			आयोजनेतर	योजना	जोड़			
				राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				(₹ लाख में)
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमशः							
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा-क्रमशः							
<b>5054</b>	<b>सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>							
<b>03</b>	<b>राज्य राजमार्ग-</b>							
052	मशीनरी तथा उपस्कर	45.00	...	36.26	...	36.26	9,26.26	(-)19.42
101	पुल	2,27.67	...	2,47.37	...	2,47.37	63,53.58	(+)8.65
337	सड़क निर्माण कार्य-							
(i)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	1,08,15.62	...
(ii)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	3,47,42.82	...	4,01,87.63	...	4,01,87.63	29,55,98.44	...
	<b>जोड़ 337</b>	<b>3,47,42.82</b>	<b>...</b>	<b>4,01,87.63</b>	<b>...</b>	<b>4,01,87.63</b>	<b>30,64,14.06</b>	<b>(+)15.67</b>
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,39,49.82	...	1,34,42.51	...	1,34,42.51	6,64,36.28	(-)3.64
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,12.28	...	1,20.74	...	1,20.74	99,33.71	(+)7.53
799	उचन्त	...	...	...	...	...	(-)94.63	...
800-	अन्य व्यय							
(i)	कार्य/परियोजनायें जिन पर गत 5 वर्षों से व्यय नहीं किया जा रहा	...	...	...	...	...	27,28.99	...
(ii)	प्रति स्कीम ₹ 5 करोड़ तथा उससे कम लागत की अन्य स्कीमें	...	...	...	...	...	1,25,00.38	...
	<b>जोड़- 800</b>	<b>1,40,62.10</b>	<b>...</b>	<b>1,35,63.25</b>	<b>...</b>	<b>1,35,63.25</b>	<b>1,52,29.37</b>	<b>...</b>
	<b>जोड़- 03</b>	<b>4,90,77.59</b>	<b>...</b>	<b>5,40,34.51</b>	<b>...</b>	<b>5,40,34.51</b>	<b>40,51,98.63</b>	<b>(+)10.10</b>

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटेलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-क्रमशः						(₹ लाख में)
(छ)	परिवहन का पूँजीगत लेखा-क्रमशः						
<b>5054</b>	<b>सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-समाप्त</b>						
<b>80</b>	<b>सामान्य</b>						
52	मशीनरी तथा उपस्कर	...	...	...	...	47,47.80	...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	...	...	...	...	25,00.00	...
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	7,27.27	...	7,86.72	...	1,44,26.15	(+)8.17
799	उचन्त	...	...	...	...	-1,59.87	...
800	अन्य व्यय	68.34	...	49.78	...	31,89.89	(-)27.16
901	घटाईए पूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां और वसूलियां	...	...	...	...	-10,23.76	...
	<b>जोड़- 80</b>	<b>7,97.59</b>	<b>...</b>	<b>8,36.91</b>	<b>...</b>	<b>5,68,83.96</b>	<b>(+)4.93</b>
	<b>जोड़- 5054</b>	<b>6,86,49.12</b>	<b>21,48.51</b>	<b>20,15.11</b>	<b>7,04,34.71</b>	<b>90,38.93</b>	<b>8,36,37.26</b>
						<b>74,25,36.41</b>	<b>(+)21.83</b>
<b>5055</b>	<b>सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
50	भूमि तथा भवन	10,08.00	...	10,28.99	...	10,28.99 (क)	41,58.62 (+)2.08
102	बेड़े का अधिग्रहण	...	...	...	...	...	15.61 ...
103	कार्यशाला सुविधाएं	...	...	...	...	...	0.82 ...
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	26,52.00	...	26,34.00	...	26,34.00 (ख)	4,15,00.74 (-)0.68
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12,60.00	...	12,82.99	...	12,82.99 (ग)	67,77.39 (+)1.82
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,87.78	...	4,29.49	0.01	4,29.50 (घ)	55,05.50 (+)10.76
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	78,74.30 ...
	<b>जोड़- 5055</b>	<b>53,07.78</b>	<b>...</b>	<b>53,75.47</b>	<b>0.01</b>	<b>53,75.48</b>	<b>6,58,32.98 (+)1.28</b>

(क) हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर किया गया निवेश ₹189.00 लाख सम्मिलित है।

(ख) हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर किया गया व्यय निवेश दर्शाता है।

(ग) हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर किया गया निवेश ₹10,81.00 लाख सम्मिलित है।

(घ) हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर किया गया निवेश ₹391.00 लाख सम्मिलित है।

## 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी (इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)	
			आयोजनेतर	योजना	जोड़			
				राज्य योजनागत केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश				(₹ लाख में)
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-क्रमशः							
(छ)	परिवहन का पूँजीगत लेखा-समाप्त							
<b>5056</b>	<b>अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
800	अन्य व्यय		...	...	...	...	18.43	
	<b>जोड़- 5056</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>18.43</b>	
				<b>21,48.51</b>				
	जोड़-(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा	<b>7,40,04.50</b>	<b>20,15.11</b>	<b>7,60,71.17</b>	<b>90,38.94</b>	<b>8,92,73.73</b>	<b>81,78,18.93</b>	
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-						(+)20.63	
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-</b>							
<b>01</b>	<b>पर्यटक अवसंरचना-</b>							
101	पर्यटक केन्द्र		...	...	...	...	20.00	
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		...	...	...	...	3,83.65	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		...	...	...	...	38.75	
800	अन्य व्यय	2,00.00	...	2,20.00	...	2,20.00	62,31.14	
	<b>जोड़- 01</b>	<b>2,00.00</b>	<b>...</b>	<b>2,20.00</b>	<b>...</b>	<b>2,20.00</b>	<b>66,73.54</b>	
(+)10.00								
<b>80</b>	<b>सामान्य-</b>							
03	प्रशिक्षण		...	...	...	...	37.48	
104	सर्वधन तथा प्रचार		...	...	...	...	32.49	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3.00	...	2.00	...	2.00	13,36.21	
800	अन्य व्यय	...	...	...	...	...	2,59.04	
	<b>जोड़- 80</b>	<b>3.00</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>16,65.22</b>	
(-)33.33								
<b>जोड़- 5452</b>	<b>2,03.00</b>	<b>...</b>	<b>2,22.00</b>	<b>...</b>	<b>2,22.00</b>	<b>83,38.76</b>	<b>(+)9.36</b>	

**16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष-वार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी**  
**(इंटैलिक अंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	व्यय का प्रकार	2013-14 के वार्षिक आंकड़े	वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय			2014-15 के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		
			राज्य योजनागत	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भारत सरकार के अंश			
(₹ लाख में)							
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-समाप्त						
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-समाप्त						
<b>5465</b>	<b>सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों में निवेश-समाप्त</b>						
<b>02</b>	<b>व्यापारिक संस्थानों में निवेश-</b>						
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		...	...	...	...	3,28.61
	<b>जोड़- 02</b>		...	...	...	...	<b>3,28.61</b>
	<b>जोड़ - 5465</b>		...	...	...	...	<b>3,28.61</b>
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>						
101	भू-सीमांकन		...	...	...	...	29.46
202	जर्मिदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति :		...	...	...	...	23.82
800	अन्य व्यय	77,99.02	...	85,64.10	...	85,64.10	5,68,44.99
	<b>जोड़- 5475</b>	<b>77,99.02</b>	<b>...</b>	<b>85,64.10</b>	<b>...</b>	<b>85,64.10</b>	<b>5,68,98.27</b>
	<b>जोड़-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>80,02.02</b>	<b>...</b>	<b>87,86.10</b>	<b>...</b>	<b>87,86.10</b>	<b>6,55,65.64</b>
			<b>21,48.51</b>				
	<b>जोड़-(ग) आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा</b>	<b>12,97,38.84</b>	<b>13,91.20</b>	<b>15,09,53.65</b>	<b>3,23,17.64</b>	<b>18,68,11.00</b>	<b>1,50,90,07.34</b>
							(+)43.99
			<b>22,75.37</b>	<b>36.85</b>	...		
	<b>जोड़-व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)</b>	<b>18,55,86.18</b>	<b>19,31.19</b>	<b>19,95,38.34</b>	<b>4,35,07.70</b>	<b>24,72,89.45</b>	<b>2,42,44,37.55 (क)</b>
							(+)33.25
	वेतन		...	...	...	...	...
	सहायता		...	...	...	...	...
	सहायता अनुदान		...	...	...	...	...

(क) वर्ष के दौरान ₹ 6,50,00.00 लाख (कमी) विनिवेश के कारण अन्तर है।

## 17. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

क्रण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को प्रतिशतता में	वृद्धि	ब्याज भुगतान	
			शेष	(+)/कमी(-)		
1	2	3	4	5	6	7
(₹ लाख में)						
<b>लोक ऋण</b>						
<b>राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-</b>						
बाजार ऋण	1,35,65,32.63	23,45,00.00	7,14,35.90	1,51,95,96.73	(+)12.02	11,83,45.95
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1,85,06.69	...	48,12.93	1,36,93.76	(-)26.01	14,97.03
भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	85.76	...	14.56	71.20	(-)16.98	6.22
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण	15,99,10.17	4,00,00.00	2,63,99.87	17,35,10.30	(+)8.50	1,19,36.08
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	14,04.96	...	7,02.48	7,02.48	(-)50.00	...
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	50,97.62	44,28.64	32,39.15	62,87.11	(+)23.33	6,37.18
अन्य संस्थानों से ऋण	4,55,76.77	...	1,46,15.27	3,09,61.50	(-)32.07	49,65.30
भरतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रीम।	4,56,09.45	68,60,30.16 *	67,82,62.13	5,33,77.48	(+)17.03	14,80.15
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	57,72,09.35	11,01,98.00	1,98,43.45	66,75,63.90	(+)15.65	5,61,14.93
<b>जोड़-(6003)</b>	<b>2,20,99,33.40</b>	<b>1,07,51,56.80</b>	<b>81,93,25.74</b>	<b>2,46,57,64.46</b>	<b>(+)11.58</b>	<b>19,49,82.84</b>
<b>केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रीम-</b>						
<b>आयोजनेतर-ऋण</b>						
गृह निर्माण अग्रीम	1,08.97	...	29.86	79.11	(-)27.40	9.81
अन्य ऋण	5,63.13	...	89.45	4,73.68	(-)15.88	62.13
<b>जोड़- 01</b>	<b>6,72.10</b>	<b>...</b>	<b>1,19.31</b>	<b>5,52.79</b>	<b>(-)17.75</b>	<b>71.94</b>
<b>राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण-</b>						
ब्लॉक ऋण/एकमुश्त कर्ज	5,31,01.18	1,25,30.71	20,08.07	6,36,23.82	(+)19.82	43,54.69
12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	4,74,25.39	...	45,28.22	4,28,97.17	(-)9.55	34,95.61
<b>जोड़- 02</b>	<b>10,05,26.57</b>	<b>1,25,30.71</b>	<b>65,36.29</b>	<b>10,65,20.99</b>	<b>(+)5.96</b>	<b>78,50.30</b>

\* इनमें ₹26,67,50.16 करोड़ भरतीय रिजर्व बैंक से आवरड़ाफ्ट की राशि सम्मिलित है।

## 17. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को प्रतिशतता में शेष	वृद्धि (+)/कमी(-)	ब्याज भुगतान		
	1	2	3	4	5	6	7
	(₹ लाख में)						
ड.	लोक ऋण-समाप्त						
6004-	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-						
07-	1984-85 से पूर्वकालिक ऋण-						
102-	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति स्कीम	12.77	...	...	12.77	...	...
	जोड़- 07	12.77	...	...	12.77	...	...
	जोड़-(6004)	10,12,11.44	1,25,30.71	66,55.60	10,70,86.55	(+)5.80	79,22.24
	जोड़-ड. लोक ऋण	2,31,11,44.84	1,08,76,87.51	82,59,81.34	2,57,28,51.01	(+)11.32	20,29,05.08
	अन्य दायित्व						
झ	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि						
8009	राज्य भविष्य निधियां-	85,21,78.03	31,28,22.23	19,58,06.21	96,91,94.05	(+)13.73	8,01,87.77
	जोड़-(8009)	85,21,78.03	31,28,22.23	19,58,06.21	96,91,94.05	(+)13.73	8,01,87.77
8011	बीमा तथा पैशन निधियां-	2,14,52.20	24,64.64	9,64.16	2,29,52.68	(+)6.99	18,21.28
	जोड़-(8011)	2,14,52.20	24,64.64	9,64.16	2,29,52.68	(+)6.99	18,21.28
	जोड़-(झ) लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	87,36,30.23	31,52,86.87	19,67,70.37	99,21,46.73	(+)11,85,16.50	8,20,09.95
ज.	आरक्षित निधियां-						
8115	मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधियां-	1.37	...	...	1.37	...	...
	जोड़-(8115)	1.37	...	...	1.37	...	...
8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	9,05.05	1,58,93.45	1,59,04.45	8,94.05	(-)11.00	...
	जोड़-(8121)	9,05.05	1,58,93.45	1,59,04.45	8,94.05	(-)11.00	...
8226	मूल्यहास/नवीकरण/आरक्षित निधियां-	1,53.11	...	...	1,53.11	...	...
	जोड़-(8226)	1,53.11	...	...	1,53.11	...	...

**17. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी**

(क)लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को प्रतिशतता में	वृद्धि		व्याज भुगतान
				शेष	(+)/कमी(-)	
1	2	3	4	5	6	7
(₹ लाख में)						
8229 विकास तथा कल्याण निधियां-	2,16,11.08	1,80.00	..	2,17,91.08	(+) <b>180.00</b>	...
जोड़-(8229)	<b>2,16,11.08</b>	<b>1,80.00</b>	..	<b>2,17,91.08</b>	<b>(+)<b>180.00</b></b>	...
8235 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-	8.49	...	...	8.49	...	...
जोड़-(8235)	<b>8.49</b>	...	...	<b>8.49</b>	...	...
जोड़-(ज) आरक्षित निधियां-	<b>2,26,79.10</b>	<b>1,60,73.45</b>	<b>1,59,04.45</b>	<b>2,28,48.10</b>	<b>(+)<b>169.00</b></b>	...
ट.	जमा-					
8342 अन्य जमा-	46,79.72	1,62,55.69	1,77,26.29	32,09.12	(-) <b>14,70.60</b>	...
जोड़-(8342)	<b>46,79.72</b>	<b>1,62,55.69</b>	<b>1,77,26.29</b>	<b>32,09.12</b>	<b>(-)<b>14,70.60</b></b>	...
8443 सिविल जमा-	16,98,10.03	14,34,57.02	13,74,91.87	17,57,75.18	(+) <b>59,65.15</b>	...
जोड़-(8443)	<b>16,98,10.03</b>	<b>14,34,57.02</b>	<b>13,74,91.87</b>	<b>17,57,75.18</b>	<b>(+)<b>59,65.15</b></b>	...
8448 स्थानीय निधियों की जमा-	14,26.77	5,05,91.13	71,78.02	4,48,39.88	(+) <b>4,34,13.11</b>	...
जोड़-(8448)	<b>14,26.77</b>	<b>5,05,91.13</b>	<b>71,78.02</b>	<b>4,48,39.88</b>	<b>(+)<b>4,34,13.11</b></b>	...
8449 अन्य जमा-	50,34.39	34,07.97	9,31.23	75,11.13	(+) <b>49.20</b>	...
जोड़-(8449)	<b>50,34.39</b>	<b>34,07.97</b>	<b>9,31.23</b>	<b>75,11.13</b>	<b>(+)<b>49.20</b></b>	...
जोड़-(ट)-जमा	<b>18,09,50.91</b>	<b>21,37,11.81</b>	<b>16,33,27.41</b>	<b>23,13,35.31</b>	<b>(+)<b>5,03,84.40</b></b>	...
जोड़- अन्य दायित्व	<b>1,07,72,60.24</b>	<b>54,50,72.13</b>	<b>37,60,02.23</b>	<b>1,24,63,30.14</b>	<b>(+)<b>16,90,69.90</b></b>	...
जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	<b>3,38,84,05.08</b>	<b>1,63,27,59.64</b>	<b>1,20,19,83.57</b>	<b>3,81,91,81.15</b>	<b>(+)<b>43,07,76.07</b></b>	<b>28,49,15,03</b>

## विवरण संख्या 17 का एनेक्सचर

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष
				5
		(₹ लाख में)		
छ.	लोक ऋण			
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
101	बाजार ऋण			
(i)	बाजार ऋण-(सब्याज)			
	5.60% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2014	2,07,76.20	...	2,07,76.20
	5.70% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2014	1,74,03.30	...	1,74,03.30
	7.32% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2014	85,31.40	...	85,31.40
	5.85% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	1,75,51.00	...	1,75,51.00
	6.20% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	1,41,22.16	...	1,41,22.16
	7.02% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2015	89,75.00	...	89,75.00
	7.36% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2014	1,57,50.00	...	1,57,50.00
	7.39% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2015	56,25.00	...	56,25.00
	7.53% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2015	2,12,56.50	...	2,12,56.50
	7.77% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	2,00,00.20	...	2,00,00.20
	7.74% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2016	3,00,00.00	...	3,00,00.00
	5.90% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	1,09,99.70	...	1,09,99.70
	7.17% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	15,85.00	...	15,85.00
	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	2,11,50.00	...	2,11,50.00
	8.16% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	3,00,00.00	...	3,00,00.00
	8.40% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	1,00,00.00	...	1,00,00.00
	8.42% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	10,000.00	...	10,000.00
	8.48% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	50,000.00	...	50,000.00
	8.75% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	40,000.00	...	40,000.00
	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2017	2,00,00.00	...	2,00,00.00
	8.31% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2017	25,000.00	...	25,000.00
	7.97% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2018	2,00,00.00	...	2,00,00.00
	8.00% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2018	2,74,01.30	...	2,74,01.30
	8.03% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2018	3,00,00.00	...	3,00,00.00
	8.21% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2018	2,00,00.00	...	2,00,00.00
	8.35% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2018	2,25,00.00	...	2,25,00.00
	8.82% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक ऋण, 2018	1,12,00.00	...	1,12,00.00

## विवरण संख्या 17 का एनेक्सचर

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष
				1
		(₹ लाख में)		2
		3	4	5
छ. लोक ऋण				
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>				
<b>101 बाजार ऋण</b>				
<b>(i) बाजार ऋण-(सव्याज)</b>				
8.74% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2018	10,300.00	...	...	10,300.00
9.30% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2018	8,690.00	...	...	8,690.00
6.10% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00
7.09% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	3,00,00.00	...	...	3,00,00.00
7.24% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	1,00,00.00	...	...	1,00,00.00
7.40% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	1,00,00.00	...	...	1,00,00.00
8.40% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00
8.43% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	5,00,00.00	...	...	5,00,00.00
8.26% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2019	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00
8.25% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2020	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00
8.22% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2020	1,00,00.00	...	...	1,00,00.00
8.52% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2020	3,00,00.00	...	...	3,00,00.00
8.38% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2020	6,20,00.00	...	...	6,20,00.00
8.52% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2021	1,80,00.00	...	...	1,80,00.00
8.42% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2021	4,65,00.00	...	...	4,65,00.00
8.85% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2021	1,00,00.00	...	...	1,00,00.00
9.20% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2021	2,05,00.00	...	...	2,05,00.00
8.83% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2021	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00
8.60% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	2,50,00.00	...	...	2,50,00.00
8.73% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	1,60,00.00	...	...	1,60,00.00
8.87% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	4,30,00.00	...	...	43,000.00
8.91% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	4,30,00.00	...	...	4,30,00.00
8.92% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	3,00,00.00	...	...	3,00,00.00
8.91% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00
8.94% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2022	4,10,00.00	...	...	4,10,00.00
8.24% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2023	2,50,00.00	...	...	2,50,00.00
7.62% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2023	6,00,00.00	...	...	6,00,00.00
9.39% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2023	1,02,10.00	...	...	1,02,10.00

## विवरण संख्या 17 का एनेक्सचर

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष	
	1	2	3	4	5
(₹ लाख में)					
छ. लोक ऋण					
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>					
<b>101 बाजार ऋण</b>					
(i) बाजार ऋण-(स्वायाज)					
9.75% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2023	1,75,00.00	...	...	1,75,00.00	
9.32% हिमाचल प्रदेश सरकारी स्टॉक 2023	3,00,00.00	...	...	3,00,00.00	
9.38% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	2,00,00.00	...	...	2,00,00.00	
9.50% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	3,00,00.00	...	...	3,00,00.00	
9.63% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	5,50,00.00	...	5,50,00.00	
9.23% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	2,00,00.00	...	2,00,00.00	
8.98% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	2,00,00.00	...	2,00,00.00	
8.96% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	1,50,00.00	...	1,50,00.00	
9.00% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	1,50,00.00	...	1,50,00.00	
8.87% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	4,00,00.00	...	4,00,00.00	
8.45% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	2,00,00.00	...	2,00,00.00	
8.26% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	...	1,00,00.00	...	1,00,00.00	
8.13% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	...	3,00,00.00	...	3,00,00.00	
8.08% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	...	95,00.00	...	95,00.00	
<b>जोड़-(i) बाजार ऋण (स्वायाज ऋण)</b>	<b>1,35,65,26.76</b>	<b>23,45,00.00</b>	<b>7,14,35.90</b>	<b>1,51,95,90.86</b>	
(ii) बाजार ऋण (व्याज रहित)					
8.25% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1995 (1982-83)	0.01	...	...	0.01	
11.00% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2001 (1983-84)	0.06	...	...	0.06	
14.00% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण, -2005	1.00	...	...	1.00	
10.35% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण,-2011	0.80	...	...	0.80	
12.00% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण,-2011	4.00	...	...	4.00	
<b>जोड़- (ii) बाजार ऋण (व्याज रहित)</b>	<b>5.87</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>5.87</b>	
<b>जोड़- 101 बाजार ऋण</b>	<b>1,35,65,32.63</b>	<b>23,45,00.00</b>	<b>7,14,35.90</b>	<b>1,51,95,96.73</b>	
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण समाप्त</b>					
103 भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण-	1,85,06.69		48,12.93	1,36,93.76	
104 भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण-	85.76		14.56	71.20	
105 कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण-	15,99,10.17	4,00,00.00	2,63,99.87	17,35,10.30	
106 प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र	14,04.96	...	7,02.48	7,02.48	
108 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	50,97.62	44,28.64	32,39.15	62,87.11	

## विवरण संख्या 17 का एनेक्सचर

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष
	1	2	3	4
		(₹ लाख में)		
<b>इ. लोक ऋण-क्रमशः</b>				
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण समाप्त</b>				
109 अन्य संस्थाओं से ऋण				
(1) न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी से ऋण	1,14.67	...	28.67	86.00
(2) ओरिएण्टल फायर इन्शोरेंस से ऋण	1,20.06	...	20.55	99.51
(3) यूनाइटेड इण्डिया इन्शोरेंस से ऋण	1,28.00	...	16.00	1,12.00
(4) भारतीय नैशनल इन्शोरेंस निगम से ऋण	23.49	...	5.16	18.33
(5) नगर निगम द्वारा लिए गए ऋण	1,92.27	...	19.23	1,73.04
(6) हुड़को से ऋण	39,01.70	...	6,80.00	32,21.70
(7) अन्य नॉन एस. एल. आर. उधार/आई .डी.बी.	...	...	...	...
(8) वन निगम से ऋण की चुकौती	1,01,80.00	...	39,29.00	62,51.00
(9) नॉन एस.एल.आर. ऋण (एल.आई.सी.)	3,09,16.58	...	99,16.66	2,09,99.92
<b>जोड़- 109</b>	<b>4,55,76.77</b>	...	<b>1,46,15.27</b>	<b>3,09,61.50</b>
<b>110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रीम।</b>				
(1) भारतीय रिजर्व बैंक से सामान्य अर्थोपाय अग्रीम।	2,85,00.00	41,92,80.00	41,92,80.00	2,85,00.00
(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमी पर ओवरड्राफ्ट	1,71,09.45	26,67,50.16	25,89,82.13	2,48,77.48
<b>जोड़- 110</b>	<b>4,56,09.45</b>	<b>68,60,30.16</b>	<b>67,82,62.13</b>	<b>5,33,77.48</b>
<b>111 केन्द्र की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां</b>				
(1) केन्द्र की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	57,72,09.35	11,01,98.00	1,98,43.45	66,75,63.90
<b>जोड़- 111</b>	<b>57,72,09.35</b>	<b>11,01,98.00</b>	<b>1,98,43.45</b>	<b>66,75,63.90</b>
<b>जोड़-(6003)</b>	<b>2,20,99,33.40</b>	<b>1,07,51,56.80</b>	<b>81,93,25.74</b>	<b>2,46,57,64.46</b>
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रीम</b>				
<b>01 आयोजनेतर ऋण-</b>				
201 गृह निर्माण अग्रीम-	1,08.97	...	29.86	79.11
800 अन्य ऋण				
(1) पुलिस बल का आधुनिकीकरण	5,17.66	...	44.45	4,73.21
(2) शैक्षिक ऋण सामान्य शिक्षा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	0.47	...	...	0.47
(3) आई0आर0 बटालियन का संस्थापन	45.00	...	45.00	...
<b>जोड़- 800</b>	<b>5,63.13</b>	...	<b>89.45</b>	<b>4,73.68</b>
<b>जोड़- 01</b>	<b>6,72.10</b>	...	<b>1,19.31</b>	<b>5,52.79</b>

## विवरण संख्या 17 का एनेक्सचर

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2015 को शेष
				5
		(₹ लाख में)		
ड. लोक ऋण-समाप्त				
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम</b>				
<b>02 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण</b>				
101 ब्लॉक ऋण				
(1) सामान्य ऋण	4,83,85.46	1,23,30.75	20,08.07	5,87,08.14
(2) वापसी आधार पर प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत इ ए परियोजनाओं हेतु ऋण की चुकौती (आई.डी.ए. 2016)	33,75.57	...	...	33,75.57
(3) वापसी आधार पर प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत इ ए परियोजनाओं हेतु ऋण की चुकौती (आई.बी.आर.डी.2012)	1,59.08	...	...	1,59.08
(4) वाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना (हाईड्रोलोजी) फेस-II-2011	10,80.41	72.36	...	11,52.77
(5) वाह्य रूप से सहायता प्राप्त ऋण (बी 2 बी) पर्यटन विकास परियोजना संरचना (आई डी ए-2016)	1,00.66	1,27.60	...	2,28.26
<b>जोड़- 101</b>	<b>5,31,01.18</b>	<b>1,25,30.71</b>	<b>20,08.07</b>	<b>6,36,23.82</b>
105 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	4,74,25.39	...	45,28.22	4,28,97.17
<b>जोड़- 02</b>	<b>10,05,26.57</b>	<b>1,25,30.71</b>	<b>65,36.29</b>	<b>10,65,20.99</b>
<b>07 1984-85 से पूर्व के ऋण</b>				
102 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	12.77	...	...	12.77
<b>जोड़- 07</b>	<b>12.77</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>12.77</b>
<b>जोड़-(6004)</b>	<b>10,12,11.44</b>	<b>1,25,30.71</b>	<b>66,55.60</b>	<b>10,70,86.55</b>
<b>जोड़-ड लोक ऋण</b>	<b>2,31,11,44.84</b>	<b>1,08,76,87.51</b>	<b>82,59,81.34</b>	<b>2,57,28,51.01</b>

**17. लघु शीर्षों-वार ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी**

(ख) परिपक्वता विवरणी

(i) आन्तरिक ऋण की घरेलू मुद्रा में भुगतान की परिपक्वता विवरणी

(₹ लाख में)

वर्ष	बाजार ऋण का विवरण हि0प्र0 राज्य विकास ऋण/ हि0प्र0 राज्य स्टॉक ऋण	से ऋण			क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	योग												
		एल.आई.सी	जी.आई.सी	नावार्ड							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*	5.87																					5.87
2015-16	7,85,54.86	38,83.02	14.56	3,04,00.00	7,02.48	5,33,77.48		2,21,82.20	12,71.32	71,15.27	19,75,01.19											
2016-17	12,37,34.70	23,58.10	14.56	3,30,00.00	--	--		2,59,85.25	8,99.71	80,06.85	19,39,99.17											
2017-18	20,49,01.30	23,42.47	14.56	3,50,00.00	--	--		2,73,79.60	8,88.57	44,30.52	27,49,57.02											
2018-19	21,01,90.00	16,37.13	14.56	2,91,10.30	--	--		2,97,33.95	11,96.11	27,33.82	27,46,15.87											
2019-20	14,20,00.00	9,96.43	12.96	2,30,00.00	--	--		3,28,18.42	8,79.86	25,51.52	20,22,59.19											
2020-21	6,45,00.00	3,15.28	--	1,50,00.00	--	--		3,83,28.32	3,99.86	20,49.82	12,05,93.28											
2021-22	13,25,00.00	2,93.79	--	80,00.00	--	--		3,83,28.32	3,82.23	20,35.22	18,15,39.56											
2022-23	13,60,00.00	2,89.80	--	--	--	--		3,83,28.32	3,69.45	20,19.21	17,70,06.78											
2023-24	19,27,10.00	2,84.80	--	--	--	--		3,83,28.32		19.27	23,13,42.39											
2024-25	23,45,00.00	2,84.79	--	--	--	--		3,83,28.32	--	--	27,31,13.11											
2025-26	--	2,84.79	--	--	--	--		3,79,83.92	--	--	3,82,68.71											
2026-27	--	2,27.88	--	--	--	--		3,73,39.42	--	--	3,75,67.30											
2027-28	--	2,27.87	--	--	--	--		3,59,59.97	--	--	3,61,87.84											
2028-29	--	1,53.04	--	--	--	--		3,40,82.47	--	--	3,42,35.51											
2029-30	--	1,14.57	--	--	--	--		3,11,95.97	--	--	3,13,10.54											
2030-31	--	--	--	--	--	--		2,72,53.77	--	--	2,72,53.77											
2031-32	--	--	--	--	--	--		2,31,90.77	--	--	2,31,90.77											
2032-33	--	--	--	--	--	--		1,97,90.87	--	--	1,97,90.87											
2033-34	--	--	--	--	--	--		1,89,98.62	--	--	1,89,98.62											
2034-35	--	--	--	--	--	--		1,84,84.87	--	--	1,84,84.87											
2035-36	--	--	--	--	--	--		1,61,46.12	--	--	1,61,46.12											
2036-37	--	--	--	--	--	--		1,23,43.07	--	--	1,23,43.07											
2037-38	--	--	--	--	--	--		1,09,48.72	--	--	1,09,48.72											
2038-39	--	--	--	--	--	--		85,94.37	--	--	85,94.37											
2039-40	--	--	--	--	--	--		55,09.95	--	--	55,09.95											
<b>Total</b>	<b>1,51,95,96.73</b>	<b>1,36,93.76</b>	<b>71.20</b>	<b>17,35,10.30</b>	<b>7,02.48</b>	<b>5,33,77.48**</b>		<b>66,75,63.90</b>	<b>62,87.11</b>	<b>3,09,61.50</b>	<b>2,46,57,64.46</b>											

\*यह ऋण ब्याज रहित और अनिश्चित परिपक्वता के हैं।

\*\* ₹5,33,77.48 लाख(अर्थोपाय अग्रिम ₹2,85,00.00 लाख और ओवरड्राफ़ट ₹2,48,77.48 लाख)

## 17. लघु शोषों-वार ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी

(i) केन्द्रीय सरकार के ऋण तथा अग्रिम की परिपक्वता विवरणी

(₹ लाख में)

वर्ष	आयोजनेतर ऋण	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	1984-85 से पूर्वकालिक ऋण	अपरिपक्व राशि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-15 तक			...	...	12.77	...	12.77
2015-16	67.86	70,65.32	...	...	...	...	71,33.18
2016-17	61.92	71,91.24	...	...	...	...	72,53.16
2017-18	55.64	74,55.99	...	...	...	...	75,11.63
2018-19	50.81	78,90.96	...	...	...	...	79,41.77
2019-20	46.77	80,84.44	...	...	...	...	81,31.21
2020-21	43.71	84,95.46	...	...	...	...	85,39.17
2021-22	42.70	84,95.46	...	...	...	...	85,38.16
2022-23	41.89	84,95.46	...	...	...	...	85,37.35
2023-24	40.36	84,95.46	...	...	...	...	85,35.82
2024-25	36.26	51,32.37	...	...	...	...	51,68.63
2025-26	27.51	32,15.94	...	...	...	...	32,43.45
2026-27	24.83	32,04.69	...	...	...	...	32,29.52
2027-28	12.53	31,97.17	...	...	...	...	32,09.70
2028-29	...	29,33.79	...	...	...	...	29,33.79
2029-30	...	28,89.42	...	...	...	...	28,89.42
2030-31	...	25,04.35	...	...	...	...	25,04.35
2031-32	...	22,82.38	...	...	...	...	22,82.38
2032-33	...	18,19.08	...	...	...	...	18,19.08
2033-34	...	15,57.88	...	...	...	...	10,57.88
2034-35	...	11,98.45	...	...	...	...	7,19.36
...	...	...	...	...	...	49,15.68*	49,15.68
जोड़-	<b>5,52.79</b>	<b>10,16,05.31</b>	...	...	<b>12.77</b>	<b>49,15.68</b>	<b>10,70,86.55</b>

\* बाह्य सहायता प्राप्त ऋण से से संबंधित है।

## 17. लघु शीर्षों-वार ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी

(ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर विवरणी/रूपरेखा

(₹ लाख में)

ब्याज दर (प्रतिशतता)	31 मार्च 2015 को बकाया राशि										जोड़	शेयर में जोड़ प्रतिशत
	सब्याज बाजार ऋण	क्षति-पूति और अन्य बंध पत्र	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एल.आई. सी./ जी.आई. सी.	नाबांड	एन.सी. डी.सी.	भरतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रीम।	ओवरड्राफ्ट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
*	5.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.87	...
5.00 से 5.99	2,85,50.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2,85,50.70	1.16
6.00 से 6.99	3,41,22.16	...	...	...	6,65,11.83	...	...	...	...	...	10,06,33.99	4.08
7.00 से 7.99	20,84,66.70	...	...	71.20	10,12,34.82	...	...	...	...	...	30,97,72.72	12.56
8.00 से 8.99	1,02,15,51.30	7,02.48	...	27,54.87	57,63.65	...	2,85,00.00	...	62,51.00	1,06,55,23.30	43.21	
9.00 से 9.99	22,69,00.00	...	61,60,69.50	83,80.78	...	...	...	...	2,09,99.92	87,23,50.20	35.38	
10.00 से 10.99	...	...	5,14,94.40	25,58.11	...	23.83	...	2,48,77.48	35,06.75	8,24,60.57	3.34	
11.00 से 11.99	...	...	...	...	...	8,25.92	...	...	92.53	9,18.45	0.04	
12.00 से 12.99	...	...	...	...	...	46,86.64	...	...	3.64	46,90.28	0.19	
13.00 से 13.99	...	...	...	...	...	7,50.72	...	...	1,07.66	8,58.38	0.04	
जोड़.	1,51,95,96.73	7,02.48	66,75,63.90	1,37,64.96	17,35,10.30	62,87.11	2,85,00.00	2,48,77.48	3,09,61.50	2,46,57,64.46	100.00	

\* ऋण ब्याज सहित ऋण नहीं है व इन ऋणों की परिपक्वता अनिश्चित है

## 17. लघु शीर्षों-वार ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी

(iii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम

(₹ लाख में)

ब्याज दर प्रतिशतता	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	शेयर में जोड़ प्रतिशत
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम		
7.00 to 7.99	4,19,18.07	39.51
9.00 to 9.99	5,87,87.20	55.41
10.00 to 10.99	1.34	...
11.00 to 11.99	1,59.31	0.15
12.00 to 12.99	2,99.26	0.28
13.00 to 13.99	13.83	0.01
<b>ब्याज रहित ऋण</b>		
(i) ई.ए.पी. परियोजना ऋण	49,15.68	4.63
(ii) विविध ऋण	12.77	0.01
<b>जोड़</b>	<b>10,61,07.46</b>	<b>100</b>

## 18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी

भाग-I मुख्य एवं लघु शीर्ष के साथ ऋण तथा अग्रिमों का सार संक्षेप

	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम	वर्ष के दौरान लौटाया गया	अप्राप्य ऋण एवं अग्रिम को बटटेखाते में डालना	31 मार्च 2015 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-) (7-3)	राजस्व में जमा किया गया प्राप्त ब्याज
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(₹ लाख में)									
6202	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण-	105-इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान	5,61.00	...	...	...	5,61.00	...	...
		201-प्रारम्भिक शिक्षा	9.69	...	...	...	9.69	...	...
		203-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	70.00	2,00.00	...	...	2,70.00	(+)2,00.00	...
		800-अन्य ऋण	52.64	...	6.58	...	46.06	(-)6.58	...
	जोड़-(6202)		6,93.33	2,00.00	6.58	...	8,86.75	(+)1,93.42	...
6215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता के लिए ऋण-	190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को ऋण	0.62	...	...	...	0.62	...	...
	जोड़-(6215)		0.62	...	...	...	0.62	...	...
6216	आवास के लिए ऋण-	190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को ऋण	2,54.00	...	...	...	2,54.00	...	...
		201-आवास बोर्ड को ऋण-	1,16.00	...	...	...	1,16.00	...	...
		796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	66.66	...	1.09	...	65.57	(-)1.09	...
		800-अन्य ऋण	5,91.95	...	19.82	...	5,72.13	(-)19.82	16.26
	जोड़-(6216)		10,28.61	...	20.91	...	10,07.70	(-)20.91	16.26
6217	शहरी विकास के लिए ऋण-	191-स्थानीय निकाय और नगरपालिकाओं /नगर निगमों को ऋण	56.98	...	...	...	56.98	...	0.24
		800-अन्य ऋण	2,01.43	...	...	...	2,01.43	...	...
			2,58.41	...	...	...	2,58.41	...	0.24
6225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अत्यसंख्यक के कल्याण हेतु ऋण-	190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को ऋण	65.78	...	0.10	...	65.68	(-)0.10	...
		789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,99.50	...	...	...	1,99.50	...	...
		796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	11.87	...	...	...	11.87	...	...
		800-अन्य ऋण	13.32	...	0.19	...	13.13	(-)0.19	...
	जोड़-(6225)		2,90.47	...	0.29	...	2,90.18	(-)0.29	...

**18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी**

भाग-I मुख्य एवं लघु शीर्ष के साथ ऋण तथा अग्रिमों का सार संक्षेप

	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम	वर्ष के दौरान लौटाया गया	अप्राप्य ऋण एवं अग्रिम को बटटेखाते में डालना	31 मार्च 2015 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-) (7-3)	राजस्व में जमा किया गया प्राप्त ब्याज
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(₹ लाख में)									
6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण-	800-अन्य ऋण	7.86	...	0.09	...	7.77	(-)0.09	...
	जोड़-(6235)		<b>7.86</b>	...	<b>0.09</b>	...	<b>7.77</b>	<b>(-)0.09</b>	...
6245	प्राकृतिक अपदांगों से राहत के लिए ऋण-	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	0.55	...	...	...	0.55	...	34.72
		800-अन्य ऋण	1,02.70	...	0.64	...	1,02.06	(-)0.64	...
	जोड़-(6245)		<b>1,03.25</b>	...	<b>0.64</b>	...	<b>1,02.61</b>	<b>(-)0.64</b>	<b>34.72</b>
6401	फसल कृषि कर्म के लिए ऋण	119-बागवानी तथा वनस्पति फसल	1,51.32	...	0.22	...	1,51.10	(-)0.22	0.33
		190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को ऋण	37,91.86	...	...	...	37,91.86	...	0.06
		800-अन्य ऋण	5,61.66	...	0.30	...	5,61.36	(-)0.30	...
	जोड़-(6401)		<b>45,04.84</b>	...	<b>0.52</b>	...	<b>45,04.32</b>	<b>(-)0.52</b>	<b>0.39</b>
6403	पशुपालन के लिए ऋण-	103-कुक्कुट विकास	0.16	...	...	...	0.16	...	...
	जोड़-(6403)		<b>0.16</b>	...	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0.16</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
6408	खाद्य भण्डारण व भाण्डागारण के लिए ऋण-	101-प्राप्त तथा पूर्ति	6.12	...	...	...	6.12	...	...
		190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों को ऋण	29.61	...	0.01	...	29.60	(-)0.01	...
		195-सहकारिताओं को ऋण	28.53	...	0.04	...	28.49	(-)0.04	6,16.32
		796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	56.42	...	...	...	56.42	...	...
	जोड़-(6408)		<b>1,20.68</b>	...	<b>0.05</b>	...	<b>1,20.63</b>	<b>(-)0.05</b>	<b>6,16.32</b>
6425	सहकारिता के लिए ऋण	106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारिताओं को ऋण	0.04	...	...	...	0.04	...	...
		107-जमा सहकारी समितियों को ऋण-	18,20.44	20,28.64	2,10.71	...	36,38.37	(+)18,17.93	...

**18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी**

भाग-I मुख्य एवं लघु शीर्ष के साथ ऋण तथा अग्रिमों का सार संक्षेप

	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम	वर्ष के दौरान लौटाया गया	अप्राप्य ऋण एवं अग्रिम को बटटेखाते में डालना	31 मार्च 2015 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-) (7-3)	राजस्व में जमा किया गया प्राप्त ब्याज	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(₹ लाख में)										
6425	सहकारिता के लिए ऋण	108-	अन्य सहकारी समितियों को ऋण-	32,37.56	24,00.00	28,24.24	...	28,13.32	(-)4,24.24	...
		796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,08.53	...	37.79	...	70.74	(-)37.79	...
	जोड़-(6425)			51,66.57	44,28.64	30,72.74	...	65,22.47	(+)13,55.90	...
6435	अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए ऋण-	101-	विपणन सुविधाएं	1,62.58	...	...	...	1,62.58	...	...
	जोड़-(6435)			1,62.58	...	...	...	1,62.58	...	...
6506	भूमि सुधार के लिए ऋण	104-	फालतू भूमि के आबंटियों के लिए कर्ज	0.34	...	0.06	...	0.28	(-)0.06	...
	जोड़-(6506)			0.34	...	0.06	...	0.28	(-)0.06	...
6515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण-	101-	पंचायती राज	36.08	...	1.03	...	35.05	(-)1.03	...
		102-	सामुदायिक विकास	1.08	...	...	...	1.08	...	...
		796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	13.01	...	...	...	13.01	...	...
	जोड़-(6515)			50.17	...	1.03	...	49.14	(-)1.03	...
6801	विजली परियोजनाओं के लिए ऋण-	190-	सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को ऋण	12,03,45.32	2,58,99.99	...	...	14,62,45.31	(+)2,58,99.99	...
		789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,17,45.14	85,26.00	...	...	4,02,71.14	(+)85,26.00	...
		796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	1,22,72.59	59,85.00	...	...	1,82,57.59	(+)59,85.00	...
		800-	विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण	74,74.80	...	...	...	74,74.80	...	...
	जोड़-(6801)			17,18,37.85	4,04,10.99	...	...	21,22,48.84	(+)4,04,10.99	...
6851	ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए ऋण-	102-	लघु उद्योग	1,20.34	...	5.11	...	1,15.23	(-)5.11	7.77
		103-	हथकरघा उद्योग	2,13.27	...	1.20	...	2,12.07	(-)1.20	...
		109-	संयुक्त ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां	25.40	...	7.03	...	18.37	(-)7.03	...

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी

**भाग-।** मूख्य एवं लघु शीर्ष के साथ ऋण तथा अग्रिमों का सार संक्षेप

	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को शेष	वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम	वर्ष के दौरान लौटाया गया	अप्राप्य ऋणएवं अग्रिम को बटटेखाते में डालना	31 मार्च 2015 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-) (7-3)	राजस्व में जमा किया गया प्राप्त ब्याज
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6851	ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए ऋण-	200- ब्रएफ?	61.65	...	...	...	61.65	...	...
	जोड़-(6851)		4,20.66	...	13.34	...	4,07.32	(-)13.34	7.77
6885	.उद्योग और खनिज के लिए अन्य ऋण	190- सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपकरणों को ऋण	27,71.00	16,53.00	...	...	44,24.00	(+)16,53.00	...
	जोड़-(6885)		27,71.00	16,53.00	...	...	44,24.00	(+)16,53.00	...
7465	सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संरथाओं के लिए ऋण-	101- सामान्य वित्तीय संस्थाएं	10.00	...	...	...	10.00	...	...
	जोड़-(7465)		10.00	...	...	...	10.00	...	...
7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि-	201- भवन निर्माण अग्रिम	33,44.66	6,17.05	8,28.77	...	31,32.94	(-)2,11.72	6,77.39
		202- मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम	2,42.52	57.50	51.74	...	2,48.28	(+)5.76	...
		203- अन्य वाहनों का क्रय करने के लिए अग्रिम	22.66	...	1.50	...	21.16	(-)1.50	...
		800- अन्य अग्रिम	1,79.14	51.95	57.58	...	1,73.51	(-)5.63	...
	जोड़-(7610)		37,88.98	7,26.50	9,39.59	...	35,75.89	(-)2,13.09	6,77.39
7615-	विविध ऋण-	200- विविध ऋण-	1,02.03	...	...	...	1,02.03	...	51,71.17
	जोड़-(7615)		1,02.03	...	...	...	1,02.03	...	51,71.17
	जोड़-ऋण तथा अग्रिम		19,13,18.41	4,74,19.13	40,55.84	...	23,46,81.70	(+)4,33,63.29	65,24.26

## 18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अप्रिमों की विस्तृत विवरणी

## भाग-2 अन्य ऋणी संस्थाओं से बकायों का भुगतान

ऋणी संस्था	31 मार्च 2015 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया सर्वधित है।	31 मार्च 2015 को संस्था की तुलना में कल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़-		
1	2	3	4	5	6
शुन्य					

## अतिरिक्त प्रकटन

वर्ष के दौरान दिए गये नये ऋण और अप्रिम (2014-15)

( ₹ लाख में)

ऋणी संस्था	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	निवंधन और शर्त	
			ब्याज की दर	अधिस्थगन अवधि यदि है तो
1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत विनियामक आयोग	1	2,00.00	ब्याज रहित	...
क्रेडिट निगम(आई सी डी पी)	2	20,28.64	12.50 प्रतिशत	3 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (एच आई एम एफ ई डी)	1	24,00.00	12.50 प्रतिशत	...
हिप्रो पॉवर निगम सीमित	17	3,04,35.54	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिप्रो पॉवर ट्रांसमिशन निगम सीमित	10	99,75.45	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिप्रो राज्य वित्त निगम	3	16,53.00	...	...
सरकारी कर्मचारी		7,26.50	...	...
जोड़-	34	4,74,19.13	...	...

**18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी  
ऋण और अग्रिमों से सम्बन्धित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन**

1. निम्नलिखित ऋण के मामलों को 'स्थायी ऋण' के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

क्रम संख्या	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	व्याज दर
इस तरह कोई भी मामला नहीं है				

2. निम्नलिखित ऋणों को स्वीकृत सरकार ने दे दी है जबकी निवंधन और शर्तें अभी निर्धारित की जानी है।

(₹ लाख में)

1. ऋणी संख्या	2. ऋणों की संख्या	3. कुल राशि	4. शीघ्रतम अवधि जिससे ऋण सम्बन्धित है।
हिप्रो राज्य वित्त निगम	3	16,53.00	2014-15
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम	1	2,54.00	2013-14
नगर निगम, शिमला	1	2,00.00	2008-09
हिप्रो राज्य हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	1	50.00	2006-07
प्रधान सचिव, एम पी पी एवं पॉवर, हिप्रो	2	5,00.00	2008-09

18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी

3. छाणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान लिए गए नये छाण और अग्रीम, जिनमें पर्वत छाण के चुकातौ बकाया के रूप में हैं।

( ₹ लाख में)

### 19. निवेशों की विस्तृत विवरणी

## भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के ब्यौरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	आम्युक्तियां	
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					
1	2	3	4	5	6	7	(₹ लाख में)	8	9	10	11
<b>I. सांचिधिक निगम/बोर्ड (6)*</b>											
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2005-06 तक	इक्विटी शेयर	2197790	100	21,97.79	(क)	...	...	...	वर्ष 2014-15 का धाटा ₹ 1,09.00 लाख था। वर्ष 2014-15 के अन्त तक धाटा ₹1,45,01.00लाख( हि.प्र. वि. नि.)
											(क) जिला उद्योग केन्द्र कुल्लू द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु प्रदान किए गए ₹ 2.61लाख उद्योग विभाग ने वर्ष 2004-05 में पूँजीगत निवेश मान लिया।
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2013-14 तक	शेयर पूँजी	52589710	100	5,25,89.71	(ख)	100	...	...	वर्ष 2014-15 का धाटा ₹ 83,27.00लाख था वर्ष 2013-14 के अन्त तक का धाटा ₹ 8,47,67.00 लाख था। ( हि. प्र. प. नि.)
		2014-15	-तदैव-	4295000	100	42,95.00		100	...	...	(ख) इसमें विज्ञान, तकनीकी व पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान निगम में निवेश किए गए ₹ 0.71 लाख सम्मिलित है।
3	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम	2013-14 तक	इक्विटी शेयर	4075540	100	40,75.54		100	...	...	
4	हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम	2007-08 तक	इक्विटी शेयर	413810	100	4,13.81		100	...	...	

## **19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के ब्यौरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां									
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
(₹ लाख में)																			
I.	<b>सार्विधिक निगम/बोर्ड-(6)*</b>																		
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	2013-14 तक	शेयर पूँजी	4907818	100	4,90,78.18	(क)	100	वर्ष 2012-13 का धाटा ₹ 3,40,28.00 लाख था। वर्ष 2012-13 के अन्त तक का धाटा ₹ 17,38,63.00 लाख था।										
		2014-15	-तदैव-	4991000	100	49,91.00													
6	पार्वती घाटी परियोजना	1999-00 तक	-तदैव-	#	#	2,13.00	100	...	...	(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लारजी हाईडल परियोजना में ₹ 48,11,18 लाख का निवेश सम्मिलित है।									
<b>जोड़-1-सार्विधिक निगम/बोर्ड</b>		<b>10,85,68.03</b>																	
II.	<b>संयुक्त स्टॉक कम्पनियां-</b>																		
(क)	<b>सरकारी कम्पनियां-(21)*</b>																		
7	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2000-01 तक	शेयर पूँजी	3082440	100	30,82.44	100	...	वर्ष 2013-14 का धाटा ₹ 3,31.00 लाख था। वर्ष 2013-14 के अन्त तक लाभांश ₹ 16,08.00 लाख था।										
						3,50.14	(ख)		(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 मई 2012 द्वारा नाहन फॉउन्डरी का विलय हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम में कर दिया गया है।										
8	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	1998-99 तक	शेयर पूँजी	984080	100	9,84.08	83.39	0.04	वर्ष 2012-13 का धाटा ₹ 1,88.00 लाख था वर्ष 2014-15 के अन्त तक घाट ₹19,25.00 लाख था।										

## 19. निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्यौरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				

## II संयुक्त स्टॉक कम्पनियां-क्रमशः:

## (क) सरकारी कम्पनियां-(21)-क्रमशः:

9	नाहन फाउंडरी लिमिटेड	(क्र.)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	वर्ष 2013-14 के दौरान लाभाश ₹1,31.00 लाख था। 2013-14 के अन्त तक ₹16,39.00 लाख घाटा था।
10	हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2007-08 तक	शेयर पूँजी	922450	100	9,22.45	99.66	...	...	...	...	वर्ष 2012-13 के दौरान घाटा ₹ 9,11.00 लाख था। 2012-13 के अन्त तक ₹44,94.00 लाख लाभाश/घाटा था।
11	हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड	1994-95 तक	-तदैव-	117112	1000	11,71.12	100	...	...	...	...	वर्ष 2012-13 के दौरान घाटा ₹ 9,11.00 लाख था। 2012-13 के अन्त तक ₹44,94.00 लाख लाभाश/घाटा था।
12	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	1971-72	-तदैव-	73	1000	0.73	...	...	...	...	...	(ख) कम्पनी का नवम्बर 1971 में परिसमाप्त हो गया तथा वर्ष 1971-72 के दौरान परिसमाप्त से सरकारी देय राशियों के ₹ 1,73 लाख में से ₹ 3,08 लाख पूर्ण एवं अंतिम भुगतान में प्राप्त किए। हानि के ₹ 1,35 लाख अभी तक बट्टे खाते में नहीं डाले गए।
13	कुल्लू घाटी परिवहन लिमिटेड (अब परिसमाप्त)	1965-66	इक्विटी शेयर	...	...	1.35	(ख)	...	...	...	...	

\* कोष्ठक के आंकड़े निगम/बोर्ड की संख्या को दर्शाते हैं।

(क) पृष्ठ संख्या 153 पर (क) अभ्युक्ति देखें

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**  
**भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण**

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के बारे में					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अध्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्या	शयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				

**II संयुक्त स्टॉक कम्पनियां-क्रमशः:**

(क) सरकारी कम्पनियां-(21)-क्रमशः:

14	हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1994-95 तक	शेयर पूँजी	122986	1000	12,29.86	100	...	...	वर्ष 2013-14 के दौरान घाटा ₹4,57.00 लाख था। 2013-14 के अन्त तक ₹23,68.00 लाख घाटा था।
15	हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	1997-98 तक	-तदैव-	371670	100	3,71.67	100	...	...	वर्ष 2013-14 के दौरान लाभांश ₹91.00 लाख था 2013-14 के अन्त तक ₹ 2,11.00 लाख लाभांश था।
16	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1998-99 तक	शेयर पूँजी	35150	1000	3,51.50	100	35.15	...	वर्ष 2013-14 के दौरान लाभांश ₹3,99.00 लाख था 2013-14 के अन्त तक ₹28,78.00 लाख लाभांश था।
17	एग्रो इण्डस्ट्रीज पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	1994-95 तक	-तदैव-	1675000	100	16,75.00	94.52	...	...	वर्ष 2013-14 का घाटा ₹ 4.00 लाख था। वर्ष 2013-14 के अन्त तक घाटा ₹ 78,23.00 लाख था।
18	हिमाचल प्रदेश हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्किंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10 तक	-तदैव-	3119700	100	31,19.70	80.47	...	...	वर्ष 2013-14 का घाटा ₹ 6,96.00 लाख था। वर्ष 2013-14 के अन्त तक घाटा ₹70,36.00 लाख था।
19	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14 तक	इक्विली शेयर	9885700	10	9,88.57	...	...	...	वर्ष 2013-14 के दौरान लाभांश ₹ 4,02.00 लाख था 2013-14 के अन्त तक ₹4,21.00 लाख लाभांश था।

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्योरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										

**II संयुक्त स्टॉक कम्पनियां-क्रमशः**

**(क) सरकारी कम्पनियां-(21)-समाप्त**

20	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2013-14 तक	इक्विटी शेयर	76962	1000	7,69.62	...	...	वर्ष 2011-12 के दौरान लाभांश ₹ 25.00 लाख था 2011-12 के अन्त तक ₹67.00 लाख लाभांश था।
21	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14 तक	इक्विटी शेयर	76962	1000	10,90.00	100	...	वर्ष 2012-13 के दौरान लाभांश ₹ 61.00 लाख था 2012-13 के अन्त तक ₹6,29.00 लाख लाभांश था।
22	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14 तक	-तदैव-	933040	100	9,33.04	...	...	वर्ष 2011-12 का घाटा/लाभांश ₹ 18.00 लाख था। वर्ष 2011-12 के अन्त तक घाटा ₹ 3,30.00 लाख था।
23	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड	2000-01 तक	-तदैव-	2500000	100	25,00.00	100	...	...
24	हिमाचल प्रदेश हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2000-01 तक	-तदैव-	50000	1000	5,00.00	100	...	...
25	हिमाचल प्रदेश बिजली निगम	2013-14 तक	इक्विटी शेयर	1173237	1000	5,32,67.63	72.55	...	वर्ष 2013-14 का घाटा ₹19,32.00 लाख था। वर्ष 2013-14 के अन्त तक घाटा ₹19,32.00 लाख था।
		2014-15 विनिवेश	-तदैव-	1,933,200	1,000	1,93,32.00	...	...	
						(-)6,50,00.00			

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्योरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				

**॥ संयुक्त स्टॉक कम्पनियां-क्रमशः:**

(ख) केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां

26	हिमाचल प्रदेश पावर	2013-14 तक	-तदैव-	6378500	100	63,78.50	100	...	...	...
	द्रान्समिशन निगम									
	लिमिटेड	2014-15 तक	-तदैव-	3500000	100	35,00.00		...		

**जोड़-क- सरकारी कम्पनियां**

**3,77,17.40**

**35.19**

27	हिमाचल प्रदेश	2008-09	...	...	...	10,68,14.00	...	1,69,85.74	...	...
	सतलुज जल विद्युत	तक								
	निगम (पहले नाथपा									
	झाकड़ी पॉवर									
	कॉर्पोरेशन)									

**जोड़-ख-केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां**

**10,98,14.00**

**1,69,85.74**

...

(ग) अन्य कम्पनियां-(13) *																		
28	जगजीत कॉटन	...	...	...	1.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	(क) इसमें 1982-83 के दौरान राज्य सरकार को हस्तांतरित किए गए प्रत्येक ₹ 100 वाले 15 जुलाई 1980 को जारी किए गए 28 इक्विटी शेयरों से अन्तविट ₹ 0.03 लाख सम्मिलित हैं। पूर्वकालिक पंजाब राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्य कम्पनियों के अन्तर्गत निवेशों का जनसंख्या के आधार पर राज्य को हस्तांतरण किया गया। सभी 13 कम्पनियों में आवंटित निवेश की राशि का अभी तक समाधान नहीं किया गया है।
29	मालवा शूगर मिल धूरी	...	...	...	1.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
30	एसोसिएटड सीमेंट	...	200	100	0.20	(क)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	कम्पनी लिमिटेड																	
	मुम्बई																	
31	डालमिया सीमेंट	...	675	10	0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	(भारत) लिमिटेड																	
	डालमिया पुरम																	

\* कोष्ठक के आंकड़े निगम/बोर्ड की संख्या को दर्शाते हैं।

**19. निवेशों को विस्तृत विवरणों  
भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण**

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के ब्यौरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										
II संयुक्त स्टॉक कम्पनियां-समाप्त										
(ग) अन्य कम्पनियां-(13)-समाप्त										
32 हिन्दुस्तान देवीदत		...	...	...	0.12	...	...	...	...	
दूल्ज लिमिटेड										
फरीदाबाद										
33 धौलपुर ग्लास वर्क्स		...	...	...	0.03	...	...	...	...	
लिमिटेड, धौलपुर										
34 उषा फौजिर्ग एण्ड		...	...	...	0.31	...	...	...	...	
स्टैम्पिंग लिमिटेड										
फरीदाबाद										
35 उषा स्पीनिंग एण्ड		...	...	...	1.44	...	...	...	...	
बीविंग मिल्ज										
36 भारत स्टील ट्यूब्स		...	...	...	2.83	...	...	...	...	
लिमिटेड, गन्नौर										
37 श्री गोपाल पेपर		...	...	...	0.72	...	...	...	...	
मिल्ज, जगाधरी										
38 ओरीएण्टल स्पन		...	...	...	0.72	...	...	...	...	
पाइप कम्पनी, नई										
दिल्ली										
39 सिकन्द लिमिटेड नई दिल्ली		...	...	...	1.03	...	...	...	...	
40 श्री कृष्ण राजिन्द्रा		14	50	0.01		...	...	...	...	
मिल्ज लिमिटेड मैसूर										
<b>जोड़-ग-अन्य कम्पनियां</b>					<b>10.14</b>	...	<b>1.98</b>	...		
<b>जोड़-॥ संयुक्त स्टॉक कम्पनियां (क+ख+ग)</b>					<b>14,75,41.54</b>	...	<b>1,70,22.91</b>	...		

\* कोष्ठक के आंकड़े निगम/बोर्ड की संख्या को दर्शाते हैं।

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**  
**भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण**

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्यौरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्या	शयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										

**III सहकारी बैंक-(9)\***

41	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शिमला	1953-54 से 2009-10 तक	प्रतिदेय शेयर	240640	100	2,40.64	...	21.66	...	
42	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लिमिटेड	2012-13 तक	-तदैव-	406330	100	4,06.33	(क)	...	...	(क) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 37.87 लाख मुल्य के शेयर विमोचित किये गये
43	कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास प्राथमिक बैंक लिमिटेड धर्मशाला	2011-12 तक	प्रतिदेय शेयर	32290	100	32.29	...	...	...	(ख) उधान विभाग द्वारा ₹ 8.66 लाख और कृषि विभाग द्वारा ₹13.17 लाख निवेश किए गए।
44	अन्य सहकारी बैंक (2) *	2003-04	-तदैव-	283084	100	2,83.08	(क)	...	...	(क) यह निवेश वित्त विभाग द्वारा किया गया।
45	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी	2003-04 तक	शेयर पूँजी में सहभागता	49709 3750 174800	50 100 100	24.85 3.75 1,74.80	(ख) (ग)	...	...	(ख) यह निवेश वित्त विभाग द्वारा किया गया। (ग) यह निवेश वित्त विभाग द्वारा किया गया।
46	पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा	2000-01 तक	प्रतिदेय शेयर	4640	100	4.64	...	...	...	
			-तदैव-	56750	100	56.75	(घ)	...	...	(घ) यह निवेश वित्त विभाग द्वारा किया गया।
47	जोगिन्द्रा सैन्ट्रल, सहकारी बैंक लिमिटेड सोलन	2003-04 तक	शेयर पूँजी	85340	100	85.34	...	2.56	...	

\* कोष्ठक के आंकड़ों विपणन समितियों/सहकारी समितियों की संख्या को दर्शाता है।

## 19. निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्योरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				
III	सहकारी बैंक-(9)*																			
48	शहरी सहाकारी बैंक लिमिटेड चम्बा	1961-62 बैंक 2003-04	-तदैव-	100	100	0.10	...	...	...	...	...									
49	कांगड़ा कैन्ट्रीय सहकारी बैंक लिं धर्मशाला	2009-10 तक	-तदैव-	110000	100	1,10.00	...	3.30	...	...	...									
जोड़-III सहकारी बैंक							<b>14,44.40</b>	...	<b>27.52</b>	...	...									
IV	सहकारी समितियां-																			
50	विपणन समितियां (176)*	2013-14 तक	प्रतिदेय शेयर	13273	1000	1,32.73	...	5.69	...	...	...									
		-तदैव-		26284	500	1,33.42	...	...	...	...	...									
		-तदैव-			200	31.49	...	...	...	...	...									
		-तदैव-			100	23,22.02	(क)	...	...	...	...									
		-तदैव-			50	1,17.98	(ख)	...	...	...	...									
		-तदैव-			10	...	(ग)	...	...	...	...									
		2014-15	-तदैव-	200	500	1.00	...	...	...	...	...									

\* कोष्ठक के आंकड़े विपणन समितियों/सहकारी समितियों की संख्या को दर्शते हैं।

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्योरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				

**IV सहकारी समितियां-क्रमशः:**

51	बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (130)*	2013-14	प्रतिदेय शेयर	200	1.63	...	1.72	...										
		तक	-तदैव-	100	82.66	...	...	...									(घ) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1.91 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-	50	9.97	(घ)	...	...									(छ) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 4.81 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-	10	60.16	(ङ)	...	...									(च) वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के समाधान राशि का समायोजन किया गया।	
52	सहकारी उपभोगता भण्डार(239)*	2013-14	प्रतिदेय शेयर	500	4.80	...	1.56	...										
		तक	-तदैव-	100	76.67	...	...	...									(क) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹4.22 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-	50	41.45	...	...	...									(ख) वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के समाधान राशि का समायोजन किया गया।	
			-तदैव-	10	68.31	(क)	...	...										
		2014-15	-तदैव-	500	1.34	...	...	...										
			-तदैव-	100	2.00	...	...	...										
			-तदैव-	100	0.10	(ख)	...	...										

\* कोष्ठक के आंकड़े विपणन समितियों/सहकारी समितियों की संख्या को दर्शाते हैं।

### 19. निवेशों की विस्तृत विवरणी

## **भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण**

IV सहकारी समितियां-क्रमशः

53	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पूर्व में ग्राम सेवा समितियां) (1449)*	प्रतिदेय तक	200	1.52	...	36.18	
			-तदैव-	100	6,51.31	(ग)	...
			-तदैव-	50	3,13.33	(घ)	...
			-तदैव-	10	2,90.23	(ङ)	...
54	मत्त्य सहकारी समितियां (23)*	प्रतिदेय तक	100	18.20	...	...	
			-तदैव-	50	8.24	...	...
			-तदैव-	100	(-)1.62	(च)	...
55	श्रम तथा निर्माण समितियां(7)*	प्रतिदेय तक	2608	100	26.08	(क)	0.15
			-तदैव-	16320	50	8.01	...
				5	100	0.01	(ख)
56	नियंत्रण समितियां (1)*	प्रतिदेय तक	544	1000	5.44	...	
			-तदैव-	1308	100	1.31	...
				(-)85	100	(-)0.09	(ग)

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**  
**भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण**

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्यारे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अध्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्या	शयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				

**IV सहकारी समितियां-क्रमशः**

56	ओद्योगिक समितियां (360)*	2013-14 तक	प्रतिदेय शेयर	1000	100.79	...	3.99	...									
			-तदैव-	500	28.59	...	...	...									
			-तदैव-	200	2.10	...	...	...									
			-तदैव-	100	428.88	...	...	...									
			-तदैव-	50	17.59	(घ)	...	...									(घ) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹14.64 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।
			-तदैव-	10	...	(ज)	...	...									(ज) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.48 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।
57	दुग्ध आपूर्ति समितियां (19)*	2009-10 तक	2014-15	-तदैव-	1000	5.00	...	...	...								
			-तदैव-	500	3.20	...	...	...									(च) वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के समाधान राशि का समायोजन किया गया।
			-तदैव-	100	1.18	(च)	...	...									
			प्रतिदेय शेयर	100	31.41	...	0.14	...									
			-तदैव-	10	1.60	(क)	...	...									(क) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.85 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।
			-तदैव-	58	500	0.29	...	0.06	...								
58	सहकारी आवास समितियां (9)*	1999-00 तक	प्रतिदेय शेयर	83798	100	83.80	...	...	...								

\* कोष्ठक के आंकड़े विपणन समितियों/सहकारी समितियों की संख्या को दर्शाते हैं।

## 19. निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्योरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां										
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(₹ लाख में)																				

**IV सहकारी समितियां-क्रमशः:**

59	परिवहन सहकारी समितियां (18) <sup>*</sup>	1999-00 तक	-तदैव-	23	5000	1.12	...	...	...		
			-तदैव-	168	1000	1.68	...	...	...		
			-तदैव-	188	500	0.94	...	...	...		
			-तदैव-	100	1.65	(छ)	...	...	...	(ख) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.18 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
60	सहकारी कुकुट समितियां (8) <sup>*</sup>	2009-10 तक	प्रतिदेय शेयर	3315	100	3.32	(ग)	...	...	(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.05 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-		50	(घ)	...	...	...	(घ) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.26 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-		10	(ङ)	...	...	...	(ङ) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.03 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-	643	500	3.21	...	0.03	...	(च) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5.09 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
61	सहकारी पुष्प कृषि समितियां (14) <sup>*</sup>	2013-14 तक	-तदैव-	6292	100	1.46	(च)	...	...		
			-तदैव-		50	(छ)	...	...	...	(छ) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.16 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-		10	(ज)	...	...	...	(ज) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.25 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।	
			-तदैव-	500	100	0.50	(झ)			(झ) वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के समाधान राशि का समायोजन किया गया।	
62	ऊन उत्पादक सहकारी समितियां (9) <sup>*</sup>	1999-00 तक	प्रतिदेय शेयर	3624	100	3.62	...	...	...		
				120	50	0.06	...	...	...		

**19. निवेशों की विस्तृत विवरणी**

भाग-2: वर्ष 2014-15 तक निवेशों के विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश के व्योरे					कुल प्रदत्त पूँजी पर सरकारी निवेशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों में जमा किया गया प्राप्त लाभांश	लाभांश घोषणा किया गया परन्तु सरकार के लेखों में जमा नहीं किया गया	अभ्युक्तियां
		निवेश का वर्ष	प्रकार	शेयरों की संख्याँ	शेयरों का प्रत्यक्षमूल्य	निवेशित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										

**IV सहकारी समितियां-समाप्त**

63	पर्यटन सहकारी समितियां (4) *	2009-10 तक	-तदैव-	13	5000	0.65	...	...	...	
				7885	100	7.89	...	...	...	
64	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ	2004-05 तक	-तदैव-	606580	100	6,06.58	(क)	...	...	(क) हि. प्र. पशुपालन विभाग द्वारा निवेश किया गया।
65	हिमाचल प्रदेश हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड	1999-00 तक	-तदैव-	...	...	8.90	(छ)	...	...	(छ) औदोगिक विभाग द्वारा निवेश किया गया।
66	अन्य सहकारी समितियां (8) *	2012-13	-तदैव-	3393	100	2.49	(ग)	...	...	(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 0.14 लाख मूल्य के शेयर विमोचित किए गए।

**जोड़- IV सहकारी समितियां**

सकल योग	<b>57,61.76</b>	...	<b>49.47</b>	...
---------	-----------------	-----	--------------	-----

सकल योग	<b>27,31,64.73 **</b>	...	<b>1,70,99.90</b>	...
---------	-----------------------	-----	-------------------	-----

\* कोष्ठक के आंकड़ों विपणन समितियों/सहकारी समितियों की संख्या को दर्शाते हैं।

\*\* पृष्ठ संख्या 20 पर पाद टिप्पणी देखें

**19. सरकार के निवेशों के व्यौरों को दर्शाने वाला विवरण**

भाग-3 : वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण

(केवल उन्ही मामलों के आंकडे को शामिल किया गया है जिनका मिलान विवरणी संख्या 19 के आंकड़ों के अनुसार नहीं है)।

विवरणी संख्या 14 का क्रम	मुख्य/लघु शीर्ष	गत वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष के दौरान निविनिवेश	वर्ष के अन्त तक तक निवेश	लाभांश/व्याज प्राप्ति

टिप्पणी:- वर्ष के दौरान विवरणी संख्या 16 तथा 19 में दर्शाये गये निवेश में कोई अन्तर नहीं है।

**20. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी**  
 (प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्रवार व्यौरा: गांरटियों के सम्बन्ध में)

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत गांरटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गांरटीशुदा राशि	वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गांरटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त (रुपये)	वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया	गांरटी कमीशन अथवा शुल्क		(₹ लाख में) अन्य सामग्री विवरण	
							उन्मोचित	उन्मोचित न की गई	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>विद्युत (1)*</b>										
1. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड		45,49,96.00	25,31,19.00	--	76,59.00	--	--	24,54,60.00	--	--
<b>जोड़-विद्युत</b>		<b>45,49,96.00</b>	<b>25,31,19.00</b>	--	<b>76,59.00</b>	--	--	<b>24,54,60.00</b>	--	--
<b>सहकारी बैंक और समीतियाँ (1) *</b>										
1. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित द्वारा जारी किये गए ऋण पत्र पर मूलधन तथा ब्याज की चुकौती हेतु प्रत्याभूति।		2,35,00.00	1,99,54.00	45,02.00	32,45.00	--	--	2,12,11.00	--	--
<b>जोड़- सहकारी बैंक समीतियाँ</b>		<b>2,35,00.00</b>	<b>1,99,54.00</b>	<b>45,02.00</b>	<b>32,45.00</b>	--	--	<b>2,12,11.00</b>	--	--
<b>राज्य वित्तीय निगम (1) *</b>										
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जारी किए गए ऋण/ बन्धपत्रों के सम्बन्ध में मूलधन तथा उस पर देय ब्याज की चुकौती के लिए प्रत्याभूति।		95,25.00	45,12.00	--	12,86.00	--	--	32,26.00	--	--
<b>जोड़- राज्य वित्तीय निगम</b>		<b>95,25.00</b>	<b>45,12.00</b>	--	<b>12,86.00</b>	--	--	<b>32,26.00</b>	--	--
<b>स्थानीय निकाय (1) -</b>										
हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गई प्रत्याभूति।		12,00.00	5,15.00	--	3.00	--	--	5,12.00	--	--
<b>जोड़- स्थानीय निकाय</b>		<b>12,00.00</b>	<b>5,15.00</b>	--	<b>3.00</b>	--	--	<b>5,12.00</b>	--	--

\* कोष्ठकों के आंकड़े संख्यानों की संख्या सूचित करते हैं।

**20. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी**  
 (प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्रवार व्यौरा: गांरटियों के सम्बन्ध में)

क्षेत्र(कोष्टक के अन्तर्गत गांरटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गांरटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त (रुपये)		वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया	गांरटी कमीशन अथवा शुल्क		(₹ लाख में) अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्त	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अन्य संस्थाएं (10) -</b>										
<b>(i) सरकारी कम्पनियाँ- (7) *</b>										
1.ऋण लेने के लिए हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित को दी गई प्रत्याभूति	8,00.00	7,97.15	--	34.22	--	--	7,62.93	--	--	--
2.हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित को दी गई प्रत्याभूति।	60.00	60.00	--	43.23	--	--	16.77	--	0.72	--
3.हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को दी गई प्रत्याभूति।	20,00.00	14,81.00	1,69.00	--	--	--	16,50.00	--	--	--
4.हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को दी गई प्रत्याभूति। (नॉन एस0 एल0 आर0 बांड)	90,00.00	90,00.00	--	27,49.00	--	--	62,51.00	--	--	--
5.हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम	20,00.00	1,91.39	7,39.81	5,00.64	--	--	4,30.56	--	--	--
6.हि0 प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को दी गई प्रत्याभूति	40.00	1,18.68	6.00	--	--	--	1,24.68	--	--	--
7.मिल्कफेड, टुटू को दी गई प्रत्याभूति ।	5,00.00	19,63.75	3,08.53	--	--	--	22,72.28	--	--	--
<b>जोड़ सरकारी कम्पनियाँ (1 से 7)</b>	<b>1,44,00.00</b>	<b>1,36,11.97</b>	<b>12,23.34</b>	<b>33,27.09</b>	--	--	<b>1,15,08.22</b>	--	<b>0.72</b>	--

\* कोष्टकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या सूचित करते हैं।

**20. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी**  
 (प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्रवार व्यौरा: गारंटियों के सम्बन्ध में)

क्षेत्र(कोष्टक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदत्त (रुपये)		वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		(₹ लाख में) अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्त	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>(ii) सांविधिक निगम तथा बोर्ड (3) *</b>										
1.पिंडीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण	1,35,00.00	62,33.00	59,81.00	14,16.72	--	--	1,07,97.28	--	--	--
सीमा का लाभ उठाने हेतु हिमाचल पथ परिवहन निगम को प्रत्याभूति										
2.हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम को दी गई प्रत्याभूति	27,00.00	5,47.00	85.68	8.68	--	--	6,24.00	--	--	--
3.हिमाचल प्रदेश इनफरास्ट्रक्चर विकास बोर्ड को दी गई प्रत्याभूति	41,17,52.00	13,47,94.00	--	--	--	--	13,47,94.00	--	--	--
<b>कुल जोड़- सांविधिक निगम तथा बोर्ड</b>	<b>42,79,52.00</b>	<b>14,15,74.00</b>	<b>60,66.68</b>	<b>14,25.40</b>	--	--	<b>14,62,15.28</b>	--	--	--
<b>कुल जोड़- अन्य संस्थाएं (i)+(ii)</b>	<b>44,23,52.00</b>	<b>15,51,85.97</b>	<b>72,90.02</b>	<b>47,52.49</b>	--	--	<b>15,77,23.50</b>	--	<b>0.72</b>	--
<b>सकल जोड़</b>	<b>93,15,73.00</b>	<b>43,32,85.97</b>	<b>1,17,92.02</b>	<b>1,69,45.49</b>	--	--	<b>42,81,32.50</b>	--	<b>0.72</b>	--

\* कोष्टकों के आंकड़े संरक्षणों की संख्या सूचित करते हैं।

**व्याख्यात्मक टिप्पणी**

- (क) प्रत्याभूति विमोचन निधि: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश राज कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन ऋण पर उत्तरोत्तर रूप से अपनी बकाया गारंटियों में कमी करना, जब तक यह पूर्ववर्ती वित्त वर्ष जिसके लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं में कुल राजस्व प्राप्ति की 40 प्रतिशत बकाया जोखिम युक्त गारंटियों का आवृत्त न कर पाए।
- (ख) वर्ष के दौरान प्रत्याभूति उन्मोचित का विस्तृत विवरण: वर्ष के दौरान किसी भी राशि का उन्मोचित नहीं किया गया है।
- (ग) वर्ष के दौरान जारी की गई कम्फर्ट पत्र: सरकार द्वारा इस विषय में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

## 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अथ शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2015 के अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	
					1	2
					3	4
					5	6
					(₹ लाख में)	
क आकस्मिकता निधि-						
<b>8000 आकस्मिकता निधि-</b>						
201 समेकित निधि से विनियोजन समेकित निधि में प्रत्येक मुख्य शीर्ष जमा 5,00.00 ... ... 5,00.00 जमा ...						
(राजस्व व्यय शीर्ष, पूँजीगत व्यय, लोक ऋण आदि)						
<b>जोड़- (8000)</b> जमा <b>5,00.00</b> ... ... <b>5,00.00</b> जमा ...						
<b>जोड़- आकस्मिकता निधि</b> जमा <b>5,00.00</b> ... ... <b>5,00.00</b> जमा ...						
ख लोक लेखा-						
झ लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि						
(ख) भविष्य निधियां						
<b>8009- राज भविष्य निधियां</b>						
<b>01 सिविल-</b>						
101 सामान्य भविष्य निधि जमा 83,78,84.07 31,18,60.00 19,50,65.48 95,46,78.59 जमा (+)11,67,94.52						
102 अंशदायी भविष्य निधि जमा 75.07 ... ... 75.07 जमा ...						
104 अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि जमा 28,58.05 9,62.23 7,40.73 30,79.55 जमा (+)221.50						
<b>जोड़- 01</b> जमा <b>84,08,17.19</b> <b>31,28,22.23</b> <b>19,58,06.21</b> <b>95,78,33.21</b> जमा <b>(+)11,70,16.02</b>						
<b>04 ब्याज उचन्त-लेखा</b>						
101 ब्याज उचन्त-लेखा जमा 0.20 ... 0.20 जमा (+)0.20						
<b>जोड़- 04</b> जमा <b>0.20</b> ... <b>0.20</b> जमा <b>(+)0.20</b>						
<b>60 अन्य भविष्य निधियां-</b>						
101 कामगार अंशदायी भविष्य निधि जमा 1,13,57.65 ... ... 1,13,57.65 जमा ...						
102 अंशदायी भविष्य पैशान निधि जमा 2.99 ... ... 2.99 जमा ...						
<b>जोड़- 60</b> जमा <b>1,13,60.64</b> ... ... <b>1,13,60.64</b> जमा ...						
<b>जोड़- (8009) :</b> जमा <b>85,21,78.03</b> <b>31,28,22.23</b> <b>19,58,06.21</b> <b>96,91,94.05</b> जमा <b>(+)11,70,16.02</b>						
<b>जोड़-(ख) भविष्य निधियां आदि</b> जमा <b>85,21,78.03</b> <b>31,28,22.23</b> <b>19,58,06.21</b> <b>96,91,94.05</b> जमा <b>(+)11,70,16.02</b>						
(ग) अन्य लेखे						
<b>8011 बीमा तथा पैशान निधियां</b>						
107 राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना जमा 2,14,52.20 24,64.64 9,64.16 2,29,52.68 जमा (+)15,00.48						
<b>जोड़-(8011)</b> जमा <b>2,14,52.20</b> <b>24,64.64</b> <b>9,64.16</b> <b>2,29,52.68</b> जमा <b>(+)15,00.48</b>						
<b>जोड़-(ग) अन्य लेखे</b> जमा <b>2,14,52.20</b> <b>24,64.64</b> <b>9,64.16</b> <b>2,29,52.68</b> जमा <b>(+)15,00.48</b>						
<b>जोड़-लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि</b> जमा <b>87,36,30.23</b> <b>31,52,86.87</b> <b>19,67,70.37</b> <b>99,21,46.73</b> जमा <b>(+)11,85,16.50</b>						

## 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अंथ शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2015 के अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि
1	2	3	4	5	6
(` लाख में)					
ज. आरक्षित निधियां-					
(क) सब्याज आरक्षित निधियां					
<b>8115 मूल्यह्यास/नवीकरण आरक्षित निधियां-</b>					
103 सरकारी वाणिज्यिक विभागों तथा उपक्रमों की मूल्यह्यास आरक्षित जमा 1.37 * ... ... 1.37 * जमा ...					
निधि					
<b>जोड़-(8115)</b> जमा <b>1.37</b> ... ... <b>1.37</b> जमा ...					
<b>8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां</b>					
122 राज्य आपदा राहत निधि जमा 9,05.05 1,58,93.45 1,59,04.45 8,94.05 जमा (-)11.00					
<b>जोड़-(8121)</b> जमा <b>9,05.05</b> <b>1,58,93.45</b> <b>1,59,04.45</b> <b>8,94.05</b> जमा <b>(-)11.00</b>					
<b>जोड़-(क) सब्याज आरक्षित निधियां</b> जमा <b>9,06.42</b> <b>1,58,93.45</b> <b>1,59,04.45</b> <b>8,95.42</b> जमा <b>(-)11.00</b>					
ख लोक लेखा-					
(ख) व्याज रहित आरक्षित निधियां					
<b>8226 मूल्यह्यास/नवीकरण/आरक्षित निधियां-</b>					
101 सरकारी वाणिज्यिक विभागों तथा उपक्रमों की मूल्यह्यास आरक्षित जमा 1,53.11 ... ... 1,53.11 जमा ...					
निधि					
<b>जोड़-(8226)</b> जमा <b>1,53.11</b> ... ... <b>1,53.11</b> जमा ...					
<b>8229 विकास तथा कल्याण निधियां-</b>					
103 कृषि उददेश्यों के लिए विकास निधियां जमा 0.68 ... ... 0.68 जमा ...					
106 औद्योगिक विकास निधियां जमा 15.61 ... ... 15.61 जमा ...					
110 विद्युत विकास निधियां जमा 2,15,94.79 1,80.00 ... 2,17,74.79 जमा (+)1,80.00					
<b>जोड़-(8229)</b> जमा <b>2,16,11.08</b> <b>1,80.00</b> ... <b>2,17,91.08</b> जमा <b>(+)1,80.00</b>					
<b>8235 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-</b>					
103 धार्मिक तथा पुर्तन्यास निधियां जमा 2.16 ... ... 2.16 जमा ...					
200 अन्य निधियां जमा 6.33 ... ... 6.33 जमा ...					
<b>जोड़-(8235)</b> जमा <b>8.49</b> ... ... <b>8.49</b> जमा ...					
<b>जोड़ व्याज रहित आरक्षित निधियां</b> जमा <b>2,17,72.68</b> <b>1,80.00</b> ... <b>2,19,52.68</b> जमा <b>(+)1,80.00</b>					
<b>जोड़- ज. आरक्षित निधियां</b> जमा <b>2,26,79.10</b> <b>1,60,73.45</b> <b>1,59,04.45</b> <b>2,28,48.10</b> जमा <b>(+)1,69.00</b>					
(ट) जमा और अग्रिम-					
(क) सब्याज जमा राशियां-					
<b>8342 अन्य जमा-</b>					
117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैशान स्कीम जमा 46,77.60 1,62,55.69 1,77,26.29 32,07.00 जमा (-)14,70.60					

\* 25 जनवरी 1971 को केन्द्रीय लेखा से निकालने पर ग्रोफार्मा पर लिया गया।

## 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अथ शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2015 के अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	
					1	2
					3	4
					5	6
					(₹ लाख में)	
(ट) जमा और अग्रिम-						
(क) सव्याज जमा राशियां-						
<b>8342 अन्य जमा-समाप्त</b>						
120 विविध जमा	जमा	2.12	...	...	2.12	जमा
जोड़ (8342)	जमा	<b>46,79.72</b>	<b>1,62,55.69</b>	<b>1,77,26.29</b>	<b>32,09.12</b>	जमा
जोड़ (क) सव्याज जमा राशियां-	जमा	<b>46,79.72</b>	<b>1,62,55.69</b>	<b>1,77,26.29</b>	<b>32,09.12</b>	जमा
(ख) व्याज राहेत जमा राशियां-						
<b>8443 सिविल जमा-</b>						
101 राजस्व जमा	जमा	33.35	83.71	0.77	1,16.29	जमा
102 सीमा शुल्क तथा अफीम जमा	जमा	0.85	...	...	0.85	जमा
103 प्रतिभूति जमा	जमा	16,09.46	45.47	2.30	16,52.63	जमा
104 सिविल न्यायालय जमा	जमा	6,48.40	2,07,07.46	1,98,27.13	15,28.73	जमा
106 व्यक्तिगत जमा	जमा	2,11.26	1,80.50	1,80.86	2,10.90	जमा
108 लोक निर्माण कार्य जमा	जमा	16,49,32.92	12,21,70.48	11,71,69.27	16,99,34.13	जमा
109 बन जमा	जमा	64.30	...	...	64.30	जमा
110 पुलिस निधियों के जमा	जमा	8,03.30	2,68.87	3,04.67	7,67.50	जमा
117 सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्य के लिए जमा	जमा	0.19	...	...	0.19	जमा
121 चुनावों से सम्बन्धित जमा	जमा	7.26	-0.06	0.10	7.10	जमा
123 शैक्षिक संस्थाओं का जमा	जमा	0.02	...	...	0.02	जमा
800 अन्य जमा	जमा	14,98.72	0.59	6.77	14,92.54	जमा
जोड़-(8443)	जमा	<b>16,98,10.03</b>	<b>14,34,57.02</b>	<b>13,74,91.87</b>	<b>17,57,75.18</b>	जमा
<b>8448 स्थानीय निधियों की जमा-</b>						
101 जिला निधियां	जमा	10.62	...	...	10.62	जमा
102 नगरपालिका निधियां	जमा	11.62	14.52	3.41	22.73	जमा
104 भारतीय बीमा संघ की निधियां	जमा	13,25.49	71,55.77	71,68.98	13,12.28	जमा
106 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निधियां	जमा	9.91	...	...	9.91	जमा
108 राज्य आवास बोर्ड निधियां	जमा	0.15	...	...	0.15	जमा
109 पंचायती निकायों की निधियां	जमा	73.09	1,34,16.00	5.63	1,34,83.46	जमा
110 शिक्षा निधियां	जमा	3.25	4.84	...	1.59	जमा
120 अन्य निधियां	जमा	0.86	3,00,00.00	...	2,99,99.14	जमा
जोड़-(8448)	जमा	<b>14,26.77</b>	<b>5,05,91.13</b>	<b>71,78.02</b>	<b>4,48,39.88</b>	जमा
						<b>(+)4,34,13.11</b>

**21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी**

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अथ शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2015 के अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	
					1	2
(` लाख में)						
ख	लोक लेखा-क्रमसः:					
(ट)	जमा और अग्रिम-समाप्त					
(ख)	ब्याज रहित जमा राशियां-समाप्त					
<b>8449</b>	<b>अन्य जमा-</b>					
120	विविध जमा	जमा	50,34.39	34,07.97	9,31.23	75,11.13 जमा (+)24,76.74
	<b>जोड़-(8449)</b>	जमा	<b>50,34.39</b>	<b>34,07.97</b>	<b>9,31.23</b>	<b>75,11.13 जमा (+)24,76.74</b>
	<b>जोड़- (ख)-ब्याज रहित जमा राशियां</b>	जमा	<b>17,62,71.19</b>	<b>19,74,56.12</b>	<b>14,56,01.12</b>	<b>22,81,26.19 जमा (+)5,18,55.00</b>
(ग)	अग्रिम-					
<b>8550</b>	<b>सिविल अग्रिम -</b>					
101	वन अग्रिम	नामे	11.05	84,54.72	84,54.74	11.07 नामे (-)0.02
104	अन्य अग्रिम	नामे	42.52	...	...	42.52 नामे ...
	<b>जोड़-(8550)</b>	नामे	<b>53.57</b>	<b>84,54.72</b>	<b>84,54.74</b>	<b>53.59 नामे (-)0.02</b>
	<b>जोड़-(ग) अग्रिम</b>	नामे	<b>53.57</b>	<b>84,54.72</b>	<b>84,54.74</b>	<b>53.59 नामे (-)0.02</b>
	<b>जोड़-ट जमा और अग्रिम</b>	जमा	<b>18,08,97.34</b>	<b>22,21,66.53</b>	<b>17,17,82.15</b>	<b>23,12,81.72 जमा (+)5,03,84.38</b>
(ट)	उचन्त तथा विविध-					
(ख)	उचन्त लेखे-					
<b>8658</b>	<b>उचन्त लेखे-</b>					
101	वेतन तथा लेखा कार्यालय-उचन्त	नामे	17,92.76	23,37.05	27,70.06	22,25.77 नामे (-)4,33.01
102	उचन्त लेखा (सिविल)	नामे	2,91.54	1,31,80.25	1,36,16.19	7,27.48 नामे (-)4,35.94
107	नकद परिशोधन उचन्त लेखा	नामे	1.94	...	...	1.94 नामे ...
109	रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	जमा	2,77.18	-1,45.59	-1,28.17	2,59.76 जमा (-)17.42
110	रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	नामे	27,70.68	-8,68.72	-36,39.40	... (+)27,70.68
112	स्रोत पर कर कठोरी उचन्त (टी०डी० एस०)	जमा	32,29.65	2,53,36.55	2,63,89.69	21,76.51 जमा (-)10,53.14
113	भविष्य निधि उचन्त	जमा	0.01	...	...	0.01 जमा ...
117	रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	नामे	8.60	...	...	8.60 नामे ...
120	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा उचन्त लेखा	नामे	0.01	...	...	0.01 नामे ...
123	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना	नामे	8.33	2.37	4.81	10.77 नामे (-)2.44
126	प्रसारण रिसीवर लाइसेंस शुल्क उचन्त	जमा	0.02	...	...	0.02 जमा ...
129	सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	जमा	2,82,32.33	88,66.22	68,50.88	3,02,47.67 जमा (+)20,15.34
	<b>जोड़-(8658)</b>	जमा	<b>2,68,65.33</b>	<b>4,87,08.13</b>	<b>4,58,64.06</b>	<b>2,97,09.40 जमा (+)28,44.07</b>
	<b>जोड़-(ख) उचन्त लेखा</b>	जमा	<b>2,68,65.33</b>	<b>4,87,08.13</b>	<b>4,58,64.06</b>	<b>2,97,09.40 जमा (+)28,44.07</b>

## 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अथ शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2015 के अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	
					1	2
					3	4
					5	6
					(` लाख में )	
ख लोक लेखा-क्रमशः						
(ग) अन्य लेखे						
8670 चैक तथा बिल-						
103 विभागीय चैक जमा 37.01 ... ... 37.01 जमा ...						
जोड़-(8670) जमा 37.01 ... ... 37.01 जमा ...						
(ग) अन्य लेखे						
8671 विभागीय शेष-						
101 सिविल नामे 16.44 1.92 1.93 16.43 नामे (-)0.01						
जोड़-(8671) नामे 16.44 1.92 1.93 16.43 नामे (-)0.01						
8672 रथाई नकद अग्रदाय-						
101 सिविल नामे 2.95 ... ... 2.95 नामे ...						
जोड़-(8672) नामे 2.95 ... ... 2.95 नामे ...						
8673 नकद शेष निवेश लेखा-						
101 नकद शेष निवेश लेखा नामे ... 51,62,05.00 51,62,05.00 ... ...						
जोड़-(8673) नामे ... 51,62,05.00 51,62,05.00 ... नामे ...						
जोड़-(ग) अन्य लेखे जमा 17.62 51,62,06.92 51,62,06.93 17.61 जमा (-)0.01						
जोड़-उचन्त तथा विविध-समाप्त जमा 2,68,82.95 56,49,15.05 56,20,70.99 2,97,27.01 जमा (+)28,44.06						
(इ) प्रेषण						
(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण						
8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन-						
102 लोक निर्माण प्रेषण जमा 1,78,83.87 43,28,91.23 43,22,97.87 1,84,77.23 जमा (+)5,93.36						
103 वन प्रेषण जमा 27,21.08 2,23,55.11 2,17,56.97 33,19.22 जमा (+)5,98.14						
105 भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण नामे 2,38.80 ... ... 2,38.80 नामे ...						
जोड़-(8782) जमा 2,03,66.15 45,52,46.34 45,40,54.84 2,15,57.65 जमा (+)11,91.50						
जोड़-(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण जमा 2,03,66.15 45,52,46.34 45,40,54.84 2,15,57.65 जमा (+)11,91.50						
(ख) अन्तर्राकारी समायोजन लेखे-						
8787 रेल विभाग के साथ समायोजन लेखे-						
101 रेल विभाग के साथ समायोजन लेखे- जमा 1.89 ... ... 1.89 जमा ...						
जोड़-(8787) जमा 1.89 ... ... 1.89 जमा ...						

## 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अथ शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2015 के अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	
					1	2
					( ` लाख में )	
ख लोक लेखा-समाप्त						
(ङ) प्रेषण						
(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण						
<b>8793 अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखे-</b>						
101 अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखे	जमा 29.14		-0.60	-0.32	28.86	जमा (-)0.28
<b>जोड़-(8793)</b>	<b>जमा 29.14</b>		<b>-0.60</b>	<b>-0.32</b>	<b>28.86</b>	<b>जमा (-)0.28</b>
जोड़-(ख) अन्तर्राज्यीय समोयाजन लेखे	जमा 31.03		-0.60	-0.32	30.75	जमा (-)0.28
जोड़-ङ प्रेषण	जमा 2,03,97.18		45,52,45.74	45,40,54.52	2,15,88.40	जमा (+)11,91.22
जोड़-भाग-ख लोक लेखा प्राप्तियां/संवितरण			1,57,36,87.64	1,40,05,82.48		
(द) रोकड़ शेष-						
<b>8999 रोकड़ शेष-</b>						
102 रिजर्व बैंक के पास जमा		( -)8,87,49.49		-7,39,51.17 (क)		
<b>जोड़-(8999)</b>		<b>(-8,87,49.49)</b>		<b>-7,39,51.17</b>		

(क) लेखे में दर्शाए ` 7,39,51.17 लाख (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों ` 7,46,23.74 लाख (नामे) में ` 6,72.57 लाख (जमा) का अन्तर है ` 2,24.24 लाख (नामे) के अन्तर का समाधान हो चुका है तथा ` 4,48.33 लाख (नामे) का बकाया अन्तर समाधानाधीन है।

**विवरणी संख्या 21 का संलग्नक**  
**उचन्त तथा प्रेषण शोषों का विश्लेषण**

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष मन्त्रालय/विभाग जिनसे लंबित है	31 मार्च 2014 को शेष नामे	संक्षिप्त में संचालन का प्रकार जमा	पूर्वतर वर्ष जब से लम्बित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
(` लाख में)					
<b>8658-उचन्त लेखा</b>					
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त					
(i) वित्त मन्त्रालय	23,10.74	16,26.68	विभिन्न वेतन एवं लेखा अधिकारियों के आवक बाह्य दावे	2000-2001 से पहले	समाशोधन से रोकड़ शेष में वृद्धि
<b>102-उचन्त लेखा (सिविल)</b>					
(i) रक्षा, रेलवे तथा डाक व तार	1,36,16.18	1,41,83.47	रक्षा, रेलवे व डाक तार विभाग के बाह्य दावे	2000-2001 से पहले	समाशोधन से रोकड़ शेष में वृद्धि
109-रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	1,45.59	3,57.17	बाह्य/आवक दावों के नकद समायोजन द्वारा डिमाण्ड ड्राफट तथा चैकों का समायोजन प्रतीक्षित है	2014-15	रोकड़ शेष में प्रभाव नहीं पड़ेगा
112-स्ट्रोत पर कर कटौती उचन्त	2,63,89.69	2,57,56.82	आयकर विभाग, स्ट्रोत पर कर की कटौती के कारण जमा राशि	2014-15	रोकड़ शेष में प्रभाव नहीं पड़ेगा
117-रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन	9.07	0.51	काजा, कैलांग तथा कल्पा खजानों (नॉन बैंकिंग खजाने) से लेखा न आने के कारण	1981	समाशोधन से रोकड़ शेष में वृद्धि
<b>8782-उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन</b>					
105-भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण	3,64.06	1,25.27		1977	समाशोधन से रोकड़ शेष में वृद्धि

**22. चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी**

आरक्षित निधि अथवा जमा लेखे का नाम	1 अप्रैल 2014 को शेष			31 मार्च 2015 को शेष		
	नकद	निवेश	जोड़	नकद	निवेश	जोड़
	1	2	3	4	5	6
(₹ लाख में)						
ज आरक्षित निधियां-						
(क) सब्याज आरक्षित निधियां-						
<b>8115 मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधियां-</b>						
103 मूल्यहास आरक्षित निधियां-						
सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	1.37	...	1.37	1.37	...	1.37
जोड़-(8115) मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधियां-	<b>1.37</b>	...	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	...	<b>1.37</b>
<b>8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां</b>						
122 राज्य आपदा राहत निधि	9,05.05		9,05.05	8,94.05	...	8,94.05
जोड़-(8121)सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	<b>9,05.05</b>		<b>9,05.05</b>	<b>8,94.05</b>	...	<b>8,94.05</b>
जोड़-(क) सब्याज आरक्षित निधियां	<b>9,06.42</b>	...	<b>9,06.42</b>	<b>8,95.42</b>	...	<b>8,95.42</b>
(ख) व्याजरहित आरक्षित निधियां-						
<b>8226 मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि</b>						
101 सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियां परिवहन विभाग	1,53.11	...	1,53.11	1,53.11	...	1,53.11
जोड़-(8226) मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	<b>1,53.11</b>	...	<b>1,53.11</b>	<b>1,53.11</b>	...	<b>1,53.11</b>
जोड़-आरक्षित निधियां-						
<b>8229 विकास और कल्याण निधियां-</b>						
103 कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधियां-	0.68	...	0.68	0.68	...	0.68
106 औद्योगिक विकास निधियां-	15.61	...	15.61	15.61	...	15.61
110 विद्युत विकास निधि	2,15,94.79	...	2,15,94.79	2,17,74.79	...	2,17,74.79
जोड़-(8229)विकास और कल्याण निधियां	<b>2,16,11.08</b>	...	<b>2,16,11.08</b>	<b>2,17,91.08</b>	...	<b>2,17,91.08</b>
<b>8235 सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां-</b>						
103 धार्मिक तथा पुण्यार्थ निधि	2.16	...	2.16	2.16	...	2.16
200 अन्य निधियां-	6.33	...	6.33	6.33	...	6.33
जोड़-(8235)सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां	<b>8.49</b>	...	<b>8.49</b>	<b>8.49</b>	...	<b>8.49</b>
जोड़-(ख) व्याज रहित आरक्षित निधियां	<b>2,17,72.68</b>	...	<b>2,17,72.68</b>	<b>2,19,52.68</b>	...	<b>2,19,52.68</b>
जोड़-(ज) आरक्षित निधियां	<b>2,26,79.10</b>	...	<b>2,26,79.10</b>	<b>2,28,48.10</b>	...	<b>2,28,48.10</b>

**22. चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी**

आरक्षित निधि अथवा जमा लेखे का नाम	1 अप्रैल 2014 को शेष			31 मार्च 2015 को शेष		
	नकद	निवेश	जोड़	नकद	निवेश	जोड़
	1	2	3	4	5	6
(₹ लाख में)						
ट जमा और अग्रिम-						
(क) सब्याज जमा -						
<b>8342. अन्य जमा-</b>						
120. विविध जमा	0.95	...	0.95	0.95	...	0.95 *
जोड़-(8342) अन्य जमा	<b>0.95</b>	...	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>	...	<b>0.95</b>
(ख) ब्याज रहित जमा -						
<b>8448 स्थानीय निधियों की जमा</b>						
106 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निधियां	9.26	...	9.26	9.26	...	9.26 **
जोड़-(8448) स्थानीय निधियों की जमा	<b>9.26</b>	...	<b>9.26</b>	<b>9.26</b>	...	<b>9.26</b>
जोड़-ट जमा और अग्रिम	<b>10.21</b>	...	<b>10.21</b>	<b>10.21</b>	...	<b>10.21</b>
कुल जोड़	<b>2,26,89.31</b>	...	<b>2,26,89.31</b>	<b>2,28,58.31</b>	...	<b>2,28,58.31</b>

\* पृष्ठ संख्या 192 खण्ड-II पर दर्शाए गए आंकड़ों से ₹1.17 लाख का अन्तर है, जो चिन्हित निधियों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

\*\* पृष्ठ संख्या 193 खण्ड-II पर दर्शाए गए आंकड़ों से ₹0.65 लाख का अन्तर है, जो चिन्हित निधियों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

**परिशिष्ट -I**  
**वेतन पर तुलनात्मक व्यय**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़
	<b>राजस्व</b>										(₹ लाख में)
1	योजना	3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2.02	6,71.39	...	6,73.41	6,08.38	31.77	...	6,40.15
			जोड़ योजना	<b>2.02</b>	<b>6,71.39</b>	...	<b>6,73.41</b>	<b>6,08.38</b>	<b>31.77</b>	...	<b>6,40.15</b>
2	राजस्व	2029	भू-राजस्व	1,42,61.13	...	...	1,42,61.13	1,35,71.69	...	...	1,35,71.69
		2030	स्टाम्प और पंजीकरण	1.91	...	...	1.91	1.48	...	...	1.48
		2053	जिला प्रशासन	95,70.97	...	...	95,70.97	88,66.44	...	...	88,66.44
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	68.52	...	...	68.52	67.85	...	...	67.85
		2401	कृषि कर्म	...	...	29.90	29.90	...	...	55.12	55.12
		2506	भूमि सुधार	4,48.02	...	...	4,48.02	3,95.36	...	...	3,95.36
		2702	लघु सिंचाइ	...	...	25.31	25.31	...	...	26.26	26.26
		3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	36.37	...	...	36.37	39.60	...	...	39.60
			कुल राजस्व	<b>2,43,86.92</b>	...	<b>55.21</b>	<b>2,44,42.13</b>	<b>2,29,42.42</b>	...	<b>81.38</b>	<b>2,30,23.80</b>
3	न्याय			25,36.84	...	...		23,47.31	...	...	
		2014	न्याय प्रशासन	96,64.50	...	...	12201.34	87,69.36	...	...	1,11,16.67
		2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,48.48	...	...	248.48	2,34.72	...	...	2,47.21
				<b>27,85.32</b>	...	...		<b>25,82.03</b>	...	...	<b>1,13,63.88</b>
4	खाद्य एवं आपूर्ति		कुल न्याय	<b>96,64.50</b>	...	...	<b>1,24,49.82</b>	<b>87,81.85</b>	...	...	
		2408	खाद्य भण्डार एवं भाण्डागार	4,17.02	...	...	4,17.02	3,82.99	...	...	3,82.99
		3456	नागरिक आपूर्ति	7,23.43	...	...	7,23.43	6,82.53	...	...	6,82.53
		3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,94.16	...	...	1,94.16	1,87.15	...	...	1,87.15
5	निर्वाचन		जोड़ खाद्य एवं आपूर्ति	<b>13,34.61</b>	...	...	<b>13,34.61</b>	<b>12,52.67</b>	...	...	<b>12,52.67</b>
		2015	निर्वाचन	15,43.07	...	...	15,43.07	11,75.27	...	...	11,75.27
			जोड़. निर्वाचन	<b>15,43.07</b>	...	...	<b>15,43.07</b>	<b>11,75.27</b>	...	...	<b>11,75.27</b>
6	लोक निर्माण विभाग	2059	लोक निर्माण कार्य	1,91,84.21	...	...	1,91,84.21	1,69,03.30	...	...	1,69,03.30
		3054	सड़कें एवं पुल	8,27,68.90	...	...	8,27,68.90	7,47,92.78	...	...	7,47,92.78
			जोड़. लोक निर्माण विभाग	<b>10,19,53.11</b>	...	...	<b>10,19,53.11</b>	<b>9,16,96.08</b>	...	...	<b>9,16,96.08</b>

**परिशिष्ट -I**  
**वेतन पर तुलनात्मक व्यय**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14				
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	
7	सामान्य प्रशासनिक सेवाएं	<b>राजस्व</b>										
		(₹ लाख में)										
		2051	लोक सेवा आयोग	4,79.08	...	...	7,63.22	4,08.94	...	...	6,53.63	
				2,84.14	...	...		2,44.69	...	...		
		2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	53,30.90	...	...	53,30.90	52,72.50	...	...	52,72.50	
		2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23.94	...	...	23.94	22.05	...	...	22.05	
		2216	आवास	46.21	...	...	46.21	41.31	...	...	41.31	
		2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,58.07	...	...	1,58.07	1,40.26	...	...	1,40.26	
		2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	11,92.77	...	...	11,92.77	10,84.83	...	...	10,84.83	
		3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1,77.37	...	...	1,77.37	1,79.32	...	...	1,79.32	
		3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	12,71.79	...	...	12,71.79	11,71.99	...	...	11,71.99	
			<b>जोड़ सामान्य प्रशासनिक सेवाएं</b>	<b>4,79.08</b>			<b>89,64.27</b>	<b>4,08.94</b>			<b>85,65.89</b>	
				<b>84,85.19</b>				<b>81,56.95</b>				
8	वन एवं वन्य प्राणी	2402	मृदा तथा जल संरक्षण	8,20.65	...	...	8,20.65	6,92.10	18.57	17.10	7,27.77	
		2406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	2,46,84.77	15,87.75	...	2,62,72.52	2,28,00.38	15,36.68	...	2,43,37.06	
			जोड़. वानिकी एवं वन्य प्राणी	<b>2,55,05.42</b>	<b>15,87.75</b>		<b>2,70,93.17</b>	<b>2,34,92.48</b>	<b>15,55.25</b>	<b>17.10</b>	<b>2,50,64.83</b>	
9	पर्यटन एवं नागर विमानन	3053	नागरिक विमानन	45.09	...	...	45.09	43.42	...	...	43.42	
		3452	पर्यटन	3,45.97	6.35	...	3,52.32	3,27.56	5.96	...	3,33.52	
			जोड़. पर्यटन	<b>3,91.06</b>	<b>6.35</b>		<b>3,97.41</b>	<b>3,70.98</b>	<b>5.96</b>	...	<b>3,76.94</b>	
10	कृषि	2401	कृषि कर्म	53,78.91	...	60.55	54,39.46	34,26.68	16,47.28	65.04	51,39.00	
		2402	मृदा तथा जल संरक्षण	16,91.54	...	...	16,91.54	15,25.91	98.72	...	16,24.63	
		2407	पौधारोपण	74.47	...	...	74.47	81.13	...	...	81.13	
		2810	उर्जा के अपराम्परागत स्रोत	3,42.90	...	...	3,42.90	3,05.50	...	...	3,05.50	
			जोड़ कृषि	<b>74,87.82</b>	...	<b>60.55</b>	<b>75,48.37</b>	<b>53,39.22</b>	<b>17,46.00</b>	<b>65.04</b>	<b>71,50.26</b>	

## परिशिष्ट -।

वेतन पर तुलनात्मक व्यय  
(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14					
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़		
			राजस्व	(₹ लाख में)									
11	लेखन, सामग्री तथा मुद्रण	2058	लेखन, सामग्री तथा मुद्रण	10,76.70	...	...	10,76.70	10,21.72	...	...	10,21.72		
			जोड़. लेखन, सामग्री	<b>10,76.70</b>	...	...	<b>10,76.70</b>	<b>10,21.72</b>	...	...	<b>10,21.72</b>		
12	वित्त	2047	अन्य राजकोष सेवाएं	90.72	...	...	90.72	80.43	...	...	80.43		
		2054	कोषागार एवं लेखा प्रशासन	28,74.88	...	...	28,74.88	26,40.85	...	...	26,40.85		
		2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	28.17	...	...	28.17	24.87	...	...	24.87		
		3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	7,13.83	...	21.94	7,35.77	6,79.39	...	23.25	7,02.64		
			जोड़. वित्त	<b>37,07.60</b>		<b>21.94</b>	<b>37,29.54</b>	<b>34,25.54</b>	...	<b>23.25</b>	<b>34,48.79</b>		
13	पुलिस एवं सम्बन्ध संगठन	2055	पुलिस	6,67,13.79	...	...	6,67,13.79	6,06,77.84	...	...	6,06,77.84		
		2056	जेल	16,08.79	...	...	16,08.79	14,45.35	...	...	14,45.35		
		2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	39,31.21	...	1,21.76	40,52.97	35,09.83	...	1,44.30	36,54.13		
			जोड़. पुलिस एवं सम्बन्ध संगठन	<b>7,22,53.79</b>	...	<b>1,21.76</b>	<b>7,23,75.55</b>	<b>6,56,33.02</b>	...	<b>1,44.30</b>	<b>6,57,77.32</b>		
14	पशु पालन, डेरी विकास एवं मत्स्य पालन	2403	पशु पालन	...	...	...		2.66	...	...			
				1,94,47.07	48.89	38.78	1,95,34.74	1,71,13.95	25.51	47.60	1,71,89.72		
		2404	डेरी विकास	...	...	...		2.00	...	...			
				21.98	...	...	21.98	19.64	...	...	21.64		
		2405	मत्स्य पालन	9,00.96	...	10.71	9,11.67	8,72.56	...	5.22	8,77.78		
			जोड़. पशु पालन	...	...	...		<b>4.66</b>					
				<b>2,03,70.01</b>	<b>48.89</b>	<b>49.49</b>	<b>2,04,68.39</b>	<b>1,80,06.15</b>	<b>25.51</b>	<b>52.82</b>	<b>1,80,89.14</b>		
15	विधान सभा	2011	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	31.90	...	...		25.89	...	...			
				16,18.01	...	...	16,49.91	14,22.51	...	...	14,48.40		
			जोड़. विधान सभा	<b>31.90</b>				<b>25.89</b>					
				<b>16,18.01</b>	...	...	<b>16,49.91</b>	<b>14,22.51</b>	...	...	<b>14,48.40</b>		

**परिशिष्ट -I**  
**वेतन पर तुलनात्मक व्यय**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़
	<b>राजस्व</b>										(₹ लाख में)
16	शिक्षा	2202	सामान्य शिक्षा	32,45,60.84	18,12.28	8,11.47	32,71,84.59	28,24,61.58	17,93.35	11,47.64	28,54,02.57
		2205	कला एवं संस्कृति	15.83	4.78	...	20.61	15.39	8.70	...	24.09
		2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	34.60	...	29.87	64.47	33.48	...	34.43	67.91
			जोड़. शिक्षा	<b>32,46,11.27</b>	<b>18,17.06</b>	<b>8,41.34</b>	<b>32,72,69.67</b>	<b>28,25,10.45</b>	<b>18,02.05</b>	<b>11,82.07</b>	<b>28,54,94.57</b>
17	विविध सामान्य सेवाएं	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	5,45.30	9.67	...	5,54.97	5,64.35	9.61	9.65	5,83.61
		2202	सामान्य शिक्षा	2,74.28	...	...	2,74.28	2,48.51	...	...	2,48.51
		2204	खेलकुद एवं युवा सेवाएं	7,56.80	46.10	...	8,02.90	6,95.36	42.00	...	7,37.36
		2205	कला एवं संस्कृति	6,31.26	...	14.27	6,45.53	6,09.63	...	14.79	6,24.42
		2220	सूचना तथा प्रचार	13,96.09	...	...	13,96.09	13,46.94	...	...	13,46.94
		2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	70.39	...	...	70.39	71.05	...	...	71.05
			जोड़. विविध सामान्य सेवाएं	<b>36,74.12</b>	<b>55.77</b>	<b>14.27</b>	<b>37,44.16</b>	<b>35,35.84</b>	<b>51.61</b>	<b>24.44</b>	<b>36,11.89</b>
18	शहरी विकास एवं आवास	2217	शहरी विकास	10,17.51	...	...	10,17.51	9,98.34	...	...	9,98.34
			जोड़ शहरी विकास एवं आवास	<b>10,17.51</b>	...	...	<b>10,17.51</b>	<b>9,98.34</b>	...	...	<b>9,98.34</b>
19	उद्योग	2057	आपूर्ति एवं निपटान	1,19.52	...	...	1,19.52	1,16.84	...	...	1,16.84
		2203	तकनीकी शिक्षा	24,71.07	4,31.47	...	29,02.54	24,35.89	1,77.42	...	26,13.31
		2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	17,00.95	86.00	...	17,86.95	16,79.78	82.89	19.88	17,82.55
		2852	उद्योग	3,38.10	...	...	3,38.10	3,31.89	...	...	3,31.89
		2853	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	6,71.05	...	...	6,71.05	6,53.84	...	...	6,53.84
			जोड़. उद्योग	<b>53,00.69</b>	<b>5,17.47</b>	...	<b>58,18.16</b>	<b>52,18.24</b>	<b>2,60.31</b>	<b>19.88</b>	<b>54,98.43</b>
20	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230	श्रम एवं रोजगार	40,66.09	2,12.69	60.59	43,39.37	37,91.35	1,12.03	55.06	39,58.44
			जोड़ श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	<b>40,66.09</b>	<b>2,12.69</b>	<b>60.59</b>	<b>43,39.37</b>	<b>37,91.35</b>	<b>1,12.03</b>	<b>55.06</b>	<b>39,58.44</b>
21	सिंचाई जलापूर्ति एवं सफाई	2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4,55,64.05	3,46.74	...	4,59,10.79	4,15,22.88	2,87.29	...	4,18,10.17

## परिशिष्ट -I

वेतन पर तुलनात्मक व्यय  
(इटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14					
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़		
	राजस्व			(₹ लाख में)									
21	सिंचाई जलापूर्ति एवं सफाई	2700	मुख्य सिंचाई	6,52.36	...	...	6,52.36	7,00.66	...	...	...	7,00.66	
		2701	मध्यम सिंचाई	4,20.92	...	...	4,20.92	3,96.03	...	...	...	3,96.03	
		2702	लघु सिंचाई	2,42,98.91	63.65	...	2,43,62.56	2,16,19.19	3,49.33	...	...	2,19,68.52	
		2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास	2,35.94	...	...	2,35.94	34.24	...	...	...	34.24	
			जोड़ सिंचाई जलापूर्ति एवं सफाई	<b>7,11,72.18</b>	<b>4,10.39</b>	...	<b>7,15,82.57</b>	<b>6,42,73.00</b>	<b>6,36.62</b>	...	...	<b>6,49,09.62</b>	
22	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2053	जिला प्रशासन	8,98.29	...	...	8,98.29	8,41.15	...	...	...	8,41.15	
		2506	भूमि सुधार	25.65	...	...	25.65	30.35	...	...	...	30.35	
23	उद्यान		जोड़ भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	<b>9,23.94</b>	...	...	<b>9,23.94</b>	<b>8,71.50</b>	...	...	...	<b>8,71.50</b>	
		2401	कृषि कर्म	67,13.56	20.00	9.34	67,42.90	48,94.26	15,02.85	11.67	64,08.78		
24	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	जोड़ उद्यान	<b>67,13.56</b>	<b>20.00</b>	<b>9.34</b>	<b>67,42.90</b>	<b>48,94.26</b>	<b>15,02.85</b>	<b>11.67</b>	<b>64,08.78</b>		
			चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,33,13.52	45,99.11	...	7,79,12.63	6,65,96.20	24,46.84	14.71	6,90,57.75		
		2211	परिवार कल्याण	88,63.97	86.41	...	89,50.38	78,75.95	74.91	2,47.23	81,98.09		
			जोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	<b>8,21,77.49</b>	<b>46,85.52</b>	...	<b>8,68,63.01</b>	<b>7,44,72.15</b>	<b>25,21.75</b>	<b>2,61.94</b>	<b>7,72,55.84</b>		
25	ग्रामीण विकास	2230	श्रम एवं रोजगार	1,34.64	...	...	1,34.64	1,23.84	...	...	...	1,23.84	
		2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	69,34.43	...	...	69,34.43	66,08.37	...	...	...	66,08.37	
			जोड़ ग्रामीण विकास	<b>70,69.07</b>	...	...	<b>70,69.07</b>	<b>67,32.21</b>	...	...	...	<b>67,32.21</b>	
26	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	2202	सामान्य शिक्षा	...	23,37.16	58.12	23,95.28	...	19,16.76	...	...	19,16.76	
		2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	...	17,72.43	...	17,72.43	...	17,27.49	...	...	17,27.49	
		2225	अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,77.98	1,26.23	...	11,04.21	8,61.63	1,07.04	...	...	9,68.67	

## परिशिष्ट - I

वेतन पर तुलनात्मक व्यय  
(इंटैलिक आंकड़े प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14					
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़		
	राजस्व			(₹ लाख में)									
27		2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,56.55	2,74.60	34,79.62	40,10.77	2,15.03	3,49.99	32,67.88	38,32.90		
		2403	पशु पालन	...	39.39	...	39.39	...	37.80	...	37.80		
			जोड़ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	12,34.53	45,49.81	35,37.74	93,22.08	10,76.66	41,39.08	32,67.88	84,83.62		
28	पंचायती राज	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	17,00.37	...	...	17,00.37	14,22.76	...	...	14,22.76		
			जोड़ पंचायती राज	17,00.37	...	...	17,00.37	14,22.76	...	...	14,22.76		
29	सड़क एवं जल परिवहन	2041	वाहनों पर कर	2,35.96	...	...	2,35.96	2,18.48	...	...	2,18.48		
		3055	सड़क परिवहन	5,41.85	...	...	5,41.85	4,60.76	...	...	4,60.76		
		3056	अन्तर्राजीय जल परिवहन	5.27	...	...	5.27	3.79	...	...	3.79		
			जोड़ सड़क एवं जल परिवहन	7,83.08	...	...	7,83.08	6,83.03	...	...	6,83.03		
30	सहकारी समितियां	2425	सहकारिता	21,49.66	...	13.28	21,62.94	20,30.71	...	21.35	20,52.06		
			जोड़. सहकारी समितियां	21,49.66	...	13.28	21,62.94	20,30.71	...	21.35	20,52.06		
31	विद्युत	2045	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	1,62.42	...	...	1,62.42	1,63.14	...	...	1,63.14		
		2801	विद्युत	3,68.44	...	...	3,68.44	2,89.23	...	...	2,89.23		
			जोड़. विद्युत	5,30.86	...	...	5,30.86	4,52.37	...	...	4,52.37		
31	कर एवं उत्पाद शुल्क	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	3,76.64	...	...	3,76.64	2,83.23	...	...	2,83.23		
		2040	विक्री, व्यापार आदि पर कर	1,12.86	...	...	1,12.86	1,17.38	...	...	1,17.38		
		2045	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	30,31.56	...	...	30,31.56	25,58.25	...	...	25,58.25		
			जोड़. कर एवं उत्पाद शुल्क	35,21.06	...	...	35,21.06	29,58.86	...	...	29,58.86		

**परिशिष्ट -I**  
**वेतन पर तुलनात्मक व्यय**  
**(इंटैलिक आंकड़े प्रभासित व्यय दर्शाते हैं)**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14					
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (केन्द्रीय योजना सहित)	जोड़		
<b>राजस्व समाप्त</b>		(₹ लाख में)											
32	राज्यपाल/मन्त्री परिषद	2012	राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	3,38.62	...	...	3,38.62	3,05.87	...	...	3,05.87		
		2013	मन्त्रिपरिषद	1,17.89	...	...	1,17.89	1,05.54	...	...	1,05.54		
			जोड़. राज्यपाल/मन्त्री परिषद	<b>3,38.62</b> <b>1,17.89</b>	...	...	...	<b>3,05.87</b> <b>1,05.54</b>			<b>4,11.41</b>		
33	तकनीकी शिक्षा-	2230	श्रम एवं रोजगार	...	...	2.44	2.44	...	...	5.33	5.33		
			जोड़. तकनीकी शिक्षा-	...	...	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	...	...	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>		
	जोड. (राजस्व)			<b>36,34.92</b> <b>79,65,43.20</b>	...	...	<b>47,87.95</b>	<b>81,95,49.16</b>	<b>33,27.39</b> <b>70,93,52.51</b>	<b>1,43,90.79</b>	<b>52,33.51</b>	<b>73,23,04.20</b>	
	पूँजीगत			...	...	...	...	...	...	...	...		
	जोड. (पूँजीगत)			...	...	...	...	...	...	...	...		
	जोड. (राजस्व + पूँजीगत)			<b>36,34.92</b> <b>79,65,43.20</b>	...	...	<b>47,87.95</b>	<b>81,95,49.16</b>	<b>33,27.39</b> <b>70,93,52.51</b>	<b>1,43,90.79</b>	<b>52,33.51</b>	<b>73,23,04.20</b>	

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
(₹ लाख में)											
1	योजना	2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग								
		102	लघु उद्योग								
		(i)	लघु उद्योगों को उपदान	...	...	...	...	1.60	...	...	1.60
			जोड़-(2851)	...	...	...	...	1.60	...	...	1.60
			जोड़-योजना	...	...	...	...	1.60	...	...	1.60
2	कृषि	2401	कृषि कर्म								
		103	बीज								
		(i)	बीजों का वितरण	4.56	70.01	...	74.57	4.66	4,83.57	2,46.88	7,35.11
		(ii)	एकीकृत विकास कार्यक्रम आईसोपोम	...	...	...	...	...	3.71	11.16	14.87
		105	खाद एवं उर्वरक								
		(i)	उर्वरक वितरण	7.00	1,65.69	...	1,72.69	7.04	1,77.74	...	1,84.78
		107	पौध संरक्षण								
		(i)	पौध संरक्षण स्कीम	4.57	...	...	4.57	4.57	...	...	4.57
		109	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण								
		(i)	प्रौद्योगिकी विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन	...	...	77.50	77.50	...	...	...	...
		113	कृषि इंजीनियरीं								
		(i)	कृषि उपकरण तथा संयंत्र	4.00	...	...	4.00	3.91	...	...	3.91
		119	उद्यान एवं बनस्पति फसलें								
		(i)	उद्यान का विकास	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
		(ii)	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण्	...	...	...	...	...	2,50.00	...	2,50.00
		789	अनुसूचित जाति उपयोजना								
		(i)	बिजाँ का वितरण	...	24.74	91.72	1,16.46	...	39.47	1,51.64	1,91.11
		(ii)	एकीकृत विकास कार्यक्रम आईसोपोम	...	...	...	...	...	8.60	6.20	14.80
		(iii)	उर्वरक वितरण	...	34.00	...	34.00	...	64.50	...	64.50
		(iv)	भूविज्ञान तथा रसायन	...	3.00	...	3.00	...	...	...	...
		(v)	जैविक कृषि की प्रगति	...	...	1,49.97	1,49.97	...	...	49.99	49.99
		(vi)	पौध संरक्षण	...	7.94	5.33	13.27	...	6.37	4.91	11.28
		(vii)	मशीनरी एवं औजार	...	8.00	6.39	14.39	...	6.45	5.05	11.50

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
2	कृषि	2401	कृषि कर्म								
		789	अनुसूचित जाति उपयोजना								
		(viii)	उद्यान का विकास	...	12.22	61.41	73.63	...	10.69	54.89	65.58
		(ix)	व्यष्टिगत कृषि प्रबन्ध	...	2,98.00	...	2,98.00	...	...	...	...
		(x)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(कृषि)	...	81.00	...	81.00	...	3,84.74	...	3,84.74
		(xi)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(उद्यान)	...	2,77.01	...	2,77.01	...	1,99.76	...	1,99.76
		(xii)	वाणिज्य फसलें	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
		(xiii)	अदरक का विकास	...	4.98	...	4.98	...	...	...	...
		(xiv)	उद्यान एकीकृत विकास मिशन	...	...	5,38.24	5,38.24	...	...	...	...
		(xv)	खेत जल प्रबन्धन कार्यक्रम	...	...	37.50	37.50	...	...	...	...
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	कृषि विभाग की स्कीमों पर व्यय (सामान्य विस्तार एवं प्रशिक्षण के अलावा)	...	...	...	...	15.47	34.32	...	49.79
		(ii)	कृषि विभाग की स्कीमों पर व्यय (सामान्य विस्तार एवं प्रशिक्षण)	13.81	30.39	...	44.20	...	...	...	...
		(iii)	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कृषि की स्कीमों पर व्यय	...	...	1,49.77	1,49.77	...	...	...	...
		(iv)	जन-जातिय पॉकेट्स के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय	...	...	20.83	20.83	...	...	4.48	4.48
		(v)	व्यष्टिगत कृषि प्रबन्धन	...	...	...	...	...	30.45	...	30.45
		(vi)	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रहे जनजातीय लोगों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्कीमों पर व्यय	...	...	1,54.95	1,54.95	...	...	88.45	88.45
		(vii)	विपणन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण	...	90.50	...	90.50	...	72.00	...	72.00
		(viii)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(उद्यान)	...	...	...	...	...	72.73	...	72.73
		(ix)	सरकारी बगीचों एवं नसरी की स्थापना पर व्यय	...	...	...	...	...	...	37.46	37.46
		(x)	फल डिब्बार्डी इकाईयों पर व्यय	...	...	...	...	...	...	7.85	7.85

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
2	कृषि	2401	कृषि कर्म								
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(xi)	औजारों एवं उपकरणों का अनुसूचित जाति व जनजाति को वितरण पर व्यय	...	...	...	...	...	...	1.75	1.75
		(xii)	एकीकृत विकास कार्यक्रम आईसोपोम	...	...	9.00	9.00	...	...	...	...
		(xiii)	स्थायी कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन	...	...	86.95	86.95	...	...	...	...
		(xiv)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	...	...	51.71	51.71	...	...	...	...
		(xv)	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों हेतु सहायता	...	...	34.68	34.68	...	...	...	...
		800	अन्य व्यय								
		(i)	दालों तथा उर्वरक तिलों के बीजों के लिए वर्ग को निशुल्क वितरण	7.00	...	...	7.00	6.99	...	...	6.99
		(ii)	व्यष्टिगत कृषि प्रबन्धन	...	...	...	...	...	4.67	42.03	46.70
		(iii)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	16,12.03	...	16,12.03	...	10,55.27	...	10,55.27
		<b>जोड़- 2401</b>		<b>40.94</b>	<b>27,19.51</b>	<b>14,75.95</b>	<b>42,36.40</b>	<b>42.64</b>	<b>29,60.04</b>	<b>7,12.74</b>	<b>37,15.42</b>
	2402	भू एवं जल संरक्षण									
		102	भू संरक्षण								
		(i)	कृषि भू संरक्षण(कृषि विभाग) पीएमजीवाई	...	...	...	...	0.25	...	...	0.25
		(ii)	लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	...	...	...	...	...	4.75	...	4.75
		(iii)	राज्य द्वारा कृषि के सुक्ष्म प्रबंधन के लिए परिशिष्ट/अभिन्नदन	...	...	...	...	...	...	10.57	10.57
		789	अनुसूचित जाति उपयोजना								
		(i)	लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	...	1,55.30	...	1,55.30	...	...	...	...
		(ii)	फार्म पर टैक द्वारा जल सिंचाई योजना प्रबन्धन	...	...	54.60	54.60	...	...	...	...

## परिशिष्ट -II

## सहायता पर तुलनात्मक व्यय

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. समिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. समिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
2	कृषि	2402	भू एवं जल संरक्षण								
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	11.42	...	11.42	...	...	...	...
		(i)	कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमान्त किसानों को सहायता								
		800	अन्य व्यय	...	1,00.00	...	1,00.00	...	2,00.00	...	2,00.00
		(i)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना								
		जोड़-2402		...	2,66.72	54.60	3,21.32	0.25	2,04.75	10.57	2,15.57
		2810	गैर परम्पारिक उर्जा								
		01	बायो उर्जा								
		103	बायो गैस	...	16.50	16.50	...	...	34.85	34.85	
		(i)	गोबर गैस प्लांट की स्थापना	...	...	16.50	16.50	...	...	34.85	34.85
		जोड़-2810		...	...	16.50	16.50	...	...	34.85	34.85
		जोड़-कृषि		40.94	29,86.23	15,47.05	45,74.22	42.89	31,64.79	7,58.16	39,65.84
3	पशु पालन	2403	पशु पालन								
		107	चारा तथा चारागाह विकास	...	...	...	...	...	...	4,00.00	4,00.00
		(i)	अन्य चारा विकास परियोजना	...	...	...	...	...	...		
		789	अनुसूचित जाति उपयोजना	...	25.00	25.00	...	...	25.00	25.00	
		(i)	पशु एवं भैंस विकास	...	59.99	59.99	...	...	61.15	61.15	
		(ii)	केन्द्रीय व जिला कुक्कुट फार्म	...	...	...	...	...	...	1,24.99	1,24.99
		(iii)	चारा तथा चारागाह	...	...	...	...	...	...	51.20	51.20
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	...	41.37	41.37	...	...	...		
		(i)	पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय (विशेष केन्द्रीय सहायता)	...	...	...	...	...	...		
		जोड़-2403		...	1,26.36	1,26.36	...	...	6,62.34	6,62.34	

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
3	पशु पालन	2405	मत्स्य पालन								
		101	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन								
		(i)	राज्यीय कृषि विकास योजना	...	...	...	...	...	75.30	...	75.30
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	चम्बा और भटयात पॉकेट्स पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मत्स्य पालन पर व्यय	...	...	...	...	...		0.85	0.85
		(ii)	मत्स्य पालन व्यय के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता	...	...	...	...	...		4.00	4.00
		(iii)	एस. सी. ए. के तहत बिखरी जनजातियों के लिए मत्स्य पालन पर व्यय।	...	...	...	...	...		1.90	1.90
		(iv)	राज्यीय कृषि विकास योजना	...	...	...	...	...	10.95	...	10.95
		800	अन्य व्यय						...	...	...
		(i)	मछुआरों के लिए जोखिम निधि	...	...	...	...	...	1.91	...	1.91
		(ii)	मछुआरों का कल्याण	...	...	...	...	...	9.46	9.46	18.92
		(iii)	मछुआरों के लिए तुर्धटना बीमा स्कीम	...	...	...	...	...	1.61	...	1.61
		<b>जोड़- 2405</b>		...	...	...	...	...	<b>99.23</b>	<b>16.21</b>	<b>1,15.44</b>
		<b>जोड़-पशुपालन</b>		...	...	<b>1,26.36</b>	<b>1,26.36</b>	...	<b>99.23</b>	<b>6,78.55</b>	<b>7,77.78</b>
4	खाद्य एवं आपूर्ति	2408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार								
		01	खाद्य								
		102	खाद्य उपदान								
		(i)	अन्तोदय अन्नपूर्णा योजना	7.79	...	...	7.79	9,99.73	...	...	9,99.73
		(ii)	उपदान पर दालों, गेहूं चावल, तेल और आईओडाईजड नमक की खरीद	1,89,55.00	...	...	1,89,55.00	2,37,00.00	...	...	2,37,00.00
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	खाद्य संगठन पर व्यय	6.00	...	...	6.00	...	...	...	...
		<b>जोड़-2408</b>		<b>1,89,68.79</b>	...	...	<b>1,89,68.79</b>	<b>2,46,99.73</b>	...	...	<b>2,46,99.73</b>

परिशिष्ट - II

## सहायता पर तुलनात्मक व्यय

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14						
			आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़			
(₹ लाख में)													
4 खाद्य एवं आपूर्ति	3456 001 (i)	नागरिक आपूर्ति निदेशन एवं प्रशासन जिला कार्यालय	0.50	...	...	0.50	0.50	...	...				
		जोड़-3456	0.50	...	...	0.50	0.50	...	...				
		जोड़- खाद्य एवं आपूर्ति	1,89,69.29	...	...	1,89,69.29	2,47,00.23	...	2,47,00.23				
5 उद्यान	2401 119 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 789 (i) (ii) (iii)	कृषि कर्म उद्यान एवं वनस्पति फसलें वनस्पति रक्षण स्कीम उद्यान विकास उद्यानिक विपणन स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मुख्य सिचांई पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत सूक्ष्म सिचांई योजना उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना उद्यान एकीकृत विकास मिशन खेत जल प्रबन्ध योजना/ (ओ.एफ. डब्ल्यू.एम. एस.) कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक उद्यानिक विपणन स्कीम राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत सूक्ष्म सिचाई योजना उद्यान मिशन के अन्तर्गत उत्तर-पर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए संरक्षित खेती योजना	1,00.00 12.36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.50 74.92	...	...	1,00.00 12.36 11,55.00 11,74.04 63.23 2,64.33 36,03.02 1,12.50 ...	1,00.00 11.39 11,55.00 11,74.04 63.23 2,64.33 36,03.02 1,12.50 ...	...	...	1,00.00 11.39 5,69.00 5,48.12 1,18.93 5,68.11 ...	...	...	1,00.00 11.39 5,69.00 5,48.12 1,18.93 5,68.11 ...

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
5	उद्यान	2401	कृषि कर्म								
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	उद्यान योजना पर व्यय	6.35	...	...	6.35	17.38	...	...	17.38
		(ii)	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि पर व्यय	...	...	...	...	...	...	1,68.17	1,68.17
		(iii)	उद्यान विभाग की योजनाओं पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय	...	...	1,65.89	1,65.89	...	...	2,58.37	2,58.37
		(iv)	उद्यान विस्तार एजेंसी	...	26.00	...	26.00	...	...	...	...
		(v)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	99.00	...	99.00	...	...	...	...
		(vi)	मशीनरी तथा औजारों के वितरण पर व्यय	...	...	27.86	27.86	...	...	...	...
		(vii)	पौध संरक्षण पर खर्च	...	...	11.49	11.49	...	...	...	...
		(viii)	अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत औजार और मशीनरी के वितरण पर व्यय	...	...	4.00	4.00	...	...	...	...
		(ix)	फलोरीकलचर विकास योजना पर व्यय	...	...	...	...	...	...	1.75	1.75
		(x)	मशरूम विकास योजना पर व्यय	...	...	0.28	0.28	...	...	5.10	5.10
		(xi)	किसानों के लिए प्रशिक्षण की योजना पर व्यय	...	...	9.39	9.39	...	...	4.22	4.22
		(xii)	फल पौधों के वितरण की योजना पर व्यय	...	...	3.14	3.14	...	...	8.66	8.66
		(xiii)	प्लास्टिक टैंक योजना के प्रावधान पर व्यय	...	...	19.08	19.08	...	...	5.00	5.00
		(xiv)	बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय	...	...	77.00	77.00	...	...	...	...
		(xv)	मशीनरी तथा औजारों के वितरण पर व्यय(माडा)	...	...	...	...	...	...	4.00	4.00
		(xvi)	पौध संरक्षण पर खर्च (माडा)	...	...	1.78	1.78	...	...	2.50	2.50
		(xvii)	किसानों को प्रशिक्षण पर व्यय(माडा)	...	...	2.50	2.50	...	...	2.49	2.49
		(xviii)	सूक्ष्म सिचांई पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत सूक्ष्म सिचांई योजना	...	...	...	...	...	4.15	...	4.15

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
5	उद्यान	2401 796 (xix)	कृषि कर्म जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना	...	11.73	...	11.73	...	31.17	...	31.17
			जोड़-2401	1,18.71	28,90.75	40,37.93	70,47.38	1,28.77	22,00.48	4,59.14	27,88.39
		2407 01 789 (i)	पौधारोपण चाय अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक हिमाचल प्रदेश में चाय विकास	...	1.50	...	1.50	...	...	...	...
			जोड़-2407	...	1.50	...	1.50	...	...	...	...
			जोड़-उद्यान	1,18.71	28,92.25	40,37.93	70,48.88	1,28.77	22,00.48	4,59.14	27,88.39
6	उद्योग	2851 102 (i)	ग्रामीण एवं लघु उद्योग लघु उद्योग लघु उद्योगों हेतु उपदान	6.29	...	...	...	...	...	...	...
			रेशम उत्पादन उद्योग (i) रेशम उद्योग का विकास	1.90	...	...	8.19	...	...	...	...
			अनुसूचित जातियों के लिए घटक योजना (i) रेशम का विकास	...	17.99	...	17.99	...	...	...	...
			लघु उद्योगों हेतु उपदान (ii)	...	21.43	...	21.43	...	3.38	...	3.38
			जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (i)	...	9.47	...	9.47	...	...	...	...
			उद्योगिक स्कीमों पर व्यय	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...
			जोड़-2851	6.29 1.90	53.88	...	62.06	...	3.38	...	3.38
			जोड़-उद्योग	6.29 1.90	53.88	...	62.06	...	3.38	...	3.38

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
7	परिवहन	3055 190 (i)	पथ परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपकरणों को सहायता परिवहन सेवाओं को सहायता	1,35,00.00	...	...	1,35,00.00	1,20,00.00	...	...	1,20,00.00
			जोड़-3055	1,35,00.00	...	...	1,35,00.00	1,20,00.00	...	...	1,20,00.00
			जोड़-परिवहन	1,35,00.00	...	...	1,35,00.00	1,20,00.00	...	...	1,20,00.00
8	उर्जा	2801 80 101 (i)	विद्युत सामान्य विद्युत बोर्ड को सहायता टेरिफ रोल पर अनुदान	3,30,00.00	...	...	3,30,00.00	...	...	...	...
			जोड़-2801	3,30,00.00	...	...	3,30,00.00	...	...	...	...
			जोड़-उर्जा	3,30,00.00	...	...	3,30,00.00	...	...	...	...
9	वन	2402 789 (i) (ii)	भू तथा जल संरक्षण अनुसूचित जाति उप योजना कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमांत किसानों को सहायता फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबंध	...	...	...	...	...	1,10.03	...	1,10.03
			जोड़. 2402	...	...	...	...	...	...	34.95	34.95
			वाणिकी एवं वन्य प्राणी वाणिकी जनजातीय क्षेत्र उपयोजना वाणिकी योजना	10.00	27.00	...	37.00	40.00	50.00	...	90.00
		2406 01 796 (i)	जोड़-2406	10.00	27.00	...	37.00	40.00	50.00	...	90.00
			जोड़-वन	10.00	27.00	...	37.00	40.00	1,60.03	34.95	2,34.98

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
10	मत्स्य	<b>2405</b>	मत्स्य पालन								
		101	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन								
		(ii)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	1,01.28	...	1,01.28	...	...	...	...
		789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना								
		(i)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	24.78	...	24.78	...	20.70	...	20.70
		(ii)	मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना।	...	10.69	10.69	21.37	...	6.90	6.90	13.80
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	मत्स्य पालन व्यय के अर्त्तगत विशेष केन्द्रीय सहायता	...	...	3.00	3.00	...	...	...	...
		(ii)	एस. सी. ए. के तहत बिखरी जनजातियों के लिए मत्स्य पालन पर व्यय।	...	...	2.90	2.90	...	...	...	...
		(iii)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	...	18.00	...	18.00	...	...	...	...
		800	अन्य व्यय								
11	सहकारी समितियाँ	(i)	मछुआरों के लिए जोखिम निधि	...	1.99	...	1.99	...	...	...	...
		(ii)	मछुआरों का कल्याण	...	14.65	14.65	29.30	...	...	...	...
		(iii)	मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा स्कीम	...	1.23	...	1.23	...	...	...	...
			<b>जोड़- 2405</b>	...	<b>1,72.61</b>	<b>31.24</b>	<b>2,03.85</b>	...	<b>27.60</b>	<b>6.90</b>	<b>34.50</b>
			<b>जोड़-मत्स्य</b>	...	<b>1,72.61</b>	<b>31.24</b>	<b>2,03.85</b>	...	<b>27.60</b>	<b>6.90</b>	<b>34.50</b>
			<b>पौधारोपण</b>								
		01	चाय								
11	सहकारी समितियाँ	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना								
		(i)	हिमाचल प्रदेश में चाय विकास	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
			<b>जोड़-2407</b>	...	...	...	...	...	<b>3.00</b>	...	<b>3.00</b>

**परिशिष्ट -II**  
**सहायता पर तुलनात्मक व्यय**

	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
				आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
				(₹ लाख में)							
11	सहकारी समितियां	2408	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार								
		01	खाद्य								
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	खाद्य संगठन पर व्यय	...	...	...	...	2.00	...	...	2.00
			<b>जोड़-2408</b>	...	...	...	...	<b>2.00</b>	...	...	<b>2.00</b>
		2425	सहकारिता								
		109	कृषि उद्धार स्थिरीकरण नीति								
		(i)	उपदान								
		789	अनुसूचित जाति उप योजना								
		(i)	नये अनुसूचित जाति के सदस्यों की पंजीकरण								
		(ii)	सभी तरह की अनुसूचित जाति सहकारिताओं के लिए वरकींग कंपिटल सब्सिडी								
			<b>जोड़-2425</b>	...	...	7,39.98	7,39.98	...	...	<b>1,62.95</b>	<b>1,62.95</b>
			<b>जोड़-सहकारी समितियां</b>	...	...	<b>7,39.98</b>	<b>7,39.98</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	<b>1,62.95</b>	<b>1,67.95</b>
12	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, एवं जैव प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश।	2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग								
		107	रेश्म उत्पादन उद्योग								
		(i)	रेश्म उद्योग का विकास								
		789	अनुसूचित जाति उप योजना								
		(i)	लघु उद्योगों को उपदान								
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		(i)	उद्योग योजनाओं पर व्यय								
			<b>जोड़-2851</b>	...	...	...	...	...	...	<b>17.42</b>	...
			<b>जोड़- निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, एवं जैव प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश।</b>	...	...	...	...	...	...	<b>17.42</b>	...

परिशिष्ट - II

## सहायता पर तुलनात्मक व्यय

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2014-15				2013-14			
			आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़	आयोजनेतर	योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सी.पी. सम्मिलित)	जोड़
(₹ लाख में)										
13 शिक्षा	2202 02 789 (i)	सामान्य शिक्षा								
		माध्यमिक शिक्षा								
		अनुसूचित जाति उप योजना								
		माध्यमिक विद्यालय	...	54.09	...	54.09	...	38.80	...	38.80
14 निदेशक भू-राजस्व	2029 789 (i)	भू-राजस्व-								
		अनुसूचित जाति उप योजना								
		राजस्व आवास	...	18.77	...	18.77	...	...	...	...
		जोड़- 2029	...	18.77	...	18.77	...	...	...	...
15 निदेशक अनुसूचित/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्ध	2225 01 789 (i) 02 283 (i) 796 (i) 03 283 (i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण								
		अनुसूचित जाति का कल्याण								
		अनुसूचित जाति उप योजना								
		आवासीय	...	13,70.00	...	13,70.00	...	15,57.45	...	15,57.45
		जनजाति का कल्याण								
		आवास	...	1,00.00	...	1,00.00	...	98.46	...	98.46
		आवास	...	29.92	...	29.92	30.00	...	...	30.00
		जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर व्यय की योजना								
		पिछड़े वर्गों का कल्याण								
		आवासीय	...	2,99.75	...	2,99.75	...	2,97.90	...	2,97.90
		आवासीय	...	2,99.75	...	2,99.75	...	2,97.90	...	2,97.90
		जोड़- 2225	29.92	17,69.75	...	17,99.67	30.00	19,53.81	...	19,83.81
		जोड़- निदेशक अनुसूचित/अनुसूचित	29.92	17,69.75	...	17,99.67	30.00	19,53.81	...	19,83.81
		सकल जोड़	6.29	6,56,70.75	79,74.58	64,82.55	8,01,34.17	3,69,45.49	76,68.54	21,00.65

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संरक्षण-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर		योजना				
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना का हिस्सा	जोड़		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा	जोड़			
शहरी विकास	(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	साधारण	...	...	70,78.00	...	70,78.00	...	...	11,49.15	...	...	11,49.15	11,49.15
		एस.सी.पी.	...	...	20,15.00	...	20,15.00	...	...	17,30.00	...	...	17,30.00	17,30.00
	(ii) एकीकृत आवास योजना के लिए झोपड़ पट्टी का विकास	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	5,00.00	...	...	5,00.00	5,00.00
	(iii) राज्य वित्तायोग की सिफारिशों पर व्यय	साधारण	70,40.11	...	...	...	70,40.11	...	68,07.92	...	...	...	68,07.92	...
	(iv) छोटे एवं मध्यम शहरों के विकास हेतु इन्फ्रास्टकचर	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	2,87.67	...	...	2,87.67	2,87.67
	(v) स्वर्ण जंयती शहरी स्सरोजगर योजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	20.88	1,87.91	2,08.79	...	...
	(vi) तेहरवे वित्तायोग का अवार्ड	साधारण	22,52.50	...	...	...	22,52.50	...	22,89.12	8,80.00	...	...	31,69.12	31,69.12
		एस.सी.पी.	...	...	...	...	...	...	...	3,70.00	...	...	3,70.00	3,70.00
	(vii) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	25.00	...	...	25.00	...	...	80.00	...	...	80.00	15.00
	सृजन/उन्नयन हेतु विशेष राज्य वित्तायोग अवार्ड	साधारण	2,00.00	...	...	...	2,00.00	...	...	...	...	...	...	...
	(ix) शज्य के नगर परिषदों में आधुनिक एवटवार की स्थापना के लिए अनुदान	साधारण	...	15.23	...	...	15.23	...	...	...	...	...	...	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी. पी./ एस.सी./ ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			
शहरी विकास	नगर पंचायतों के निर्माण/नवीकरण तथा रख रखाव के कार्य	साधारण	...	40.00	...	...	40.00	...	...	...	...	...		
	(xi) शहरी छोटे एवं मध्यम शहरों के विकास हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर	साधारण	...	13.03	...	...	13.03	...	...	1,10,47.94	...	1,10,47.94		
	(xii) शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे को राजीव गांधी आवास योजना	साधारण	...	8.27	49.78	...	58.05	...	...	10,90.00	...	10,90.00		
ग्रामीण रोजगार	(i) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	साधारण	...	...	26,66.28	3,55,42.86	...	3,82,09.14	...	...	37,18.58	...	37,18.58	
		एस.सी. एस.पी.	...	...	9,27.51	...	...	9,27.51	...	...	10,80.43	...	10,80.43	
		टी.एस.पी	...	...	1,08.72	...	...	1,08.72	...	...	1,80.00	...	1,80.00	
	(ii) सुखाग्रस्त क्षेत्र को सहायता अनुदान कार्यक्रम	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	13.19	...	13.19	
	(iii) सुखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम	एस.सी. एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	4.33	...	4.33	
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थाएं )	(i) ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण	साधारण	...	12,74.17	38,33.12	...	51,07.29	...	...	8,34.69	...	8,34.69	...	

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/एस.सी.एस. पी./साधारण/एस.सी./ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर		योजना			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा	
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थाएं )	(ii) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मानदेय तथा अन्य कार्यों के लिए अनुदान	साधारण	82.01	...	...	...	82.01	...	...	...	...	82.01	38.01
	(iii) पिछळा क्षेत्र अनुदान निधि	एस.सी एस.पी	...	3,53.00	...	...	3,53.00	...	...	6,75.00	...	6,75.00	...
	(iv) पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	1,06.33	...	1,06.33	...
	(v) महिला मंडलों को सहायता अनुदान	साधारण	55.86	76.86	...	...	1,32.72	...	41.48	83.88	...	1,25.36	...
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थाएं )	(vi) राज्य प्रोत्साहन के अन्तर्गत स्वच्छता योजना को सहायता अनुदान	साधारण	14.00	2,85.55	...	...	2,99.55	...	14.00	2,46.00	...	2,60.00	...
	(vii) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मानदेय तथा अन्य कार्यों के लिए अनुदान	एस.सी एस.पी	...	1,20.00	...	...	1,20.00	...	...	1,35.00	...	1,35.00	...
		टी.एस.पी	...	3,82.96	...	...	3,82.96	...	...	4,14.70	...	4,14.70	66.00

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़		
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थाएं )	(vii) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को सहायता अनुदान	टी.एस.पी	...	1,51.03	3,17.52	...	4,68.55	...	...	33.85	...	33.85	...
	(ix) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	साधारण	...	8,24.00	...	...	8,24.00	...	21,06.00	...	...	21,06.00	21,06.00
	(x) पंचायती राज के अन्तर्गत खनिजों पर रायलटी के बदले सहायता अनुदान	साधारण	50.07	...	...	...	50.07	...	67.17	...	...	67.17	67.17
	(xi) तेहरवे वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को सहायता अनुदान	साधारण	87,66.51	...	...	...	87,66.51	...	76,43.65	...	...	76,43.65	76,43.65
	(xii) तीसरे राज्य वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को सहायता अनुदान	साधारण	8,80.55	...	...	...	8,80.55	...	7,06.89	...	...	7,06.89	...
	(xiii) तेहरवे वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को अनुदान	साधारण	52,36.77	...	...	...	52,36.77	...	45,86.19	...	...	45,86.19	45,86.19
	(xiv) तीसरे राज्य वित्तायोग के अंतर्गत पंचायत समितियों का अनुदान	साधारण	30,58.87	...	...	...	30,58.87	...	23,78.27	...	...	23,78.27	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थाएं )	(xv) तेहरवे वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	साधारण	34,91.18	...	...	...	34,91.18	...	30,57.47	...	...	...	30,57.47	30,57.47
		टी.एस.पी	98.64	...	...	...	98.64	...	60.00	...	...	...	60.00	60.00
	(xvi) तीसरे राज्य वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	साधारण	41,21.68	...	...	...	41,21.68	...	34,96.89	...	...	...	34,96.89	2,00.00
	(xvii) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को सहायता अनुदान	एस.सी एस.पी	...	7,89.79	23,69.38	...	31,59.17	...	...	...	2,22.00	...	2,22.00	...
	(xviii) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	साधारण	...	3,61.08	10,83.23	...	14,44.31	...	...	...	4,94.06	...	4,94.06	66.96
		एस.सी एस.पी	...	1,01.71	3,05.13	...	4,06.84	...	...	...	1,71.16	...	1,71.16	...
		टी.एस.पी	...	45.77	1,37.31	...	1,83.08	...	...	...	27.71	...	27.71	...
	(xix) पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना	टी.एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	33.28	...	33.28	...
	(xx) नगर निगम को विविध अनुदान	साधारण	...	...	...	...	...	...	2,84.00	...	...	2,84.00	2,84.00	

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर		योजना			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से	
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पंचायती राज संस्थाएं )	(xxi) निर्मल ग्राम पुरस्कार	साधारण	...	15.20	1,46.30	...	1,61.50	...	...	...	...	...	...
	(xxii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	टी.एस.पी	...	15.00	...	...	15.00	...	...	...	...	...	...
डेयरी विकास	(i) हिमाचल प्रदेश दुध उत्पादन संघ को सहायता अनुदान	साधारण	91.61	10,47.00	...	...	11,38.61	...	13,50.00	...	...	13,50.00	...
		एस.सी. एस.पी	...	3,52.98	...	...	3,52.98	...	...	50.00	...	50.00	50.00
निदेशक खेल एवं युवा सेवाएं	(i) राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	साधारण	...	60.45	1,73.31	...	2,33.76	...	...	15.90	32.29	48.19	...
		एस.सी. एस.पी	...	12.38	37.14	...	49.52	...	...	...	...	...	...
		टी.एस.पी	...	6.26	18.80	...	25.06	...	...	3.30	...	3.30	...
	(ii) पंचायत युवा कीज़ा एवं खेल अभियान	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	1,67.00	...	1,67.00	...
		एस.सी. एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	62.00	...	62.00	...
		टी.एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	13.00	...	13.00	...
	(iii) निदेशालय	साधारण	2,14.70	...	...	...	2,14.70	...	1,28.70	...	...	1,28.70	...
	(iv) युवा खेल निदेशालय पर व्यय	टी.एस.पी	...	5.40	...	...	5.40	...	...	7.47	...	7.47	...
	(v) युवा एवं किशोरावस्था विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	साधारण	...	...	4.08	...	4.08	...	...	...	0.80	0.80	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा					
निदेशक खेल एवं युवा सेवाएँ	(vi) हिमाचल खेलकूल परिषद्	साधारण	...	...	1,50.00	...	1,50.00							
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	(i) बद्री बरोटीवाला, नालागढ़ विकास प्राधिकरण हेतु सहायता अनुदान	साधारण	1,00.00	10,20.00	...	...	11,20.00	...	1,00.00	10,20.00	...	11,20.00	10,20.00	
	(ii) जिला उद्योग केन्द्रों को सहायता अनुदान	एस.सी एस.पी	...	12.60	...	...	12.60	...	...	11.61	...	...	11.61	...
		साधारण	10.25	12.41	...	...	22.66	...	10.36	11.61	...	...	21.97	...
	(iii) सहकारिता उद्योगों पर व्यय	टी.एस.पी	0.60	...	...	...	0.60	...	0.60	...	...	...	0.60	...
	(iv) हथकरघा उद्योग के विकास हेतु सहायता अनुदान	साधारण	14.18	...	...	...	14.18	...	18.00	...	...	...	18.00	...
	(v) खादी उद्योग के विकास हेतु सहायता अनुदान	साधारण	4,06.49	...	...	...	4,06.49	...	3,95.01	...	...	...	3,95.01	...
	(vi) एस. सी. ए. के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योग विकास निगम पर व्यय	टी.एस.पी	...	...	1,59.53	...	1,59.53	...	...	...	...	...	2,20.48	2,20.48

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी. पी./ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (खीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (खीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
ग्रामीण एवं लघू उद्योग	(vii) एकीकृत हथकरघा विकास योजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	1.55	1,28.91	1,30.46		
	(viii) हथकरघा बुनकरों का विकास	टी.एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	12.25	12.25		
	(ix) गांधी जयंती पर सहायता अनुदान हेतु व्यय	एस.सी. एस.पी	...	1,74.10	...	1,74.10	...	...	...	...	1,47.08	1,47.08		
	(x) बुनकरों को स्वस्थ्य पैकेज योजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	1.79	...	1.79		
	(xi) एस. सी. ए. के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोउद्योग पर व्यय	टी.एस.पी	...	24.00	...	24.00	...	...	...	34.00	34.00			
	(xii) खादी उद्योग पर परिव्यय	टी.एस.पी	...	...	...	...	...	2.42	...	...	2.42			
	(xiii) आर. आई. पी. और आर. ए. पी कार्यक्रम पर व्यय	टी.एस.पी	...	4.91	...	4.91	...	7.12	...	...	7.12			
	(xiv) रेशम का विकास	एस.सी. एस.पी	...	29.68	15.99	...	45.67	...	24.27	...	19.99	44.26		
	(xv) खादी एवं ग्रामोउद्योग पर व्यय	टी.एस.पी	...	35.09	...	35.09	...	1,03.02	...	...	1,03.02			

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर		योजना				
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	(xvi) खाद्य विधायन हेतु राष्ट्रीय मिशन	साधारण	...	...	1,00.00	1,69.50	...	2,69.50	...	...	...	79.25	...	79.25
	(xvii) हथकरघा क्षेत्र का पुनः सुधार एवं पुनः संरचना	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	37.64	...	37.64	...
	(xviii) ग्रामीण प्रदौषिणी पर आधारित ओद्योगिक केन्द्र	एस.सी एस.पी	...	...	40.00	...	40.00	...	...	...	40.00	40.00	...	...
	(xix) आर. के. वि. वाई. के अन्तर्गत रेशम उद्योग का विकास	साधारण	...	70.77	...	...	70.77	...	...	75.28	...	75.28	...	...
	(xx) त्वरित हैडलूम स्कीम	एस.सी एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	1.89	...	1.89	...
	(xxi) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	साधारण	...	40.00	...	...	40.00	...	...	...	...	...	...	...
		एस.सी एस.पी	...	14.69	...	...	14.69	...	...	...	...	...	...	...
	(xxii) उपकरणों को विकास कार्यक्रम के लिए सहायता	साधारण	...	...	5,09.08	...	5,09.08	...	...	...	...	...	...	...
	(xxiii) हिमाचल राज्य वाईड एरिया नेटवर्किंग	टी.एस.पी	...	45.00	...	...	45.00	...	...	...	...	...	...	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी./ एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़		
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			
ग्रामीण एवं लघू उद्योग	(xxiv) हथकरघा क्षेत्र का पुनः सुधार एवं पुनः संरचना पर व्यय	टी.एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	1.58	...	1.58	...
वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	टी.एस.पी	...	6,21.00	...	...	6,21.00	...	...	...	...	...	...
		एस.सी एस.पी	...	17,38.00	...	...	17,38.00	...	12,85.00	...	...	12,85.00	...
		साधारण	15.00	52,41.00	...	...	52,56.00	...	50.00	48,94.00	...	49,44.00	...
वित्त अधिकारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	(ii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान	टी.एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		एस.सी एस.पी	...	...	...	...	...	...	3,21.00	...	...	3,21.00	...
राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान शिमला	(i) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायता अनुदान	साधारण	...	44,38.71	82,43.30	...	1,26,82.01	...	50.00	41,37.90	...	41,87.90	...
		एस.सी एस.पी	...	19,27.78	35,80.17	...	55,07.95	...	17,61.91	...	...	17,61.91	...
		टी.एस.पी	...	3,80.57	7,06.77	...	10,87.34	...	3,64.18	...	...	3,64.18	...
	(ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	साधारण	...	2,83.78	8,51.33	...	11,35.11	...	...	27,15.34	...	27,15.34	...
	(iii) तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिए सहायता अनुदान	साधारण	...	16,45.00	...	...	16,45.00	...	15,91.00	...	...	15,91.00	...
		टी.एस.पी	...	2,25.00	...	...	2,25.00	...	2,16.00	...	...	2,16.00	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी.पी./ एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर	योजना		जोड़			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
उप निदेशक उच्च शिक्षा शिमल	(i) निजि महाविद्यालयों को सहायता	साधारण	...	11,37.00	...	...	11,37.00	...	...	4,53.00	...	...	4,53.00	...
		एस.सी.पी	...	...	...	...	...	...	...	2,97.00	...	...	2,97.00	...
	(ii) सरकारी महाविद्यालयों को अभिभावक/शिक्षक संघ के अन्तर्गत सहायता अनुदान	साधारण	1,19.12	...	...	...	1,19.12	...	1,28.84	...	...	...	1,28.84	...
		साधारण	22,54.67	1,32.52	...	...	23,87.19	...	16,00.00	10,30.90	...	...	26,30.90	...
	(iii) उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक/शिक्षक संघ को सहायता अनुदान	टी.एस.पी	...	...	16.69	...	16.69	...	...	9.00	...	...	9.00	...
		साधारण	...	22.90	...	...	22.90	...	...	42.00	...	...	42.00	...
	(v) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	टी.एस.पी	...	50.66	1,52.00	...	2,02.66	...	...	2,58.82	...	...	2,58.82	...
		एस.सी.पी	...	1,13.29	3,39.85	...	4,53.14	...	...	8,15.91	...	...	8,15.91	...
	(vi) गैर सरकारी उच्चतर स्कूल	साधारण	...	...	...	...	...	1,00.00	...	...	...	...	1,00.00	...
	(vii) उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	साधारण	...	4,78.06	17,35.80	...	22,13.86	...	...	1,15.50	3,41.67	4,57.17	...	
		एस.सी.पी	...	1,90.83	5,72.52	...	7,63.35	...	...	63.62	9,64.94	10,28.56	...	
		टी.एस.पी	...	43.77	1,31.31	...	1,75.08	...	...	22.90	3,04.60	3,27.50	...	
	(viii) स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान	साधारण	64.95	...	...	...	64.95	...	69.15	...	...	...	69.15	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी.पी./ एस.पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर	योजना		जोड़			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
उप निदेशक उच्च शिक्षा शिमला	(ix) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	साधारण	...	1,46.09	13,14.79	...	14,60.88	...	...	...	...	2,79.00	2,79.00	...
		एस.सी.पी	...	14.75	2,54.47	...	2,69.22	...	...	...	40.00	53.99	93.99	...
		टी.एस.पी.	...	14.14	1,27.24	...	1,41.38	...	...	...	...	27.00	27.00	...
	(x) उच्च विद्यालय पर खर्च	टी.एस.पी	...	60.00	...	...	60.00	...	...	...	...	...	...	...
निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिमला	(xi) साक्षर भारत योजना	साधारण	...	...	1,08.11	...	1,08.11	...	...	...	...	...	...	...
	(i) सैनिक स्कूलों पर व्यय	साधारण	7.00	...	...	...	7.00	...	7.00	...	...	...	7.00	...
	(ii) अराजकीय संस्कृत विद्यालयों को सहायता अनुदान	साधारण	11.57	...	...	...	11.57	...	11.57	...	...	...	11.57	...
	(iii) खेल संघों को सहायता अनुदान	साधारण	45.00	...	...	...	45.00	...	45.00	...	...	...	45.00	...
	(iv) पी. टी. ए. की प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायता अनुदान	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	एस.सी.पी.	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	...	10.00	...	...
	(v) गैर सरकारी मध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	...	...	...	...	...	14.00	...	...	14.00	...	...
(vi) पी. टी. ए. की प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत दिये गये अनुदान का व्यय	एस.सी.पी.	...	6,24.22	...	...	6,24.22	...	...	6,19.58	...	...	6,19.58	...	...
	साधारण	...	24,34.86	...	...	24,34.86	...	...	30,50.66	...	...	30,50.66	...	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी.पी./ एस.सी.ई.पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिमला	(vii) साक्षर भारत योजना	एस.सी.पी.	...	...	31.20	...	31.20	...	...	25.00	...	25.00	...	
	(viii) तेहरवे वित आयोग के अन्तर्गत मुक्त शिक्षा के अधिकार पर व्यय	एस.सी.पी.	...	6,30.00	...	...	6,30.00	...	...	5,93.00	...	5,93.00	...	
	(ix) प्रधान मन्त्री ग्रामीण योजन के अन्तर्गत बाल शिक्षा पर व्यय	टी.एस.पी.	...	2,53.19	...	...	2,53.19	...	...	2,90.47	...	2,90.47	...	
	(x) अराजकीय प्रारंभिक स्कूल	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	...	
	(xi) गैर सरकारी मध्यमिक स्कूलों	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	34.77	...	34.77	...	
	(xii) स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	50.58	...	...	50.58	...	...	27.25	...	27.25	...	
सचिव विधान सभा	(i) विधान सभा सदस्य को सहायता अनुदान	साधारण	8.23	...	...	...	8.23	...	...	...	8.23	...		
अन्य प्रशासनिक सेवाएं (मुख्य सचिवालय)	(i) सामान्य सहायता अनुदान (वेतन)	साधारण	1,10.91	...	...	...	1,10.91	...	1,14.36	...	...	1,14.36	...	

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
फसल कृषि कर्म	(i) बीजों का वितरण	साधारण	44.00	...	...	...	44.00	...	44.00	...	...	44.00	...	
	(ii) सामान्य विस्तार कार्यप्रणाली	साधारण	49.50	...	...	...	49.50	...	49.50	...	...	49.50	...	
	(iii) फसल विविधकरण परियोजना	एस.सी.पी	...	13,85.00	...	...	13,85.00	...	7,42.00	...	...	7,42.00	4,50.00	
	(iv) फसल विविधकरण परियोजना (जे.आई.सी.ऐ)	साधारण	...	41,15.00	...	...	41,15.00	...	22,58.00	...	...	22,58.00	13,76.90	
	(v) उद्यानिक विपणन स्कीम	साधारण	65.85	3.00	...	...	68.85	...	11.10	3.00	...	14.10	...	
	(vi) भौसम आधारित फसल बीमा योजना	टी.एस.पी.	...	54.00	...	...	54.00	...	32.00	...	...	32.00	...	
	(vii) राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत सुक्ष्म सिंचाई योजना	एस.सी.पी	...	...	...	...	...	...	40.96	...	...	40.96	40.96	
	(viii) उत्तर पूर्व और हिमालीयन राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत सरक्षित कृषि योजना	एस.सी.पी	...	...	...	...	...	...	1,77.21	...	...	1,77.21	...	
मत्स्य	(i) राष्ट्रीय मत्स्य विकास योजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	5,84.00	...	...	5,84.00	5,84.00	
	(ii) कृषि योजना का तीव्रीकरण	साधारण	...	...	...	...	...	...	15.00	...	...	15.00	3.00	

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
मत्स्य	(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	एस.सी.पी	...	...	...	...	...	...	33.60	...	...	33.60	...	
	(iv) कृषि योजना का तीव्रीकरण	साधारण	...	5.05	...	...	5.05	...	...	15.00	...	15.00	...	
	(v) मत्स्य योजना पर व्यय	टी.एस.पी.	...	25.20	...	...	25.20	...	2.55	...	...	2.55	...	
	(vi) अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्य का विकास	एस.सी.पी	...	...	...	...	...	...	1.52	4.56	6.08	6.08	...	
नई तथा नवीनीकरण उर्जा	(i) गैर परम-परागत उर्जा स्ट्रोत	टी.एस.पी.	...	5.00	...	...	5.00	...	5.00	...	...	5.00	...	
	(ii) राष्ट्रीय बैंयोजनेस और खाद प्रबन्धन	टी.एस.पी.	...	...	2.75	...	2.75	...	...	...	...	...	...	
सामाजिक कल्याण	(i) विकलांग कल्याण (विकलांगों का उत्थान)	साधारण	18.53	1,52.72	...	...	1,71.25	...	30.99	1,59.19	...	...	1,90.18	...
	(ii) बाल गृह के लिए सहायता अनुदान	साधारण	58.88	88.16	...	...	1,47.04	...	42.70	49.90	...	...	92.60	...
	(iii) नारी कल्याण के लिए सहायता अनुदान	साधारण	...	5,79.32	...	...	5,79.32	...	...	8,62.94	...	...	8,62.94	...
	(iv) स्वयं संघों को सहायता (परिवार सहायता)	साधारण	...	3,96.10	...	...	3,96.10	...	...	3,49.00	...	...	3,49.00	...
	(v) पूर्व सेनिकों की पुर्नवास हेतु सहायता अनुदान	साधारण	...	50.00	...	...	50.00	...	57.00	...	...	57.00	...	

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़			
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
सामाजिक कल्याण	(vi) एकीकृत बाल विकास कार्य में सहायता अनुदान	साधारण	...	...	1,64.00	...	1,64.00	...	...	...	...	2,76.90	2,76.90	...
	(vii) किशोरी शक्ति योजना के लिए सहायता अनुदान	साधारण	...	...	18.19	...	18.19	...	...	...	...	38.45	38.45	...
	(viii) राज्य नारी आयोग के लिए सहायता अनुदान	साधारण	83.05	1.00	...	...	84.05	...	60.70	...	...	...	60.70	...
	(ix) तेहरवे वित आयोग के अन्तर्गत राज्य कानूनी सेवाओं के लिए अनुदान	साधारण	45.00	...	...	...	45.00	...	49.00	...	...	...	49.00	...
	(x) राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	साधारण	84.59	...	...	...	84.59	...	59.92	...	...	...	59.92	...
	(xi) एकीकृत शिशु बचाव व विकास योजना	साधारण	...	...	16.85	...	16.85	...	...	...	...	5.35	5.35	...
	(xii) आई. सी.पी. एस. के अन्तर्गत गैर सरकारी स्वयं सेवी संघ का शहरी व अर्ध शहरी कसबों में शिशु घर खोलने हेतु सहायता अनुदान	साधारण	...	...	35.41	...	35.41	...	...	...	...	3.85	3.85	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
सामाजिक कल्याण	(xiii) आई. सी.पी. एस. के अन्तर्गत गैर सरकारी स्वयं संघों बाल सुरक्षा ईकाइयां के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	साधारण	...	...	4,92.90	...	4,92.90	...	...	...	...	72.07	72.07	...
	(xiv) बालबन्दी गृह बोर्ड के रखरखाव पर व्यय	साधारण	...	...	1,80.31	...	1,80.31	...	...	...	...	3.69	3.69	...
	(xv) बलात्कार पिङ्गतों को सहायतार्थ सेवाएं	साधारण	...	49.97	...	...	49.97	...	97.50	...	...	97.50	97.50	...
	(xvi) महिलाओं के नैतिक अचार के बचाव के लिए वैकल्पिक अवसर हेतु स्कीम	साधारण	...	50.00	...	...	50.00	...	15.00	...	...	15.00	15.00	...
	(xvii) अन्य स्वयं सेवी संघ	साधारण	...	2,68.49	...	...	2,68.49	...	1,86.81	...	...	1,86.81	1,86.81	...
	(xviii) अन्य संख्य विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति के संघ के अधिन अन्य स्वयं सेवी संघों का सहायता अनुदान	साधारण	...	45.82	...	...	45.82	...	18.73	...	...	18.73	18.73	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/एस.सी./एस. पी./साधारण/एस.सी./ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़		
		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
सामाजिक कल्याण	(xix) राज्य बाल बचाव आयोग	साधारण	28.00	...	...	...	28.00	...	10.00	...	...	10.00	...
	(xx) बाल/बालिका आश्रमों के बच्चों के पुर्नवास हेतु अनुदान	टी.एस.पी.	...	1.98	...	...	1.98	...	1.00	...	...	1.00	...
	(xxi) किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना	साधारण	...	...	36.34	...	36.34	...	...	...	...	...	...
	(xxii) मुख्यमंत्री बाल उद्घार योजना	एस.सी एस.पी	...	69.12	...	...	69.12	...	...	...	...	...	...
	(xxiii) महिला उत्थान योजना	एस.सी एस.पी	...	18.00	...	...	18.00	...	...	...	...	...	...
	(xxiv) बलाकार पीडितों को वित्तिय सहायता	एस.सी एस.पी	...	18.00	...	...	18.00	...	...	...	...	...	...
	(xxv) एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं	एस.सी एस.पी	...	61.54	...	...	61.54	...	...	...	...	...	...
	(xxvi) महिला विकास निगम	एस.सी एस.पी	...	25.00	...	...	25.00	...	...	...	...	...	...
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	हिमाचल भवन नई दिल्ली के मनैजर्मेंट हेतु अनुदान	साधारण	3,00.00	...	...	...	3,00.00	...	3,05.00	...	...	3,05.00	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संरक्षण-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी.पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्त्रीकृत राशि (स्त्रीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्त्रीकृत राशि (स्त्रीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर		योजना				
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		
वानिकि तथा वन्य जीवन	(i)एन.आर.एम.टी.डी.एस को सहायता अनुदान	साधारण	...	20.00	...	...	20.00	...	...	17.00	...	...	17.00	...
	(ii) स्वान कैचमैन्ट को सहायता अनुदान	साधारण	...	65.00	...	...	65.00	...	...	2,59.61	...	...	2,59.61	...
		एस.सी.एस.पी	...	33.00	...	...	33.00	...	...	2,00.00	...	...	2,00.00	...
	(iii)विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्य हिमालयन जलागम विकास	साधारण	...	4,64.56	...	...	4,64.56	...	...	4,99.57	...	...	4,99.57	...
	(iv) उद्यानों के एकीकृत विकास हेतु अभियान राष्ट्रीय बांस मिशन	साधारण	...	...	81.08	...	81.08	...	...	...	...	...	...	...
	(v)एच.पी.जेड.सी.बी.एस (जीव उद्यान) को सहायता अनुदान	साधारण	...	2,00.00	...	...	2,00.00	...	...	1,95.00	...	...	1,95.00	...
	(vi) मध्य हिमालयन जलागम विकास (अनुशुद्धित जाति)	एस.सी.एस.पी	...	2,35.36	...	...	2,35.36	...	...	2,20.06	...	...	2,20.06	...
खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार	निगमों को सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	35.71	...	...	35.71	...	...	33.50	...	...	33.50	28.50
चिकित्सा तथा लोक स्वस्थ्य	(i) ग्रामीण स्वास्थ्य	एस.सी.एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	80.00	...	...	80.00	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी.पी./ एस.सी.ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़		
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
चिकित्सा तथा लोक स्वस्थ्य	(ii) पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के प्रोग्रामों पर व्यय	टी.एस.पी.	...	60.66	...	...	60.66	...	...	83.84	...	83.84	...
	(iii) मीनीम नीड प्रोग्राम पर व्यय	टी.एस.पी.	...	34.00	...	...	34.00	...	...	84.00	...	84.00	...
	(iv) टी. वी. (तपेदिक रोग) रोकने के प्रोग्रामों पर व्यय	टी.एस.पी.	...	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50	...
	(v) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रोग्रामों पर व्यय	टी.एस.पी.	37.91	2.25	...	...	40.16	...	1,05.00	1.38	...	1,06.38	...
	(vi) बहुउद्देश्य कार्य की योजना पर व्यय	टी.एस.पी.	...	4.00	...	...	4.00	...	...	5.00	...	5.00	...
	(vii) इ.एस.आई. योजना (अस्पतालों व औषधालयों) पर व्यय	साधारण	2,65.50	...	...	...	2,65.50	...	2,65.50	...	...	2,65.50	...
	(viii) शहरी स्वास्थ्य कार्य पर व्यय	साधारण	2,01.53	...	...	...	2,01.53	...	2,01.37	...	...	2,01.37	...
	(ix) शहरी दंत चिकित्सा वित्तनिक पर व्यय	साधारण	...	...	...	...	...	...	1,76.94	...	...	1,76.94	...
	(x) जिला स्थापना पर व्यय	साधारण	13.05	...	...	...	13.05	...	1,39.50	...	...	1,39.50	...
	(xi) दंत चिकित्सा पर व्यय	साधारण	50.32	...	...	...	50.32	...	1,45.81	...	...	1,45.81	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़		
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	(xii) आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर व्यय	साधारण	2,16.99	...	...	...	2,16.99	...	7.26	...	...	7.26	...
	(xiii) आयुर्वेदिक ओषधालायों पर व्यय	साधारण	52.99	...	...	...	52.99	...	3,99.93	...	...	3,99.93	...
	(xiv) आई.जी.एम.सी. को सहायता अनुदान	साधारण	3,65.00	...	...	...	3,65.00	...	4,00.00	...	...	4,00.00	...
	(xv) राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को सहायता अनुदान	साधारण	1,65.00	...	...	...	1,65.00	...	2,00.00	...	...	2,00.00	...
	(xvi) राष्ट्रीय सुखा बीमा योजना	एस.सी एस.पी	...	3,02.00	66.01	...	3,68.01	...	...	2,47.00	...	2,47.00	...
	(xvii) हामोपैथिक औषधालय	एस.सी एस.पी	...	3.43	...	...	3.43	...	4.00	...	...	4.00	...
	(xviii) अयुष संस्थानों का उन्नयन	एस.सी एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	89.00	...	89.00	...
	(xix) राष्ट्रीय स्वस्थ्य मिशन	एस.सी एस.पी	...	6,54.00	33,56.48	...	40,10.48	...	...	5,46.00	...	5,46.00	...
	(xx) राष्ट्रीय एंमतुलेस सेवा	एस.सी एस.पी	...	4,53.00	...	...	4,53.00	...	...	3,70.00	...	3,70.00	...
	(xxi) राष्ट्रीय ऐड्स नियंत्रण कार्यक्रम	साधारण	...	...	6,12.75	...	6,12.75	...	...	...	...	...	...
विविध सामान्य सेवाएँ	(i) विकलांग/मरे गये सेनिकों के परिवार के सदस्यों को सहायता अनुदान	साधारण	0.17	...	...	...	0.17	...	...	...	...	...	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15			कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14			कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना	जोड़		आयोजनेतर	योजना	जोड़		
विविध सामान्य सेवाएँ	(ii) गलेन्ट्री अवार्ड	साधारण	1,55.70	...	...	1,55.70	...	1,44.71	...	...	1,44.71
	(iii) अन्य विविध संघों को सहायता	साधारण	3.22	...	...	3.22	...	5.72	...	...	5.72
	(iv) सेनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संघों को सहायता	साधारण	5.20	...	...	5.20	...	8.05	...	...	8.05
संघीयालय सामाजिक सेवाएँ	(i) ढांचागत व्यय	टी.एस.पी	...	64.62	3,80.47	...	4,45.09	...	15.03	30.97	...
	(ii) वन बन्धु कल्याण योजना	टी.एस.पी	...	...	10,00.00	...	10,00.00	...	...	...	...
विद्युत	(i) राज्य विद्युत संचालन (रेगुलेटरी) आयोग को सहायता अनुदान	साधारण	90.00	...	...	90.00	...	90.00	...	...	90.00
	(ii) विद्युत बोर्ड को सहायता	एस.सी. एस.पी	...	12,59.00	...	12,59.00	...	18,54.00	...	...	18,54.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-	(i) गुरु रविदास सामाजिक सुविधाएं	एस.सी. एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	(ii) प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना	एस.सी. एस.पी	...	...	...	...	...	...	2,00.00	...	2,00.00
	(iii) अल्पसंख्यक विकास संघ/निगम को सहायता अनुदान	साधारण	...	11.10	...	11.10	...	...	2.00	...	2.00

परिशिष्ट-III

## राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

( रु लाख में )

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/एस.सी./एस. पी./साधारण/एस.सी./ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
पशुपालन	(vi) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	एस.सी.एस.पी	...	7,18.85	...	...	7,18.85	...	...	4,15.17	...	...		
		टी.एस.पी	...	2,56.99	...	...	2,56.99	...	...	1,51.14	...	1,51.14		
		साधारण	...	18,79.58	...	...	18,79.58	...	...	11,13.17	...	11,13.17		
	(vii) जन जातियें क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसुचित जनजाति के लिए एस.सी.ए के अन्तर्गत वैटनरी प्रोग्राम पर व्यय	टी.एस.पी	...	...	19.28	...	19.28	...	...	...	7.20	7.20		
		साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	41.63	41.63		
	(viii) पशुधन गणना	एस.सी.एस.पी	...	...	26.11	...	26.11	...	...	...	...	...		
		साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	1,00.00	1,00.00		
	(ix) याक/स्पिति पोनी के श्रेटेन्ड पशुधन का संरक्षण	टी.ए.एस.पी.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
	(x) गौशालाओं का उन्नयन	साधारण	50.00	...	...	...	50.00	...	...	...	...	...		
	(xi) छोटे स्मीनेंट्स तथा खरगोशों का समेकित विकास	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	49.24	49.24		

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी./ एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर		योजना			आयोजनेतर	योजना		जोड़			
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा					
पशुपालन	(xii) राष्ट्रीय बीवीन थ्रीडिंग प्रोजेक्ट	साधारण	...	...	5,00.00	...	5,00.00	...	...	...	...	...	...	
	(xiii) राष्ट्रीय गौजातिय नस्त वार्यक्रम	टी.एस.पी	...	...	71.00	...	71.00	...	...	...	...	...	...	
	(xiv) राष्ट्रीय पशुधन मिशन	साधारण	...	...	2,59.07	...	2,59.07	...	...	...	...	...	...	
	(xv) पशुधन के पंजीकरण पर व्यय	एस.सी एस.पी	...	4.00	...	...	4.00	...	...	...	...	...	...	
पर्यटन	(i) पर्यटन के क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग को सहायता अनुदान	साधारण	...	16,46.00	...	...	16,46.00	...	...	15,00.06	...	...	15,00.06	13,20.06
	(ii) एशियन विकास बैंक शेरार में निवेश	एस.सी एस.पी	...	5,54.00	...	...	5,54.00	...	...	4,94.00	...	...	4,94.00	4,94.00
	(iii) तेहरवे वित्र आयोग के अन्तर्गत जिला नवीनिकरण फंड पर व्यय	टी.ए. एस.पी.	...	3.30	...	...	3.30	...	...	1.00	...	...	1.00	...
आवास	(i) अटल आवास योजना	साधारण	...	6,66.00	...	...	6,66.00	...	...	8,34.96	...	...	8,34.96	...
		टी.एस.पी	...	1,16.88	...	...	1,16.88	...	...	87.12	...	...	87.12	...
		एस.सी एस.पी	...	2,23.00	...	...	2,23.00	...	...	2,76.94	...	...	2,76.94	...
	(ii) इन्दिरा आवास योजना	साधारण	...	94.12	13,23.85	...	14,17.97	...	...	4,81.17	...	...	4,81.17	...
		एस.सी एस.पी	...	3,42.19	21.94	...	3,64.13	...	...	8,05.72	...	...	8,05.72	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/ एस.सी. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
आवास	(iii) गांधी कुटीर आवास योजना	टी.एस.पी	...	71.27	87.75	...	1,59.02	...	...	...	1,54.10	...	1,54.10	...
अन्य समाजिक सेवाएं	(i) दान, समारोह तथा धर्मार्थ के लए सहायता अनुदान	साधारण	0.27	...	...	...	0.27	...	0.53	...	...	...	0.53	...
	(ii) मंदिर आवर्ती निधि में सहायता अनुदान	साधारण	5,00.00	...	...	...	5,00.00	...	...	...	...	...	...	...
	(iii) धर्मिक संस्थानों को सहायता	साधारण	2.12	...	...	...	2.12	...	...	...	...	...	...	...
संघीयालय आर्थिक सेवाएं	(i) निदेशालय वित्तिय संस्थान तथा पब्लिक इन्टरप्राइजेज को सहायता अनुदान	साधारण	4,46.94	...	...	...	4,46.94	...	29.30	...	...	...	29.30	...
	(ii) जनजातिय क्षेत्र में पर्यटन विकास को सहायता अनुदान	टी.एस.पी	...	50.00	...	...	50.00	...	...	50.00	...	...	50.00	...
	(iii) कौशल विकास योजना	साधारण	...	4.00	...	...	4.00	...	...	...	...	...	...	...
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	(i) हि. प्रकृविधि को शिक्षा के लिए सहायता अनुदान	साधारण	...	18,31.00	...	...	18,31.00	...	...	17,65.60	...	...	17,65.60	...
	(ii) हि.प्र.कृ.वि.वि. को अनुसंधान को सहायता अनुदान	साधारण	...	50,47.84	...	...	50,47.84	...	...	49,65.82	...	...	49,65.82	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	(iii) चौ.स.कृ. वि.वि. पालपुर को शिक्षा व अनुसंधान को सहायता अनुदान	साधारण	...	15,15.00	...	...	15,15.00	...	...	17,27.19	...	...	17,27.19	...
	(iv) डा. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय सोलन को सहायता अनुदान	साधारण	0.01	51,08.00	...	...	51,08.01	...	0.01	47,83.00	...	...	47,83.01	...
		एस.सी. एस.पी.	...	12,10.00	...	...	12,10.00	...	...	11,12.00	...	...	11,12.00	...
		टी.एस.पी.	...	4,67.00	...	...	4,67.00	...	...	4,37.00	...	...	4,37.00	...
	(v) हिमाचल प्रदेश कृ.वि.वि. को अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	5,41.00	...	...	5,41.00	...	...	6,29.39	...	...	6,29.39	...
	(vi) हिमाचल प्रदेश कृ.वि.वि. को मत्स्य अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	3.00	...	...	3.00	...	...	2.00	...	...	2.00	...
	(vii) हिमाचल प्रदेश कृ.वि.वि. को पशु अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान	टी.एस.पी.	...	22.00	...	...	22.00	...	...	21.00	...	...	21.00	...
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	(i) एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम	एस.सी. एस.पी.	...	1,50.00	54.00	...	2,04.00	...	...	1,50.00	...	...	1,50.00	...
	(ii)मरुस्थल क्षेत्र के विकास पर व्यय	टी.एस.पी.	...	10.00	2,01.15	...	2,11.15	...	...	1,68.85	...	...	1,68.85	...
	(iii)स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	9.18	...	...	9.18	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी./ एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़		
			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	(iv) जिला ग्रामीण फिक्षास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.)	साधारण	...	1,87.96	6,21.89	...	8,09.85	...	...	2,08.65	...	2,08.65	...
	(v) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भिशन योजना	साधारण	...	29.07	...	...	29.07	...	...	1,50.57	...	1,50.57	...
	(vi) एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	टी.एस.पी.	...	...	...	...	...	...	...	36.03	...	36.03	...
		साधारण	...	...	1,54.00	...	1,54.00	...	...	3,65.07	...	3,65.07	...
	(vii) एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	15.76	...	15.76	...
	(viii) कार्यरत अभिकरणों को सहायता अनुदान	साधारण	40.00	...	...	...	40.00	...	40.00	...	...	40.00	...
	(ix) एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम	टी.एस.पी.	...	52.00	...	...	52.00	...	...	52.00	...	52.00	...
	(x) एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	एस.सी. एस.पी.	...	...	...	...	...	...	...	1,26.45	...	1,26.45	...
	(xi) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मीशन	एस.सी. एस.पी.	...	...	...	...	...	...	...	38.09	...	38.09	...
	(xii) सुख्स जलागम प्रोजेक्ट को बनाना	साधारण	...	...	...	...	...	...	36.00	...	...	36.00	...
संचिव, विज्ञान एंव प्रोद्योगिकी	(i) कार्यरत अभिकरणों को सहायता अनुदान	साधारण	69.57	2,42.75	...	...	3,12.32	...	69.57	3,00.20	...	3,69.77	1.35.00

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी./ एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
संचिव, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी	(ii) पर्यावरण एंव वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी	साधारण	...	2.88	...	...	2.88	...	...	2.53	...	2.53	...	
	(iii) मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण	एस.सी. एस.पी.	...	28.60	...	...	28.60	...	...	...	...	...	...	
	(iv) जल प्रबंधन	एस.सी. एस.पी.	...	20.00	...	...	20.00	...	...	...	...	...	...	
	(v) ग्रीनबिल्डिंग प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए उपयुक्त	एस.सी. एस.पी.	...	10.00	...	...	10.00	...	...	...	...	...	...	
	(vi) अनुसंधान विकास और हिमाचल विज्ञान सम्मेलन को समर्थन	एस.सी. एस.पी.	...	28.00	...	...	28.00	...	...	...	...	...	...	
	(vii) क्षमता निर्माण	एस.सी. एस.पी.	...	5.00	...	...	5.00	...	...	...	...	...	...	
कला और संस्कृति	(i) अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान	साधारण	7.86	...	...	...	7.86	...	1,07.36	...	...	1,07.36	...	
	(ii) परातनता और कला उज्ज्ञान एवं 1972 के परिवालन पर व्यय	साधारण	29.25	5.85	...	...	35.10	...	23.75	19.95	...	43.70	...	
		एस.सी. एस.पी.	...	5.00	...	...	5.00	...	...	5.00	...	5.00	...	
	(iii) त्योहारों पर व्यय	साधारण	19.15	...	...	...	19.15	...	18.85	...	...	18.85	...	
	टी.एस.पी.	...	33.54	...	...	...	33.54	...	30.50	...	...	30.50	...	
(iv) हिमाचल राज्य संग्रहालय	साधारण	...	...	5.00	...	...	5.00	...	...	...	...	...	...	

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी/एस.सी.पी./साधारण/एस.सी./ई.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना		जोड़		आयोजनेतर	योजना		जोड़			
		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा			राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा					
कला और संस्कृति	(v) हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी को सहायता अनुदान	साधारण	1,34.35	30.00	...	...	1,64.35	...	1,31.35	27.00	...	...	1,58.35	...
परिवार कल्याण	(i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य निशन के अन्तर्गत प्राबधान	साधारण	...	17,07.00	93,33.02	...	1,10,40.02	...	...	...	26,39.00	...	26,39.00	...
	(ii) मुख्य शीर्ष 2211 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मीशन के अन्तर्गत प्राबधान	टी.एस.पी	...	2,33.00	7,33.25	...	9,66.25	...	...	...	...	...	...	...
परिवार कल्याण	(iii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सहायता अनुदान	साधारण	...	7,90.00	3,01.93	...	10,91.93	...	...	...	6,63.00	...	6,63.00	...
	(iv) अटल स्वास्थ्य योजना को सहायता अनुदान	साधारण	...	9,43.53	...	...	9,43.53	...	...	9,19.54	...	...	9,19.54	...
	(v) राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना के लिए सहायता अनुदान	टी.एस.पी	...	1,08.00	7.39	...	1,15.39	...	...	90.00	...	90.00	...	
	(vi) राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा	टी.एस.पी	...	1,62.00	...	...	1,62.00	...	...	1,35.00	...	1,35.00	...	
सहकारिता	(i) सहकारिता स्कीम पर व्यय	टी.एस.पी	2.42	56.53	...	...	58.95	...	2.42	66.40	...	...	68.82	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)		
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना					
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा				
सहकारिता	(ii) हिमर्कॉफैड प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता अनुदान	साधारण	60.50	...	...	...	60.50	...	1,05.70	...	...	...	1,05.70	...
परिस्थिति विकास कार्यक्रम	(i) परिस्थिति विकास के लिए स्कीम	साधारण	3.40	49.00	...	...	52.40	...	7.70	34.45	...	...	42.15	...
क्षतिपूर्ती/ स्थानिय निकाय को निर्धारण/ पंचायति राज	(i) स्थानीय शहरी निकाय/पंचायत/ ग्रामीण संस्थाओं को सहायता अनुदान	साधारण	9,12.70	...	...	...	9,12.70	...	9,09.03	...	...	...	9,09.03	...
सङ्क्र परिवहन	(i) यातायात सेवाओं के लिए सहायता	साधारण	...	30,00.00	...	...	30,00.00	...	...	35,00.00	...	...	35,00.00	...
सङ्क्र और पुल	(i) स्थानीय शहरी निकायों की सङ्क्रों का रखरखाव	साधारण	6,00.00	...	...	...	6,00.00	...	6,00.00	...	...	...	6,00.00	...
श्रम और रोजगार	(i) हि.प्र. में ग्रामीण ओर्डोरिस्प्रशिक्षण संस्थाओं पर व्यय	टी.एस.पी.	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	5.00	5.00
तर्बनकी शिक्षा	(i) सख्ती पॉलीटेक्निक को केन्द्रीय सहायता	साधारण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	37.20	37.20
	(ii) पॉलीटेक्निक स्कीम द्वारा समुदायीक विकास	एस.सी एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.20	7.20
	टी.एस.पी.	एस.सी एस.पी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.60	3.60
निवेशक भूमि अभिलेख	(i) भूमि-अभिलेख अभिकरण को सशक्त करना	एस.सी एस.पी	...	1,86.00	1,26.00	...	3,12.00	...	...	1,83.00	...	...	1,83.00	...

## परिशिष्ट-III

राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)

(₹ लाख में )

आदाता	योजना	टी.एस.पी./ एस.सी. एस. पी./ साधारण/ एस.सी./ ई.ए.पी.	2014-15				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)	2013-14				कुल देय राशि में से परिपूर्जी के सृजन के लिए स्वीकृत राशि (स्वीकृत आदेश/ रूपांकन स्कीम से)			
			आयोजनेतर	योजना				आयोजनेतर	योजना						
				राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा		राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में केन्द्रीय योजना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा					
मूलिम महानिदेशक	(i) निदेशालय	साधारण	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	
निदेशक, पर्वतारोहण संस्थान, मनाली	(i) पर्वतारोहण संस्थान तथा सम्बद्धित खेलों	साधारण		...	...	...	...	...	50.00	...	...	...	50.00	...	
निदेशक, प्रशिक्षण एंव अनुसंधान	(i) सख्तारी चिकित्सा कॉलेजों का उन्नयन	साधारण	...	1,97.00	...	...	1,97.00	...	...	...	3,62.50	...	3,62.50	...	
	(ii) आर.पी.जी.एम.सी. टाडा में मशीनरी एंव ओजार का रख रखाव	एस.सी. एस.पी.	...	50.98	...	...	50.98	...	99.50	...	...	...	99.50	...	
	(iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	साधारण	...	...	...	...	...	...	7,49.97	...	...	...	7,49.97	...	
		एस.सी.पी.	...	50.73	...	...	50.73	...	...	...	2,49.95	...	2,49.95	...	
	(iv) इन्द्रिय गांधी मेडीकल कॉलेज का उन्नयन	टी.एस.पी.	...	71.00	...	...	71.00	...	...	...	...	...	...	...	
जलापूर्ति तथा स्वच्छता	(v) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मैडी कॉलेज का उन्नयन	टी.एस.पी.	...	18.00	...	...	18.00	...	...	...	...	...	...	...	
	(i) राज्यीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम	साधारण	...	...	9,14.79	...	9,14.79	...	...	...	...	...	...	...	
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	(i) आर्थिक सेवाओं पर व्यय	साधारण	...	...	4.95	...	4.95	...	...	...	...	...	...	...	
	(ii) मानव संसाधन और आकलन के लिए शहरी संस्थिकी	साधारण	...	...	0.47	...	0.47	...	...	...	...	...	...	...	
	जोड़		4,41,54.64	7,75,09.26	9,39,54.08	...	21,56,17.98*	...	4,05,89.59	7,58,29.17	2,35,92.12	37,77.84	14,37,88.72	4,31,13.10	

\* इनमें ₹ 9.13 करोड़ की स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिपूर्ति और सहायता (मुख्य शीर्ष 3604) सम्मिलित हैं।

**परिशिष्ट -IV**  
**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

सहायता एजेंसी	योजना/ परियोजना	कुल स्वीकृत सहायता	प्राप्त राशि						राशि प्राप्त होनी है	भुगतान राशि			राशि अदा करनी है	व्यय			
			अनुदान			ऋण				अनुदान	ऋण	ऋण			2014-15	2013-14	
			ऋण/ अनुदान	2014-15	2013-14	जोड़	2014-15	2013-14	जोड़			2014-15	2013-14	जोड़	2014-15	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
₹ ( लाख में )																	
जी.ओ. जे.पी. जापान	स्वाँ नदी एकीकृत जल विभाजन व्यवस्था परियोजना (85:15)	1,60,00.00	20,03.30	18,14.73	38,18.03	2,22.59	2,01.64	4,24.23	....	....	....	....	....	....	21,98.00	46.03.00	
आई.बी आर.डी.	जलविज्ञान परियोजना ( 77.76:22.24 )	49,50.00	6,50.98	4,58.06	11,09.04	72.33	50.89	1,23.22	....	....	....	....	....	....	2,42.00	12,15.93	
आई.बी आर.डी.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल सड़क परियोजना (72.50:27.50)	13,65,43.00	84,68.24	1,22,40.59	2,07,08.83	9,40.92	13,60.07	23,00.99	....	....	....	....	....	....	1,62,93.00	1,79,37.00	
आई.डी. ए.	हि0प्र० मध्य हिमालयन जल विभाजन विकास परियोजना (80:20)	3,65,00.00	57,58.41	33,56.58	91,14.99	6,40.78	3,72.95	10,13.73	....	....	....	....	....	....	83,00.00	70,00.00	
ए डी बी	हि.प्र.में पर्यटन भवसंरचना में में निवेश (70:30)	4,28,22.00	11,48.18	4,35.75	15,83.93	1,27.58	48.42	1,76.00	....	....	....	....	....	....	22,00.00	19,94.00	
जे आई सी ए	फसल विविधिकरण योजना (85:15)	3,21,00.00	46,27.82	11,29.28	57,57.10	5,15.07	1,25.48	6,40.55	....	....	....	....	....	....	57,17.50	20,86.10	

## परिशिष्ट -IV

## बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

सहायता एजेंसी	योजना/ परियोजना	कुल स्वीकृत सहायता	प्राप्त राशि						राशि प्राप्त होनी है		भुगतान राशि			राशि अदा करनी है	व्यय		
			अनुदान			ऋण			अनुदान	ऋण	ऋण				2014-15	2013-14	जोड़
			ऋण/ अनुदान	2014-15	2013-14	जोड़	2014-15	2013-14	जोड़		2014-15	2013-14	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
₹ लाख में)																	
ए डी बी	शांगठोंग करचम हाईड्रो परियोजना	27,50,00.00														41,89.00	50,15.00
ए डी बी	सैन्ज हाईड्रो परियोजना	7,65,00.00														1,83,27.00	2,05,71.00
ए डी बी	काशांग हाईड्रो परियोजना	19,39,00.00	8,99,55.28	3,36,98.67	12,36,53.95	29,67.63	37,44.29	67,11.92								1,06,88.00	1,27,81.00
ए डी बी	खारकुड़ हाईड्रो परियोजना	7,28,00.00														63,47.00	1,45,54.00
ए डी बी	इन चार जल विद्युत परियोजना का क्षमता विकास 70:30	45,00.00															
	एच. पी. डी. पी. एल.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ए डी बी	खच्छ ऊर्जा (संचारण)	...	...	...	...	10,01.54	...	10,01.54	...	...	...	...	...	...	...	59,41.00	
	जोड़	...	11,26,12.21	5,31,33.66	16,57,45.87	64,88.44	59,03.74	1,23,92.18	...	...	...	...	...	...	...	7,45,01.50	9,36,98.03

I वर्ष 2014-15 के दौरान बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण की वापसी पर ₹18,37,61लाख का भुगतान किया। परियोजनावार घौरा उपलब्ध नहीं है।

## परिशिष्ट-V

(क) केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय योजना स्कीमें)

भारत सरकार की स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सी.पी.ए.सी.ए. सम्बन्धी योजनाएं )	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	2014-15 का बजट प्रावधान			भारत सरकार का अंश सी.एस.ए.स./ सी.पी.	2014-15 का वास्तविक व्यय			2013-14 का वास्तविक व्यय			भारत सरकार का अंश सी.एस.एस./ सी.पी.	2012-13 का वास्तविक व्यय			
			भारत सरकार	राज्य अंश	कुल बजट प्रावधान		भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार	राज्य अंश	कुल व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
( ` लाख में)																	
राष्ट्रीय भू-अभिलेख आयुनिकीकरण कार्यक्रम	प्राथमिक तथा पर्यावरकी भू-अभिलेख एजेंसी को सुदृढ़ करना	सामान्य पर्यावरकी भू-अभिलेख एजेंसी पी.सी.एस.सी.पी.	3,29.00	4,89.00	8,18.00	31,43.33	15,34.13	4,89.00	20,23.13	...	...	4,77.00	4,77.00	...	...	...	...
तेलीय बीजों, दालों, पाम औंडल तथा मक्का की एकीकृत योजना 75:25	आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.	सामान्य एस.सी.सी.पी.	...	...	...	...	...	...	...	1,26.63	3,00.37	11.65	3,12.02	65.25	30,37.33	12,36.11	42,73.44
पशुओं से सम्बन्धित बीमारियों के नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता	बीमारियों की व्यवस्थित रोकथाम	सामान्य	3,27.55			9,00.00	3,27.55	44.60	3,72.15	2,53.00	2,30.07	43.20	2,73.27	78.00	1,44,54.58	31,57.64	1,76,12.22

## परिशिष्ट-V

## (क) केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय योजना स्कीमें)

			2014-15 का बजट प्रावधान					2014-15 का वास्तविक व्यय					2013-14 का वास्तविक व्यय					2012-13 का वास्तविक व्यय			
			भारत सरकार की स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सी. पी.ए.सी.ए. सम्बन्धी योजनाएं )	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	भारत सरकार का अंश सी.एस.ए स./सी. पी.	राज्य अंश	कुल बजट प्रावधान	भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार का अंश सी.एस. एस./सी. पी.	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार का अंश सी.एस.एस./ सी.पी.	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार का अंश सी.एस. एस./ सी.पी.	राज्य अंश	कुल व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
( ' लाख में )																					
एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम 80:20	विकास योजना/ एकीकृत हथकरघा विकास योजना	सामान्य	...	40.00	40.00	50,90.08	...	40.00	40.00	16.15	21.22	4.50	25.72	...	19,55.49	20,69.25	40,24.74				
		टी.एस.पी.	...	14.69	14.69	...	...	14.69	14.69	...	2.08	...	2.08	...	...	1,38.04	1,38.04				
एकीकृत शिशु विकास सेवाएं 90:10	एकीकृत शिशु विकास सेवाएं	सामान्य	1,24,49. 48	8,68.93	1,33,18. 41	1,71,84.00	1,24,49. 48	8,68.93	1,33,18. 41	1,74,99. 22	3,42.18	1,53.99	4,96.17	...	51,78,23.6 8	4,13,51.0 7	55,91,74.75				
नियमित गतिविधियों के लिए राज्यों को एन. एस. एस. सहायता अनुदान 75:25	राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं हेतु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	सामान्य	1,73.31	60.45	2,33.76	...	1,73.31	60.45	2,33.76	47.15	28.73	17.16	45.89	...	1,26,34.05	55,79.69	1,82,13.74				
मछुआरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजनाएं	मछुआरों का कल्याण	सामान्य	14.65	14.65	2930	25.34	14.65	14.65	29.30	16.36	0.02	0.02	0.04	15.93	18.60	4.65	23.25				
		एस.सी. सी. पी	10.69	10.69	21.38	10.69	10.69	10.69	21.38	...	0.02	0.02	0.04	...	...	...	...				

## परिशिष्ट-V

(क) केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय योजना स्कीमें)

			2014-15 का बजट प्रावधान					2014-15 का वास्तविक व्यय					2013-14 का वास्तविक व्यय					2012-13 का वास्तविक व्यय			
			भारत सरकार की स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सी. पी.ए.सी.ए. सम्बन्धी योजनाएं )	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	भारत सरकार का अंश सी.एस.ए स./सी. पी.	राज्य अंश	कुल बजट प्रावधान	भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार का अंश सी.एस. एस./सी. पी.	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार का अंश सी.एस./ सी.पी.	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार का अंश सी.एस. एस./ सी.पी.	राज्य अंश	कुल व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
( लाख में )																					
एकीकृत वन संरक्षण योजनाएं	वन प्रबन्धन योजना	सामान्य	3,06.98	27.72	334.70	...	306.98	27.72	3,34.70	3,64.41	2,15.00	22.96	2,37.96	3,62.00	1,13,72.51	18,67.56	1,32,40.07				
न्यायपालिका के विकास के लिए मूल भूत सुविधाओं को बढ़ावा	न्यायपालिका संरचना का उत्थान	सामान्य	...	1,74.00	1,74.00	...	...	1,67.77	1,67.77	8.06	7,17.94	2,42.19	9,60.13	...	4,28,47.23	79,13.97	5,07,61.20				
कृषि का संशोधित मैक्रो मैनेजमेन्ट	कृषि का संशोधित मैक्रो मैनेजमेन्ट	सामान्य	...	...	...	...	...	...	...	...	2,13.81	24.52	2,56.33	19,54.15	2,31,30.45	31,21.17	2,62,51.62				
कौशल विकास को बढ़ावा	पशुचिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान	सामान्य	3.49	...	3.49	...	9.99	7.00	16.99	...	3.89	5.00	8.89	...	...	...	...				

## परिशिष्ट-V

(क) केन्द्रीय स्कीमें (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय योजना स्कीमें)

			2014-15 का बजट प्रावधान					2014-15 का वास्तविक व्यय					2013-14 का वास्तविक व्यय					2012-13 का वास्तविक व्यय			
			भारत सरकार की स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सी. पी.ए.सी.ए. सम्बन्धी योजनाएं )	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजातीय उप योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	भारत सरकार का अंश सी.एस.ए स./सी. पी.		भारत सरकार का अंश सी.एस. एस./सी. पी.	राज्य अंश	कुल बजट प्रावधान	भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार द्वारा विमोचन	भारत सरकार का अंश सी.एस./ सी.पी.	राज्य अंश	कुल व्यय	भारत सरकार का अंश सी.एस. एस./ सी.पी.	राज्य अंश	कुल व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
( ` लाख में )																					
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	अनुसूचित जातियों के लिए एस.सी.एस.पी . के अन्तर्गत आर्थिक विकास	एस.सी. सी. पी	94.32	1,84.53	2,78.85	20,19.87	---	1,84.53	1,84.53	12.73	1,18.89	1,26.00	2,44.89	...	10,10.00	83,92.54	94,02.54				
अत्यसंख्यक समुदायों को मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति	अत्यसंख्यक समुदायों को मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति	सामान्य	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9,20.02	31,96.10	15,16.18	47,12.28				
	मैट्रिक से पूर्व अन्य पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति	सामान्य	...	1,00.00	1,00.00	68.85	...	1,00.00	1,00.00	3.60	...	1,87.00	1,87.00	33.00	90,90.00	...	90,90.00				

**परिशिष्ट-V**  
**ख राज्य योजना स्कीमें**

राज्य स्कीम	सामान्य/ जनजातीय योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	योजनागत परिव्यय			बजट प्रावधान			व्यय		
		2014-15	2013-14	2012-13	2014-15	2013-14	2012-13	2014-15	2013-14	2012-13
(₹ लाख में)										
प्राथमिक तथा सर्वक्षण भू अभिलेख अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण	सामान्य	53.00	1,00.00	1,90.00	53.00	1,00.00	...	53.00	95.50	...
मिड डे मील	एस.सी. एस.पी.	...	...	5,60.00	...	...	5,60.00	...	...	5,58.11
	टी.एस.पी.	1,95.70	2,07.00	2,34.00	1,95.70	2,11.82	2,34.01	1,95.70	2,11.82	2,55.61
	सामान्य	...	15,24.00	14,78.00	...	11,26.15	14,78.04	...	11,26.15	14,22.15
सर्व शिक्षा अभियान	एस.सी. एस.पी.	...	...	25,96.00	...	25,96.00	25,96.00	...	17,61.91	19,33.40
	टी.एस.पी.	3,80.57	...	2,07.00	3,80.57	9,45.00	2,07.00	3,80.57	3,64.18	2,07.00
	सामान्य	...	...	69,59.00	...	15,91.00	69,59.00	...	50.00	61,20.73
अटल आवास योजना	सामान्य	6,66.00	...	...	6,66.00	...	...	6,66.00	8,34.96	8,35.00
	टी.एस.पी.	1,16.87	...	...	1,16.87	1,00.00	...	1,16.87	87.12	99.78
	एस.सी. एस.पी.	2,23.00	...	...	2,23.00	...	...	2,23.00	2,76.94	2,77.00
अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास	एस.सी. एस.पी.	2,69.78	2,50.00	2,35.00	2,69.78	2,50.00	1,00.00	2,69.78	43.43	1,86.77
गुरु रविदास नागरिक सुख सुविधा योजना	एस.सी. एस.पी.	...	...	10,00.00	...	...	10,00.00	...	...	10,00.00
अन्य पिछडे वर्गों का आर्थिक विकास	सामान्य	1,50.77	1,60.00	1,54.00	1,50.77	1,60.00	1,54.00	1,50.77	1,22.20	51.03
विकलांगों का उत्थान	सामान्य	2,47.96	2,00.00	1,30.00	2,47.96	...	1,56.53	2,47.96	...	1,61.08
सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विधवा पैन्शन	एस.सी. एस.पी.	11,33.30	10,12.21	7,00.00	11,33.30	10,12.21	7,00.00	11,33.30	10,49.43	7,59.31
विधवा पैन्शन पर व्यय	टी.एस.पी.	1,81.90	30.40	1,15.23	1,81.90	30.40	1,25.00	1,81.90	61.70	1,24.42
वृद्धावस्था पैन्शन	एस.सी. एस.पी.	25,09.86	23,94.79	15,59.00	25,09.86	23,94.79	15,59.00	25,09.86	26,01.12	20,10.90

**परिशिष्ट-V**  
**ख राज्य योजना स्कीमें**

राज्य स्कीम	सामान्य/ जनजातीय योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	योजनागत परिव्यय			बजट प्रावधान			व्यय		
		2014-15	2013-14	2012-13	2014-15	2013-14	2012-13	2014-15	2013-14	2012-13
(₹ लाख में)										
वृद्धावस्था पैन्शन आई.जी.एन. ओ.पी.	एस.सी. एस.पी.	7,32.23	8,93.85	6,44.00	7,32.23	8,93.85	6,90.00	7,32.23	9,19.01	8,32.02
पोषण योजना	सामान्य	...	...	20,40.00	...	...	39,01.51	...	...	20,40.00
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम	एस.सी. एस.पी.	...	6,00.00	8,00.00	...	6,00.00	8,00.00	...	6,00.00	6,00.00
बीजों का वितरण	सामान्य	3,43.39	2,09.00	99.73	3,43.39	2,09.00	10,22.00	3,43.39	8,91.08	5,60.21
	एस.सी. एस.पी.	24.74	39.45	21.00	24.74	39.45	2,17.26	24.74	39.47	20.96
खाद का वितरण	सामान्य	1,80.41	5,62.83	39.78	1,80.41	5,62.83	2,09.79	1,80.41	1,92.44	2,04.68
	एस.सी. एस.पी.	34.00	64.50	20.00	34.00	64.50	20.00	34.00	64.50	1,25.85
फसल बीमा योजना	एस.सी. एस.पी.	...	10.90	6.00	...	10.90	6.00	...	...	6.00
विपणन एवं गुणवत्ता नियन्त्रण	एस.सी. एस.पी.	2,98.00	3,61.00	3,46.00	2,98.00	3,61.00	3,46.00	2,98.00	3,61.00	2,46.82
लघु एवं सीमान्त किसानों को सहायता	सामान्य	...	9.00	...	...	9.00	...	...	8.36	...
	एस.सी. एस.पी.	1,55.30	1,10.00	1,00.00	1,55.30	1,10.00	1,00.00	1,55.30	1,10.00	1,00.00
शिशु गृह	सामान्य	1,84.29	3,00.00	...	1,84.29	3,00.00	2,63.00	1,84.29	1,29.30	1,74.37
भू संरक्षण हेतु वृक्षारोपण	सामान्य	2,72.00	2,63.00	...	2,72.00	2,63.00	1,95.00	2,72.00	2,39.12	67.85
	एस.सी. एस.पी.	...	...	...	...	...	...	...	...	34.32
ट्री कवर का सुधार	सामान्य	9,35.00	7,21.55	9,52.20	9,35.00	7,21.55	9,52.20	9,35.00	7,21.55	9,27.26
	टी.एस.पी	10.00	43.31	80.00	10.00	43.31	80.00	10.00	48.81	99.45
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस	सामान्य	6,26.85	4,16.00	5,16.00	6,26.85	4,16.00	5,34.76	6,26.85	1,12.61	1,56.43
विश्व बैंक द्वारा सहायक मिड हिमालयन जल प्रवाह विकास	सामान्य	64,33.83	32,00.00	26,35.00	64,33.84	32,00.00	26,35.00	64,33.84	52,69.51	26,35.16

**परिशिष्ट-V**  
**ख-राज्य योजना स्कीमें**

राज्य स्कीम	सामान्य/ जनजातीय योजना/ अनुसूचित जनजाति उप योजना	योजनागत परिव्यय			बजट प्रावधान			व्यय		
		2014-15	2013-14	2012-13	2014-15	2013-14	2012-13	2014-15	2013-14	2012-13
(₹ लाख में)										
13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों के रख-रखाव हेतु अनुदान	सामान्य	17,18.34	16,68.00	16,68.00	17,18.11	16,68.00	16,68.00	17,18.11	18,06.98	...
	एस.सी. एस.पी.	7,08.00	6,22.00	6,22.00	7,08.00	6,22.00	6,22.00	7,08.00	7,65.86	5,47.00
	टी.एस.पी	2,35.00	2,26.00	2,26.00	2,35.00	2,26.00	2,26.00	2,35.00	2,45.00	1,99.00
स्वां कैचमैन्ट	सामान्य	16,44.60	26,35.00	26,35.00	16,44.60	26,35.00	26,35.00	16,44.60	33,87.86	26,35.29
	एस.सी. एस.पी.	5,53.00	8,65.00	8,65.00	5,53.00	8,65.00	8,65.00	5,53.00	11,12.14	8,65.00
मिड हिमालयन जल प्रवाह परियोजना	एस.सी. एस.पी.	18,66.16	10,50.00	8,65.00	18,66.16	10,50.00	8,65.00	18,66.16	17,30.00	8,65.00
सँझी वन योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	सामान्य	18.70	16.00	15.00	18.70	16.00	15.00	18.70	16.00	11.40
विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	एस.ओ. ओ.बी.	...	8,00.00	5,70.00	...	8,00.00	7,80.84	...	7,69.80	12,16.04
	एस.सी. एस.पी.	...	23,64.00	26,00.00	...	23,64.00	26,00.00	...	23,79.91	23,77.22
नाबांड के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना	एस.ओ. ओ.एस.	...	14,90.00	21,01.00	...	14,90.00	21,01.00	...	14,87.03	16,72.26
रथानीय विधायक क्षेत्र में विकास योजना	सामान्य	32,66.00	32,60.50	26,00.00	32,66.00	32,60.50	32,60.50	32,66.00	32,66.16	32,22.99
विकास में जन सहयोग	सामान्य	15,00.00	10,00.00	7,00.00	15,00.00	10,00.00	17,00.00	15,00.00	9,29.38	16,45.66
मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना (एम.एम.जी. पी.वाई.)	सामान्य	5,00.00	4,00.00	4,00.00	5,00.00	4,00.00	4,00.00	5,00.00	4,00.00	4,00.00

## परिशिष्ट-VI

राज्य की कार्यवयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गई) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वित एजेंसी	भारत सरकार द्वारा विमोचन		
		2014-15	2013-14	2012-13
		(₹ लाख में)		
गठबंधन एवं आर एण्ड डी मिशन	पर्यावरण विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी	1,04.00	...	...
जोड़		<b>1,04.00</b>	...	...
द्रग्स एवं फार्मासुटिकल अनुसंधान	बैजनाथ फार्मासुटिकल प्रा. लि.	1,00.00	...	...
जोड़		<b>1,00.00</b>	...	...
ई- गर्वनैन्स	हिमाचल प्रदेश हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसैंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,94.00	2,38.85	6,05.18
जोड़		<b>3,94.00</b>	2,38.85	6,05.18
अनुसुधित जनजातिय गैर सरकारी संगठनों को विशेष पुरस्कार एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय सहायाता अनुदान	रिनचिन जिंगपो समिति स्थिति का विकास की गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक समिति जनजातिय सांस्कृतिक एवं बौद्ध शिक्षण समिति तावो रामधा बौद्ध समिति हिमाचल बौद्ध संस्कृतिक संगठन मनाली, हिमाचल प्रदेश	72.56 13.30 40.86 12.20 31.82	...	...
जोड़		<b>1,70.74</b>	...	...
ग्रीड.इन्टरेकटीव रिन्युअेबल उर्जा एम एन आर ई	स्टैट बैंक ऑफ इन्डिया, कुल्लू स्टैट बैंक ऑफ इन्डिया, चम्बा हिमाचल प्रदेश उर्जा विकास एजेंसी हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड	1,60.00 1,15.00 96.38 0.44	...	...
जोड़		<b>3,71.82</b>	...	...
परिवहन उपदान स्कीम	हिमाचल प्रदेश ओद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	16,24.04	...	...
जोड़		<b>16,24.04</b>	...	...
भारतीय प्रद्योगिक संस्थान को मदद	भारतीय प्रद्योगिक संस्थान, मण्डी	51,00.00	...	...
जोड़		<b>51,00.00</b>	...	...
उद्योग ढांचा विकास आई आई यू एस डी आई पी पी	बद्दी ढांचागत हिमाचल प्रदेश ओद्योगिक विकास निगम	3,91.69 6,13.72	...	...
जोड़		<b>10,05.41</b>	...	...

## परिशिष्ट-VI

राज्य की कार्यवयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गई) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वित एजेंसी	भारत सरकार द्वारा विमोचन		
		2014-15	2013-14	2012-13
		(₹ लाख में)		
कृषि गणना एवं सांखिकी एकीकृत स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	3,91.00	...	...
जोड़		<b>3,91.00</b>	...	...
एम.पी. लोकल एरिया विकास	उपायुक्त	25,00.00	37,50.00	37,50.00
जोड़		<b>25,00.00</b>	<b>37,50.00</b>	<b>37,50.00</b>
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला व भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली सहित कला विषय और समाज शास्त्र के उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	10,68.97	...	...
जोड़		<b>10,68.97</b>	...	...
राष्ट्रीय औषधिय पौद्ध बोर्ड	हिमालयन वायरोसोर्स तकनिकी संस्थान	17.00		
	राज्य औषधिय पौद्ध बोर्ड समिति, हिमाचल प्रदेश	2,49.74	...	...
	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	6.00	...	...
जोड़		<b>2,72.74</b>	...	...
आफ ग्रीड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश उर्जा विकास एजेंसी	16,36.83	...	...
	सुखजीत एग्रो. इन्डरट्रीज	50.00	...	...
जोड़		<b>16,86.83</b>	...	...
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को पैकेज	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	16,53.14	20,65.63	25,05.82
जोड़		<b>16,53.14</b>	<b>20,65.63</b>	<b>25,05.82</b>
इलेक्ट्रोनिक्स आईटी हार्डवेयर का उन्नति एम एफ जी डी आई टी	राष्ट्रीय अनुसंधान व तकनिकी संघ	56.10	...	...
जोड़		<b>56.10</b>	...	...
राजीव गांधी खेल अभियान (आर जी के ए)	हिमाचल प्रदेश खेलकूद परिषद्	1,79.60	...	...
जोड़		<b>1,79.60</b>	...	...
शहर, औद्योगिक व वाणिज्यिक एपलीकेशन के लिए अक्षय उर्जा	हिमाचल प्रदेश उर्जा विकास एजेंसी	1,57.00	...	...
जोड़		<b>1,57.00</b>		
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति अधिनियम	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	...	4,77,97.09	3,61,29.50
जोड़		...	<b>4,77,97.09</b>	<b>3,61,29.50</b>

## परिशिष्ट-VI

राज्य की कार्यवयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गई) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वित एजेंसी	भारत सरकार द्वारा विमोचन		
		2014-15	2013-14	2012-13
		(₹ लाख में)		
सर्व शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति	...	1,14,53.10	1,07,37.30
जोड़		...	<b>1,14,53.10</b>	<b>1,07,37.30</b>
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान एन.आइ.टी. डी.एच.ई.	एन.आई.आई.टी. हमीरपुर	...	29,00.00	45,00.05
जोड़		...	<b>29,00.00</b>	<b>45,00.05</b>
आई.आई.टी. को सहायता	आई.आई.टी. को सहायता	...	1,07,97.00	...
जोड़		...	<b>1,07,97.00</b>	...
एकीकृत जल विभाजन प्रबन्ध कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए.	...	57,14.77	13,42.68
जोड़		...	<b>57,14.77</b>	<b>13,42.68</b>
विशेष श्रेणी राज्य पैकेज	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	...	20,65.63	25,05.82
जोड़		...	<b>20,65.63</b>	<b>25,05.82</b>
पर्यटन गंतव्य का विकास	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	...	...	23,83.89
जोड़		...	...	<b>23,83.89</b>
उत्पाद/ढांचा	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	...	...	10,69.29
जोड़		...	...	<b>10,69.29</b>
ग्रामीण आवास आई.ए.वाई.	परियोजना अधिकारी, डी. आर. डी. ए.	...	42,26.62	28,99.59
जोड़		...	<b>42,26.62</b>	<b>28,99.59</b>
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	जिला आयुक्त	...	37,50.00	37,50.00
जोड़		...	<b>37,50.00</b>	<b>37,50.00</b>
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	...	5,49.10	5,91.88
जोड़		...	<b>5,49.10</b>	<b>5,91.88</b>
डी. आर. डी. ए. प्रबन्धन	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	...	6,87.37	4,27.39
जोड़		...	<b>6,87.37</b>	<b>4,27.39</b>
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन	...	30,49.74	16,66.96
जोड़		...	<b>30,49.74</b>	<b>16,66.96</b>

## परिशिष्ट-VI

राज्य की कार्यवयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गई) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वित एजेंसी	भारत सरकार द्वारा विमोचन		
		2014-15	2013-14	2012-13
		(₹ लाख में)		
विकित्सालय/औषधालय (एन आर एच एम)	हिमाचल प्रदेश आयुष संस्थानों की समिति का विकास	...	...	1,19.30
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम केन्द्रीय प्रायोजित)	...	1,60,76.66	60,25.52
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम केन्द्रीय खण्ड )	...	46.38	57.36
<b>जोड़</b>		...	<b>1,61,23.04</b>	<b>62,02.18</b>
ई-गवर्नेंस	एस.आई.टी.ई.जी.	...	2,38.85	6,05.18
<b>जोड़</b>		...	<b>2,38.85</b>	<b>6,05.18</b>
राष्ट्रीय एडस नियन्त्रण कार्यक्रम एस.टी.डी. सहित	हिमाचल प्रदेश एडस नियन्त्रण समिति	...	11,25.11	8,88.39
<b>जोड़</b>		...	<b>11,25.11</b>	<b>8,88.39</b>
राज्य के सुधार के विस्तार के लिए समर्थन	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार	...	9,38.86	9,31.18
<b>जोड़</b>		...	<b>9,38.86</b>	<b>9,31.18</b>
राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	प्रधानाचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान शिमला	...	--	4,39.50
<b>जोड़</b>		...	--	<b>4,39.50</b>
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास प्राधिकरण	...	2,61.08	3,61.92
<b>जोड़</b>		...	<b>2,61.08</b>	<b>3,61.92</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति की विस्तार योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन	...	1,30,81.26	1,02,24.05
<b>जोड़</b>		...	<b>1,30,81.26</b>	<b>1,02,24.05</b>
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद	...	3,82.24	7,60.09
<b>जोड़</b>		...	<b>3,82.24</b>	<b>7,60.09</b>
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास का अध्ययन	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	...	4.92	3,01.40
<b>जोड़</b>		...	<b>4.92</b>	<b>3,01.40</b>
विपणन बोर्ड का विकास	एच.पी.एस.ए. विपणन बोर्ड शिमला	...	...	37,50.00
<b>जोड़</b>		...	...	<b>37,50.00</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति की विस्तार योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन	...	...	1,02,24.05
<b>जोड़</b>		...	...	<b>1,02,24.05</b>

## परिशिष्ट-VI

राज्य की कार्यवयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गई) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वित एजेंसी	भारत सरकार द्वारा विमोचन		
		2014-15	2013-14 (₹ लाख में)	2012-13
गनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रद्योगिक संस्थानों को मदद	एन.आई.आई.टी. हमीरपुर	60,00.00	...	...
<b>जोड़</b>		<b>60,00.00</b>	...	...
एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम(एस आई टी पी)	हिमाचल प्रदेश टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	11,62.80	...	...
<b>जोड़</b>		<b>11,62.80</b>	...	...
उर्जा प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण तथा अनुसंधान का नया सम्पादन	सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	...	28.00	8.87
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>28.00</b>	<b>8.87</b>
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति	...	2,14,67.35	20,35.00
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>2,14,67.35</b>	<b>20,35.00</b>
<b>अन्य</b>		<b>40,27.14</b>	<b>1,99,96.71</b>	<b>2,46,70.40</b>
<b>जोड़</b>		<b>40,27.14</b>	<b>1,99,96.71</b>	<b>2,46,70.40</b>
<b>सकल जोड़</b>		<b>2,78,54.59</b>	<b>16,71,29.84</b>	<b>12,02,44.00</b>

नोट:- स्त्रोत महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल

### परिशिष्ट-VII

विवरणी संख्या 16 व 21 में दर्शाये गये अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन  
संलग्नक ‘क’

अधिक राशि वाले ऋणों के बे मामले जिनका विस्तृत लेखा महालेखाकार (ले.व ह.) द्वारा रखा जाता है जिनके शेषों की स्वीकृति तथा सत्यापन विलम्बित है।

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष तथा संरक्षण का नाम	प्रतीक्षित स्वीकृतियों की संख्या	जिस वर्ष से स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं	31 मार्च, 2015 को इन मर्दों के संदर्भ में बकाया
				राशि
				(₹ लाख में)
1.	6225- 01-190-01 (हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम)	1	2010-11	65.68
2.	6225- 01-789-02 (हिमाचल प्रदेश एस.सी. एवं एस.टी. विकास निगम)	1	2010-11	1,99.50

### संलग्नक ‘ख’

उन विभागीय अधिकारियों /खजाना अधिकारियों का विवरण/सूचना जिनसे शेष आंकड़ों का समाधान प्रतीक्षित है।

मुख्य शीर्ष	जिस वर्ष से अन्तर सम्बन्धित है	अन्तर की राशि	उन विभागीय अधिकारियों/खजाना अधिकारियों का विवरण जिनके साथ अन्तर समाधानाधीन	दस्तावेजों का विवरण

टिप्पणी:- राज्य सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

## परिशिष्ट -VIII

सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के अन्त तक पूँजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां			वर्ष के दौरान राजस्व का जोड़ना अथवा राजस्व की छूट	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 तथा 12)	वर्ष के दौरान कार्यचालन व्यय और अनुरक्षण प्रभार	वर्ष के दौरान कार्यचालन व्यय और अनुरक्षण प्रभार						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	व्यय से (कॉलम 16) (+) राजस्व का अधिशेष (कॉलम 13) अथवा राजस्व से (कॉलम 13) (-) व्यय का आधिक्य (कॉलम 16)	वर्ष के अन्त में पूँजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत	प्रत्यक्ष पूँजीगत परिव्यय पर व्याज	व्यय से राजस्व का अधिशेष (+) अथवा राजस्व से व्यय का आधिक्य (-)	वर्ष के अन्त में पूँजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत		

टिप्पणी:- हिमाचल प्रदेश में कोई भी वाणिज्यिक सिंचाई कार्य नहीं है। जबकि ₹ 71.31 लाख मुख्य शीर्ष 4701 मध्यम सिंचाई 80-साधारण, 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय दर्शाया गया है। यह व्यय वर्ष 1963-64 से पहले समय का है, स्कीम का व्यौरा उपलब्ध नहीं है (विवरणी संख्या 16, खण्ड-II)।

## परिशिष्ट IX

## अपूर्ण निर्माण कार्यों की वरचनबद्धता की विवरणी

क्रम संख्या	कार्य/परियोजना का नाम	निर्माण कार्य की लागत तथा संस्थीकृति आदेश संख्या	आरम्भ करने की तिथि	पूर्ण करने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक आरोही रुप्ते	बकाया देनदारियाँ	संशोधित लागत यदि हो/संशोधन की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग										
1	ज्ञा शहर के लिये मल निकास स्कीम की व्यवस्था	₹ 4,92.52 लाख सचिव (आई.पी.एच.) न. एफ (6)15-24/94 दिनांक 24-6-97	1996-97	3/2012	99%	...	9,11.17	...	10,83.00	कार्य अभी पूर्ण होना है वर्ष 2014-15 में बजट आवंटन नहीं हुआ।
2	मैहतपुर शहर के लिये मल निकास स्कीम की व्यवस्था	₹ 2,45.31 लाख सचिव (आई.पी.एच.) न. पी.डब्ल्यू. 6(1)81-83 दिनांक 30-1-96	1996-97	3/2012	38%	...	3,17.65	...	8,15.62	-- वही --
3	संतोखगढ़ शहर के लिये मल निकास स्कीम की व्यवस्था	₹ 2,25.07 लाख सचिव (आई.पी.एच.) न. पी.डब्ल्यू. 6(1)1/83 खण्ड-II दिनांक 29-02-96	1996-97	3/2012	43%	...	4,24.45	...	9,33.91	-- वही --
4	सरकाधाट शहर को स्थाई मल निकास व्यवस्था	₹ 5,61.67 लाख न. 15/94 दिनांक 15-12-95	1996	12/2012	95%	...	7,89.33	...	...	कार्य प्रगति पर है।
5	सोलन शहर में मल व्यवस्था उपलब्ध करवाना	₹ 4,55.38 न. पी. बी. डब्ल्यू. (पी.एच) फिन (6)(5)- 11/94 दिनांक 28-11-95	11/1995	3/2006	90%	...	10,17.65	...	14,82.00	-- वही --
6	सुन्दरनगर शहर में मल निकास व्यवस्था उपलब्ध करवाना	₹ 5,66.70 लाख सचिव न. आई. पी. एच. 4-1 33/ 81-1 ए दिनांक 16.03.1992	04/1992	9/2006	80%	...	12,14.18	...	13,37.44	-- वही --
7	एन ए सी घुमारवीं के लिए मल व्यवस्था उपलब्ध करवाना	₹ 8,21.98 लाख शहरी विकास विभाग दिनांक 04-03-2011	03/1998	7/2005	95%	...	8,07.01	...	9,83.13	-- वही --

## परिशिष्ट -IX

## अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी

क्रम संख्या	कार्य/परियोजना का नाम	निर्माण कार्य की लागत तथा संस्थीकृति आदेश संख्या	आरम्भ करने की तिथि	पूर्ण करने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक आरोही रुप्ते	बकाया देनदारियाँ	संशोधित लागत यदि हो/संशोधन की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										
<b>सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग</b>										
8	सुन्दरनगर के लिए जलापूर्ति स्कीम का पुनर्निर्माण	₹ 4,19.24 लाख स. न. पी डब्ल्यू. डब्ल्यू. (पी.एच.) (एफ.) 6(15) 2198 दिनांक 19-09-2000	2000-01	3/2006	95%	...	11,85.40	...	9,83.13	कार्य प्रगति पर है
9	रोहडू शहर में मल निकास व्यवस्था उपलब्ध करवाना।	प्रधान सचिव आई.पी.एच. बी.(एफ.)-04/04 -29-06-2007 ₹ 8,15.69 लाख	2009	7/2012	90%	...	8,27.86	...	...	-- वही --
10	ग्राम पंचायत उत्तीप, बट्टलडडु चम्बा में सुखा ग्रस्त क्षेत्र में जल वितरण योजना	स. न. (आई.पी.एच.)-बी.(एफ.)-5-3/2011 27-7-2011 ₹12,80.27 लाख	2011	3/2015	75%	2,24.33	8,10.43	...	...	-- वही --
	भवन तथा सड़कें									
11	चक्कर शिमला में न्यायलय परिसर का निर्माण	₹ 37,43.20 लाख होम-(बी)(9)-13/2006-एच.जी.-19-9-2008 पी बी डब्ल्यू(बी) एफ(एस) 87/2008 दिनांक 28.05.2008	04/2008	3/2012	99%	4.50	37,58.30	1.55	...	कार्य अन्तिम चरण पर है
12	उच्च न्यायलय के साथ प्रशासनिक भवन का निर्माण	₹ 13,85.00 लाख होम बी(जी)-13/2006-जी.आई 9/08.एच.सी. दिनांक 22/10/2008	8/2009	3/2012	99%	2.80	10,55.35	अनुबन्धित दायित्वों के लिए ₹ 2,26.00 लाख वांछित है	...	-- वही --
13	न्यायलय परिसर चक्कर शिमला में कार पार्किंग का निर्माण	सेक्टरी होम-(ई)-3-9/2007-एच सी-1 दिनांक 2/2/2013 के लिए ₹ 10,74.86 लाख	3/2013	3/2015	99%	1,35.75	10,08.65	66.00	...	-- वही --

**परिशिष्ट -X**  
**वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय**

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय का शीर्ष							विवरण/ रख-रखाव लेखा शीर्ष का नामकरण	2014-15 (₹ लाख में )		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	मद	योजना/आयोजनेतर		वेतन	गैर वेतन	जोड़
01	विधान सभा	2216	07	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	35.00	35.00
02	राज्यपाल और मन्त्री परिषद	2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	5.06	5.06
03	न्याय प्रशासन	2059	01	053	38	00	21	आयोजनेतर	उच्च न्यायलय भवन का रख-रखाव	...	63.85	63.85
					40	00	21	आयोजनेतर	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के भवनों का रख रखाव	...	10.95	10.95
					48	00	21	आयोजनेतर		...	1.00	1.00
					57	00	21	आयोजनेतर	वित आयोग के अन्तर्गत लोकायुक्त भवन का रख-रखाव	...	1.00	1.00
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	60.71	60.71
04	सामान्य प्रशासन	2059	01	053	22	00	21	आयोजनेतर	सैनिक कल्याण विभाग के भवन का रख-रखाव	...	2.42	2.42
					27	00	21	आयोजनेतर	सविवालय भवन का रख-रखाव	...	41.02	41.02
					28	00	21	आयोजनेतर	आवासीय आयुक्त भवन का रख-रखाव (नई दिल्ली)	...	6.00	6.00
					39	00	21	आयोजनेतर	हि. प्र.लोक सेवा आयोग भवन का रख-रखाव	...	6.50	6.50
					45	00	21	आयोजनेतर	हि. प्र.अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भवन का रख-रखाव	...	8.00	8.00
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख रखाव	...	1,46.34	1,46.34
					04	00	21	आयोजनेतर	नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास के रखरखाव पर व्यय	...	0.50	0.50
05	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2059	01	053	02	00	21	आयोजनेतर	रख-रखाव पर व्यय	...	45.42	45.42
					32	00	21	आयोजनेतर	पटवारखाना एवं कानूनगो भवन का रख-रखाव	...	70.50	70.50
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	4.12	4.12
06	आबकारी और कराधान	2059	01	053	02	00	21	आयोजनेतर	रख-रखाव पर व्यय	...	6.29	6.29
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	5.31	5.31
07	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	2059	01	053	20	00	21	आयोजनेतर	जेल विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय	...	38.68	38.68
					21	00	21	आयोजनेतर	गृह रक्षा विभाग के भवनों के रख-रखाव पर व्यय	...	4.42	4.42
					31	00	21	आयोजनेतर	पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय	...	1,25.72	1,25.72
					41	00	21	आयोजनेतर	सतर्कता एवं फोरेंसिक प्रयोगशाला भवन का रखरखाव	...	4.42	4.42

**परिशिष्ट -X**

वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय का शीर्ष							विवरण/ रख-रखाव लेखा शीर्ष का नामकरण	2014-15		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	मद	योजना/ आयोजनेतर		(₹ लाख में )	वेतन	गैर वेतन
07	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	2059	01	053	47	00	21	आयोजनेतर	अग्निशमन विभाग के भवनों के रख-रखाव पर व्यय	...	4.42	4.42
					62	00	21	आयोजनेतर	सतर्कता विभाग एवं भट्टाचार विशेषी व्यूरो के भवनों का रख-रखाव	...	62.16	62.16
		2216	06	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	19.92	19.92
					02	00	21	आयोजनेतर	राज्य फारेंसिक प्रयोगशाला के आवासीय भवनों का रख-रखाव	...	1.01	1.01
			07	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	1.41	1.41
08	शिक्षा	2059	01	053	33	01	21	आयोजनेतर	माध्यमिक शिक्षा भवनों का रख-रखाव	...	62.07	62.07
					70	00	21	योजनागत	टी. एफ. सी. के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा भवनों का रख-रखाव	...	4,43.82	4,43.82
09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2059	01	053	50	00	21	आयोजनेतर	टी. एफ. सी. के अन्तर्गत आयुर्वेदिक विभाग के भवनों का रख-रखाव	...	1,50.01	1,50.01
					52	00	21	आयोजनेतर	टी. एफ. सी. के अन्तर्गत आई जी एम सी का रख-रखाव	...	34.54	34.54
					52	00	21	योजनागत	टी. एफ. सी. के अन्तर्गत आई जी एम सी का रख-रखाव	...	96.46	96.46
					55	00	21	आयोजनेतर	टी. एफ. सी. के अन्तर्गत डॉ राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा का रख-रखाव	...	1,81.00	1,81.00
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	रख-रखाव पर व्यय	...	29.97	29.97
10	लोक निर्माण- (सड़क, पुल एवं भवन)	2059	80	053	01	00	01	आयोजनेतर	कार्यप्रभारित स्थापना	3.65	...	3.65
					03	00	01	आयोजनेतर	निष्पादन	86,92.28	...	86,92.28
							02	आयोजनेतर	निष्पादन	...	2.17	2.17
							03	आयोजनेतर	निष्पादन	...	54.45	54.45
							05	आयोजनेतर	निष्पादन	...	92.56	92.56
							06	आयोजनेतर	निष्पादन	...	79.20	79.20
							07	आयोजनेतर	निष्पादन	...	0.69	0.69

**परिशिष्ट -X**  
**वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय**

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय का शीर्ष							विवरण/ रख-रखाव लेखा शीर्ष का नामकरण	2014-15		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	मद	योजना/आयोजनेतर		(₹ लाख में )	वेतन	गैर वेतन
10	लोक निर्माण- (सड़क, पुल एवं भवन)	2059	80	053	03	00	30	आयोजनेतर	निष्पादन	...	7.46	7.46
						64		आयोजनेतर	निष्पादन	...	2.56	2.56
				04	00	02		आयोजनेतर	12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गैर आवासीय भवनों के रख-रखाव पर व्यय	...	3,38.50	3,38.50
		2059	80	053	04	00	21	आयोजनेतर	लोक निर्माण विभाग एवं विभिन्न विभागों के गैर आवासीय भवनों पर अन्य व्यय के लिए 12वें वित्त आयोग के अवार्ड के तहत रखरखाव	...	13,23.30	13,23.30
					05	00	01	आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	75,33.15	...	75,33.15
						03		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	20.27	20.27
						06		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	43.79	43.79
						64		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	0.15	0.15
					06	00	21	आयोजनेतर	वस्त्रियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान	...	63,88.12	63,88.12
		2216	05	053	01	00	02	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	7.56	7.56
						21		आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	3,09.94	3,09.94
						21		योजनागत	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	7,31.31	7,31.31
		3054	03	103	01	00	01	आयोजनेतर	कार्यप्रभारित स्थापना-मशीनरी और उपस्कर	20.06	...	20.06
						02	00	04	आयोजनेतर	...	0.30	0.30
					03	00	01	आयोजनेतर	कार्यप्रभारित स्थापना-सड़क निर्माण कार्य	3.10	...	3.10
						06		आयोजनेतर	कार्यप्रभारित स्थापना-सड़क निर्माण कार्य	...	0.08	0.08
					04	00	02	आयोजनेतर	अन्य रख रखाव व्यय मशीनरी और उपस्कर	...	80.35	80.35
						21		आयोजनेतर	अन्य रख रखाव व्यय मशीनरी और उपस्कर	...	1,15.75	1,15.75
						21		योजनागत	अन्य रख रखाव व्यय मशीनरी और उपस्कर	...	2,82.74	2,82.74
					05	00	02	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय सेतु	...	71.96	71.96
						21		आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय सेतु	...	1,51.71	1,51.71
						21		योजनागत	अन्य रख-रखाव पर व्यय सेतु	...	1,01.13	1,01.13
				06	00	21		आयोजनेतर	अन्य रख रखाव व्यय सड़क मरम्मत कार्य	...	24,37.77	24,37.77

**परिशिष्ट -X**  
**वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय**

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय का शीर्ष						विवरण/ रख-रखाव लेखा शीर्ष का नामकरण	2014-15			
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	मद	योजना/आयोजनेतर	(₹ लाख में )	वेतन	गैर वेतन	जोड़
10	लोक निर्माण- (सड़क, पुल एवं भवन)	3054	03	103	06	00	21	योजनागत	अन्य रख रखाव व्यय सड़क मरम्मत कार्य अन्य रख रखाव व्यय मशीनरी और उपस्कर अन्य रख रखाव व्यय सड़क मरम्मत कार्य अन्य रख रखाव व्यय सड़क मरम्मत कार्य पुलों के रख रखाव पर व्यय	...	8,98.06	8,98.06
					07	00	21	आयोजनेतर		...	2,03.80	2,03.80
					08	00	21	आयोजनेतर		...	15,60.94	15,60.94
						21		योजनागत		...	2,15.22	2,15.22
					09	00	21	आयोजनेतर		...	5,09.50	5,09.50
		3054	03	103	10	00	01	आयोजनेतर	निष्पादन	1,02,08.98	...	1,02,08.98
						02		आयोजनेतर	निष्पादन	...	29.93	29.93
						03		आयोजनेतर	निष्पादन	...	1,07.73	1,07.73
						05		आयोजनेतर	निष्पादन	...	43.92	43.92
						06		आयोजनेतर	निष्पादन	...	1,60.55	1,60.55
						07		आयोजनेतर	निष्पादन	...	0.58	0.58
						10		आयोजनेतर	निष्पादन	...	0.16	0.16
						15		आयोजनेतर	निष्पादन	...	9.62	9.62
						30		आयोजनेतर	निष्पादन	...	10.73	10.73
						64		आयोजनेतर	निष्पादन	...	1.05	1.05
					11	00	21	आयोजनेतर	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान	...	1,43,90.19	1,43,90.19
					12	00	01	आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (मशीनरी व उपस्कर)	50,50.08	...	50,50.08
						03		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (मशीनरी व उपस्कर)	...	4.49	4.49
						06		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (मशीनरी व उपस्कर)	...	23.45	23.45
					13	00	01	आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (सेतु)	45,57.45	...	45,57.45
						03		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (सेतु)	...	5.23	5.23
						06		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (सेतु)	...	23.27	23.27
					14	00	01	आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (सड़क)	82,33.45	...	82,33.45
						03		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (सड़क)	...	6.31	6.31
						06		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार (सड़क)	...	23.71	23.71

**परिशिष्ट -X**  
**वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय**

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय का शीर्ष							विवरण/ रख-रखाव लेखा शीर्ष का नामकरण	2014-15		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	मद	योजना/आयोजनेतर		(₹ लाख में )	वेतन	गैर वेतन
10	लोक निर्माण- (सड़क, पुल एवं भवन)	3054	03	103	15	00	21	आयोजनेतर	तेहरवे वित्त आयोग के तहत सड़कों के रख रखाव पर व्यय	...	58,24.41	58,24.41
					16	00	21	आयोजनेतर	तेहरवे वित्त आयोग के तहत पुलों के रख रखाव पर व्यय	...	5,99.45	5,99.45
		04	105	02	00	02	आयोजनेतर	सड़कों के रख-रखाव पर व्यय		13,86.24	13,86.24	
					21		आयोजनेतर	सड़कों के रख-रखाव पर व्यय		94,39.44	94,39.44	
					21		योजनागत	सड़कों के रख-रखाव पर व्यय		14,57.63	14,57.63	
					29		आयोजनेतर	सड़कों के रख-रखाव पर व्यय		10.13	10.13	
				05	00	01	आयोजनेतर	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउंड्री	58.04	...	58.04	
					03		आयोजनेतर	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउंड्री	...	0.20	0.20	
					05		आयोजनेतर	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउंड्री	...	1.96	1.96	
					06		आयोजनेतर	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउंड्री	...	3.87	3.87	
				06	00	21	योजनागत	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान	...	4,11,15.50	4,11,15.50	
				07	00	01	आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	4,46,94.90	...	4,46,94.90	
					03		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	18.30	18.30	
					00	04	आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	1.98	1.98	
					06		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	1,06.38	1,06.38	
					64		आयोजनेतर	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार	...	0.04	0.04	
					08	00	21	आयोजनेतर	तेहरवे वित्त आयोग के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों के रख रखाव पर व्यय	...	53,24.00	53,24.00
11	कृषि	2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	9.30	9.30
12	उद्यान	2059	01	053	14	00	21	आयोजनेतर	उद्यान विभाग के रख रखाव पर व्यय	...	2.00	2.00
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	2.26	2.26
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	2059	01	053	89	00	21	आयोजनेतर	12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के भवनों का रख-रखाव	...	61.83	61.83
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	4.11	4.11

**परिशिष्ट -X**  
**वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय**

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय का शीर्ष							विवरण/ रख-रखाव लेखा शीर्ष का नामकरण	2014-15		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	मद	योजना/आयोजनेतर		(₹ लाख में )	वेतन	गैर वेतन
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	रख-रखाव पर व्यय	...	7.96	7.96
					03	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव व्यय मत्स्य विभाग	...	2.66	2.66
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2059	01	053	75	00	21	योजनागत	योजना विभाग के भवन का रख रखाव	...	9.44	9.44
16	वन और वन्य जीवन	2059	01	053	69	00	21	आयोजनेतर	वन विभाग हेतु रख-रखाव पर व्यय	...	38.12	38.12
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति तथा सूचना प्रौद्योगिकी	2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	2.42	2.42
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2059	01	053	09	00	21	आयोजनेतर	सामाजिक एवं महिला कल्याण का रख-रखाव	...	11.12	11.12
22	खाद्य और आपूर्ति विभाग	2059	01	053	17	00	21	NP	खाद्य और आपूर्ति विभाग का रख रखाव पर व्यय	...	11.97	11.97
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2059	01	053	13	00	21	आयोजनेतर	मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग के रख रखाव पर व्यय	...	2.78	2.78
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	10.01	10.01
25	सड़क और जल परिवहन	2059	01	053	18	00	21	आयोजनेतर	टी एफ सी के तहत परिवहन विभाग के रख रखाव पर व्यय	...	0.01	0.01
					85	00	21	आयोजनेतर	टी एफ सी के तहत एस टी ए भवन के रखरखाव पर व्यय	...	0.01	0.01
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	2059	01	053	87	00	21	आयोजनेतर	टी एफ सी के तहत तकनीकी शिक्षा विभाग के भवन का रखरखाव	...	35.62	35.62
		2216	05	053	01	00	21	आयोजनेतर	अन्य रख-रखाव पर व्यय	...	9.14	9.14
28	विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा अ	3054	04	105	04	00	42	आयोजनेतर	शहरी स्थानीय निकायों की सड़कों का रखरखाव	...	6,00.00	6,00.00
29	वित्त	2059	01	053	4	00	21	आयोजनेतर	तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आर्थिक एवं सांखिक विभाग के भवनों के रख रखाव पर व्यय	...	6.62	6.62
					43	00	21	आयोजनेतर	टी. एफ. सी. के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का रख-रखाव	...	0.01	0.01

## परिशिष्ट-XI

मुख्य नीतिगत निर्णयों की विवक्षा या भावी नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	नीतिगत निर्णय /नई स्कीम का स्वरूप	विवक्षा			यदि आवर्ति है, वार्षिक अनुमानों का नियल रोकड़ प्रवाह पर प्रभाव	वार्षिक खर्चों की प्रकृति			प्रस्तावित स्त्रोत जिन में नई स्कीमों के खर्चे किए जाने हैं			
		प्राप्ति/व्यय/ दोनों	आवर्ती/एकमुक्त	यदि एक बार तो प्रभाव दर्शाएं		निश्चित अवधि (अवधि सुनिश्चित करें)	स्थाई	राजस्व	पूँजीगत	राज्य के अपने संसाधन	केन्द्रीय स्थानान्तरण	ऋण द्वारा
1	राजीव गांधी डीजीटल विद्यार्थी योजना	व्यय	....	....	....	....	10,00.00	....	....	....	....	....
2	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	व्यय	....	....	....	....	70,78.00	....	....	....	....	....
3	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	व्यय	....	....	....	....	14,44.30	....	....	....	....	....
4	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्युट्रीकरण का लक्ष्य	व्यय	....	....	....	....	8,25.35	....	....	....	....	....
5	उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना	व्यय	....	....	....	....	3,50.98	....	....	....	....	....

मुख्य नीतिगत निर्णयों हेतु विवक्षा पर तालिका भावी रोकड़ प्रवाह से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों तथा राज्य सरकार के लोक निर्माण, सिवाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों वन मण्डलों तथा जिला कोषाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित व्यय से सम्बन्धित वाजबरों पर आधारित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध करवाई गई है।

**परिशिष्ट-XII**

भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण

---

टिप्पणी:- राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2015  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)